<u>सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 11.11.2011 की कार्य सूची।</u>

<u>मद सं0–1</u> सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 09–03–11 की कार्यवाही का पुश्टिकरण।

<u>मद सं0ः–2</u> <u>सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा परिचालन पद्धति से पारित निम्नलिखित आदेशों का अनुमोदनः–</u>

प– श्रीमती चम्पा देवी, 1/177 चक्खुवाला देहरादून की बस सं0–यूए11–0708 को देहरादून–डोईवाला–जौलीग्रान्ट एवम् सम्बन्धित मार्ग का अस्थाई सवारी गाडी परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध में परिचालन पद्धति से पारित प्राधिकरण के आदेश दिनांक 13.04.11 का अनुमोदन।

पप – श्रीमती सरला देवी, पत्नी श्री देवी लाल गोयल ग्राम धमण्डपुर, पो0 रानीपोखरी देहरादून द्वारा दायर अपील सं0–05/2010 में मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 08.03.11 के अनुपालन में उनके विक्रम टैम्पो परमिट सं0–1029 को नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में परिचालन पद्धति से पारित प्राधिकरण के आदेष दिनांक 16.05.11 का अनुमोदन।

पपप – देहरादून–रायपुर–थानो–मालदेवता मार्ग पर श्री जगबीर सिंह मान, पुत्र स्व0 श्री लाल सिंह, राजपुर रोड देहरादून की वाहन सं0–यूके07टीए–2708 तथा श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री रेषम सिंह, भण्डारी बाग देहरादून की वाहन सं0–यूके07टीए–3128 को अस्थाई स्टैज कैरेज परमिट प्रदान करने के सम्बन्ध में परिचालन पद्धति से पारित प्राधिकरण के आदेष दिनांक 15.06.11 का अनुमोदन।

पअ– ''सैनिक कालोनी–नीलकंठ विहार–कालीदास रोड–दिलाराम चौक–यूकेलिप्टिस रोड– सर्वे चौक–परेड ग्राउन्ड–दर्षनलाल चौक–प्रिन्सचौक–सहारनपुर चौक–मातावालाबाग–गुरूरामराय डिग्री कालेज–कारगी चौक–आई0एस0बी0टी0 मार्ग'' पर निम्नलिखित आवेदकों की 7/8 सीटर हल्के वाहनों को ठेका वाहन के रूप में संचालित करने हेतु स्थाई परमिट जारी करने के सम्बन्ध में परिचालन पद्धति से पारित प्राधिकरण के आदेष दिनांक 07.06.11 का अनुमोदन।

1. श्री कमल पाल पुत्र श्री पूरन सिंह पाल
2. श्री संदीप कोठारी पुत्र श्री षषी कुमार कोठारी

3. श्री प्रदीप रावत पुत्र श्री सी0एस0 रावत
4. श्री कुलदीप नेगी पुत्र श्री के0एस0नेगी
5. श्री मंसूर खान पुत्र श्री मसकूर अहमद खान
6. श्री अब्दुल हमीद पुत्र श्री अब्दुल वहीद
7. श्री कृपाल सिंह नेगी पुत्र श्री डी0एस0 नेगी
8. श्री सोवन सिंह पुत्र स्व0 श्री चेत सिंह

अ– "मियांवाला चौक–गुजरोवाली चौक–तुनवाला–किददूवाला–नत्थनपुर–नेहरुग्राम– राजीव नगर–बलबीर रोड–ईसी रोड होते हुए सर्वेचौक–परेडग्राउन्ड मार्ग" पर निम्नलिखित आवेदकों की 7/8 सीटर हल्के वाहनों को ठेका वाहन के रूप में संचालित करने हेतु स्थाई परमिट स्वीकृत करने तथा विकलांग श्री मुस्तफा हुसैन पुत्र श्री लियाकत हुसैन को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09.03.11 में स्वीकृत परमिट से लाइसेन्स की अनिवार्यता से छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में परिचालन पद्धति से पारित प्राधिकरण के आदेष दिनांक 07.06.11 का अनुमोदन।

1. श्री व्यास चन्द्र षर्मा पुत्र श्री नानक चन्द
2. श्री भगवान सिंह पंवार पुत्र श्री रतन सिंह
3. श्री अजीज पुत्र श्री बसीर
4. श्री षमषाद अली पुत्र श्री षब्बीर अली
5. श्री मुस्तफा हुसैन पुत्र श्री लियाकत हुसैन

अप. आई0एस0बी0टी0 से मेहुवाला–हरभजवाला–तुन्तोवाला–चौयला–वाईल्ड लाइफ इन्स्टीटयूट –चन्द्रबनी –सुभाश नगर चौक–ट्रॉन्सपोर्ट नगर–सेवलाकलां–गौतम कुंड होते हुए आई0एस0बी0टी0 मार्ग पर 7/8 सीटर हल्के वाहन को ठेका वाहन के रूप में संचालित करने हेतु श्री गोविन्द राम राजौरिया (अनुसूचित जाति) पुत्र श्री रामू रजौरिया को स्थाई परमिट जारी करने के सम्बन्ध में परिचालन पद्धति से पारित प्राधिकरण के आदेष दिनांक 15.06.11 का अनुमोदन।

vii- श्री नवीन कुमार पुत्र श्री बाबूराम, ज्वालापुर, हरिद्वार द्वारा दायर अपील सं0–06/2010 में मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेष दिनांक 08.03.11 के अनुपालन में उनके विक्रम टैम्पो परमिट सं0–2558 को नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में परिचालन पद्धति से पारित प्राधिकरण के आदेष दिनांक 15.06.11 का अनुमोदन।

viii- डोईवाला केन्द्र के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये निम्न आवेदकों को विक्रम टैम्पो परमिट स्वीकृत करने तथा तथा श्री सुभाश चन्द्र पुत्र श्री होरी लाल व श्रीमती गंगादेवी पत्नी श्री मनीराम को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09.03.11 में स्वीकृत परमिट से लाइसेन्स की अनिवार्यता से छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में परिचालन पद्धति से पारित प्राधिकरण के आदेष दिनांक 15.06.11 का अनुमोदन।

1. श्री मुन्तजीर पुत्र श्री हानीफ
2. श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री आनन्द सिंह
3. श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री मलिक राम
4. श्री राजेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री जयंती सिंह
5. श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री पदम सिंह
6. श्री राकेष गोयल पुत्र श्री देवीलाल
7. श्री राजेष धीमान पुत्र श्री जय प्रकाष
8. श्री सुषील कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण दास
9. श्री राजेष सिंह मनवाल पुत्र श्री पदम सिंह
10. श्री पीयूश तोमर पुत्र श्री प्रेम सिंह
11. श्री धमेन्द्र सिंह पुत्र श्री जोध सिंह
12. श्री अच्छे लाल पुत्र श्री गुलजार प्रसाद
13. श्री मनोज कुमार पुत्र श्री राम अवतार
14. श्री इन्द्रजीत पुत्र स्व0 श्री अतर सिंह
15. श्री सर्वजीत सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह
16. श्री महफूज पुत्र श्री महमूद हसन

17. श्री राहुल पाल पुत्र श्री हस्ता पाल

ix- हरिद्वार केन्द्र के निम्नलिखित आवेदकों को उनके सम्मुख प्रदर्षित वाहन के लिये आटोरिक्षा परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध में परिचालन पद्धति से प्राधिकरण द्वारा पारित आदेष दिनांक 24.06.11 का अनुमोदन

1. श्री दिनेष कुमार पुत्र श्री षिव लाल निवासी, 51 मिश्रा गार्डन, कनखल, हरिद्वार– यूके08–टीए–2157
2. श्री नरेष पाठक पुत्र श्री षिव कुमार निवास, 85 न्यू विकास कालोनी, हरिद्वार – यूके08–टीए–1780
3. श्री सत्य प्रकाष पुत्र श्री राम बाबू निवासी, दत्त मंडी, ज्वालापुर, हरिद्वार – यूके08–टीए–2064
4. श्री पंकज पुत्र श्री आयोध्या प्रसाद निवास, खन्ना नगर, ज्वालापुर, हरिद्वार – यूके08–टीए–1813
5. श्री महेष पासवान पुत्र श्री षीतल पासवान निवास 586 बी0एच0ई0एल0, हरिद्वार– यूके08–टीए–2125
6. श्री नीरज कुमार पुत्र श्री भूवन सिंह निवासी सप्त सरोवर, हरिद्वार – यूके08–टीए–2071
7. श्री बिट्टू पुत्र श्री तेजपाल निवासी भीमगोड़, भूपतवाला, हरिद्वार – यूके08–टीए–1685
8. श्री सुमित कपूर पुत्र श्री मदन गोपाल निवासी 16 विवेक विहार रानीपरु मोड़ हरिद्वार– यूके08–टीए–2193
9. श्री श्रीकान्त पुत्र श्री सुभाष चन्द्र निवासी काशीपुरा जिला हरिद्वार – यूके08–टीए–2307
10. श्री संदीप पुत्र श्री महेन्द्र सिंह निवासी फायर स्टेषन मायापुर हरिद्वार। यूके08–टीए–2234
11. श्री उसमान अली पुत्र श्री सुलेमान अली निवासी रामेष्वरमपुरम हरिद्वार। यूके08–टीए–2248
12. श्री सुन्दर सिंह पुत्र श्री गोपाल निवासी 65 राजीव नगर हरिद्वार। यूके08–टीए–2261
13. श्री अमित कुमार पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार निवासी 160, ब्रह्मपुरी हरिद्वार। यूके08–टीए–2267
14. श्री सुरेष चन्द्र पुत्र श्री भागीरथी सिंह निवासी 277/3, काषीपुरा, हरिद्वार। यूके08–टीए–2296

15. श्री यज्ञदत्त षर्मा पुत्र श्री देवेन्द्र नाथ षर्मा निवासी 88 घास मण्डी ज्वालापुर, हरिद्वार। यूके08–टीए–2305

मद सं0:–3 **सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा प्राधिकरण के प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत निम्नलिखित मामलों में पारित आदेशों का अनुमोदनः–**

अ– दिनांक 01.03.11 से दिनांक 31.10.11 तक मो0गा0अ0–1988 की धारा–87 व 88(8) के अन्तर्गत निम्नलिखित परमिट जारी किये गये :–
–सवारी गाडी, ठेका गाडी, मैक्सी कैब, टैक्सी कैब, जनभार वाहन के अस्थाई परमिट क्रमांक 14916 से 16435 तक – 1519 परमिट

ब– शासन की उदार नीति के अन्तर्गत जारी किये गये स्थाई परमिटः :–

1–जनभार वाहन के स्थाई परमिट	41814 से 42875 तक –	1061 परमिट
2–भारवाहन के राष्ट्रीय परमिट	9598 से 10156 तक –	558 परमिट
3–मैक्सी कैब के स्थाई परमिट	3030 से 4034 तक –	1004 परमिट
4–टैक्सी कैब के स्थाई परमिट	5016 से 5231 तक –	215 परमिट
5–यूटिलिटी के स्थाई परमिट	1308 से 1463 तक –	155 परमिट

6–सवारी गाडी के स्थाई परमिट

पर्वतीय मार्ग – 3811 से 3939 तक – 128 परमिट

मैदानी मार्ग– ––––

7–निजी सवारी गाडी के स्थाई परमिट (स्कूल बसों व अन्य संस्थाओं) को जारी परमिट – 1655 से 1819 तक – 164 परमिट

8–ठेका गाडी के स्थाई परमिट – 731 से 959 तक – 228 परमिट

स– स्थाई सवारी गाडी के नवीनीकरण किये गये परमिट

पीएसटीपी–1576, 1815, 1817, 1827, 1831, 1864, 1826, 1809, 1833, 1830, 1853, 1856, 1825, 1121, 1128, 1120, 1125, 1143, 1139, 1150, 1142, 1865, 1675, 1574, 1790, 1800, 1823, 1810, 1801, 1818, 1807, 1821, 1832, 1803, 1819, 1802, 1822, 1816, 1804, 1849, 1840, 1843, 1805, 1841, 1848, 1845, 1857, 1861, 1858, 1806, 1828, 1834, 1838, 1700, 1814, 1835, 1844, 1850, 1851, 1836, 1138, 1811, 1860 तथा 1131।

द– **1.** श्री मोहम्मद हुसैन पुत्र श्री मूसा खान को आईएसबीटी–सहस्त्रधारा मार्ग पर जारी स्थाई सवारी गाडी परमिट सं0–1842 में संचालित वाहन सं.– यूए07एन–7086, माडल–2006, पंजीयन तिथि–19.06.06 के स्थान पर सेम माडल की वाहन सं0–यूए10–4813, माडल–2006 पंजीयन तिथि–31.03.06 लगाने के सम्बन्ध में सचिव के आदेष दिनांक 19.08.11 का अनुमोदन।

2. श्री विवेक कुमार पुत्र श्री रधुनाथ प्रसाद को देहरादून–कालसी मार्ग पर जारी स्थाई सवारी गाडी परमिट सं0–1879 में संचालित वाहन सं.– यूके07पीए–1125, माडल–2010 के स्थान पर लोअर माडल की वाहन सं0–यूपी07जी–7391, माडल–1997 लगाने के सम्बन्ध में सचिव के आदेष दिनांक 26.05.11 का अनुमोदन।

3. श्री पंचम सिंह पुत्र श्री भूरा सिंह को मार्ग सूची सं0–एक पर जारी स्थाई सवारी गाडी परमिट सं0–3230 में संचालित वाहन सं.– यूपी07सी–9234, माडल–2000, पंजीयन तिथि–16.05.2000 के स्थान पर सेम माडल की वाहन सं0–यूपी07सी–9115, माडल–2000 पंजीयन तिथि–27.04.2000 लगाने के सम्बन्ध में सचिव के आदेष दिनांक 04.05.11 का अनुमोदन।

4. श्री संजय कुमार गोयल पुत्र श्री किषोरी लाल, 378, आवास–विकास, विवेक विहार, ज्वालापुर, हरिद्वार को कुलड़ी–लक्सर–रूड़की मार्ग पर जारी स्थाई सवारी गाड़ी परमिट सं0 1038 में संचालित वाहन सं0 यूपी11एफ–5182 मॉडल 2002 के स्थान पर डाउन मॉडल की वाहन सं0 यूपी07एच–0116 मॉडल–1997 लगाने के सम्बन्ध में सचिव के आदेष दिनांक 10.10.2011 का अनुमोदन।

5.श्री केष्वर दत्त पुत्र श्री ईष्वर दत्त, गांधी आश्रम विश्णु गार्डन गुरुकुल फार्मेसी, हरिद्वार के नाम पर जारी ठेका गाडी परमिट सं0–सीसी 583 में संचालित वाहन सं0 यूपी07सी–4838 मॉडल 1997 के स्थान पर लोअर मॉडल की वाहन सं0 यूए07ए–7396 मॉडल–1994 लगाने के सम्बन्ध में सचिव के आदेष दिनांक 21.10.2011 का अनुमोदन।

<u>मद सं0–4</u> <u>राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा पर्वतीय मार्गो पर संचालित बसों के लिये निर्धारित मापदण्डों में किये गये संषोधन का अवलोकन।</u>

सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखण्ड ने अपने पत्र सं0–2530/एसटीए/दस–82/2010–11 दिनांक 25.07.10 द्वारा सूचित किया है कि, राज्य के पर्वतीय मार्गो की दषा एवं चौडाई में सुधार के फलस्वरुप राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 30.07.10 के मद सं0–8 द्वारा विचार

करते हुऐ पर्वतीय मार्गो पर संचालित बसों के लिये पूर्व में निर्धारित मापदण्डों में संषोधन करते हुऐ निम्न आदेष पारित किये हैं–

1. **देहरादून–मसूरी मार्ग पर संचालित बसों हेतु पूर्व में निर्धारित व्हीलबेस 190 इंच के स्थान पर 195 इंच व्हीलबेस अनुमन्य किया जाता है।**
2. **उत्तराखण्ड के सभी सम्भागों के पर्वतीय मार्गो पर संचालित बसो की अधिकतम चौडाई 234 सेमी0 के स्थान पर 250 सेमी0 अनुमन्य की जाती है।**
3. **प्रदेष के सभी सम्भागों के पर्वतीय मार्गो पर संचालित बसों के लिये पूर्व में ओवरहैंग 50 प्रतिषत निर्धारित है। सम्भागीय परिवहन अधिकारी देहरादून एवम सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रषासन ऋशिकेष द्वारा पूर्व में निर्धारित ओवरहैंग को मार्गो की दषा में सुधार के दृश्टिगत 50 के स्थान पर 60 प्रतिषत ओवरहैंग करने हेतु दिये गये सुझावों एवम अतिरिक्त निदेषक परिवहन, प्रबन्ध निदेषालय हिमाचल प्रदेष षिमला के पत्र सं0–12–1(480) डपेबए बवततमेचध्2006.अवस.प्प्.24504 दिनांक 05.07.10 द्वारा प्राप्त आख्या पर गंभीरता से विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त राज्य के सभी सम्भागों के पर्वतीय मार्गो पर पूर्व में निर्धारित ओवरहैंग 50 प्रतिषत के स्थान पर 60 प्रतिषत इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य किया जाता है कि, वाहन स्वामी द्वारा मूल चैसिस में परिवर्तन नहीं किया जायेगा और इसके अतिरिक्त जोड लगाकर चैसिस को बढाकर 60 प्रतिषत नहीं किया जायेगा।**

मद सं0–5 **राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा टूरिस्ट वाहनों के परमिट में अधिरोपित की जाने वाली षर्तो में किये गये संषोधन का अवलोकन करने के सम्बन्ध में।**

सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखण्ड ने अपने पत्र सं0–2531/एसटीए/दस–82/2010–11 दिनांक 25.07.10 द्वारा सूचित किया है कि, राज्य परिवहन प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 30.07.10 के मद सं0–6 के अन्तर्गत टूरिस्ट वाहन के परमिट में अधिरोपित की जाने वाली षर्तो में निम्न प्रकार संषोधन किया है–

1. टूरिस्ट वाहनों के सम्बन्ध में मोटर कैब/मैक्सी कैब की स्थिति में वाहन के चालक द्वारा वाहन के गतिमान होने की दषा में तत्समय टेपरिकार्डर/सी0डी0 प्लेयर आदि का संचालन नहीं किया जायेगा।
2. टूरिस्ट बसों के सम्बन्ध में म्यूजिक सिस्टम की व्यवस्था इस षर्त पर अनुमन्य होगी कि, टेपरिकार्डर/सीडी प्लेयर आदि के संचालन की व्यवस्था बस में परिचालक के पास होगी।
3. 05 वर्श से अधिक पुराने लाइसेन्स धारक ही वाहन का संचालन कर सकता है, सम्बन्धी षर्त को हटाया जाता है, परन्तु यात्री वाहन का संचालन करने वाले चालकों के चालक लाइसेन्सों के नवीनीकरण के समय सम्बन्धित चालक द्वारा राज्य सरकार के चालक प्रषिक्षण संस्थान में दो दिवसीय रिफ्रैषर कोर्स में प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा।
4. सभी प्रकार की व्यवसायिक वाहन में लकडी का गुटका अनिवार्य रुप से रखा जायेगा, विशयक षर्त यथावत् लागू रहेगी।
5. टूरिस्ट वाहनों यथा टैक्सी/मैक्सी में वाहन के अग्र भाग में चालक एवं यात्री हेतु 02 बैकेट सीट लगायी जाये। अतः पूर्व में चालक केबिन में पार्टीषन रॉड अनिवार्य किया गया था। अब इस षर्त उपरोक्तानुसार संषोधन किया जाता है।

<u>मद सं0–6</u> <u>रिविजन सं0 5/2009–श्री गुरबक्ष सिंह बनाम संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून तथा अन्य में पारित मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड के आदेष दिनांक 27–06–09 के अनुपालन में देहरादून–कालसी मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेष।</u>

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के अन्तर्गत एक बस मार्ग देहरादून–विकासनगर–कालसी है, इस मार्ग की लम्बाई 55 किमी है। इस मार्ग का वर्गीकरण दिनांक 18–05–73 को किया गया था। इस मार्ग पर पूर्व में 06 स्थाई सवारी गाड़ी परमिट वैध थे इसके पश्चात् 03 परमिट मा0 एसटीए(टी) द्वारा पारित आदेषों के अनुपालन में जारी किए गए थे। इस मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों को

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27–12–08 में विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण द्वारा इस बैठक में उदार नीति के अन्तर्गत समस्त प्रार्थनापत्रों को इस षर्त के साथ स्वीकृत किया गया था कि स्वीकृत परमिट नई वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत कर दिनांक 31–03–09 तक प्राप्त किए जाएंगे। इन आदेषों के अनुपालन में मार्ग पर 16 परमिट जारी किए गए थे। वर्तमान में इस मार्ग पर 25 स्थाई सवारी गाड़ी परमिट वैध हैं।

प्राधिकरण के उक्त आदेष दिनांक 27–12–08 के विरुद्ध देहरादून–कालसी मार्ग के ऑपरेटर श्री गुरबक्ष सिंह द्वारा मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण उत्तराखण्ड के समक्ष निगरानी संख्या 05/2009 द्वायर की गयी थी। मा0 न्यायाधिकरण ने इस निगरानी का निस्तारण दिनांक 27–06–09 को किया है। मा0 न्यायाधिकरण के आदेष मुन्सरिम राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के पत्र संख्या 991/आर–5/09 दिनांक 01–07–09 द्वारा प्राप्त हुए थे। इन आदेषों का मुख्य अंष निम्न प्रकार हैः–

"निगरानी आंषिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विपक्षी संख्या 16 लगायत 20 क्रमषः मोहित कुमार पुत्र श्री भूशण कुमार, सुमित पुत्र श्री ओम प्रकाष, अनिल कुमार पुत्र श्री डी.एम. अग्रवाल, रमा अग्रवाल पत्नी श्री अनिल अग्रवाल तथा इन्द्रप्रीत सिंह पुत्र श्री गुरूबक्स सिंह के पक्ष में जो स्वीकृत किये गये परमिट हैं जिन्हें सचिव, स0प0प्रा0 इस आदेष प्राप्ति के दो माह के अन्दर जारी करें, को छोड़कर विपक्षी संख्या 1 लगायत 15 तथा विपक्षी संख्या 21 लगायत 91 के पक्ष में स्वीकृत/जारी किये गये परमिट निरस्त किये जाते हैं। उपरोक्त निर्णय माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में लम्बित रिट याचिका संख्या 96/2009 सुषीला बनाम सरकार आदि तथा याचिका संख्या 103/2009 एस.के. श्रीवास्तव बनाम सरकार आदि तथा याचिका संख्या 1896/2008 अजय कुमार गर्ग बनाम सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के अधीन होगा। निगरानी की परिस्थितियों को देखते हुए पक्षकार अपना अपना वादव्यय स्वयं करेंगे।"

मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के उपरोक्त आदेषों की प्रतिलिपि दिनांक 21–02–11 को प्रस्तुत करते हुए निम्नलिखित प्रार्थियों ने निवेदन किया है कि मा0 न्यायाधिकरण के आदेष दिनांक

27–06–09 के अनुपालन में देहरादून–कालसी मार्ग पर स्वीकृत परमिट 05 वर्श पुरानी वाहनों पर जारी करने की की कृपा करें।

1–श्री मोहित कुमार पुत्र श्री भूशण कुमार,
2–श्री सुमित कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाष,
3–श्री अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र श्री डी0एम0 अग्रवाल,
4–श्रीमती रमा अग्रवाल पत्नी श्री अनिल कुमार अग्रवाल,
5–श्री इन्द्र प्रीत सिंह पुत्र श्री गुरूबक्ष सिंह।

मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, द्वारा पारित आदेष दिनांक 27–06–09 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में श्रीमती सीमा गर्ग व अन्य द्वारा याचिका संख्या 1039/09 तथा 1077/09 दायर की गई थी। मा0 उच्च न्यायालय के आदेष दिनांक 16–07–09 द्वारा मा0 न्यायाधिकरण के आदेषों को स्थगित किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेष का मुख्य अंष निम्न प्रकार हैः–

श्ल्द जीम ंइवअम बिजे ंदक बपतबनउेजंदबमेए ` ंद पदजमतपउ उमेंनतमए जपसस जीम दमगज कंजम वि सपेजपदहए वचमतंजपवद वि जीम पउचनहदमक वतकमत कंजमक 27.06.2009 चेंमक इल जीम ैजंजम ज्तंदेचवतज ।चचमससंजम ज्तपइनदंस क्मीतंकनद ेंसस तमउंपद `जंलमकए वदसल पद `व ति ` पज तमसंजमक जव बंदबमससंजपवद वि चमतउपज हतंदजमक इल जीम त्ज। इल ीपे वतकमत कंजमक 27.12.2008 पद ंिवनत वि जीम चमजपजपवदमतेण्श

उपरोक्त मामले को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09.03.11 में मद सं0–06 के अन्तर्गत विचार व आदेष प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निम्न आदेष पारित किये हैंः–

"मद सं0–6 के अन्तर्गत देहरादून–कालसी मार्ग के सम्बन्ध में श्री गुरुबक्ष सिंह द्वारा दायर रिवीजन सं0–05/2009 में पारित मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड के आदेष दिनांक 27–06–09 के अनुपालन में 05 प्रार्थियों को स्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण ने मद में वर्णित प्रार्थियों सर्वश्री मोहित

कुमार, सुमित कुमार, अनिल कुमार अग्रवाल, श्रीमती रमा अग्रवाल तथा श्री इन्द्रप्रीत सिंह को स्वीकृत परमिट मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित याचिका सं0 96/09, 103/09 तथा 1896/08 में पारित आदेषों के अधीन जारी करने के आदेष पारित किए हैं। प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि मा0 उच्च न्यायालय में अभी तक उपरोक्त याचिकाओं में से 02 याचिकाएं 96/09 तथा 103/09 लम्बित हैं।

उपरोक्त मामले में श्री अनिल कुमार अग्रवाल प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए उन्होंने निवेदन किया कि पूर्व में प्राधिकरण द्वारा प्रष्नगत मार्ग पर स्वीकृत परमिट नई बसों पर जारी करने के आदेष पारित किए गए थे, परन्तु प्रार्थी वर्तमान में परमिटों को नई बसों से प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। उन्होंने कहा कि फिलहाल उनको पुरानी बसों पर परमिट जारी करने की आज्ञा इस षर्त के साथ प्रदान की जाए कि 06 माह के पश्चात् परमिटों पर नई वाहनें प्रतिस्थापित की जाएंगी।

प्राधिकरण ने मामले में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि उपरोक्त याचिकाओं की वर्तमान स्थिति ज्ञात की जाए। इसके पश्चात् मामले को विचारोपरान्त आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।"

प्राधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेषों के अनुपालन में सर्वश्री मोहित कुमार, सुमित कुमार, अनिल कुमार अग्रवाल, श्रीमती रमा अग्रवाल तथा श्री इन्द्रप्रीत सिंह ने दिनांक 05.04.11 को पृथक पृथक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये गये हैं। प्रार्थियों ने सूचित किया है कि श्री अजय कुमार गर्ग द्वारा दायर याचिका सं0–1896/08 का निर्णय दिनांक 22.10.08 को हो चुका है। प्रार्थियों ने मा0 उच्च न्यायालय के आदेष की छायाप्रति प्रस्तुत की है। इन आदेषों द्वारा सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून को निर्देष दिए गए थे कि तीन माह के अन्दर याचिकाकर्ता के प्रार्थनापत्र का निस्तारण किया जाए। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित इन आदेषों के अनुपालन में याचिकाकर्ता के प्रार्थनापत्र पर प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27–12–08 में मद सं0–04(11) द्वारा विचार किया गया था। याचिका सं0 1896/08 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेष दिनांक 22.10.08 का मुख्य अंष निम्नप्रकार हैः–

श्ंअपदह ीमंतक समंतदमक बवनदेमस वित जीम चमजतपजपवदमत ंदक समंतदमक ।ककपजपवदंस ।कअवबंजम ळमदमतंस वित जीम तमेचवदकमदजे ंदक ंजिमत हवपदह जीतवनही जीम वतकमत कंजमक 24.09.2007 चेंमक इल जीम ैजंजम ज्तंदेचवतज ।चचमससंजम ज्तपइनदंसए क्मीतंकनदए जीपे ूतपज चमजपजपवद पे `नउउंतपसल कपेचवेमक व िकपतमबजपदह जीम त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल जव कमबपकम जीम ंचचसपबंजपवद व िजीम चमजपजपवदमत ` मगचमकपजपवनेसल ` चवेपइसमए चतममितंइसल ूपजीपद ं चमतपवक व िजीतमम उवदजीण ;प्दजमतपउ त्मसपमि ।चचसपबंजपवद छवण 7043 व ि2008 ंसेव `जंके कपेचवेमक व्द्धिण

श्रीमती सुषीला देवी द्वारा दायर याचिका सं0–96 / 09 एवं श्री एस0के0 श्रीवास्तत द्वारा दायर याचिका संख्या 103 / 09 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा कमषः दिनांक 19.01.09 तथा 21.01.09 को अंतरिम आदेष पारित किये गये थे जो निम्न प्रकार हैः–

याचिका संख्या 96 / 2009 में पारित आदेषः–

श्प्द जीम उमंदजपउम ंचचसपबंजपवद व िजीम चमजपजपवदमत ेंसस इम बवदेपकमतमक इल जीम तमेचवदकमदजे वित हतंदज व िचमतउपज पद ंबबवतकंदबम ूपजी सूंण

प्दजमतपउ वतकमत 15ध01ध2009 पे उवकपपिमक जव जीम मगजमदज जींज पेेनंदबम व िचमतउपज पद चनतेनंदबम व िजीम ।हमदकं व िडममजपदह कंजमक 27ध12ध2008 ेंसस इम `नइरमबज जव जीम कमबपेपवद व िजीम ूतपज चमजपजपवदण्श

याचिका संख्या 103 / 2009 में पारित आदेषः–

श ।जिमत कनम बवदेपकमतंजपवद व िजीम `नइउपेपवदे व िजीम समंतदमक बवनदेमस वित जीम चंतजपमेए पज पे कपतमबजमक जींज पेेनंदबम व िचमतउपज पद चनतेनंदबम व िजीम ।हमदकं पजमउ दव 13 व िजीम डममजपदह कंजमक 27.12.2008 ेंसस इम `नइरमबज जव जीम कमबपेपवद व िजीम ूतपज चमजपजपवदण

स्मंतदमक बवनदेमस वित जीम चमजपजपवदमत ीं तममितमक जीम रनकहउमदज तमचवतजमक पद ।प्त 1995 ।स्स्।भ्।ठ।क 385 ेंउपउ भ्पकमत ंदक ंदवजीमत अेण त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल डममतनज ंदक ंदवजीमत ंदक चतंलमक जींज तमेचवदकमदजे उंल इम कपतमबजमक जव विससवू जीम बपजमक रनकहउमदज ` ंबबवतकपदह जव डतण ळवचंस छंतंपदए ।कअवबंजम जीपे रनकहउमदज `जपसस ीवसके हववकण जेमतमवितमए जीम तमेचवदकमदजे उंल ंसेव बवदेपकमत जीम बेंम सूं ` तममितमक ंइवअमण्श

प्रार्थियों ने सूचित किया है कि इसके पष्चात कोई आदेष मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित नहीं किए गए हैं और याचिकायें अभी तक मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित हैं। प्रार्थियों ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेषों के सन्दर्भ में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा पूर्व में कानूनी राय लेने के पष्चात परमिट इस प्रतिबन्ध के साथ जारी किये गये हैं कि मार्ग पर जारी किये गये परमिट मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त याचिकाओं में पारित आदेषानुसार प्रभावित होंगे।

प्रार्थियों ने यह भी निवेदन किया है कि वर्तमान में नई वाहन उपलब्ध नहीं हो पा रही है इसलिए उनको छह माह की अवधि के लिये प्रष्नगत मार्ग पर 05 वर्श पुरानी वाहन पर परमिट जारी करने की स्वीकृति प्रदान करें तथा प्रार्थी छह माह के भीतर नई गाडी अर्थात् जो प्राधिकरण के बैठक की तिथि 27.12.08 (परमिट स्वीकृति की तिथि) के बाद पंजीकृत वाहन को परमिट पर पृश्ठांकित करा देंगे।

इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि मा0 उच्च न्यायालय ने याचिका संख्या–117/09/एमएस तथा 140/09/एमएस श्री विजय गोयल तथा अन्य में दिनांक 22–05–09 को अपने निर्णय में परमिटों पर नई वाहन लगाने की षर्त को सही ठहराया है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं–7 **मण्डलीय प्रबंधक संचालन उत्तराखण्ड परिवहन निगम, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा देहरादून–विकास नगर–कालसी मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों हेतु दिए गए प्रार्थनापत्रों पर विचार व आदेष।**

मंडलीय प्रबन्धक (संचालन), उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून द्वारा जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत प्राप्त बसों के लिए देहरादून–विकासनगर–कालसी मार्ग पर 10 स्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी करने हेतु दिए गए प्रार्थनापत्रों को विचार व आदेष हेतु सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 09–03–11 में मद सं0–7(अ) द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड परिवहन निगम के प्रतिनिधियों ने निवेदन किया था कि उनको उपरोक्त मार्ग पर परमिट जारी कर दिये जायं। परिवहन निगम को परमिट जारी करने के विरुद्ध श्री एस0के0 श्रीवास्तव ने आपत्ति करते हुए कहा कि जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत प्राप्त बसें विभिन्न षहरों में नगर बस सेवा चलाने हेतु दी गयी हैं। इन बसों को नगर क्षेत्र से बाहर संचालन हेतु परमिट जारी करना उचित नहीं है।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09—03—11 में अपत्तिकर्ताओं ने मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में श्री षैलेन्द्र कुमार षर्मा द्वारा दायर याचिका संख्या 383/11 में पारित आदेष दिनांक 05—03—11 प्रस्तुत किए गए थे। मा0 न्यायालय के आदेष निम्न प्रकार हैः—

श्जीम चमजपजपवदमत ीं पिसमक जीम चतमेमदज ूतपज चमजपजपवद वित जीम ुनैीपदह व िपजमउ छवण 11 व िजीम ंकअमतजपेमउमदज कंजमक 19जी थ्मइतनंतलए 2011 पेनमक इल जीम ैमबतमजंतल त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजलए क्मीतंकनदण जेम ंकअमतजपेमउमदज पेनमक पदकपबंजमक जींज अंतपवने उंजजमते ूवनसक इम बवदेपकमतमक इल जीम ंनजीवतपजल वद 9जी डंतबीए 2011 ंदक जींज वइरमबजपवदेए पि ंदलए ूवनसक इम मदजमतजंपदमक तिवउ ंहहतपमअमक चमतेवदे जपसस 1ेज डंतबीए 2011ण प्जमउ छवण 11 पदकपबंजमक जींज ंचचसपबंजपवदे पद श्रींतसंस छमीतन छंजपवदंस न्तइंद त्मदमूंस डपेपवदैबीमउम वित क्मीतंकनद.झंसेप तवनजम ूवनसक इम बवदेपकमतमकण

जीम बवदजमदजपवद व िजीम चमजपजपवदमत जींज जीम ैमबतमजंतल त्महपवदंस ज्तंदेचवत ।नजीवतपजल ींक दव चवूमत जव पेनम जीम ंकअमतजपेमउमदज दवत ंचचसपबंजपवदे वित क्मीतंकनद.ांसेप तवनजम बवनसक इम बवदेपकमतमकए पे इमतमजि व िउमतपजण जीपे ब्वनतज पे व िजीम वचपदपवद जींज वइरमबजपवदे ेव तंपेमक पद जीम ूतपज चमजपजपवद बवनसक इम मेंपसल वइरमबजमक इल जीम चमजपजपवदमत इमवितम जीम ंनजीवतपजल बवदबमतदमकण प िनबी वइरमबजपवदे ंतम तंपेमकए जीम ंनजीवतपजल बवदबमतदमक ूपसस बवदेपकमत ंदक कमबपकम जीम उंजजमत ूपसम कमबपकपदह पजमउ छवण 11 व िजीम ंकअमतजपेमउमदज कंजमक 19जी थ्मइतनंतलए 2011ण

जीम ूतपज चमजपजपवदे पे कपेउपेमक ंज जीपे ेजंहमण्श

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09—03—11 में मामले पर विचारोपरान्त निम्न आदेष पारित किए गये थेः—

“इस मद के अन्तर्गत मंडलीय प्रबंधक (संचालन), उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून द्वारा जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत प्राप्त बसों के लिए देहरादून—विकासनगर—कालसी मार्ग 10 स्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी हेतु दिए गए प्रार्थनापत्रों को विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड परिवहन निगम के प्रतिनिधियों को सुना गया उन्होंने निवेदन किया है कि उनको उपरोक्त मार्ग पर परमिट जारी किए जाएं। परिवहन निगम को परमिट जारी करने विरुद्ध श्री एस0के0 श्रीवास्तव ने आपत्ति करते हुए कहा कि जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत प्राप्त बसें विभिन्न षहरों में नगर बस सेवा चलाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा दी गयी हैं। इन बसों को नगर क्षेत्र से बाहर संचालन के परमिट जारी करना उचित नहीं हैं।

प्राधिकरण के समक्ष श्री एस0के0 श्रीवास्तव, श्री राकेष मिततल, सचिव, देहरादून–कालसी–कुल्हाल (पांवटा) डाकपत्थर मोटर ऑनर्स एसोसियषन तथा सचिव/अध्यक्ष, देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर मोटर ऑनर्स वेल्फेयर एसोसिएषन ने देहरादून–कालसी मार्ग पर निजी वाहन स्वामियों को तथा जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत परिवहन निगम को स्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी करने के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत की है तथा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में श्री षैलेन्द्र कुमार षर्मा द्वारा दायर याचिका सं0–383/11 में पारित आदेष दिनांक 05–03–11 की छायाप्रति संलग्न की है। इन आदेषों में कहा गया है कि याचिकाकर्ता प्राधिकरण के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई आपत्ति दी जाती है तो जेएनएनयूआरएम योजना की बसों को परमिट स्वीकृत करने से पूर्व याचिकाकर्ता द्वारा दी गयी आपत्ति का निस्तारण प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

अपनी आपत्तियों में आपत्तिकर्ताओं ने निम्न बिन्दु उठायें हैः–

1. जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्राप्त बसें नगर बस सेवा चलाने के उद्देष्य से केन्द्र सरकार द्वारा दी गयी हैं। देहरादून–कालसी नगर बस सेवा मार्ग नहीं है इसलिए इस मार्ग पर इन बसों को परमिट जारी नहीं किए जा सकते हैं।
2. उन्होंने अपनी आपत्ति में यह भी कहा है कि जेएनएनयूआरएम बसों के संचालन हेतु सरकार द्वारा बनाई गयी समिति में सम्भागीय परिवहन अधिकारी को भी सदस्य सचिव, नामित किया गया है, जो सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के भी सचिव हैं। इसलिए यह धारा 68(2) में दिए गए प्राविधानों के विरुद्ध है। जैसा कि मा0 कर्नाटका राज्य उच्च न्यायालय द्वारा याचिका सं0–13980/88 तथा अन्य याचिकाओं में पारित आदेष दिनांक 25–08–89 में निर्णित है। (ए0आई0आर0 1990 कर्नाटका, 1982)
3. आपत्तिकर्ता ने यह भी कहा है कि षासन द्वारा सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के गठन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 18–04–2001 भी नियमानुसार नहीं है। इस अधिसूचना में आयुक्त गढ़वाल मण्डल को प्राधिकरण का अध्यक्ष तथा उप परिवहन आयुक्त को सदस्य एवं एक गैर

सरकारी सदस्य नामित करने का प्राविधान है, परन्तु वर्तमान में विभाग में कोई भी उप परिवहन आयुक्त नहीं है।

अध्यक्ष, देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर मोटर ऑनर्स वेल्फेयर एसोसिएषन ने परमिट जारी करने के विरुद्ध आपत्ति की है। अपनी आपत्ति में उन्होंने यह कहा है कि उनके मार्ग को प्रष्नगत मार्ग द्वारा ओवरलेप किया जाता है। मार्ग पर बहुत अधिक संख्या में वाहनों का संचालन हो रहा है। निजी वाहनों के अतिरिक्त मार्ग पर हरियाणा रोडवेज, पंजाब रोडवेज, हिमाचलप्रदेष रोडवेज, चंडीगढ़ रोडवेज तथा मार्ग सूची सं0–5 की बसें भी चलती हैं। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड परिवहन निगम की 15 बसें देहरादून से कालसी होते हुए साहिया, आराकोट, चकराता, त्यूनी आदि स्थानों को संचालित हो रही हैं। उन्होंने निवेदन किया है कि देहरादून–कालसी मार्ग पर और परमिट जारी नहीं किए जाएं।

उपरोक्त आपत्तियों के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु उत्तराखण्ड परिवहन निगम के प्रतिनिधियों द्वारा बैठक में प्राधिकरण से समय मांगा गया है। अतः प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि परिवहन निगम को प्रकरण में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देषित किया जाए तथा मामले को पुनः आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।”

मार्ग पर परमिट जारी करने के विरुद्ध की गयी आपत्तियां तथा उप महाप्रबन्धक (संचालन), उत्तराखण्ड परिवहन निगम मुख्यालय, देहरादून के पत्र संख्या 73/एच.क्यू./संचालन– 11/2011 दिनांक 16–03–11 द्वारा प्रेशित उत्तर निम्न प्रकार हैः–

सचिव, देहरादून–कालसी, कुल्हाल (पांवटा) डाकपत्थर मोटर्स ऑनर्स एसोसिएषन तथा श्री एस0के0 श्रीवास्तव द्वारा की गयी आपत्तिः–	परिवहन निमग द्वारा प्रेशित उत्तर

1– यह कि राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 68 के अंतर्गत राज्य एवं संभागीय परिवहन प्राधिकरणों का गठन अधिसूचना द्वारा किया जाता है। इस सम्बन्ध में वर्तमान प्राधिकरण का गठन दिनांक 18–04–01 को देहरादून सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण का गठन किया गया है जिसमें मण्डलायुक्त, गढ़वाल, अध्यक्ष, उप–परिवहन आयुक्त षासकीय सदस्य एवं एक नामित गैर षासकीय सदस्य को सम्मिलित किया गया था। वर्तमान में उक्त अधिसूचना प्राप्त जानकारी के अनुसार संषोधित नहीं किया गया है। और उप–परिवहन आयुक्त का मद रिक्त चल रहा है, इसलिए प्राधिकरण वैधानिक रूप से सम्यक गठित नहीं है।	1– आपत्ति कर्ता का यह कहना गलत है कि आर0टी0ए0 वैधानिक रूप से गठित नहीं है, यदि प्राधिकरण देहरादून–डाकपत्थर–कालसी वाया प्रेमनगर मार्ग हेतु वैधानिक नहीं है, तो उक्त प्राधिकरण इससे पूर्व हुई बैठकों व अन्य मार्गों के लिए अथवा अन्य कार्यालय के लिये भी वैधानिक नहीं है।
2–यह कि प्राधिकरण का गठन मोटर यान अधिनिमय, 1988 एवं उत्तर प्रदेष मोटर यान नियमावली के नियम 56 के उपनियम 7 के अनुसार भी वैधानिक नहीं है क्योंकि प्राधिकरण की सचिव उत्तराखण्ड परिवहन निगम के अन्तर्गत जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के लिए आंवटित बसों के संचालन एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित बोर्ड की मैम्बर भी दिनांक 19–03–10 द्वारा नामित की गयी है, इसलिए उक्त मार्ग के लिए परिवहन निगम के आवेदन पत्र भी स्वीकार नहीं करने थे। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने मुकदमें का स्वयं निर्णय नहीं ले सकता है, के सिद्धान्त के विरुद्ध है और अवैधानिक है। दिनांक 19–03–10 के आदेष की छायाप्रति संलग्न है।	2– बिन्दु में उठाये गये संदर्भित बोर्ड का कोई षासनादेष होने अथवा अधिसूचना जारी होने की जानकारी उत्तराखण्ड परिवहन निगम के पास नहीं है। संभवत् यह षासन की पत्रावली की छायाप्रति है जिसमें जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की बसों के संचालन हेतु प्रस्ताव बनाया गया है।
3–यह कि संभागीय परिवहन प्राधिकरण अर्ध न्यायिक संस्था	3–

होती है जो कि न्यायिक कार्य करने के लिए गठित की जाती है, इसलिए अर्ध न्यायिक संस्था का भी एवं सदस्य/सचिव भी पारदर्षी प्रक्रिया के अन्तर्गत पारदर्षी होने चाहिए जो कि वर्तमान में नहीं है, इसलिए उक्त प्रार्थना पत्रों पर विचार नहीं किया जा सकता है। 4—यह कि देहरादून—विकासनगर—डाकपत्थर एवं सहबद्ध मार्ग का ही डाकपत्थर से कालसी 5 किमी विस्तारित मार्ग भाग है तथ सम्पूर्ण रूप से मार्ग ओवरलैप होता है। देहरादून—विकासनगर—डाकपत्थर मार्ग पर मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा श्री जितेन्द्र जोषी की याचिका सं0 15207/एम0डी0/98 पर दिनांक 02—03—1998 को यह आदेष पारित किए थे कि षमीम हैदर के निर्णय के अनुसार मार्ग पर परमिट सर्वेक्षण के पश्चात् ही स्वीकृत किए जाये। इस मार्ग पर अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वेक्षण आख्या प्राप्त नहीं है। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेष की छायाप्रति संलग्न है। 5—यह कि पूर्ववर्ती सरकार ने अधिसूचना द्वारा प्राधिकरणों को निर्देषित किया था कि प्रत्येक वाहन कम से कम 220 किमी प्रतिदिन संचालन उपलब्ध कराया जाये। उक्त अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक वाहन को प्रतिदिन मार्ग पर 220 किमी संचालन प्राप्त होने के पश्चात् ही आवष्यकता महसूस होने पर पुनः सर्वेक्षण कराकर ही आवष्यक परमिट स्वीकृत किए जा सकते हैं जो कि प्रष्नगत मार्ग पर सर्वेक्षण नहीं होने की दषा में अतिरिक्त वाहनों की आवष्यकता प्राप्त होने का कोई प्रमाण	4— उत्तराखण्ड परिवहन निगम के पास प्रतिदिन विभिन्न मार्गों पर जनता एवं जनप्रतिनिधियों के आवेदन/प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं, जिनमें देहरादून—विकासनगर—कालसी मार्ग हेतु भी अनेक पत्र प्राप्त हुये हैं। पूर्व में निगम के पास सीमित बस बेड़ा होने के कारण इस मार्ग पर संचालन नहीं किया जा रहा था, किन्तु वर्तमान में बस उपलब्ध होने पर निगम द्वारा इस मार्ग पर बस संचालन का निर्णय लिया गया तथा परमिट भी आवेदित किये गये हैं। 5— संदर्भित मार्ग पर वर्तमान में सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण विकसित हो रहा है तथा इस मार्ग पर यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुइ है। परिवहन निगम द्वारा समय—समय पर विभिन्न मार्गों पर यात्रियों की उपलब्धता का आंकलन कर नये मार्गों पर बसें संचालित की जाती रही हैं। इस मार्ग पर भी यात्रियों की उपलब्धता एवं बस सेवा की मांग पर ही बसों का संचालन किया गया है।

नहीं है, जबकि प्रष्नगत मार्ग पर वाहनों का संचालन प्रतिदिन 114 किमी ही है, इसलिए जब तक कि संचालित वाहनों को प्रतिदिन 220 किमी प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक नये परमिट स्वीकृत नहीं किए जा सकते हैं। 6–यह कि माननीय उच्च न्यायालय–उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा भी याचिका सं0 103/एमएस/09 पर भी षमीम हैदर के निर्णय में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन प्रष्नगत मार्ग पर दिए जाने के आदेष दिए गए हैं जो कि सचिव के कार्यालय में दिनांक 23–01–09 को जमा करा दिये गये थे, पुनः छायाप्रति संलग्न है।	6, 7–आपत्ति पत्र के साथ मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेष/निर्णय की प्रति संलग्न नहीं हैं, जिस कारण इस बिन्दु पर टिप्पणी किया जाना संभव नहीं है।
7–यह कि मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा दिनांक 14–10–09 को स्पेषल अपील सं0–200/10 एवं 201/10 पर प्रष्नगत मार्ग पर परमिट स्वीकृत नहीं करने के लिए आदेष जारी किए है, जिसकी प्रति कार्यालय में जमा है, पुनः छायाप्रति संलग्न है। 8–यह कि सचिव द्वारा परिवहन निगम के आवेदन पत्रों के साथ समय सारणी प्राप्त नहीं है और यह भी अवगत कराना है कि निगम द्वारा आज तक किसी भी सेवा के लिए कोई समय सारणी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की है। मार्ग पर संचालित	8– निगम द्वारा वर्तमान में परमिट आवेदित किये गये हैं, परमिट स्वीकृत होने पर सम्बन्धित मार्ग की समय–सारणी परिवहन विभाग को उपलबध करा दी जायेगी।
वाहनों के समय पर वर्तमान आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मार्ग पर संचालित वाहनों की अनुमोदित समय सारणी में दिए गये प्रातः एवं सांय के पश्चात् ही समय आवंटित किया जाये। प्रार्थना पत्र अपूण हैं, इसलिए अपूर्ण प्रार्थनापत्र विचार किए जाने योग्य नहीं हैं।	9– जे0एन0एन0यू0आरम0एम0 योजना के अंतर्गत प्रापत बसों के ँच्ट बनने तक उत्तराखण्ड षासन द्वारा परिवहन निगम को अधिकृत किया गया है तथा निगम द्वारा इन बसों को आर्थित स्थिति को देखते हुए विभिन्न मार्गों पर संचालित किया जा रहा है तथा

<table>
<tr>
<td>9–यह कि परिवहन निगम द्वारा वैध परमिट प्राप्त किए बगैर ही उक्त योजना के अन्तर्गत प्राप्त वाहनों का पिछले एक वर्श से संचालन किया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा बिना परमिट वाहन संचालन पाये जाने पर परिवहन निगम पर 5000/– प्रति परमिट वाहन जुर्माना किया था, इसलिए प्राधिकरण से अनुरोध है कि बिना परमिट वाहन संचालन सिद्ध है जिसमें मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित आदेष के अनुपालन में उक्त योजना के अन्तर्गत वाहनों का संचालन प्रष्नगत मार्ग पर रोका गया है, इसलिए प्राधिकरण सभी 60 वाहनों के बिना परमिट संचालित किए जाने क अपराध में प्रतिदिन 5000/– प्रति वाहन आरोपित करने के आदेष पारित करने की कृपा करें तथा जुर्माना जमा होने के पश्चात् ही आवेदन पत्रों पर सुनवाई की जाये।</td>
<td>वर्तमान में इन बसों का स्वामित्व उत्तराखण्ड परिवहन निगम का ही है।

निगम के पास देहरादून–कालसी–सहिया मार्ग के 03, देहरादून–चीवा–आराकोट मार्ग के 02, देहरादून–चकराता मार्ग के 02 परमिट देहरादून–विकासनगर–त्यूनी वाया क्यानूमीनस मार्ग के 04 परमिट, देहरादून–विकासनगर–उत्तरकाषी मार्ग के 02, देहरादून–विकासनगर–हनोल मार्ग के 02 परमिट।

निगम द्वारा उपरोक्त के अनुसार अपना संचालन किया जा रहा था, किन्तु उपरोक्त सम्बन्धित मार्गों की बसें खराब होने एवं कार्यषाला में तकनीकी कार्यों हेतु खड़ी होने के कारण बसों को संचालन के लिये बदला गया है। उक्त बसों को बदलने में ही निगम द्वारा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत प्राप्त बसों को ही निगम द्वारा बदला गया है। निगम द्वारा देहरादून–विकासनगर मार्ग के अंतर्गत निम्न परमिट आवेदित किये गये हैं।

<table>
<tr><th>क्रम सं0</th><th>मार्ग का नाम</th><th>परमिट की संख्या</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>देहरादून–विकासनगर–कालसी</td><td>10</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>देहरादून–सेलाकुई</td><td>10</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

10–यह कि दिनांक 20–11–04 को मद सं0 10 पर प्राधिकरण द्वारा आदेष पारित किए गये कि परमिट स्वीकृत करने से पहले एक पॉलिसी बनायी जायेगी, उसके पश्चात् ही परमिट स्वीकृत किए जायेंगे। प्राधिकरण द्वारा अभी तक पिछले आदेष के अनुपालन में कोई नीति नहीं बनायी गयी है। चूंकि प्राधिकरण द्वारा नीति बनाये जाने के बाद ही परमिट स्वीकृत करने के लिए बाध्य है और प्राधिकरण अपने आदेष को पुर्नरीक्षित नहीं कर सकता है। यह मा0 उच्च न्यायालय एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यवस्था दी गयी है कि यदि एक्ट में पुर्नरीक्षण की व्यवस्था नहीं है तो कोई भी अपने आदेष का पुर्नरीक्षण नहीं कर सकता है, इसलिए परमिट स्वीकृत करने से पहले नीति बनायी जारी आवष्यक है, तत्पष्चात् ही परमिट स्वीकृत करने के आवेदन स्वीकार किए जाये।

11–यह कि सचिव द्वारा दिनांक 15–11–10 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेष मोटर यान नियमावली 1998 जो कि उत्तराखण्ड में प्रभावी है, के नियम 58 (2) के अनुपालन में

3.	देहरादून–कुल्हाल	10

, 10, 11– आपत्तिकर्ताओं का कहना कि उक्त हेतु कोई पॉलिसी नहीं है तथा कोई नीति नहीं बनाई गई है, तो यह नियम फिर समस्त मार्गों पर लागू होना चाहिए, केवल मात्र देहरादून–विकासनगर–कालसी मार्ग के लिये ही नहीं।

अवगत कराया गया है कि उक्त नियम के अन्तर्गत कोई भी व्यवस्था उल्लिखित नहीं की गयी है, इसलिए जब तक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 20–11–04 को लिए गये निर्णय एवं नियम 58(2) के अंतर्गत नीति नहीं बनायी जाती है तक तक किसी भी मार्ग पर कोई परमिट आवेदन पत्र स्वीकार/परमिट स्वीकृत/जारी करने के आदेष प्राधिकरण द्वारा नहीं दिए जा सकते हैं। चूंकि प्राधिकरण अपने आदेष का पुर्नरीक्षण नहीं कर सकता है, इसलिए प्रष्नगत मार्ग पर मद सं0 6–7 (अ)(ब) पर कोई निर्णय प्राधिकरण द्वारा लिया जाना वैधानिक नहीं है। 12–यह कि परिवहन निगम द्वारा देहरादून–डोईवाला मार्ग पर स्वीकृत परमिट एवं राजपुर–क्लेमनटाऊन मार्ग पर स्वीकृत परमिट भी उक्त योजना में प्राप्त वाहनों के प्रति जारी नहीं कराये गये है, जिससे जनता को प्राप्त होने वाली यातायात सुविधा भी प्राप्त नहीं हो पा रही है। 13–यह कि परिवहन निगम पर प्राप्त सूचना के अनुसार वित्तीय वर्श 2006–07 तक 39,22,20,540/– रु0 बकाया था जिसमें अब तक और वृद्धि हो चुकी है, इसलिए अधिनियम के अनुसार बकायेदार को परमिट स्वीकृत/जारी नहीं किया जा सकता है।	12– उत्तरखण्ड परिवहन निगम द्वारा देहरादून–डोईवाला एवं राजपुर–क्लेमनटाऊन मार्ग के परमिट आर0टी0ए0 से प्राप्त करने की कार्यवाही की गई है। 13– उत्तराखण्ड परिवहन निगम सरकारी निगम है तथा उत्तराखण्ड सरकार का ही उपक्रम है, उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा वर्तमान में अलाभकारी मार्गों पर संचालन किया जा रहा है, जिसके संबंध में उत्तराखण्ड षासन को अवगत कराया गया है। निगम द्वारा उत्तराखण्ड षासन के दिषा–निर्देष व अनुमोदन के तहत् ही योजनाओं को बनाया व संचालित किया जाता है। इसलिए निगम पर कितना बकाया है या नहीं यह षासन स्तर का एवं नीतिगत मामला है। इस बिन्दु का परमिट से कोई संबंध प्रतीत नहीं होता है। 14– निगम द्वारा बस परिचालकों के द्वारा यात्रियों को अनिवार्य रूप सें टिकट दिया जाना सुनिष्चित किया गया हैं निगम में यातायात अधीक्षक, यातायात निरीक्षक एवं सहायक यातायात निरीक्षक नियुक्त किये गये हैं तथा वर्तमान में कुल 03 यातायात अधीक्षक, 11 यातायात निरीक्षक एवं 37 सहायक यातायात निरीक्षक के द्वारा मार्ग पर बस सेवाओं का नियमित/आकस्मिक

14—यह कि परिवहन निगम की वाहनों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार एवं समाचार पत्रों में छपी खबरों के द्वारा पता चला है कि परिचालकों द्वारा बिना टिकट यात्रा करायी जा रही है, जिससे सरकार को राजस्व की छति हो रही है। प्रमाण स्वरूप समचार पत्रों की छायाप्रतियां संलग्न है।	मार्ग चौकिंग कार्य किया जा रहा हैं। चैकिंग के दौरान यदि कोई बिना टिकट का प्रकरण पाया जाता है, तो सम्बन्धित परिचालक के विरुद्ध अनुषासनिक कार्यवाही की जाती है अथवा सेवा से पृथक कर दिया जाता है। चैकिंग के दौरान इस प्रकार सामने आने वाले प्रकरणों को लोकल समाचार पत्रों के द्वारा बढ़ा—चढ़ा कर प्रस्तुत किया जाता है। निगम द्वारा यात्रियों को टिकट दिये जाने के कार्य में पारदर्षिता लाने हेतु ई—टिकटिंग प्रणाली लागू की गई है, जोकि निगम द्वारा संचालित सभी बसों में लागू है। जबकि दूसरी तरफ अधिकांष निजी वाहन स्वामियों के द्वारा तो अपनी बसों में यात्रियों को टिकट देने हेतु टिकट तक नहीं छपवाये गये हैं तथा यात्रियों से मात्र किराया वसूल कर यात्रा करवाई जा रही है अर्थात् बिना टिकट ही यात्रा करवाई जाती है। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन समाचार पत्रों में निजी वाहन स्वामियों के द्वारा यात्रियों से मनमाना किराया वसूल करने, यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार करने तथा राह चलते मुसाफिरों को कुचल देने जैसे समाचार प्रकाषित हो रहे हैं।
देहरादून—विकासनगर—डाकपत्थर मार्ग के ऑपरेटर श्री षमषाद अली की आपत्तिः—	**परिवहन निमग द्वारा प्रेशित उत्तर**
1ण जींप जीम डवजवत टमीपबसम ।बज 1988 मउचवूमते जीम ैजंजम ळवअजण जव बवदेजपजनजम जीम ैजंजम ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल ंदक त्महपवदंस	1 से 5 तक के बिन्दु मोटर व्हकील एक्ट से सम्बन्धित हैं।

ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल इल दवजपपिबंजपवद चनइसपीमक पद जीम वपििबपंस ळंमजजमण 2ण जींज वद 9.1 1.2000 जीम दमू ैजंजम ीं इममद बतमंजमक ंदक ।दवूद ेंैसंजम व िन्जजंतंदबींस ;दवू न्जजंतींींदकद्ध 3ण जींज जीम ैमबजपवद 68 व िजीम डवजवत टमीपबसम ।बज चतवअपकमे वित बवदेजपजनजपवद व िैज। ंदक त्ज। इल जीम ैजंजम ळवअमतदउमदजण जीम ेंपक ेमबजपवद पे तमचतवकनबमक ीमतमपद नदकमतण ष्68. ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजपमे. ;1द्ध जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज ेींसस ए इल दवजपपिबंजपवद पद जीम वपििबपंस ळंमजजमए बवदेजपजनजम वित जीम ैजंजम ं ैजंजम ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल जव मगमतबपेम ंदक कपेबींतहम जीम चवूमते ंदक निदबजपवदे ेचमबपपिमक पद ेनइ ेमबजपवद ;3द्ध ंदक ेींसस पद सपाम उंददमत बवदेजपजनजम त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजपमे जव मगमतबपेम ंदक कपेबींतहम जीतवनहीवनज ेनबी ंतमें ;पद जीपे बींचजमत तममितमक जव े तमहपवदेद्ध े उंल ीम ेचमबपपिमक पद जीम दवजपपिबंजपवदए पद तमेचमबज व िमंबी तमहपवदंस जतंदेचवतज ंनजीवतपजलण्रू जीम चवूमते ंदक निदबजपवदे बवदमितत1क इल वत नदकमत जीपे बींचजमत वद ेनबी ंनजीवतपजपमेण च्तवअपकमक जींज पद जीम न्दपवद जमततपजवतपमेए जीम ।कउपदपेजतंजवत उंल ंइेजंपद तिवउ बवदेजपजनजपदह ंदल त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजलण ;2द्ध ।ै4जजबण ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल वत ं त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल ेींसस बवदेपेज व िबैंपतउंद ीव ीं ंिक रनकपबपंस मगचमतपमदबम वत मगचमतपमदबम े ंद ।चचमससंजम वत ं त्मअपेपवदंस ंनजीवतपजल वत े ंद ंकरनकपबंजपदह	

ंनजीवतपजल बवउचमजमदज जव चें ंदल वतकमत वत जव जांम ंदल कमबपेपवद नदकमत ंदल सूं ंदक पद जीम बेंम वि ैजंजम श्ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजलए `नबी वजीमत चमतेवदे ्रीमजीमत वििपबपंसे वत दवजद्ध दवज इमपदह उवतम जींद विनत ंदक पद जीम बेंम वि ं त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ;।नजीवतपजलए `नबी वजीमत चमतेवदे ्रीमजीमत वििपबपंस वत दवजद्ध दवज इमपदह उवतम जींद जूवए ें जीम ैजंजम ळवअजण उंल जीपदा पिज जव ंचचवपदजए इनज दव चमतेवद ्रीव ीं ंदल पिदंदबपंस पदजमतमेज ्रीमजीमत ें चतवचतपमजवत मउचसवलमम वत वजीमतूपेम पद ंदल जतंदेचवतज नदकमतजांपदह ीेंसस इम ंचचवपदजमकए वत बवदजपदनम जव इमए ं उमउइमत वि ैजंजम वत त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल ंदक पि ंदल चमतेवद इमपदह ं उमउइमत वि ंदल `नबी ंनजीवतपजल ंबुनपतमे ं पिदंदबपंस पदजमतमेज पद ंदल जतंदेचवतज नदकमतजांपदहए ीम ीेंसस ूपजीपद विनत ूममो वि`व कवपदह हपअम दवजपबम पद ूतपजपदह जव जीम ैजंजम ळवअजण वि जीम ंबुनपेपजपवद वि`नबी पदजमतमेज ंदक ीेंसस अंबंजम वििपबमण

च्तवअपकमक जींजण दवजीपदह पद जीपे `नइ `मबजपवद ेंीसस चतमअमदज ंदल वि जीम उमउइमते वश्ि जीम ैजंजम ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल .वत ं त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजलए ें जीम बेंम उंल इमए जव चतमेपकम वअमत ं उममजपदह वि`नबी ंनजीवतपजल श्कनतपदह जीम ंइेमदबम वि जीम बेंपतउंदए दवजूपजीजंदकपदह जींज `नबी उमउइमत कवमे दवज चवेमे रनकपबपंस मगचमतपमदबम वत मगचमतपमदबम ें ंद ंचचमससंजम वत ं तमअपेपवदंस ंनजीवतपजल वत ें ंद ंकरनकपबंजपदह ंनजीवतपजल बवउचमजमदज जव चें ंदल वतकमत वत जांम ंदल कमबपेपवद नदकमत ंदल सूरू

च्तवअपकमक नितजीमत जींज जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज उंल.

;पद्ध ्रीमतम पज बवदेपकमते दमबमेंतल वत मगचमकपमदज `व जव कवए

बवदेजपजनजम जीम ैजंजम ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल वत ं त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल वित ंदल तमहपवद ेव ें व बवदेपेज वि वदसल वदम उमउइमत ूव ेंसस इम ंद वििपबपंस ूपजी रनकपबपंस मगचमतपमदबम वत मगचमतपमदबम ें ंद ंचचमससंजम वत ं तमअपेपवदंस ंनजीवतपजल वत ें ंद ंकरनकपबंजपदह ंनजीवतपजल बवउचमजमदज जव चें ंदल वतकमत.वत जांम ंदल कमबपेपवद नदकमत ंदल सूंय

;पपद्ध इल तनसमे उंकम पद जीपे इमींसिए चतवअपकम ति जीम जतंदेंबजपवद वि इनेपदमे वि ंनबी ंनजीवतपजपमे पद जीम ंइेमदबम वि जीम बेंपतउंद वत ंदल वजीमत उमउइमत ंदक ेचमबपलि जीम बपतबनउेजंदबम नदकमत ूपबी ंदक जीम उंददमत पद ूपबी ेनबी इनेपदमे बवनसक इम ेव जतंदेंबजमकरू

च्तवअपकमक ंसेव जींज दवजीपदह पद जीपे ेनइ ेमबजपवद ेंसस ीम बवदेजतनमक ें कमइंततपदह ंद वििपबपंस ;वजीमत जींद ंद वििपबपंस बवददमबजमक कपतमबजसल ूपजी जीम उंदंहमउमदज वत वचमतंजपवद वि ं जतंदेचवतज नदकमतजांपदहद्ध तिवउ इमपदह ंचचवपदजमक वत बवदजपदनपदह ें ं उमउइमत वि ंदल ेनबी ंनजीवतपजल उमतमसल इम तमेंवद वि जीम बिज जींज जीम ळवअमतदउमदज मउचसवलपदह जीम वििपबपंस ीं वत ंबुनपतमे ंदल पिदंदबपंस पदजमतमेज पद ं जतंदेचवतज नदकमतजांपदहण

;3द्ध जीम ैजंजम ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल ंदक मअमतल त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल ेीपसस हपअम मिमिबज जव ंदल कपतमबजपवदे पेेनमक नदकमत ैमबजपवद 67 ंदक जीम ैजंजम ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल ेंससए ेनइरमबज जव ेनबी कपतमबजपवदे ंदक ेंअम ें वजीमतूपेम चतवअपकमक इल वत नदकमत जीपे ।बजए

मगमतबपेम ंदक कपेबींतहम जीतवनहीवनज जीम ैजंजम जीम विससवूपदह चवूमते ंदक निदबजपवदे दंउमसलरू

;ंद्ध जव बव4वतकरदंजम ंदक तमहनसंजम जीम ंबजपअपजपमे ंदक चवसपबपमे वि जीम त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजपमेए पि ंदलए वि जीम ैजंजमय

;इद्ध जव चमतवितउ जीम कनजपमे वि ं त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल ूीमतम जीमतम पे दवए ेनबी ।नजीवतपजल ंदकए पि पिज जीपदो पिज वत पि ेव तमुनपतमक इल ं त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजलए जव चमतवितउ जीवेम कनजपमे पद तमेचमबज वि ंदल तवनजम बवउउवद जव जूव वत उवतम तमहपवदेण

;बद्ध जव ेमजजसम ंसस कपेचनजमे ंदक कमबपकम ंसस उंजजमते वद ूीपबी कपििमतमदबमे वि वचपदपवदए ंतपेम इमजूममद त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजपमेण

ख्;बंद्ध,बंस ळवअमतदउमदज जव वितउनसंजम तवनजमे वित चसलपदह ेजंहम बंततपंहमे ंदक,

;कद्धजव कपेबींतहम ेनबी वजीमत निदबजपवदे ें उंल इम चतमेबतपइमक

;4द्ध थ्वत जीम चनतचवेम वि मगमतबपेपदह ंदक कपेबींतहपदह जीम चवूमते ंदक निदबजपवदे ेचम4प!मक पद ेनइ ेमबजपवद ;3द्ध ं ैजंजम ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल उंलए ेनइरमबज जव ेनबी बवदकपजपवदे ें उंल इम चतमेबतपइमक पेनम कपतमबजपवदे जव ंदल त्महपवदंस ज्तंदेचवतजए ंदक जीम त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल ेंसस पद जीम कपेबींतहम वि पिजे निदबजपवदे नदकमत जीपे ।बजए हपअमश मििबज जव ंदक इम हनपकमक इल ेनबी कपतमबजपवदण

;5द्ध जीम ैजंजम ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल ंदक ंदल त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल पिंनजीवतप्रमक पद जीपे इमींसि इल तनसमे उंकम नदकमत ैमबण 96 उंल कमसमहंजम `नबी व िपजे चवूमते ंदक निदबजपवदे जव `नबी ंनजीवतपजल वत चमतेवद `नइरमबज जव `नबी तमेजतपबजपवदेए सपउपजंजपवदे ंदक बवदकपजपवदे ें उंल इम चतवेबतपइमक इल जीम ेंपक तनसमेण्

4. जींज जीम त्नसम 56 व िजीम डवजवत टमीपबसमे त्नसमे 1998 ूपबी पे ंचचसपबंइसम जव जीम ैजंजम व िन्जजंतींदक चतवअपकमे उमजीवक वित बवदेजपजनजपवद्धुनवतनउ व िज्।ण जीम त्नसम 56 पे तमचतवकनबमक ीमतमपद इमसवूरू

ष्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल. ;प्द्ध जीम ुनवतनउ जव बवदेजपजनजम ं उममजपदह व ष्जीम त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल ेंसस इम.

;पद्ध वदमए पद बेंम जीम ंनजीवतपजल बवदेपेजे व िजूव वत जीतमम उमउइमते

;पपद्ध जूवए पद जीम बेंम जीम ंनजीवतपजल बवदेपेजे व िजूव वत जीतमम उमउइमते

;2द्ध 10 ुनवतनउ ेंसस इम दमबमेंतल वित ं तमबवदअमदमक उममजपदह ंकरवनतदमक वित जीम ूंदज व िुनवतनउण

;3द्ध जीम बेंपतउंद प िनदंइसम जव ंजजमदक ं उममजपदह ेंसस दवउपदंजम ं उमउ.इमत जव ंबज ें बेंपतउंद ंज जीम उममजपदहण

;4द्ध जीम बेंपतउंद वत जीम ंबजपदह बेंपतउंद दवउपदंजमक नदकमत `नइ नसम ;ण्3द्ध ेंसस ींअम `मबवदक वत बेंजपदह अवजम

;5द्ध जीम त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल ेंसस उममज ंज `नबी जपउम ंदक ंज `नबी चसंबमे ें जीम बेंपतउंद उंल ंचचवपदजरू चतवअपकमक जींज जीम ंनजीवतपजल ेंसस उममज दवज समे जींद वदबम पद जूव उवदजी नदसमे जीम ैजंजम

ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल.वजीमतूपेम कपतमबजे

;6द्ध छवज समे जींद जमद कंलेश दवजपबब जव जीम उमउइमते ेंसस इम हपअमद व िदल उममजपदहए व िजीम त्महपवदंस ज्तंदेचवतज. ।नजीवतपजलण

च्तवअपकमक जींज ूीमतम पद जीम वचपदपवद व िजीम बींपतउंदए ंद मउमतहमदबल उममजपदह व िजीम त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल पे दमबमेंतलए ं दवजपबम व िदवज समे जींद जूमदजल विनत ीवनते ेंसस इम हपअमद जव जीम उमउइमतेण

;7द्ध जीम त्महपवदंस ज्तंदेचवतज विपिबमत व िजीम तमहपवद बवदबमतदमक ेंसस इम मग विपिबम ैमबतमजंतल व िजीम त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजलण

;8द्धजीम ैजंजम ळवअमतदउमदज उंल ंज ंदलजपउम.

;पद्ध कमजमतउपदम ूपजीवनज ेपहदपदह ंदल तमेंवद इल दवजपपिबंजपवद पद जीम विपिबपंस ळंमजजमए जीम जमतउ व िंदल दवउपदंजमक उमउइमत व िजीम त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजलण

;पपद्ध ैनइरमबज जव जीम चतवअपेपवदे व िैमबजपवद ;68द्ध अंतल जीम बवउचवेपजपवद व िजीम ंनजीवतपजलए ंदकए बवदेमुनमदजसल तमकनबम वत पदबतमेंम जीम दनउइमत व िविपिबपंस वत दवद.विपिबपंस उमउइमते.

ख्;9द्ध ैनइरमबज जव जीम चतवअपेपवदे व िनइ तनसम ;8द्ध ं दवउपदंजमक उमउइमत ;वजीमत जींद मग विपिबपव उमउइमतद्ध व िजीम त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल ेंसस ीवसक विपिबमण वित ं चमतपवक व िवदम लमंत वत नदजपस ीपे ैनबबमेेवत पे दवउपदंजमक ूपबीमअमत पे संजमतण

5. जींज तिवउ जीम चमतनेंस व िनइ तनसम 7 व ित्नसम 56 पज पे ंइनदकंदजसल बसमंत जींज जीम त्महपवदंस ज्तंदेचवतज व िजीम तमहपवद बवदबमतदमक ेंसस इम

मग वपिबपव ै मबतमजंतल व जीम त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजलण 6. जेंज जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज पद मगमतबपेम व चवूमत अमेजमक वद पज बवदेजपजनजमक जीम त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल अपकम दवजपपिबंजपवद कंजमक 18ण्4ण्2001 वित कपििमितमदज तमहपवद पद ूपबी त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल क्मीतंकनद पिसमक चसंबम ंज ेमतपंस दवण ण्ण जीम ेंपक दवजपपिबंजपवद बवदजमउचसंजमे जींज जीम ब्वउउपेपवदमत ळंतीूंस त्महपवद पे जीम बींपतउंद वश् जीम त्ज। ंदक क्मचनजल ज्तंदेचवतज ब्वउउपेपवदमत पे जीम डमउइमत व त्ज। ंदक वदम उमउइमत ूपसस इम दवउपदंजमक इल जीम हवअमतदउमदज ूीव ूवनसक इम दवद. हवअमतदउमदजण्श् ब्वचल व दवजपपिबंजपवद कंजमक 18ण्4ण्01 पे ंददमगमक ें **।ददमगनम.1** जव जीपे वइरमबजपवदण 7. जेंज पज पे दव वनज व बवदजमगज जव उमदजपवद ीमतम जींज ंज चतमेमदज जीमतम पे दव क्मचनजल ज्तंदेचवतज ब्वउउपेपवदमत ें डतण टपदवक ैीतउंए ूीव ें ीवसकपदह जीम. वश् क्मचनजल ज्तंदेचवतज ब्वउउपेपवदमत ें तमसपमअमक जव जीम ैजंजम व न्जजंत च्तंकमी वद 14ण्8ण्10 पद बवउचसपंदबम व श्रनकहउमदज तमदकमतमक इल भ्वदश्इसम भ्पही ब्वनतज व न्जजंतींदक पद ूतपज चमजपजपवद दवण 79ध्ैठध्08 डण्ब्ण श्रवीप – वजीमते ण्टे ैजंजम व न्जजंतींदक – वजीमतेण ब्वदेमुनमदजसल ीम रवपदमक ीपे ेमतअपबमे पद न्जजंत च्तंकमीण 8. जेंज पद ंइेमदबम व क्मचनजल ज्तंदेचवतज ब्वउउपेपवदमत ूीव पे उमउइमत व त्ज।ए जीम उममजपदह बंददवज इम ीमसक इल जीम त्ज। ें जीम ुनवतनउ व जीम त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल पे दवज बवउचसमजमण 9. जेंज पज पे दवज वनज व बवदजमगज जव उमदजपवद ीमतम जींज तिवउ जीम चमतनेंस व नइ ैमबजपवद 2 व ैमबजपवद 68 व डवजवत टमीपबसम ।बज पज पे ंइनदकंदजसल बसमंत जींज दव चमतेवद ूीव ीं ंदल पिदंदबपंस पदजमतमेज ूीमजीमत ें	6, 7, 8 में इन बिन्दुओं में उप परिवहन आयुक्त को आर0टी0ए0 का सदस्य न बनाये जाने के सम्बन्ध में है तथा वर्तमान आर0टी0ए0 को अवैध बताया गया है, यदि वर्तमान आर0टी0ए0 देहरादून–विकासनगर–कालसी मार्ग के लिये अवैध है, तो फिर अन्य मार्गों अथवा आर0टी0ए0 के अन्य कार्यों के लिये भी अवैध होना चाहिए।

चतवचतपमजवतए मउचसवलमम वत वजीमतूपेम पद ंदल जतंदेचवतज नदकमतजांपदह ींसस इम ंचचवपदजमक चत बवदजपदनम जव इम ं उमउइमत वंिजंजम वत त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल तपक पिंदल चमतेवद इमपदह ं उमउइमत विंदल ेनबी ंनजीवतपजल ंबुनपतमे ं पिदंदबपंस पदजमतमेज पद ंदल जतंदेचवतज नदकमतजांपदहए ीम ींसस ूपजीपद विनत ूममो वि ि कवपदहए हपअम दवजपबम पद ूतपजपदह जव जीम ैजंजम ळवअजण् वि जीम ंबुनपेपजपवद वि ेनबी पदजमतमेज ंदक ींसस अंबंजम वििपबमण् 10.जैंज जीम 4ब्मदजतंस ळवअमतदउमदज पदजतवकनबमक ंेबीमउम ।दवूद ेश्रींतसंस छमीतन छंजपवदंस न्तइंद त्मदमूंस डपेपवद ;श्रछछन्त्डद्ध इल ूीपबी जीम बमदजतंस ळवअमतदउमदज निदकमक जव जीम ैजंजम ळवअजण् वित चसलपदह जीम अमीपबसम नदकमत जीम ेपक ेबीमउम जीतवनही ैजंजम ज्तंदेचवतज न्दकमतजांपदह पद अंतपवने बपजपमेण् पद ैजंजम वि न्जजंतंींदक जीतमम कपेजतपबजे ूमतम ेमसमबजमक वित जीम ेपक ेबीमउम पण्मण् क्मीतंकनदए भ्ंतपकूंत ंदक छंपदपजंसण् ब्वदेमुनमदजसल जीम इनेमे नदकमत जीम ेपकण् ेबीमउम ूमतम चनतबींमक इल जीम ळवअमतदउमदजण् जीपे ेबीमउम चमतजंपदे जव वदसल बपजल तवनजमेण् ज्तनम ंदक बवततमबज बवचल विं ेबीमउम वरिू क्मबमउइमत 2005 पेनमक इल ळवअजण् वि प्दकपं पे ंददमगमक ं **।ददमगनतम.2** जव जीपे वइरमबजपवदण् 11.जैंज इंमक वद ेपक ेबीमउम जीम ैजंजम त्वंक ज्तंदेचवतज ब्वतचवतंजपवद ेनइउपजजमक पे चतवचवेंस वित क्मीतंकनद बपजल वित चसलपदह जीम अमीपबसम नदकमत जीमेंपक ेबीमउम उमदजपवदपदह जीम तवनजम पद जीम सपेज पद ूीपबी जीम तवनजम पद ुनमेजपवद क्मीतंकनद.ढ्ढंसेप ीं दवज इममद पिहनतमकण् जैम चतवचवेंस हपअमद इल जीम ैजंजम ज्तंदेचवतज ब्वतचवतंजपवद ीं ंबबमचजमक इल जीम बवउचमजमदज ंनजीवतपजल पद जव इल चमतउपजजपदह ीपउ जव वइजंपद जीम चमतउपज ंदक चसल जीम अमीपबसमे नदकमत जीम ेबीमउमे वद जीम तवनजम	9, 10, 11जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अंतर्गत भारत सरकार की गाईड लाईन के अनुसार बसें नगर क्षेत्र में संचालित किया जाना है। भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन में उक्त के अतिरिक्त किसी भी अन्य मार्ग पर संचालन न करने के कोई निर्देष नहीं हैं। जैसा कि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों के संचालन हेतु ैच्ट का गठन किया जायेगा, किन्तु उत्तराखण्ड षासन के द्वारा उत्तराखण्ड परिवहन निगम को उक्त बसों के संचालित करने के निर्देष दिये गये हैं। अतः निगम द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति एवं यात्रियों की

ूपबी ूमतम उमदजपवदमक पद जीम सपेज `नइउपजजमक इल ीपउ ब्वचल व िसपेज `नइउपजजमक इल ैजंजम त्वंक ज्तंदेचवतज ब्वतचवतंजपवद पे ंददमगमक ें **।ददमगनतम.3** जव जीपे वइरमबजपवदण 12.जींज पज पे दवज वनज व िबवदजमगज जव उमदजपवद ीमतम जींज जीम ैजंजम ज्तंदेचवतज नदकमतजांपदह वदसल ंचचसपमक वित जीम चमतउपज पद जीम तवनजम ैठ्ञ.त्रंचनत.ब्संपउंदजवूद नदकमत जीम श्रछछन्त्ड `बीमउमण् जीपे तवनजम पे पिहनतमक ंज `मतपंस दवण – 2 पद पजे चतवचवेंसण् जैम त्ञ। हतंदजमक जीम चमतउपज जव जीम तवनजम उमदजपवदमक ीमतमपद ंइवअम इनज जीम चमतउपज ीं दवज इममद जपसजमक इल जीम ज्तंदेचवतज ब्वतचवतंजपवदें लमजण् प्ज पे दवज वनज व िबवदजमगज जव उमदजपवद ीमतम जींज जीमतम पे दव तवनजम पिहनतमक ंज `मतपंस दवण्2 पण्मण् ैठ्ञ.ैमसांनप.क्वपूंस.श्रवससलहतंदज ें जीम `ंउम ीं दवज इममद वितउनसंजमक ें लमज ें तमुनपतमक नदकमत ैमबजपवद 68 ;3द्ध ;ंब्द्ध व िडवजवत टमीपबसम ।बज 1988 जीमतमवितम `पदबम जीम तवनजम ीं दवज वितउनसंजमक ें लमज ीमदबम जीम त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल पे पद समहंस वइसपहंजपवद दवज जव मदजमतजंपद जीम ंचचसपबंजपवद वित जीम तवनजम ूपबी पे दवज पद मगपेजमदबमए ठनज जीम ैमबतमजंतल त्ञ। पदेचपजम व िबिज जींज जीमतम पे दव तवनजम ।दवूद ें सैठ्ञ.ैमसांनप.क्वपूं1.श्रवससलहतंदजए ंबबमचजमक जीम ंचचसपबंजपवद व िजीम त्मंक ज्तंदेचवतज ब्वतचवतंजपवद ूपबी पे पद हतवे अपवसंजपवद व िैमबजपवद 68 ;3द्ध ;ंब्द्ध ें ूमसस `ैमबजपवद 68 ;2द्धण् 13.जींज जीम ैमबतमजंतल त्ञ। ंसूले जतपमक जव हपअम नदकनम ंकअंदजंहम जव जीम ैजंजम त्वंक ज्तंदेचवतज न्दकमतजांपदह ें ीम पे ींअपदह चमतेवदंसध मबवदवउपबंसए पदजमतमेज तिवउ जीम ज्तंदेचवतज न्दकमतजांपदह ें ीम पे ंसेव जीम ैमबतमजंतलरू व िजीम ठवंतक बवदेजपजनजमक इल त्वंक ज्तंदेचवतज ब्वतचवतंजपवद नदकमत	सुविधा को देखते हुये बसों के संचालन हेतु उक्त मार्ग प्रस्तावित किया गया है, जिसके संबंध में षासन को भी अवगत करा दिया गया है। 12— उत्तराखण्ड परिवहन निगम के द्वारा पूर्व में

श्रछछन्त्डण 14.जेंज जीपे बिज बवततवइवतंजमे तिवउ जीम बिज जींज जीम त्वंक ज्तंदेचवतज ब्वतचवतंजपवद ींक ेंसतमंकल इममद हतंदजमक 12 चमतउपज इल जीम त्ज। ैपबी ीं इममद वितउनसंजमक ेंए तमुनपतमक नदकमत ेमबजपवद 68;3द्ध ;ब्द्ध पण्मण च्तंकम हतवनदक.क्वपूंसं अपकम कमबपेपवद कंजमक 20ण्10ण्2010 इनज जीम ेंउम ीं दवज इममद सपजिमक ें लमज इल जीम त्वंकूंले ब्वतचवतंजपवदण् जीपे ंबजपवद वद जीम चंतज व ित्वंकूंले ब्वतचवतंजपवद ीवू जींज ीम पे दवज ूपससपदह जव ंबज ें चमत जीम हनपकमसपदमे व िश्रछछन्त्ड ें ूमसस ें पद जीम पदजमतमेज व िचनइसपब पद संतहमण् 15.जेंज पज पे चमतजपदमदज जव ेजंजम ीमतम जींज जीम ैजंजम ज्तंदेचवतज ब्वतचवतंजपवद पे ूमसस ूंतम ंइवनज जीम बिज जींज जीम ैमबतमजंतल व िजीम त्ज।ण् पे ंसेव जीम ैमबतमजंतलध्ब्मउइमत व िजीम ठवंतक व िश्रछछन्त्ड ीपबी पे नदकमत जीम ैजंजम ज्तंदेचवतज न्दकमतजांपदह उवअमक ंद ंचचसपबंजपवद वित हतंदज व िैजंहम बंततपंहम चमतउपज वित जीम तवनजम ीपबी पे दवज पद मगपेजमदबमण् जेम मदजपतम मगमतबपेम ंकवचजमक वित बवदेपकमतपदह जीम ेंपक ंचचसपबंजपवद व िजीम ज्तंदेचवतज ब्वतचवतंजपवद अपजपंजमे ें जीम ंचचसपबंजपवद ीं इममद उंकम वित जीम तवनजम ीपबी पे दवज पद मगपेजमदबम ें तमुनपतमक नदकमत ैमबजपवद 68 ;3द्ध ;ब्द्धण् 16.जेंज ेपदबम जीम चतवचवेंस ीं इममद ेनइउपजजमक इल जीम ैजंसम ज्तंदेचवतज ब्वतचवतंजपवद ीं इममद ंबबमचजमक पद जव इल जीम बवउचमजमदज ंनजीवतपजल इल चमतउपजजपदह ीपउ जव चसल जीमपत अमीपबसम उमदजपवदमक पद जीम सपेज पद ीपबी जीम तवनजम पद ुनमेजपवद ीं दवज पिहनतमक जीमतमवितम जीम ैजंजम ज्तंदेचवतज नदकमतजांपदह पद जीम हंतइ व िश्रछछन्त्ड ेबीमउमण् बंददवज जतंअमस इमलवदक पजे चतवचवेंस नदसमे ंदक नदजपस जीम ेंउम ीं इममद बींदहमक	सम्बन्धित मार्गों पर बस संचालन हेतु प्रस्ताव दिये गये थे तथा परमिट का भी आवेदन किया गया है, जोकि परिवहन विभाग में लम्बित है। 13— यह कथन गलत है। सचिव, आर0टी0ए0 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 का कोई सदस्य नहीं है तथा न ही ऐसा कोई षासनादेष है।

ूपबी ीं दवज इममद बींदहमक ें लमजण

17. जेंज जीम इनेमे नदकमत जीम श्रछछन्त्ड ूमतम वदसल वित जीम ब्पजल तवनजमे ें चमत जीम उंदकंजम व ि बीमउम पजेमसि जीमतमवितम जीम ेंउम बंद चसल वद जीम बपजल तवनजमे वदसल ंजिमत वइजंपदपदह जीम अंसपक चमतउपजण जीम ब्पजल त्वनजमे ंब कमपिदमक नदकमत ैमबजपवद 68 ;3द्ध ;द्ध ूपबी चतवअपकमे जींज जीम जवजंस समदहजी व ि ब्पजल तवनजमे पे ूपजीपद जीम तंकपने व ि20 ज्ञउे ंदक पद मगबमचजपवदंस बपतबनउेजंदबमे जीम ेंउम बंद इम मगजमदकमक नच जव 25 ज्ञउेण डमंदपदह जीमतमइल जीमजवजं1 समदहजी व ि बपजल तवनजमे पे जव इम 25 ज्ञउेण दवज उवतम जींद जींजण भ्मतम जीम समदहजी व ि तवनजम नदकमत बवदेपकमतंजपवद पे 55 ज्ञउेण जीमतमवितम जीम तवनजम ूपबी पे उमदजपवदमक ंज पजमउ दव 11 पद ंकअमतजपेमउमदज कंजमक 19ण्2ण्20 11 पे दवज ं बपजल तवनजम ंदक ेपदबम जीम तवनजम पे दवज ं बपजल तवनजम ें बसेंपपिमक पद ैमबजपवद 68 ;3द्ध ;बद्ध जीमतमवितम जीम त्ञ। बंददवज हतंदज जीम चमतउपज जव जी त्वंकूले ब्वतचवतंजपवद नदकमत श्रछछन्त्ड ें जीम ेंपक ेबीमम ेचमबपपिबंससल उंदकंजम जींज जीम इनेमे नदकमत ेंपक ेबीमउम पे वदसल जव ीम चसपमक वद जीम बपजल तवनजमेण् प्ज पे दवज वनज व ि बवदजमगज जव उमदजपवद ीमतम जींज जीम तवनजम क्मीतंकनद.ज्ञंसेप पे दवज बपजल तवनजम जीमतमवितम पद अपमू व ि हनपकमसपदमे व ि बीमउम पजेमसश्ि दव चमतउपज बंद ीम हतंदजमक इल जीम त्ञ। नदकमत जीम श्रछछन्त्ड वित जीम तवनजम ूपबी पे दवज ं बपजल तवनजमण

18.जेंज वित चसलपदह जीम इनेमे नदकमत जीम श्रछछन्त्ड ं ठवंतक ें बवदेजपजनजमक ादवूद ें क्मीतंकनद ब्पजल ठने ैमूं ैसीांत ठवंतक इल जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज अपकम वतकमत कंजमक 19ण्3ण्2010ण् जीम ंपक ठवंतक बवदेपेजेए बेंपतउंद छंहंत

14— निगम द्वारा परमिट प्राप्त करने की कार्यवाही की गई, जोकि आर0टी0ए0 में लम्बित है।

15— यह बिन्दु सं0 13 के अनुसार असत्य है।

16, 17— भारत सरकार की जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के डी0पी0आर में दिये गये मार्गों का विवरण केवल प्रस्तावित मार्गों का दिया गया है तथा इन्हीं मार्गों पर बसों का संचालन किया जाना है, ऐसा योजना

छपहंउ क्मीतंकनद ूवनसक इम बेंपतउंद वि ठवंतकए छवउपदमम वि क्पेजतपबज डंहपेजतंजम ूीव पे दवज इमसवू जीम तंदा वि ।क्ड ूवनसक इम डमउइमतए छवउपदमम वि ैच दवज इमसवू जीम तंदा वि ।ककपजपवदंस ैण्च्ण् ंदक त्महपवदंस ज्तंदेचवतज वििपबमत डमउइमतध्ैमबतमजंतलण् ब्वचल वि वतकमत कंजमक 19ण्3ण्10 पे ंददमगमक ें **।ददमगनतम.4** जव जीपे वइरमबजपवदरू 19.जैंज तिवउ जीम चमतनेंस वि बवदेजपजनजपवद वि ठवंतक पज पे ंइनदकंदजसल बसमंत जींज जीम त्महपवदंस ज्तंदेचवतज वििपबमत ूीव पे जीम मग.वििपबपव ैमबतमजंतल वि त्महपवदंस ज्तंदेचवतज । ंनजीवतपजल दवउपदंजमक ें जीम उमउइमतध्ैमबतमजंतल वि जीम ठवंतक विं जंजम ज्तंदेचवतज न्दकमतजांपदहण 20.जैंज तिवउए जीम चमतनेंस वि ंवितमेंपक बवदेजपजनजपवद वि इवंतक पज पे ंइनदकंदजसलरू बसमंत जींज जीम ैमबतमजंतल त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल ूीव पेनमक जीम ंकअमतजपेमउमदज कंजमक 19ण्2ण्20 पे ंसेव जीम उमउइमतध्ैमबतमजंतल वि जीम ठवंतक ंदक ंसेव ीवसकपदह जीम चवेज वि त्महपवदंस ज्तंदेचवतज वििपबमत क्मीतंकनद जीमतमवितम पद अपमू वि ैनइ ैमबजपवद.2 वि ैमबजपवद 68 ीम बंददवज पेनम जीम ंकअमतजपेमउमदज कंजमक 19ण्2ण्2011 दवत ीम बंद ीवसक जीम चवेज वि ैमबतमजंतल त्ज।ए ें चमत ेमजजसमक समहंस चतमचवेपजपवद वि सूं ंदक ेपदबम ीं दव ंनजीवतपजल ं बवदजमउचसंजमक पद ैमबजपवद 68 जीमतमवितम ंदल मगमतबपेम वद जीम इमीमेज विं मबतमजंतल त्ज। पे दवजीपदह इनज जीम ेंउम पे पद हतवे अपवसंजपवद वि ैमबजपवद 68 वि डवजवत टमीपबसम ।बज 1988ण 21. जैंज जीम ेंउम बवदजतवअमतेल ूमदज इमवितम भ्वदश्इसम ।चमग ब्वनतज पद जीम बेंम वि डवत डवकमतद ब्वचमतंजपअम ज्तंदेचवतज ैवबपमजल स्जकण टेण थ्पदंदबपंस ब्वउउपेपवदमत ंदक ैमबतमजंतल जव ैजंजम वि भ्तलंदं – वजीमतेण जीम भ्वदश्इसम	में बाध्य नहीं किया गया है।

।चमग ब्वनतज ीं ीमसक जींज जीम मउचसवलमम ूीव पे ींअपदह जीम पदजमतमेज ूपजी जीम ज्तंदेचवतज न्दकमतजांपदह बंददवज इम ंचचवपदजमक ें ंबैंपतउंद वत ंदल ंनजीवतपजल पद जीम ैजंजम ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल वत त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल ें चतवअपकमक नदकमत ैमबजपवद 68 वि डवजवत टमीपबसम ।बजश्ण ब्वचपमे वि रनकहउमदजे ंतम ंददमगमक ें **।ददमगनतम.10** जव जीपे वइरमबजपवदण 22.जींज जीपे ुनमेजपवद ीं ंहंपद इममद कमंसज इल भ्वदश्इसम ज्ञंतदंदजां भ्पही ब्वनतज पद जीम बेंम वि ठींींतंदंदक टेण् ैजंजम वि ज्ञंतदंजां – वजीमते ंदक ीं ीमसक जींज चमतेवद ूीव पे ींअपदह ंदल पदजमतमेज तिवउ जीम ैजंजम ज्तंदेचवतज नदकमतजांपदह बंददवज इम ंचचवपदजमक पद ंदल बंचंबपजलए बैंपतउंद वत ैमबतमजंतल वि ैजंजम ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल वत त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजलण् ब्वचल वि रनकहउमदज पे श्ंददमगमक ें ।ददमगनतम.6 जव जीपे वइरमबजपवदण 23.जींज पद जीम पदेजंदज बेंम जीम उमउइमतैंमबतमजंतल वि जीम ठवंतक ैंजंजम ज्तंदेचवतज न्दकमतजांपदहद्ध पे जीम ैमबतमजंतल वि त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल जीमतमवितम जीम ंकअमतजपेमउमदज पेनमक इल जीम त्ज। पे पद हतवे अपवसंजपवद विंनइ ैमबजपवद 2 विंमबजपवद 68 वि डवजवत टमीपबसम ।बजण 24.जींज `पदबम जीम `नइ `मबजपवद 2 वि ैमबजपवद 68 चतवीपइपजे वित ंचचवपदजउमदज वि ं चमतेवद ूीव पे ींलपदह पिदंदबपंस पदजमतमेज ूपजी जीम जतंदेचवतज नदकमतजांपदह जीमतमवितम जीम ैमबतमजंतल त। बंददवज चमतवितउ ीपे कनजल ें ैमबतमजंतल त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल ें ीमसक इल भ्वदश्इसम ।चमग ब्वनतज इमपदह ींअपदह जीम पिदंदबपंस पदजमतमेज ूपजी जीम ैजंजम ज्तंदेचवतज नदकमतजांपदहण 25.जींज पज पे दवज वनज वि बवदजमगज जव उमदजपवद ीमतम जींज जीम डपदपेजतल वि न्ततइंद च्संददपदह ळवअजण वि प्दकपं तमसमेंमक जीम निदक नदकमत	18 से 24– सिटी सेवा सलहाकार बोर्ड या किसी समिति के गठन की जानकारी उत्तराखण्ड परिवहन निगम को नहीं है तथा न ही इस संबंध का कोई षासनादेष प्राप्त हुआ है। आपत्तिकर्ता द्वारा भी अपने कथन के पुश्टि में ऐसे किसी षासनादेष की प्रति नहीं दी गई है, अपने कथन के पुश्टि में इनके द्वारा जो संलग्नक दिये गये हैं, ये षासन की पत्रावली की छायाप्रति है, न कि कोई षासनादेष। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति निरस्त करने योग्य है।

जीम श्रछछन्त्ड `बीमउम वित चनतबींपदह जीम इनेमे ंदक ें चमत जीम हनपकमसपदमेध्वइरमबज वि जीम ेंपक `बीमउम जीम इनेमे नदकमत जीम ेंपक `बीमउम बंद वदसल इम चसपमक वद जीम बपजल तवनजम श्तपक `पदबम जीम `बीमउम पजेमसि पदजतवकनबमक वित जीम बपजल तवनजमे वदसल जीमतमवितम जीम त्ज। बंददवज हतंदज चमतउपज जव जीम त्वंकूले ब्वतचवतंजपवद वित जीम तवनजम उमदजपवदमक ंज `मतपंस दवण 11 ूपबी पे दवज ं बपजल तवनजम दवत जीम ैजंजम ज्तंदेचवतज नदकमतजांपदह बंददवज ंचचसल वित हतंदज वि चमतउपज वित जीम तवनजम ूपबीण्.ण्पे दवज ं बपजल तवनजम ंदक पि जीम ंचचसपबंजपवद वि जीम ब्वतचवतंजपवद ूवनसक इम बवदेपकमतमक इल जीम त्ज। जीम श्ैंउम पे पद अपवसंजपवद वि जीम वइरमबजध्हनपकमसपदमे वि जीम `बीमउम पजेमसि ूपबी बंददवज चमतउपेपइसम नदकमत जीम सूंण

26.जींज पज पे ूमसस `मजजसमक चतपदबपचसम वि सूं जींज श्जीम ंनजीवतपजल ैवनसक ंबज ूपजीपद जीम श्विनत बवतदमते वि जीम हनपकमसपदमेध्वइरमबज वि जीम `बीमउम उमदजपवदमक पद जीम `बीमउमण भ्मतम पद जीम चतमेमदज बवदजतवअमतेल जीम वइरमबज वि जीम `बीमउम पे जींज जीम इनेमे नदकमत जीम श्रछछन्त्ड `बीमउम बंद वदसल इम ंअपसंइसम वि जीम बपजल तवनजम इनजए बवदजतंतल जव जींज जीमए ैजंजम ज्तंदेचवतज नदकमतजांपदह जतपमक जव वइजंपद जीम चमतउपज इल ीववा वत बतववा ूपबी पे मअपकमदज तिवउ जीम ंबज जींज ीम ंचचसपमक वित चमतउपज वित जीम तवनजम ैठ्ै.मसांनप.क्वपूंस.श्रवसलहतंदजए जीपे तवनजम ीं दवज इममद वितउनसंजमक ें लमज ंदक जीम सूं ीं इममद `मजजसमक जव जीपे मििबज जींज पि जीम तवनजम पे दवज वितउनसंजमक जीम त्ज। बंददवज हतंदज चमतउपजण ैमबवदकसल ीम ंचचसपमक जीम चमतउपज वित क्मीतंकनद.ज्ञंसेप अपं च्तमउ छंहंत तवनजमए जवजंस समदहजी वि जीपे तवनजम पे 55 ज्ञउेण ंदक ें चमत ैमबजपवद 68

;3द्ध ;बंद्ध जीम समदहजी वि बिपजल तवनजम पे 20 झउे ंदक पद मगबमचजपवदंस बेंमे 25 झतपेण् ैपदबम पज ीं इममद मेजंइसपेीमक वितउ जीम तमबवतक पजेमसि जींज जीम क्मीतंकनद झंसेप पे दवज ं बपजल तवनजम जीमतमवितम जीम चमतउपज वद जीपे तवनजम बंददवज इम बवदेपकमतमक वत चमतउपज बंददवज इम हतंदजमक जव जीम त्वंकूंले ब्वतचवतंजपवदण् 27.जींज ें चमत जीम त्नसम 56 वि जीम न्ण्च्ण् डवजवत टमीपबसम त्नसमे 1998 ूीपबी पे ंकवचजमक ंदक ंचचसपबंइसम जव जीम ैजंजम वि न्जजंतंाींदकए जीम ुनवतनउ वि त्ज्।ें कमपिदमक पद जीम त्नसम पे जीम ब्वउउपेपवदमत वि जीम तमहपवद पे जीम बैंपतउंदए जीम क्मचनजल ज्तंदेचवतज ब्वउउपेपवदमत पे जीम वििपबपंस उमउइमत वि त्ज्।ें ंदक वदम नदवििपबपंस दवउपदंजमक इल ैजंजम ळवअजण् थ्तवउ जीम ंपवतमेंप1 बिजे पज पे ंइनदकंदजसल बसमंत जींज जीम त्ज्। बवदेपेजे ूपजी बैंपतउंद ंदक जूव उमउइमते वनज वि ूीपबी वदम वििपबपंस ंदक वदम दवद वििपबपंसण् ।ज चतमेमदज जीमतम पे दवज वििपबपंस उमउइमत ीं इममद ंचचवपदजमक इल जीम ैजंजम ळवअजण् ंजिमत जतंदेमितध् तमसपमअपदह वि डतण् टपदवक ैींतउं ंदक वदसल वदम नदवििपबपंस उमउइमत पे ंअंपसंइसम ूीव ीं इममद दवउपदंजमक इल जीम ैजंजम ळवअजण् पद मिू उवदजी इंबाण् थ्तवउ जीम ंवितमेंपक बिजे ंदक बपतबनउेजंदबमे पज पे ंइनदकंदजसल बसमंत जींज ंज चतमेमदज जीम ुनवतनउ वि त्ज्। पे दवज बवउचसमजम ें तमुनपतमक नदकमत डवजवत टमीपबसम ।बज ंदक त्नसमे ंदक ेपदबम जीम त्ज्। ीं दवज इममद समहंससल बवदेजपजनजमक ें लमज जीमतमवितम ंदल कमबपेपवद वत मगमतबपेम वद जीम इमीेंज वि जीम ंनजीवतपजल ूीव पे दवज समहंससल बवदेजपजनजमक पे अपजपंजम ंदक दवद मेज पद जीम मलमे वि संूण् 28.जींज ेपदबम पज पे ंचचंतमदज वद जीम तमबवतक जींज जीम त्ज्। पे दवज	25, 26– षासन द्वारा इन बसों का संचालन उत्तराखण्ड परिवहन निगम से कराने को कहा गया है तथा निगम द्वारा यात्रियों की मांग व निगम की आर्थिक स्थिति को देखते हुये ही इस मार्ग पर बस संचालन का निर्णय लिया गया है, जिससे षासन को भी अवगत कराया गया है।

समहंससल बवदेजपजनजमक ें जीम चमतेवद ूीव पे ीवसकपदह जीम चवेज वि ैमबतमजंतल त्ञ। पे ंसेव ीवसकपदह जीम चवेज वि ैमबतमजंतलध्डमउइमत वि ठवंतक वि ैजंजम ज्तंदेचवतज न्दकमतजांपदह जीमतमवितम जीम ंकअमतजपेमउमदज पे ूीवससल पससमहंस ंदक पे अपवसंजपअम वि ैमबजपवद 68;2द्ध वि डवजवत टमीपबसम ।बजण 29.जैंज जीम भ्वदष्इसम भ्पही ब्वनतज पद पजे वतकमत कंजमक 5.03.2011 ेचमबपपिबंससल कपतमबजमक जींज जीम हतवनदकेध्वइरमबजपवद ूीपबी ूमतमतंपेमक पद जीम ूतपज चमजपजपवद इल जीम चमजपजपवदमतए तंपेम इमवितम जीम त्ञ। ंदक जीम त्ञ। ैंसस कमबपकम जीम ेंउम पितेजसलण् ब्वचल वि वतकमत कंजमक 5.03.2011 पे ंददमगमक ें ंददमगनतम .7 जव जीपे वइरमबजपवदण	

उक्त के अतिरिक्त स्पश्ट करना है कि विभिन्न नगर मार्गों पर निजी वाहनों (महानगर बस सेवा), विक्रम, ऑटो आदि का बहुत अधिक संख्या में संचालन है, जिस कारण उक्त मार्गों पर बसों को संचालित करने से वित्तीय हानि होने की प्रबल संभावना है। जिसकारण निगम को पूर्व से हो रही हानि में और अधिक वृद्धि होगी। उन्होंने निवेदन किया है कि आपत्तियों को अस्वीकार किया जाए तथा उत्तराखण्ड परिवहन निगम को जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत प्राप्त बसों के संचालन हेतु आवेदित परमिट जारी करने का कश्ट करें, ताकि परमिटों के अभाव में परिवहन निगम/उत्तराखण्ड सरकार को आर्थिक हानि न हो।

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में श्री षैलेन्द्र कुमार षर्मा द्वारा दायर याचिका सं0 383/11 का निस्तारण हो जाने के पश्चात् श्री षर्मा ने स्पेषल अपील सं0–33/11 दायर की थी। इस याचिका का निस्तारण मा0 उच्च न्यायालय के आदेष दिनांक 10–03–11 द्वारा किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेषों का मुख्यांष निम्न प्रकार हैः–

ष्ॅम कव दवज जीपदा जींज पद कवपदह ेवए जीम समंतदमक श्रनकहम कपक ेवउमजीपदहए ूीपबी पे ंचचमंसए भ्वूमअमतए ूम कपतमबज जीम त्महपवदंस ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल जव बवदेपकमत जीम इवअम वइरमबजपवद वद जीम चंतज वि जीम ंचचमससंदज ंदक जरमतमनचवद जव चतवबममक नितजीमत पद जीम उंजजमत पद ंबबवतकंदबम ूपजी सूंण्ष

विकास खण्ड कालसी क्षेत्र के निवासियों तथा ग्राम प्रधानों द्वारा जिलाधिकारी, देहरादून को सम्बोधित एक प्रतिवेदन दिनांक 14–03–11 को प्राप्त हुआ है। इस प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा कालसी से देहरादून के लिए 15 बसें लगाई गई थीं जो कि वर्तमान में बंद कर दी गयी हैं। इन बसों के बन्द होने से क्षेत्रवासियों को परेषानी का सामना करना पड़ रहा है और प्राईवेट बसें मनमाने ढंग से किराया बसूल करते हैं, साथ ही कालसी तक बसे नहीं चलाई जा रही हैं। उन्होंने निवेदन किया है कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों को पुनः देहरादून से कालसी तक संचालित कराने की कृपा करें।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त ओदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–8 देहरादून–विकासनगर–कालसी मार्ग पर निजी वाहन स्वामियों द्वारा स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों हेतु दिए गए प्रार्थनापत्रों पर विचार व आदेष।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के अन्तर्गत एक बस मार्ग देहरादून–विकासनगर–कालसी है, इस मार्ग की लम्बाई 55 किमी है। इस मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों हेतु प्राप्त समस्त प्रार्थनापत्रों को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27–12–08 में इस षर्त के साथ स्वीकृत किया गया था कि स्वीकृत परमिट नई वाहन से प्राप्त किए जाएंगे। वर्तमान में इस मार्ग पर 25 स्थाई सवारी गाड़ी परमिट वैध हैं।

उपरोक्त मार्ग पर निजी वाहन स्वामियों द्वारा स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों हेतु दिए गए प्रार्थनापत्रों को विचार व आदेष हेतु प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09.03.11 में प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थनापत्रों का उल्लेख परिषिश्ट–छ में किया गया था।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि परिषिश्ट “छ” में उल्लिखित प्रार्थनापत्रों पर विचार को स्थगित किया जाता है।

उपरोक्त मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों हेतु प्राप्त पुराने व नये प्रार्थना–पत्रों के विवरण **परिषिश्ट–"क"** में दिए गए हैं।

अतः प्राधिकरण मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेषों का अवलोकन करने के पश्चात् मामले में विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–09 श्री हरबन्ष लाल की वाहन सं0–यूए11–0690 को देहरादून–डोईवाला–जौलीग्रान्ट मार्ग पर अस्थाई सवारी गाडी परमिट देने के सम्बन्ध में विचार व आदेष–

श्री हरबंष लाल ने अपनी वाहन सं0–यूए11–0690, माडल 2006 के लिये देहरादून–डोईवाला–जौलीग्रान्ट तथा सम्बन्धित मार्ग (नगर बस सेवा) पर 04 माह का अस्थाई सवारी गाडी परमिट देने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

देहरादून–डोईवाला–जौलीग्रान्ट तथा सम्बन्धित मार्ग(नगर बस सेवा मार्ग) पर वर्तमान में 48 स्थाई सवारी गाडी परमिट निजी वाहन स्वामियों को 12 स्थाई परमिट उत्तराखण्ड परिवहन निगम को जारी किये गये हैं। इसके अतिरिक्त 01 स्थाई परमिट अनु0 जाति के अभ्यर्थी को जारी किया गया है। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20.10.10 में अनु0 जाति कोटे के अंतर्गत स्वीकृत 02 परमिट अभी तक जारी नहीं किये गये हैं। मार्ग पर जारी परमिटों में से एक स्थाई सवारी गाडी परमिट सं0–1874 पर वाहन का संचालन नहीं हो रहा है। इस परमिट पर संचालित वाहन के स्थान पर उंचे माडल की वाहन लगाने हेतु परमिट धारक ने दिनांक 21.01.11 को आज्ञा प्राप्त की है, परन्तु अभी तक परमिट पर वाहन नही लगाई गई है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–10(ए) श्रीमती बबीता देवी द्वारा डी0एल0रोड–डिफेन्स कालोनी नगर बस मार्ग पर स्वीकृत स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने हेतु समय बढ़ाने के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थनापत्र पर विचार व आदेष।

श्रीमती बबीता देवी सोनकर को सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.06.10 में संकल्प सं0– 5(2) द्वारा डी0एल0रोड–डिफेन्स कालोनी नगर बस मार्ग का एक स्थाई सवारी गाडी परमिट अनुसूचित जाति श्रेणी के अन्तर्गत इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया था कि, परमिट नई वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31.08.10 तक जारी किया जायेगा। इसके पष्चात स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

प्रार्थिनी श्रीमती बबीता देवी ने अपने प्रार्थनापत्र दिनांक 30.07.10 द्वारा निवेदन किया था कि, उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वे स्वीकृत परमिट नई वाहन पर प्राप्त कर सकें। उन्होंने स्वीकृत परमिट को वाहन सं–यूके07पीए–0466 माडल–2009 पर जारी करने का निवेदन किया था। इस प्रार्थनापत्र को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08.10.10 में मद सं–10(1) में विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निम्नलिखित आदेष पारित किये थे–

राजधानी की नगर बस सर्विस होने के कारण प्रदूषण मुक्त, सुविधाजनक सेवा उपलब्ध कराने व दुर्घटनाओं की न्यूनतम सम्भावनाओं के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा नई वाहनों पर परमिट स्वीकृत किये गये हैं। अतः स्वीकृत परमिटों को पुरानी वाहनों पर जारी करने के प्रार्थनापत्रों को अस्वीकृत किया जाता है तथा नई वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकृत परमिट प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21.08.2000 में संकल्प सं0–4 द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार प्रषमन शुल्क जमा करने पर जारी किये जायेंगे। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21.08.2000 मे निर्धारित नीति निम्न प्रकार है–

1– स्टैज कैरेज परमिट के मामलों में यदि प्रार्थी स्वीकृत निर्धारित अवधि में परमिट उठाने में असफल रहता है तो निर्धारित अवधि के पश्चात रु0 1000/–(एक हजार) प्रति माह विलम्ब शुल्क देकर स्वीकृत परमिट उठा सकेगा। पार्ट माह के लिये भी पूरे माह का विलम्ब शुल्क दिया जायेगा। परमिट उठाने की सामान्य अवधि दो माह मानी जायेगी, बशर्ते कि प्राधिकरण ने कोई विषिष्ट आदेश न किये हों। एक वर्ष के पश्चात परमिट स्वीकृति का आदेश स्वतः समाप्त हो जायेगा।

प्राधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेषों की सूचना श्रीमती बबीता देवी को कार्यालय के पत्र सं0–3662/आरटीए/2011 दिनांक 28.06.11 द्वारा भेजी गई थी। इस पत्र के संदर्भ में प्रार्थिनी ने अपने पत्र दिनांक 21.07.11 द्वारा सूचित किया है कि, दिनांक 21.08.2000 की नीति में यह स्पश्ट किया है कि, परमिट उठाने के लिये सामान्य अवधि 02 माह निर्धारित है। दिनांक 26.06.10 की बैठक में स्वीकृत परमिट को प्राप्त करने के लिये समय सीमा दिनांक 31.08.10 तक प्रदान की गई थी। दिनांक 21.08.2000 की नीति में यह स्पश्ट नहीं है कि, एक वर्श की अवधि प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य समय सीमा के पष्चात आरम्भ होगी अथवा बैठक की तिथि से अथवा सूचना देने की तिथि से? उन्होंने अपने प्रार्थनापत्र में कहा है कि, प्राधिकरण द्वारा जो एक वर्श की समय सीमा निर्धारित की गई है, वह प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त समय सीमा के पष्चात प्रारम्भ होगी। प्रार्थनापत्र में यह भी कहा है कि, जहॉ किसी भी वाक्य अथवा षब्द के दो अर्थ निकल रहे हों और किसी भी बिन्दु की अस्पश्टता होने की दषा में सर्वदा विधायी पक्ष के विरुद्व अथवा आवेदक के पक्ष में ही प्रयुक्त किया जायेगा। इसलिये दिनांक 21.08.2000 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार दिनांक 31.08. 2010 के पष्चात एक वर्श तक का समय परमिट जारी करने हेतु दिया जा सकता है। उन्होंने निवेदन किया है कि, प्रार्थिनी को दिनांक 31.08.10 के पष्चात् एक वर्श की समय सीमा स्वीकार करते हुऐ अथवा दिनांक 08.10.10 से ही एक वर्श की समय सीमा स्वीकार करते हुऐ सूचना प्रदान करने की कृपा करें, जिससे प्रार्थिनी 127 इंच व्हीलबेस की वाहन का चैसिस प्राप्त कर परमिट प्राप्त कर सकें व अपने परिवार का भरण–पोशण कर सकें।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारेपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

<u>मद सं0–10(प)</u> <u>श्रीमती कृश्णा देवी द्वारा देहरादून–डोईवाला तथा संबंधित नगर बस मार्ग पर स्वीकृत स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने हेतु समय बढ़ाने के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थनापत्र पर विचार व आदेष।</u>

श्रीमती कृश्णा देवी को सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20.10.10 में संकल्प सं0–01 द्वारा देहरादून–डोईवाला तथा संबंधित नगर बस मार्ग का एक स्थाई सवारी गाडी परमिट अनुसूचित जाति

श्रेणी के अन्तर्गत इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया था कि, परमिट नई वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31.01.11 तक जारी किया जायेगा। इसके पष्चात स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

प्रार्थिनी श्रीमती कृश्णा देवी ने अपने पत्र प्रार्थनापत्र दिनांक 03.02.11 द्वारा परमिट प्राप्त करने हेतु समय वृद्धि प्रदान करने का निवेदन किया था। इस प्रार्थनापत्र को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09.03.11 में मद सं–10 में विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया था।

"प्राधिकरण के द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उक्त परिस्थितियों में इन आवेदकों की सहायता हेतु यह निर्णय लिया जाता है कि नये वाहन की व्यवस्था करने के लिए आवेदक समय लेना चाहें तो प्राधिकरण उदारतापूर्वक समय प्रदान करने के लिए विचार करेगा।"

प्रार्थिनी ने दिनांक 04.11.11 को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20.10.10 में प्रार्थिनी को स्वीकृत परमिट प्राप्त करने हेतु समय प्रदान करने की प्रार्थना की है।

इस सम्बन्ध में प्राधिकरण को अवगत करना है कि परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेष के पत्र सं0–1835 एसटीए/2000 दिनांक 03.06.2000 के अनुपालन में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21.08.2000 में स्वीकृत परमिटों को प्राप्त करने हेतु समय बढाने के सम्बन्ध में निम्न प्रकार नीति निर्धारित की गई थी।

1– स्टैज कैरेज परमिट के मामलों में यदि प्रार्थी स्वीकृत निर्धारित अवधि में परमिट उठाने में असफल रहता है तो निर्धारित अवधि के पष्चात रु0 1000/–(एक हजार) प्रति माह विलम्ब शुल्क देकर स्वीकृत परमिट उठा सकेगा। पार्ट माह के लिये भी पूरे माह का विलम्ब शुल्क दिया जायेगा। परमिट उठाने की सामान्य अवधि दो माह मानी जायेगी, बषर्ते कि प्राधिकरण ने कोई विषिष्ट आदेष न किये हों। एक वर्ष के पष्चात परमिट स्वीकृत का आदेष स्वतः समाप्त हो जायेगा।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारेपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–11 **गुरुकुल नारसन–मंगलौर मार्ग का विस्तार रुडकी तक करने के सम्बन्ध में श्री भूपाल सिंह प्रबन्धक, किसान स्वतः षासित कॉ–ऑपरेटिव सोसाइटी ग्रा0 मंडावली पो0 गुरुकुल नारसन जिला हरिद्वार के पत्र दिनांक 12.07.11 पर विचार व आदेष।**

गुरुकुलनारसन–मौहम्मदपुर–नसीरपुर–हरचन्दपुर–निरजनपुर–राजौलीनगला–लिब्बरहेडी–मंगलौर मार्ग, मिनी बस संचालन हेतुं प्राधिकरण की बैठक दिनाक 27.12.08 मे वर्गीकृत किया गया था तथा शासन की अधिसूचना संख्या–232/नौ–239/2009 दिनाक 10.6.09 द्वारा उक्त मार्ग को मिनी बसों के संचालन हेतु निर्मित किया गया था। इस अधिसूचना के विरुद्व श्री मंगल सिंह तथा अन्य द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में याचिका संख्या–1294/09 दायर की गई है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेष दिनांक 20.08.2009 द्वारा अधिसूचना को स्थगित किया गया था। परन्तु अब यह याचिका मा0 उच्च न्यायालय के आदेष दिंनाक 09.02.10 द्वारा खारिज कर दी गयी है।

उक्त मार्ग का विस्तार मंगलौर से रुडकी तक करने के सम्बन्ध में किसान स्व शासित कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रार्थना पत्र दिनांक 15.09.09 को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12.11.09 के मद सं0–13 के अन्तर्गत विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया था। विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा आदेष पारित किये गये थे कि–

"उक्त मार्ग का विस्तार मंगलौर से रुडकी तक करने हेतु किसान स्व शासित कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा दिनांक 15.09.09 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था कि, क्षेत्र के बच्चे पढने के लिए रुडकी तक आते है, मंगलौर तक मार्ग बनाने से क्षेत्रीय जनता को पूर्ण लाभ नही मिल पायेगा। उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा मार्ग का विस्तार मंगलौर से रुडकी तक करने में इस आधार पर आपत्ति की है कि प्रष्नगत मार्ग राष्टीयकृत मार्ग है। उत्तराखण्ड परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेषक द्वारा यह आष्वासन दिया गया कि

गुरूकुल नारसन से रूड़की मार्ग पर दो मिनी बसों का संचालन उत्तराखण्ड परिवहन निगम के द्वारा किया जायेगा।

चूंकि मार्ग निर्धारित करने की अधिसूचना को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया है। अतः मार्ग विस्तार करना सम्भव नहीं है। उत्तराखण्ड परिवहन निगम को निदेषित किया जाए कि वे उक्त मार्ग पर पर दो मिनी बसो का संचालन करना अबिलम्ब सुनिष्चित करे”।

इस कार्यालय के पत्र सं0 2748/आरटीए/अ0परमिट/09 दिनांक 11–12–09 एवं पत्र सं0 3175/आरटीए/खेड़ाजट/2010 दिनांक 19–02–10 एवं पत्र सं0 2978/आरटीए/खेड़ाजट/2010 दिनांक 30–11–10 के द्वारा मण्डलीय प्रबन्धक संचालन उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून को मार्ग पर दो मिनी बसें रूड़की–मंगलौर–खेड़ाजट मार्ग पर संचालन करने हेतु प्रेशित किए गए थे। मार्ग पर बस सेवा संचालन के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड परिवहन निगम से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

अध्यक्ष, किसान स्व–षासित कॉपरेटिव सोसाईटी, हरिद्वार ने दिनांक 12–07–2011 को इस कार्यालय में एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके द्वारा यह आवेदन किया गया है कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा आज तक उक्त मार्ग पर मिनी बसों का संचालन नहीं किया है। अतः उनकी सोसाईटी को दो परमिट जारी करने की कृपा करें।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–12 कुलड़ी–लक्सर–रूड़की तथा सम्बन्धित मार्ग का वर्गीकरण उच्च श्रेणी में करने के सम्बन्ध में विचार व आदेष।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून ने वर्श 1970 में कुलड़ी–लक्सर–रूड़की मार्ग को बी–श्रेणी में वर्गीकृत किया था। वर्श 1981 में इस मार्ग का विस्तार लक्सर से रूड़की वाया लण्ढौरा, वर्श 2001 में बषेड़ी से बीएचईएल सैक्टर–2 तक तथा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12–11–09 में कुलड़ी से बालावाली–गंगाघाट

तक किया गया है। उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 की धारा 07 में कर या अति0कर का अवधारण करने के लिए मार्गों का वर्गीकरण करने का प्राविधान है, जो निम्न प्रकार हैः–

"प्रथम अनुसूची के अधीन परिवहन यानों के सम्बन्ध में देय कर की धनराषि का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए या चतुर्थ अनुसूची के अधीन देय अति0कर का अवधारण करने के लिए उत्तराखण्ड समस्त मार्गों का वर्गीकरण ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, वीहित अधिकारी द्वारा "क" वर्ग के मार्गों या "ख" वर्ग के मार्गों के रूप में किया जाएगा।"

उपरोक्त मार्ग के वर्गीकरण को अपग्रेड करने के सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र सं0 1453/आरटीए/नौ–112/10 दिनांक 16–08–10 द्वारा सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), हरिद्वार से आख्या मांगी गयी थी। उन्होंने अपने पत्र सं0 693/कुलड़ी–लक्सर–रूड़की/प्रवर्तन/10 दिनांक 08–11–10 द्वारा सूचित किया है कि कुलड़ी–लक्सर–रूड़की–बसेड़ी–बीएचईएल तथा रायसी–बालावाली मार्ग पुर्णतः पक्का तथा ग्रामीण मार्ग है।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मार्ग का वर्गीकरण "क" वर्ग के रूप में करने हेतु विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–13 बहादराबाद–पिरानकलियर–रूड़की मार्ग पर अस्थाई सवारी गाड़ी परमिटों को सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हरिद्वार द्वारा जारी किये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेष चन्द जायसवाल के प्रत्यावेदन पर विचार व आदेष।

श्री नरेष चन्द जायसवाल महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, ज्वालापुर हरिद्वार ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक 13.04.11 तथा 25.05.11 द्वारा निवेदन किया है कि वर्श 2005 से उनकी वाहनें बहादराबाद से पिरानकलियर होते हुए रुड़की तक संचालित हो रही हैं। इन वाहनों को चार–चार माह के अस्थाई परमिट प्राप्त करने हेतु देहरादून जाना पड़ता है उन्होंने निवेदन किया है कि वाहन स्वामियों की परेषानी को मद्देनजर रखते हुए

अस्थाई परमिटों का नवीनीकरण करने की सुविधा सम्भागीय परिवहन कार्यालय देहरादून के स्थान पर सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हरिद्वार द्वारा करने के आदेष पारित करने की कृपा करें।

जनपद हरिद्वार में बहादराबाद–पिरान कलियर–रूड़की एक राश्ट्रीयकृत मार्ग है। इस मार्ग की लम्बाई 19 किमी है। पूर्व में इस मार्ग पर हरिद्वार से रूड़की वाया पिरान कलियर जाने वाली परिवहन निगम की बसों का संचालन किया जाता था, परन्तु मार्ग पर पुल के कमजोर हो जाने के कारण निगम की बसें दूसरे मार्ग से रूड़की को संचालित होने लगी हैं और इस मार्ग पर निगम की वाहनों का संचालन बन्द हो गया है। क्षेत्रीय प्रबन्धक परिवहन निगम देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 29–10–2003 द्वारा सूचित किया था कि प्रष्नगत मार्ग राश्ट्रीयकृत मार्ग है उत्तरांचल परिवहन निगम का गठन हो जाने के उपरान्त पिरान कलियर तीर्थ स्थल तक निगम की बसें संचालित किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त मार्ग पर यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्‌देष्य से मामले का सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 03–11–03 में मद सं0–28 के अन्तर्गत विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया था, परन्तु इस बैठक में मामले पर विचार करना स्थगित कर दिया था।

इसके पश्चात् उक्त मामले को संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20–11–04 में मद सं0 17(स–2) द्वारा विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया था प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित किये थे कि **सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हरिद्वार की आख्या के अनुसार बहादराबाद–रूड़की वाया पिरान कलियर मार्ग राश्ट्रीयकृत मार्ग था तथा पूर्व में इस मार्ग पर परिवहन निगम की बसें संचालित होती थीं। परन्तु बहादराबाद से रूड़की के लिए नया मार्ग बन जाने फलस्वरूप अब इस मार्ग पर परिवहन निगम की बसों का संचालन नहीं होता है, क्योंकि मार्ग पर पड़ने वाले पुलों के कमजोर हो जाने के कारण यहां से बड़ी वाहनों का संचालन किया जाना संभव नहीं है। क्षेत्र की जनता को आवागमन के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं है, जिस कारण मार्ग पर अनाधिकृत संचालन की संभावना बनी रहती है। सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), हरिद्वार ने मार्ग पर 25 परमिट जारी किए जाने की संस्तुति की है।**

बहादराबाद–रूड़की वाया पिरान कलियर मार्ग को अभी तक अराश्ट्रीयकृत घोशित नहीं किया गया है इसलिए इस मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी करना संभव नहीं है।

प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि **"बहादराबाद वाया रूड़की पिरान कलियर मार्ग को "क" श्रेणी में वर्गीकृत किया जाए तथा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 104 में दिए गए प्राविधानों के अनुसार निजी वाहन स्वामियों की 16 सीटर छोटी बसों को अस्थाई सवारी गाड़ी परमिट इस षर्त के साथ जारी किए जाए कि यदि मार्ग पर परिवहन निगम द्वारा बस सेवा का संचालन षुरू किया जाता है तो अस्थाई परमिट स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे। यदि इस मार्ग को राश्ट्रीयकरण की योजना से निकाल लिया जाता है तो इसके पश्चात् मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी करने की कार्यवाही की जाएगी मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों हेतु प्राप्त सभी प्रार्थनापत्रों को अस्वीकृत किया जाता है। मार्ग पर सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), हरिद्वार द्वारा की गई संस्तुति के अनुसार इस मार्ग पर 25 अस्थाई सवारी गाड़ी परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रथम आगत एवं प्रथम निर्गत के सिद्धांत पर जारी किए जाएंगे। इन परमिटों में से 13 परमिट नई वाहनों तथा 12 परमिट पुरानी वाहनों को जारी किए जाएंगे। पुरानी वाहन 10 वर्श से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।"**

संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15–04–2005 के संकल्प संख्या 03 द्वारा उपरोक्त मार्ग पर 10 अस्थाई सवारी गाड़ी परमिट और जारी किए गए थे तथा 01 परमिट बैठक दिनांक 15–05–06 के संकल्प सं0–26 (ब) द्वारा स्वीकृत किया गया था। इस प्रकार वर्तमान में प्रष्नगत मार्ग पर कुल 36 मिनी बसों के अस्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी किए गए हैं।

परमिट धारकों की प्रार्थना पर उपरोक्त मार्ग का विस्तार बहादराबाद से बी0एच0ई0एल0 होते हुए रोषनाबाद तक (10 किमी) प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15–05–06 के संकल्प सं0–26(अ) द्वारा किया गया है। इसके पश्चात् पुनः प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12–11–09 के संकल्प सं0 –14 द्वारा इस मार्ग का

विस्तार बहादराबाद से गढ़मीरपुर होते हुए रोषनाबाद तक (07 किमी) किया गया है, इस प्रकार प्रष्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 36 किमी हो गयी है।

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 में अस्थाई परमिट जारी करने का प्राविधान है, जिसके अनुसार सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण किसी मार्ग पर अस्थाई परमिट स्वीकृत कर सकती है। उत्तर प्रदेष मोटरयान नियमावली, 1998 जो वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में भी प्रभावी है के नियम–57(2) में यह प्राविधान है कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा अपनी षक्तियों का प्रत्यायोजन **"अपने सचिव को और राज्य परिवहन प्राधिकरण की दषा में सहा0 परिवहन आयुक्त (प्रषासन) को और किसी सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की दषा में सम्बन्धित सम्भाग के किसी सहा0 सम्भागीय पविरहन अधिकारी को धारा 87 और धारा 88 की उपधारा 2 के अधीन अस्थाई और विषेश परमिटों की स्वीकृति से सम्बन्धित अपनी समस्त या कोई षक्ति।"** का;

उत्तर प्रदेष मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम 57(2) में दिए गए प्राविधान के अनुसार सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण ने अपने आदेष दिनांक 05.08.04 द्वारा राज्य के समस्त उपसंभागों के सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रषासन) एवं उनकी अनुपस्थिति में सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) को अपने अधिकारों का प्रतिनिधायन किया गया है जो निम्न प्रकार हैः–

"धारा 87 (ब) तथा 88 (8) के अन्तर्गत विवाह, रिजर्व पार्टी के लिए विषेश अस्थाई परमिट दिए जाने का अधिकार। इस प्रकार के परमिट केवल एक बार जाने एवं वापस आने के लिए वैध होंगे।"

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–14 विकासनगर–लांघा मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी (बसों) के परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर विचार व आदेष।

जनपद देहरादून के अन्तर्गत एक बस मार्ग विकासनगर–लांघा, केदारवाला–बालूवाला है। इस मार्ग की कुल लम्बाई 22 किमी है तथा वर्तमान में इस मार्ग पर 04 स्थाई सवारी गाड़ी परमिट वैध हैं। मार्ग के स्थाई

सवारी गाड़ी परमिट संख्या 1847 जो दिनांक 02.08.11 तक वैध था पर वाहन प्रतिस्थापित करने की आज्ञा दिनांक 05.03.07 को प्रदान की गयी थी तब इस परमिट पर कोई वाहन संचालित नहीं है। इस परमिट के स्थान पर श्री राम कुमार पुत्र श्री प्रभुदायाल को उनकी वाहन सं0 यूए07बी–7321 मॉडल–1995 के लिए अस्थाई परमिट जारी किया गया है, जो दिनांक 09.12.11 तक वैध है। इस मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों हेतु निम्नलिखित प्रार्थनापत्र प्राप्त हुएः–

क्रम सं0	प्रार्थनापत्र प्राप्ति की तिथि	प्रार्थी का नाम व पता	वाहन संख्या यदि कोई हो
1.	02.06.2011	श्री रामकुमार पुत्र श्री प्रभुदयाल, रुद्रपुर, सहसपुर, देहरादून।	यूए07बी–7321
2.	21.08.2007	श्री धीरज सिंह तोमर पुत्र श्री जनक सिंह तोमर पष्टाड़, लांघा, विकासनगर, देहरादून।	
3.	19.12.2007	श्री रघुवीर सिंह तोमर पुत्र श्री करतार सिंह, रुद्रपुर, विकासनगर, देहरादून।	
4.	16.10.2009	श्री मुकेष गौर पुत्र श्री सरल किषोर षर्मा, ग्रा0 गमनीपुर थाना, सहसपुर, देहरादून।	

अतः प्राधिकरण उपरोक्त प्रार्थनापत्रों पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–15 रूड़की केन्द्र से स्थाई विक्रम टैम्पों परमिट जारी करने के लिए प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर विचार व आदेष।

श्री मदन कौषिक मा0 मंत्री, नगर विकास, पर्यटन, गन्ना विकास, चीनी उद्योग एवं आबकारी, उत्तराखण्ड के माध्यम से रूड़की केन्द्र से विक्रम टैम्पों परमिट देने के लिए 9 प्रार्थियों के प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रार्थनापत्र भी प्राप्त हुए हैं। जिनके विवरण **परिषिश्ट–ख** में दिये गये हैं।

इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12.11.09 में संकल्प संख्या–07 द्वारा लक्सर, रूड़की तथा हरिद्वार केन्द्रों के लिए विक्रम टैम्पों परमिटों हेतु प्राप्त समस्त प्रार्थियों को एक–एक ठेका गाड़ी परमिट निम्नलिखित षर्तों के साथ स्वीकृत किए गए थे।

1. 07 सीटर, 04 पहिया, न्यूनतम 02 सिलिण्डर एवं यूरो–3 मानक वाली नई वाहन होनी चाहिए।
2. जनपद में एल0पी0जी0/सी0एन0जी0 की उलब्धता होने पर इन वाहनों को एल0पी0जी0/सी0एन0जी0 वाहनों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
3. उन्हीं आवेदकों को स्वीकृति जारी की जाएगी जिनके पास पूर्व में कोई ऑटोरिक्शा/टैम्पों परमिट न हो।
4. यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आवेदक के द्वारा जाली प्रपत्रों के आधार पर परिमट प्राप्त करने का कोई प्रकरण न हो।
5. आवेदक उत्तराखण्ड के निवासी हो इस हेतु मतदाता परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. आवेदित क्षेत्र में रहने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी।
7. आवेदक बेरोजगार हो।
8. आवेदक के पास हल्की वाणिज्यिक वाहन चलाने का डी0एल0 हो।
9. परमिट को न्यूनतम 03 वर्श की अवधि तक हस्तान्तरित नहीं किया जा सकेगा।

वर्तमान में रूड़की केन्द्र में 181 विक्रम टैम्पों परमिट वैध हैं। अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–16 जनपद हरिद्वार के लक्सर केन्द्र से स्थाई विक्रम टैम्पों वाहनों के परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेष।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", विधायक, लक्सर ने अपने पत्र दिनांक 06.12.2010 द्वारा सूचित किया है कि उनके विधानसभा क्षेत्र लक्सर के अत्यन्त पिछड़े खादर क्षेत्र में आवागमन के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है। सुदूर ग्रामीण अंचलों से लोगों को औद्योगिक क्षेत्र, तहसील, बाजार तथा छात्र–छात्राओं को स्कूल/कॉलेज आना–जाना होता है। परिवहन की सुविधा सुलभ व पर्याप्त न होने के कारण इस क्षेत्र की जनता को अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अपने पत्र में यह भी कहा है कि यदि उक्त क्षेत्र में विक्रम थ्री–व्हीलर को चलाये जाने हेतु बेरोजगार पात्र व्यक्ति को परमिट आंवटित कर दिए जाते हैं तो इससे एक तो क्षेत्र में सस्ता व सुलभ आवागमन जनता को उपलब्ध होगा तथा दूसरा क्षेत्र के बेरोजगारों को जीविकोपार्जन का माध्यम उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने लक्सर केन्द्र से विक्रम वाहनों के परमिट जारी करने हेतु आवष्यक कार्यवाही करने हेतु कहा है।

वर्तमान में लक्सर केन्द्र से 20 स्थाई विक्रम टैम्पों परमिट वैध हैं। लक्सर केन्द्र से विक्रम टैम्पों परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों के विवरण **परिषिश्ट–ग** में दिये गये है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–17 श्री राजकुमार को डोईवाला ग्रामीण क्षेत्र के लिए विक्रम टैम्पो परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेष।

श्री राजकुमार पुत्र श्री टीका राम, 95–बी, चन्द्रषेखर आजाद कालोनी, पटेलनगर, देहरादून ने अपने प्रार्थनापत्र दिनांक 01.11.2011 द्वारा निवेदन किया गया है कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09.03.2011 में डोईवाला ग्रामीण क्षेत्र के परमिट प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किये गये थे। प्रार्थी ने विक्रम खरीद लिया था

परन्तु काफी लेट में आने पर परमिट जारी नहीं किया गया। उन्होंने निवेदन किया है कि अब उनको डोईवाला ग्रामीण क्षेत्र का परमिट जारी किया जाए।

इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09–03–11 में मद सं0–04 के अन्तर्गत डोईवाला केन्द्र के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विक्रम टैम्पो परमिटों हेतु प्राप्त समस्त प्रार्थनापत्र निम्न लिखित षर्तों के साथ स्वीकृत किये गये थेः–

"प्रथम आगत, प्रथम निर्गत के सिद्धांत पर कुल 60 परमिट वाहनों के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 30–04–11 तक जारी किए जाएंगे, जिनमें से 47 परमिट सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को, 11 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों तथा 02 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को जारी किए जाएंगे। निर्धारित संख्या में स्वीकृत परमिट जारी हो जाने के पश्चात् षेश प्रार्थनापत्रों की स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जाएंगी।

1. परमिट से आच्छादित वाहन का संचालन डोईवाला में लच्छीवाला रेलवे पुल से से आगे देहरादून षहर की ओर, ऋषिकेष मार्ग पर नटराज चौक से आगे तथा हरिद्वार मार्ग पर नेपाली फार्म से आगे नहीं किया जायेगा। वाहन का संचालन डोईवाला के ग्रामीण क्षेत्रों में ही किया जाएगा।
2. वाहनों का रंग हरा होगा तथा इन पर 05 इंच की सफेद पट्टी होगी जिसमें काले रंग से डोईवाला ग्रामीण क्षेत्र अंकित होगा।
3. देहरादून जनपद का निवासी हो।
4. आवेदक के नाम अन्य कोई परमिट न हो।
5. आवेदक बेरोजगार हो।
6. आवेदक के पास हल्की वाणिज्यिक वाहन चलाने का डी0एल0 हो।
7. परमिट 03 वर्श की अवधि से पूर्व हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा तथा आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत जारी परमिट आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को ही हस्तान्तरित किया जा सकेगा।
8. आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक, जिला प्रषासन द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे।

9. **मार्ग पर संचालित वाहनों मॉडल सीमा 10 वर्श होगी तथा 10 वर्श की आयुसीमा पूरी होने पर ऊँचे मॉडल की वाहन से प्रतिस्थापन किया जाएगा।"**

प्राधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेषों के सूचना प्रार्थी को कार्यालय के पत्र दिनांक 01–04–11 द्वारा दी गयी थी। प्रार्थी को सूचित किया गया था कि स्वीकृत पत्र प्राधिकरण द्वारा पारित आदेषों के अनुसार रिक्तियां पूर्ण होने अथवा दिनांक 30.04.11 तक वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत कर परमिट प्राप्त करने तक ही वैध होगी। परमिट की रिक्तियां पूर्ण होने की सूचना आवेदक कार्यालय से स्वयं प्राप्त कर ही वाहन क्रय करें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न विक्रय पत्र (फार्म–21) के अनुसार उनके द्वारा दिनांक 18.04.11 को वाहन क्रय की गयी थी। परन्तु अभी तक प्रार्थी की वाहन पंजीकृत नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि डोईवाला ग्रामीण क्षेत्र के लिए 60 परमिट जारी किए गए थे तथा 13 परमिट परिचालन पद्धति द्वारा स्वीकृत किए गए है। वर्तमान में डोईवाला ग्रामीण क्षेत्र पर 73 विक्रम टैम्पो परमिट वैध हैं।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–18(ए) कौलागढ़–विधानसभा के नगर बस परमिटों को हल्की वाहनों के परमिटों में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में, मार्ग के बस ऑपरेटरों द्वारा दिए गए प्रत्यावेदन दिनांक 04.11.11 पर विचार व आदेष।

प्राधिकरण द्वारा कौलागढ–विधानसभा वाया बल्लूपुर चौक–बल्लीवाला चौक–जीएमएस रोड–सब्जी मंडी–लालपुल–महन्त इंदरेष हास्पीटल–कारगी चौक–रिस्पनापुल वर्गीकृत किया गया था। इसके पष्चात प्राधिकरण के आदेष दिनांक 07.07.09 द्वारा इस मार्ग का विस्तार सब्जी मंडी–माजरा–षिमला बाईपास–आईएसबीटी–कारगी चौक–विधानसभा तथा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12.11.09 मे मार्ग का विस्तार ओएनजीसी चौक से राजेन्द्र नगर–'किषन नगर होते हुऐ कनाट प्लेस–धण्टाधर–प्रिन्स चौक–रेलवे

स्टेषन तक किया गया था। प्राधिकरण द्वारा इस मार्ग पर 06 स्थाई सवारी गाडी परमिट दिये गये थे। वर्तमान में इस मार्ग पर 02 बसें संचालित हैं।

मार्ग के बस ऑपरटरों द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया है कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक 27.12.08 में कौलागढ़ से विधानसभा मार्ग पर 06 सिटी बस परमिट जारी किए गए थे। कुछ समय पष्चात् थानाकैण्ट–परेडग्राउण्ड की सिटी बसों को भी इसी रूट के परमिट अंकित कर दिए गए जिस कारण हमारी सिटी बसों को पर्याप्त सवारी न मिल पानी से काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा और हमे मजबूर होकर अपनी गाड़ियों को बेचना पड़ा, जिससे हमें बेरोजगार भी होना पड़ा और अपने परिवहन के भरण–पोशण की एक बहुत बुरी स्थिति बन गयी है। उनके मार्ग की नगर बस परमिटों को हल्के वाहनों के परमिटों से परिवर्तित कर दिया जाए तथा कौलागढ़ से घण्टाघर तक का छोटे वाहन के परमिट देने की कृपा करें, ताकि हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें और सरकार के राजस्व की हानि भी न हो सकें।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

(प) **<u>कौलागढ़–विधानसभा तथा सम्बन्धित मार्ग का विस्तार बाजावाला–मसन्दावाला तक करने तथा मार्ग पर हल्की वाहनों को परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेष।</u>**

बाजावाला–मसन्दावाला क्षेत्र की जनता द्वारा इस आषय के प्रतिवेदन दिये गये हैं कि, उनके क्षेत्र में भी परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाय, परन्तु पूर्व में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार कौलागढ से आगे का मार्ग काफी संकरा तथा मोडो वाला है, जिसमें बस सेवा संचालित किया जाना सम्भव नहीं है। सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन देहरादून ने अपने पत्र सं0–5647/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/2011 दिनांक 02–11–11 द्वारा उपरोक्त मार्ग का सर्वेक्षण करने के पष्चात अपनी आख्या प्रेशित की है, जो निम्न प्रकार हैः–

"बाजावाला तथा मसन्दावाला गांव की दूरी कौलागढ़ से लगभग 2.3 किमी है। मार्ग पक्का है तथा लगभग 2.0 से 2.5 मीटर चौड़ा है तथा हल्के वाहनों के संचालन हेतु उपयुक्त है। कौलागढ़ से बाजावाला–मसन्दावाला तक आवागमन के लिए परिवहन का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। स्थानीय लोगों को पैदल या अन्य साधनों से कौलागढ़ आना पड़ता है। बाजावाला–मसन्दावाला क्षेत्र की जनता को षहर तक आने–जाने के लिए परिवहन सुविधा दिए जाने हेतु बाजावाला–मसन्दावाला से कौलागढ़ होते हुए के0डी0एम0आई0पी0ई0, ओ0एन0जी0सी0 चौक से बल्लुपुर चौक, बल्लीवाला चौक, जी0एम0एस रोड, सब्जीमंडी, सहारनपुर चौक, प्रिंस चौक होते हुए परेडग्राउण्ड तक हल्के वाहनों का मार्ग बनाया जाना उपयुक्त होगा। मार्ग की कुल दूरी 13.5 किमी है।"

उपरोक्त मार्ग पर परमिट जारी करने पर अध्यक्ष, नगर बस सेवा, अनारवाला–गढ़ीकैण्ट–आईएसबीटी–परेडग्राउण्ड ने आपत्ति की है कि उपरोक्त मार्ग पर अलग से ठेका परमिट के टाटा मैजिक को संचालित कराना सीटी बस वालों के अधिकारों पर कुठाराघात होगा। क्योंकि अत्याधिक संख्या में विक्रम व सिटी बसें संचालित होने के कारण प्रतिस्पर्धा बारम्बार बनी रहती है, जिस कारण दुर्घटनायें एवं मारपीट व झगड़े होते रहते हैं, इसके साथ ही बस मालिक आर्थिक आधार पर कमजोर हो रहे हैं, जिससे बसों के रख रखाव में भी मुष्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त बाजावाला, कौलागढ़ क्षेत्र में रहने वाली जनता एवं बिष्टगांव, गगोंल पंडितवाणी बिजापरु, विजयनगर आदि स्थानों पर रहने वाली जनता की मुख्य मांग घण्टाघर की सेवा के लिए है।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–19 बुल्लावाला–झबरावाला–डोईवाला–भानियावाला–लालतप्पड़ मार्ग पर हल्की सदृष्य 4 पहिया 7/8 सीटर हल्की वाहनों का संचालन स्थाई ठेका गाड़ी के रुप में करने हेतु परमिटों के लिये प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर विचार व आदेष।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12–11–09 तथा 26–06–2010 में कुछ मार्गों को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 74 (2)(1) में दिए गए प्राविधानों के अनुसार हल्की वाहनों को ठेका गाड़ी के रूप में संचालित करने हेतु "क" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था जिसमें बुल्लावाला–झबरावाला–डोईवाला–भानियावाला–लालतप्पड़ मार्ग भी था। इस मार्ग पर 20 परमिटों की संख्या निर्धारित की गई थी। कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या 5592/आरटीए/दस–15/2011 दिनांक 22–10–11 द्वारा इस मार्ग पर 7/8 सीट तक की हल्की वाहनों को ठेका गाड़ी के रूप में संचालित करने हेतु परमिटों के आवेदन पत्र मांगे गये थे। यह विज्ञप्ति दिनांक 23–10–11 को अमर उजाला, दैनिक जागरण तथा हिन्दुस्तान समाचार–पत्रों में प्रकाषित की गई थी। आवदेन–पत्र दिनांक 05–11–11 तक निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था। इस मार्ग पर परमिटों हेतु प्रार्थनापत्रों के विवरण **परिषिश्ट–"घ"** में दिए गए हैं।

इस मार्ग पर 7/8 सीटर हल्के वाहनों को परमिट जारी करने के विरुद्ध डोईवाला विक्रम मालिक वैलफेयर एसोसिएषन डोईवाला ने दिनांक 04.11.11 को प्रत्यावेदन दिया है। उन्होंने निवेदन किया है किः–

1. महोदय डोईवाला केन्द्र से पहले ही (328) तीन सौ अट्ठाइस विक्रम संचालित हो रहें हैं इसके अतिरिक्त इस रूट पर जीप, ट्रैकर, मैक्सी कैब एवं राज्य परिवहन निगम अनुबन्धित बसों का दाब बना रहता है।
2. महोदय उपरोक्त साधन के अतिरिक्त देहरादून से जौलीग्राण्ट तक लगभग (61) इकसठ नगर वाहन बसें संचालित हैं जिसके परिणाम स्वरूप (328) विक्रमों कि रोजी रोटी पर गरा असर पड़ रहा है।
3. महोदय को इस बात से इंगित कराना है कि उपरोक्त ग्रामीण क्षेत्र के (80) परमिट जारी किये हैं ये सभी विक्रम डोईवाला नगर में ही चल रहें हैं ऐसी परिस्थिति मैं पुनः इन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों में विक्रम एवं टाटा मैजिक आदि के परमिट दिये जाना उचित नहीं है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–20 बिश्ट गांव–मंगौल–पंडितवाड़ी–गजियावाला–सप्लाई–आईएसबीटी मार्ग पर हल्की सदृष्य 4 पहिया 7/8 सीटर हल्की वाहनों का संचालन स्थाई ठेका गाड़ी के रुप में करने हेतु परमिटों के लिये प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर विचार व आदेष।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12–11–09 तथा 26–06–2010 में कुछ मार्गों को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 74 (2)(1) में दिए गए प्राविधानों के अनुसार हल्की वाहनों को ठेका गाड़ी के रूप में संचालित करने हेतु "क" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था, जिसमें बिश्टगांव–मंगोल पंडिवाड़ी–गजियावाला–सप्लाई–आईएसबीटी मार्ग भी था। इस मार्ग पर 20 परमिटों की संख्या निर्धारित की गई थी। कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या 5592/आरटीए/दस–15/2011 दिनांक 22–10–11 द्वारा इस मार्ग पर 7/8 सीट तक की हल्की वाहनों को ठेका गाड़ी के रूप में संचालित करने हेतु परमिटों के आवेदन पत्र मांगे गये थे। यह विज्ञप्ति दिनांक 23–10–11 को अमर उजाला, दैनिक जागरण तथा हिन्दुस्तान समाचार–पत्रों में प्रकाषित की गई थी। आवदेन–पत्र दिनांक 05–11–11 तक निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था। इस मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों के विवरण **परिषिश्ट–"च"** में दिए गए हैं।

इस मार्ग पर परमिट जारी करने के विरुद्ध श्री भगवती प्रसाद भट्ट, अध्यक्ष, महानगर बस सेवा रायपुर–प्रेमनगर मार्ग द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया है कि उनके मार्ग पर 34 नगर बस परमिट जारी किए गए हैं, जिसमें से 50 प्रतिषत वाहनें वाया आईएसबीटी एवं 50 प्रतिषत वाहनें वाया कॅनाट प्लेस होकर संचालित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस मार्ग पर परेडग्राउण्ड–परवल मार्ग की 18 बसें लगभग 150 विक्रम प्रेमनगर से कनॉट प्लेस तक संचालित हो रहे हैं एवं परेडग्राउण्ड से रायपुर, थानो, बड़ासी, मालदेवता, गुलरघाटी मार्ग तक की 28 बसें एवं परेडग्राउण्ड से काली मंदिर तपोवन तक 48 नगर बसें सीमाद्वार से नालापानी की संचालित हो रही हैं। परेडग्राउण्ड से रायपुर तक लगभग 50–60 विक्रम भी संचालित हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो कि प्रेमनगर–रायपुर मार्ग की 50 प्रतिषत बसें आईएसबीटी मार्ग पर संचालित होती हैं उनके साथ भी

लगभग प्रेमनगर से आईएसबीटी तक डाकपत्थर–विकासनगर–कालसी की 120 बसें व प्रेमनगर से बल्लुपुर चौक, मंडी तक लगभग 30–40 विक्रम तथ गढ़ीकैण्ट मार्ग की 14 बसें बल्लुपुर चौक से लेकर आईएसबीटी–रिस्पनापुल तक 15 किमी तक प्रेमनगर–रायपुर मार्ग की वाहनों के साथ संचालित होते हैं एवं आईएसबीटी से रिस्पना–जोगीवाला तक डोईवाला मार्ग की 31 बसें व 111 विक्रम डोईवाला केन्द्र के व लगभग 50–60 विक्रम धर्मपुर केन्द्र के आईएसबीटी रिस्पना संचालित होते हैं। इस प्रकार उपरोक्त मार्ग पर यातायात के पर्याप्त साधन उपलब्ध होने के बावजूद मार्ग पर अत्यधिक यातायात का दबाव व जाम की समस्या हमेषा बनी रहती है। फिर भी अब परिवहन विभाग द्वारा पुनः 22.10.11 को विज्ञप्ति जारी कर 11.11.2011 को आरटीए की बैठक प्रस्तावित है, जिसमें 7–8 सीट के वाहनों को विभिन्न मार्गों पर ठेका परमिट जारी करना प्रस्तावित है जो कि प्रेमनगर से लेकर रायपुर तक दोनों तरफ से कहीं न कहीं मार्ग पर 7 से 15 किमी का ओवरलेप होकर प्रतिस्पर्धा करने हुए मार्ग पर चलेंगे, जिससे यातायात प्रभावित होगा और लड़ाई–झगड़े बढेंगे, जिससे प्रेमनगर–रायपुर मार्ग के वाहन स्वामियों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं से गुजरना पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त मार्ग पर परमिट जारी करने पर अध्यक्ष, नगर बस सेवा, अनारवाला–गढ़ीकैण्ट–आईएसबीटी–परेडग्राउण्ड ने आपत्ति की है कि उपरोक्त मार्ग पर अलग से ठेका परमिट के टाटा मैजिक को संचालित कराना सीटी बस वालों के अधिकारों पर कुठाराघात होगा। क्योंकि अत्याधिक संख्या में विक्रम व सिटी बसें संचालित होने के कारण प्रतिस्पर्धा बारम्बार बनी रहती है, जिस कारण दुर्घटनायें एवं मारपीट व झगड़े होते रहते हैं, इसके साथ ही बस मालिक आर्थिक आधार पर कमजोर हो रहे हैं, जिससे बसों के रख रखाव में भी मुष्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त बाजावाला, कौलागढ़ क्षेत्र में रहने वाली जनता एवं बिष्टगांव, गगोंल पंडितवाणी बिजापरु, विजयनगर आदि स्थानों पर रहने वाली जनता की मुख्य मांग घण्टाघर की सेवा के लिए है।

अतः प्राधिकरण प्रार्थनापत्रों पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–21 देहरादून–रायपुर–मालदेवता मार्ग पर टाटा मैजिक वाहनों की संख्या बढाये जाने के सम्बन्ध में विचार व आदेष।

देहरादून–रायपुर–मालदेवता–पीपीसीएल पर वर्तमान में 14 स्थाई स्टैज कैरेज बस परमिट निर्गत हैं, परन्तु विविध कारणों से 08 परमिट धारकों ने काफी लम्बे समय से या तो वाहन प्रतिस्थापन के लिए समय ले लिया है या वाहनों के प्रपत्र कार्यालय में समर्पित कर दिए हैं। फलतः 14 परमिटों के स्थान पर मात्र 06 वाहनें मार्ग पर संचालित हैं। कम संख्या में वाहनें संचालित होने के कारण क्षेत्र की जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधाएं नहीं मिल पा रही थीं, जिसके कारण स्कूली बच्चों, नौकरी पेषा लोंगो तथा विभिन्न कार्यों हेतु षहर आने–जाने के लिए लोगों को परिवहन का साधन नहीं मिल पा रहा था। क्षेत्र की जनता ने कई बार वाहन समस्या को हल करने के लिए प्रत्यावेदन दिए थे। मा0 कृशि मंत्री एवं मा0 विधायक, राजपुर द्वारा भी समस्या का षीघ्र समाधान करने के निर्देष दिए गए थे।

अध्यक्ष, महोदय के आदेष दिनांक 22–06–11 के अनुपालन में उपरोक्त मार्ग पर यातायात सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 11 टाटा मैजिक वाहनों को अस्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी किए गए हैं तथा इन वाहनों का संचालन देहरादून से मालदेवता–पीपीसीएल मार्ग पर हो रहा है।

प्रदेष अध्यक्ष, प्रधान संगठन उत्तराखण्ड ने अपने पत्र दिनांक 19–07–11 द्वारा सूचित किया है कि देहरादून से मालदेवता–पीपीसीएल मार्ग पर टाटा मैजिक चलाये जाने से लोगों को यातायात की सुविधा मिल रही है परन्तु गाड़ियों की संख्या कम होने के कारण मालदेवता और पीपीसीएल से देहरादून की ओर आने वाली गाड़ियां मालदेवता में ही भर जाती हैं। ऐसी स्थिति में खैरी मानसिंह, रैनीवाला, अस्थल, वझेत एवं केषरवाला के लोंगो को इन गाड़ियों में स्थान न मिलने के कारण परिवहन सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है। सबसे अधिक परेषानी सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रही है। उन्होंने अनुरोध किया है कि प्राथमिकता के आधार पर केषरवाला, अस्थल, वझेत एवं रैनीवाला के लोंगो को और अधिक परमिट जारी कर समस्या का समाधान कराने की कृपा करें। उल्लेखनीय है कि 08 बसों के मार्ग से हटे रहने के कारण मांग

व आपूर्ति के अनुपात को सही करने के लिये लगभग 16 टाटा मैजिक सदृष वाहनों की आवष्यकता है। वर्तमान में मार्ग पर 11 टाटा मैजिक वाहनों को अस्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी किए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय के आदेष दिनांक 20.08.11 के अनुपालन में सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन, देहरादून एवम् परिवहन कर अधिकारी–प्रथम देहरादून को उपरोक्त मार्ग का सर्वेक्षण संयुक्त सर्वेक्षण समिति के साथ करने के पष्चात समिति की आख्या प्रेशित करने हेतु कहा गया था कि, उक्त मार्ग पर कितनी सदृष्य हल्की वाहनों की और आवष्यकता पडेगी, जिससे उक्त क्षेत्र की जनता को परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सके।

सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, (प्रवर्तन) देहरादून ने अपने पत्र सं0–5586/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/2011 दिनांक 08–11–11 द्वारा सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत की है, जो निम्नवत् है:–

1. **मार्ग पर पूर्व में 14 परमिट से आच्छादित बसें संचालित थीं, जिनके द्वारा स्थानीय जनता को परिवहन सुविधा दी जा रही थी। वर्तमान में उक्त मार्ग पर 05 परमिट से आच्छादित बसें व 11 अस्थाई परमिट से आच्छादित हल्की वाहनों का संचालन हो रहा है।**
2. **रायपुर–मालदेवता आदि क्षेत्र से काफी संख्या में प्रतिदिन लोग स्कूलों, कार्यालयों तथा विभिन्न संस्थानों के लिए आवागमन करते हैं। चैकिंग कार्य एवं सर्वेक्षण के उपरांत यह देखने में आया है कि स्थानीय जनता को परिवहन सुविधायें दिये जाने हेतु वर्तमान में संचालित सेवायें पर्याप्त नहीं है।**
3. **स्थानीय जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु मार्ग पर और अधिक परिवहन सेवायें बढ़ाये जाने की आवष्यकता महसूस की जा रही है।**

अतः उक्त क्षेत्र की जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधायें दिये जाने हेतु देहरादून–रायपुर–मालदेवता मार्ग पर उपरोक्त संचालित सेवाओं के अतिरिक्त हल्के वाहनों के 05 और परमिट जारी करने की संस्तुति की जाती है।

इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09.03.11 के संकल्प सं0 15 द्वारा आदेष पारित किए थे कि देहरादून–रायपुर–मालदेवता–पी0पी0सी0एल0, रायपुर–तुनवाला–मियांवाला–बालावाला–षमषेरगढ़ मार्ग को नगर बस सेवा में परिवर्तित किया जाता है। मार्ग पर चल रही बसों का प्रतिस्थान 06 माह के अन्दर 166 इंच व्हीलबेस तक की नई बसों से किया जाएगा। ये बसें नगर बस के लिए निर्धारित मानकों को पूर्ण करने वाली होनी चाहिए। प्राधिकरण के इन आदेषों के अनुपालन में 02 परमिट धारकों द्वारा अपनी वाहनों को नगर बस के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप नई वाहनों से प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

इस मार्ग पर परमिट जारी करने के विरुद्ध श्री भगवती प्रसाद भट्ट, अध्यक्ष, महानगर बस सेवा रायपुर–प्रेमनगर मार्ग द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया है कि उनके मार्ग पर 34 नगर बस परमिट जारी किए गए हैं, जिसमें से 50 प्रतिषत वाहनें वाया आईएसबीटी एवं 50 प्रतिषत वाहनें वाया कॅनाट प्लेस होकर संचालित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस मार्ग पर परेडग्राउण्ड–परवल मार्ग की 18 बसें लगभग 150 विक्रम प्रेमनगर से कनॉट प्लेस तक संचालित हो रहे हैं एवं परेडग्राउण्ड से रायपुर, थानो, बड़ासी, मालदेवता, गुलरघाटी मार्ग तक की 28 बसें एवं परेडग्राउण्ड से काली मंदिर तपोवन तक 48 नगर बसें सीमाद्वार से नालापानी की संचालित हो रही हैं। परेडग्राउण्ड से रायपुर तक लगभग 50–60 विक्रम भी संचालित हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो कि प्रेमनगर–रायपुर मार्ग की 50 प्रतिषत बसें आईएसबीटी मार्ग पर संचालित होती हैं उनके साथ भी लगभग प्रेमनगर से आईएसबीटी तक डाकपत्थर–विकासनगर–कालसी की 120 बसें व प्रेमनगर से बल्लुपुर चौक, मंडी तक लगभग 30–40 विक्रम तथ गढ़ीकैण्ट मार्ग की 14 बसें बल्लुपुर चौक से लेकर आईएसबीटी–रिस्पनापुल तक 15 किमी तक प्रेमनगर–रायपुर मार्ग की वाहनों के साथ संचालित होते हैं एवं आईएसबीटी से रिस्पना–जोगीवाला तक डोईवाला मार्ग की 31 बसें व 111 विक्रम डोईवाला केन्द्र के व लगभग 50–60 विक्रम धर्मपुर केन्द्र के आईएसबीटी रिस्पना संचालित होते हैं। इस प्रकार उपरोक्त मार्ग पर

यातायात के पर्याप्त साधन उपलब्ध होने के बावजूद मार्ग पर अत्यधिक यातायात का दबाव व जाम की समस्या हमेषा बनी रहती है। फिर भी अब परिवहन विभाग द्वारा पुनः 22.10.11 को विज्ञप्ति जारी कर 11.11.2011 को आरटीए की बैठक प्रस्तावित है, जिसमें 7–8 सीट के वाहनों को विभिन्न मार्गों पर ठेका परमिट जारी करना प्रस्तावित है जो कि प्रेमनगर से लेकर रायपुर तक दोनों तरफ से कहीं न कहीं मार्ग पर 7 से 15 किमी का ओवरलेप होकर प्रतिस्पर्धा करने हुए मार्ग पर चलेंगे, जिससे यातायात प्रभावित होगा और लड़ाई–झगड़े बढेंगे, जिससे प्रेमनगर–रायपुर मार्ग के वाहन स्वामियों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। इस मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त स्थाई/अस्थाई प्रार्थनापत्रों के विवरण **परिषिश्ट–"छ"** में दिए गए हैं।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–22 ऑटोरिक्षा वाहनों में किराये का मीटर लगाने के सम्बन्ध में विचार व आदेष।

टैक्सी वाहनों में किराया मीटर लगाये जाने के सम्बन्ध में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 74(8) में यह प्राविधान किया गया है कि **"मोटर टैक्सियों की दषा में यदि कोई टैक्सी मीटर वीहित किया गया है तो वह ठीक चालू हालत में लगाया जाएगा और बनाये रखा जाएगा।" मोटरयान अधिनियम धारा 2(25) में टैक्सी वाहन को इस प्रकार परिभाशित किया गया है, "मोटरटैक्सी से ऐसा कोई यान अभिप्रेत है जो भाड़े या पारिश्रमिक पर अधिक से अधिक 6 यात्रियों जिसके अन्तर्गत ड्राईवर नहीं है वहन करने के लिए निर्मित या अनुकूलित है।"**

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21.08.2000 में संकल्प सं0 08 द्वारा टैक्सी तथा ऑटोरिक्षा वाहनों में मीटर लगाये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेष पारित किए गए थेः–

"प्राधिकरण द्वारा ऑटोरिक्षा वाहनों में किराये का मीटर लगाये जाने के सम्बन्ध में अपनी बैठक दिनांक 26.04.89 में संकल्प संख्या 28 द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि पुराने जारी परमिटों पर नवीनीकरण अथवा पुनः स्वीकृति के अवसर पर मीटर लगाने का प्रतिबन्ध न लगाया जाय तथा नये परमिटों की स्वीकृति मीटर लगाने की षर्त के साथ दी जाय। ऑटोरिक्षा वाहनों का संचालन मुख्य रूप से षहर सीमा के अन्तर्गत ही किया जाता है और वाहन स्वामियों द्वारा अधिक किराया लिये जाने की षिकायतें भी यदाकदा प्राप्त होती हैं। अतः प्राधिकरण द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि भविश्य में ऑटोरिक्षा वाहनों के नये परमिट किराये का मीटर लगाये जाने पर ही जारी किया जाय और इनके परमिटों में मीटर लगाये जाने की षर्त अंकित की जाय।"

उपरोक्त के पष्चात् प्राधिकरण की बैठक दिनांक 03.03.01 में संकल्प सं0 22 के अन्तर्गत ऑटोरिक्षा वाहनों में किराया मीटर लगाने के सम्बन्ध में दून ऑटोरिक्षा यूनियन एवं उत्तराखण्ड ऑटोरिक्षा एसोसिएषन के प्रतिवेदनों पर विचारोपरान्त ऑटोरिक्षा वाहनों में किराया मीटर लगाने हेतु 06 माह का समय दिया गया था तथा पुनः प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29.09.01 में संकल्प सं0 20 द्वारा 06 माह का समय दिनांक 31. 03.02 तक दिया गया था। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.10.2002 के संकल्प सं0 39(2–अ,ब) के अन्तर्गत निर्णय लिया गया था कि ऑटोरिक्षा वाहनों में फेयर मीटर लगाने में छूट देने के सम्बन्ध में परिवहन सलाहकार समिति से आख्या मांगी जाए।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 03.11.03 के संकल्प सं0 18 द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि **"ऑटोरिक्षा वाहनों में फेयर मीटर लगाये जाने के सम्बन्ध में एस0पी0(सिटी), ए0डी0एम0 तथा सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) की समिति गठित की जाती है। इस समिति द्वारा वाहनों में फेयर मीटर लगाये जाने अथवा किराया निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध संस्तुति प्रस्तुत की जाएगी। समिति की आख्या प्राप्त होने पर प्राधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में विचार किया जाएगा। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20. 11.04 के संकल्प सं0 32(2) में यह निर्णय लिया गया था कि फेयर मीटर के सम्बन्ध में आरटीए द्वारा गठित**

समिति से आख्या प्राप्त की जाए तथा मामले को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।" परन्तु अभी तक प्राधिकरण द्वारा गठित समिति की आख्या प्राप्त नहीं हुई है।

इस सम्बन्ध में प्राधिकरण को अवगत करना है कि यदाकदा इस आषय की षिकायतें प्राप्त होती रहती हैं कि ऑटोरिक्षा वाहनों द्वारा निर्धारित से अधिक किराया वसूला जा रहा है। अतः प्राधिकरण ऑटोरिक्षा वाहनों में किराया मीटर लगाने के सम्बन्ध में विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करे।

मद सं0–23 उत्तरकाषी षहरी क्षेत्र के अन्दर स्थानीय यातायात एवम् पर्यटकों की सुविधा को दृश्टिगत रखते हुऐ आटोरिक्षा संचालन के सम्बन्ध में विचार व आदेष।

जिलाधिकारी, उत्तरकाषी ने अपने पत्र सं0 189/पीए/ऑटो परमिट/2011 दिनांक 23.06.11 द्वारा अवगत कराया है कि, जनपद उत्तरकाषी के षहरी क्षेत्र के अन्दर दिनांक 22.04.11 को महिन्द्रा जियो ऑटोरिक्षा (4–व्हीलर) संचालन के लिए परीक्षण कराया गया था। परीक्षण के उपरान्त जन सुरक्षा की दृश्टि से महिन्द्रा जियो ऑटोरिक्षा (4–व्हीलर) को षहरी क्षेत्र में संचालन हेतु उपयुक्त पाया गया। उन्होंने अपने पत्र में यह कहा है कि, सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, द्वारा ऑटो के परमिट के सम्बन्ध में मांगी गयी आख्या पर अद्योहस्ताक्षरी द्वारा 6 सदस्यीय समिति गठित की गयी। समिति द्वारा सर्वसम्मति से उत्तरकाषी के षहरी क्षेत्रों में स्थानीय यातायात एवं पर्यटकों की सुविधा एवं जनसुरक्षा को दृश्टिगत रखते हुए महिन्द्रा जियो ऑटो रिक्षा (4–व्हीलर) के संचालन हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है। परमिट के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही पूर्ण कर सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाषी के माध्यम से दिनांक 12.05.11 को सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून को महिन्द्रा जियो ऑटोरिक्षा (4–व्हीलर) हेतु 30 परमिट जारी करने की संस्तुति आख्या प्रेशित की जा चुकी है, किन्तु अभी तक अपेक्षित कार्यवाही लम्बित है।"

उत्तरकाषी नगर में ऑटोरिक्षा वाहन संचालित करने के सम्बन्ध में सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाषी को इस कार्यालय के पत्र सं0 3099/आरटीए/दस–7ए/2010 दिनांक 06–12–2010 द्वारा आख्या मांगी गयी थीः–

सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रषासन), उत्तरकाषी ने अपने पत्र सं0 72 /सा0प्रषा0/11 दिनांक 12–05–11 द्वारा सूचित किया है कि उनके निवेदन पर उत्तरकाषी नगर में ऑटो रिक्षा वाहन चलाये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, महोदया, द्वारा विभिन्न विभागों के अधिकारियों की 06 सदस्यों की समिति गठित की गयी थी। इस समिति में उप जिलाधिकारी, भटवाड़ी **अध्यक्ष** एवं पुलिस उपाधीक्षक, उत्तरकाषी सदस्य, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाषी सदस्य, जिला विकास प्रबन्धक, राश्ट्रीय कृशि और ग्रामीण विकास बैंक, उत्तरकाषी सदस्य, अधिषासी अधिकारी, नगर पालिका परिशद, उत्तरकाषी सदस्य, तथा परियोजना समन्वयक भुवनेष्वरी महिला आश्रम, उत्तरकाषी, को **सदस्य** नामित किया गया था।

समिति ने जनपद उत्तरकाषी में नगर पालिका की सीमा के अन्तर्गत महिन्द्रा जियो ऑटोरिक्षा (4 व्हीलर) के संचालन के सम्बन्ध में अपनी आख्या निम्नानुसार प्रस्तुत की है।

- उत्तरकाषी नगर क्षेत्रान्तर्गत जिन मार्गों पर महेन्द्रा जियो आटोरिक्षा संचालित किये जाने हैं उन मार्गों की स्थिति एवं विवरण इस प्रकार हैः–

मार्ग नं0–1 बस अड्डे से एन0आई0एम0 तक– 02 किमी – बस अड्डे से टैक्सी स्टैंड ज्ञानसू मोटर पुल जोषियाड़ा, श्री भुवनेष्वरी महिला आश्रम–प्लान कार्यालय, एन0आई0एम0 रोड, विकास भवन(एन0आई0एम0)।

मार्ग नं0–2 बस अड्डे से कुटेटी देवी मन्दिर– 2.5 किमी– बस अड्डा, भटवाड़ी रोड, कलक्ट्रेट, तिलोथ पुल, लम्बगांव रोड, कुटेटी देवी।

मार्ग नं0–3 बस अड्डे से नेताला– 08 किमी– बस अड्डे से भटवाड़ी रोड, तेखला, गंगोरी, नैताला।

मार्ग नं0–4 बस अड्डे से मातली– 08 किमी– बस अड्डा, ज्ञानसू टैक्सी स्टैंड, पल्ला, ज्ञानसू, बड़ेथी चुंगी, बड़ेथी, मातली।

मार्ग नं0–5 बस अड्डे से बड़ेथी वाया मनेरा– 03 किमी– बस अड्डा, जोषियाड़ा मोटर पुल, कॉण्टीनेण्टल कम्पनी, मनेरा स्टेडियम, केन्द्रीय विद्यालय, बायी पास बड़ेथी।

- वर्तमान में स्थानीय यातायात हेतु नगर क्षेत्रान्तर्गत नगरपालिका के दो वाहन यद्यपि संचालित हैं, परन्तु उपरोक्त प्रस्तावित मार्गों में से दो मार्ग बस अड्डा से नेताला व मातली राश्ट्रीय राजमार्ग में होने के कारण यातयात सुविधा उपलब्ध हो जाती है, परन्तु स्थानीय यातायात हेतु साधनों की कमी बनी रहती है।
- ऑटोरिक्षा परमिट अधिकतम 08 किमी अर्द्ध व्यास क्षेत्र के लिये जारी किये जाने है।
- उत्तरकाषी नगर घाटी में बसा होने के कारण अधिकतर भाग समतल है किन्तु ऑटो रिक्षा हेतु प्रस्तावित मार्गों में से एन0आई0एम0 व कुटेटी देवी 02 मार्ग उतार चढ़ाव के हैं। इसके अतिरिक्त अन्य प्रस्तावित मार्ग मैदान मार्गों की भांति हैं। दिनांक 22–04–2011 को किये गये परीक्षण में उक्त मार्ग में ऑटोरिक्षा सफलता पूर्वक संचालित किया जा चुका है।
- प्रस्तावित महिन्द्रा जियो ऑटो रिक्षा मार्ग ऑटो रिक्षा चलाये जाने के सम्बन्ध में सहायक सम्भागीय निरीक्षक (तकनीकी) उत्तरकाषी द्वारा तकनीकी निरीक्षण किया गया है निरीक्षण आख्या में उल्लेख किया गया है कि उक्त महिन्द्रा 4–व्हीलर (6+1) सवारी के संचालन हेतु पर्यटकों की सुविधा हेतु संचालित किया जाना जन सुरक्षा की दृश्टि से उपयुक्त है।
- ऑटो रिक्षा वाहन संचालन पर्यटकों/आम यात्रियों के सुविधा की दृश्टिगत मुख्य मार्ग से संचालन कराया जाना उचित होगा। इसके लिये यद्यपि नगर पालिका द्वारा 10 ऑटो रिक्षा पार्किंग हेतु नगरपालिका वार्ड सं0–1 सुरंग के समीप ताम्बाखाणी में पर्याप्त खाली स्थान उपलब्ध न होने के कारण प्रस्तावित आटो रिक्षा स्टेण्ड हेतु भटवाड़ी मार्ग पर जल संस्थान के सामने 05 आटो रिक्षा के लिये स्टैण्ड किये जाने और षेश सुरंग के समीप ताम्बाखाणी अथवा राम लीला मैदान के सामने जहां पर विद्युत विभाग का सब स्टेषन है के समीप खाली स्थान पर खड़े किये जा सकते हैं।
- नगर में यातायात की आवष्यकता की पूर्ति हेतु वर्तमान में अधिकतम 30 ऑटो रिक्षा की आवष्यकता प्रतीत होती है।

जिलाधिकारी, उत्तरकाषी ने आयुक्त/अध्यक्ष महोदय को सम्बोधित तथा सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून व अन्य को पृश्ठांकित अपने पत्र सं0–189/टी.ए.–आटो परमिट/2011 दिनांक 23.06.11 द्वारा

अनुरोध किया है कि, उत्तरकाशी षहरी क्षेत्र के अन्दर स्थानीय यातायात एवम् पर्यटकों की सुविधा को दृश्टिगत रखते हुऐ आटोरिक्षा संचालन हेतु 30 परमिटों की स्वीकृति प्रदान करने का कश्ट करें।

इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि, जिलाधिकारी, उत्तरकाषी द्वारा गठित समिति ने उत्तरकाषी नगर में महिन्द्रा चार पहिये वाली, सात सीटर वाहन को संचालित करने की संस्तुति की गई है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–24 **हरिद्वार केन्द्र के ऑटो रिक्षा परमिटों का मार्ग 16 किमी के स्थान पर 25 किमी करने के सम्बन्ध में श्री विजय अग्रवाल अध्यक्ष, मालिक एवं चालक कल्याण समिति, रेलवे स्टेषन पंचपुरी, हरिद्वार के पत्र दिनांक–14–12–09 तथा ऑटो रिक्षा विक्रम एसोसिएशन, ललतारौपुल, रेलवे रोड़, हरिद्वार के पत्र दिनांक 18–10–10 पर विचार व आदेष।**

अ– उपरोक्त प्रतिवेदनों में यह कहा गया है कि हरिद्वार नगर का क्षेत्रफल काफी विस्तृत हो गया है। सिडकुल व स्वामी रामदेव जी का पतंजली योगपीठ हरिद्वार षहर से लगभग 20 किमी दूरी पर स्थित हैं। ऑटो रिक्षा वाहनों को हरिद्वार से केवल 16 किमी परिधि में चलने का परमिट होने के कारण वे यात्रियों को पतंजली योगपीठ तक उपचार हेतु नहीं ले जा सकते हैं, जिससे उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन प्रतिवेदनों में यह भी कहा गया है कि ऋशिकेष केन्द्र से जारी ऑटो रिक्षा वाहनों का क्षेत्र 16 किमी अर्द्धव्यास से बढ़ाकर 25 किमी कर दिया गया है इसलिए हरिद्वार केन्द्र से जारी ऑटोरिक्षा परमिटों का मार्ग भी 25 किमी अर्द्धव्यास कर दिया जाय।

इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक–12–11–09 में संकल्प संख्या–31 द्वारा ऋषिकेष केन्द्र के ऑटोरिक्षा परमिटों का संचालन क्षेत्र 16 किमी से बढ़ाकर 25 किमी अर्द्धव्यास

(पर्वतीय मार्गों एवं पौड़ी संभाग के मार्गों को छोड़कर) किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। देहरादून केन्द्र से जारी ऑटोरिक्षा परमिटों का मार्ग इससे पूर्व में ही 25 किमी अर्द्धव्यास कर दिया गया था। वर्तमान में हरिद्वार केन्द्र के 1835 तथा ऋशिकेष केन्द्र के 631 ऑटोरिक्षा परमिट वैध है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

ब– श्री षिव कुमार षर्मा, संयोजक आटो रिक्षा विक्रम महासंध, हरिद्वार के पत्र दिनांक 27.06.11 पर विचार व आदेष।

श्री षिव कुमार षर्मा ने अपने पत्र में हरिद्वार आटो रिक्षा विक्रम महासंध की निम्नलिखित समस्याओं के सम्बन्ध में विचार व आदेष करने हेतु निवेदन किया है।

1. ऋशिकेष के आटोरिक्षा के परमिट 25 किमी0 के लिये जारी किये गये हैं, परन्तु हरिद्वार के परमिट 16 किमी0 के हैं। इनमें समानता लाने का कश्ट करें।
2. हरिद्वार में विक्रमों के परमिट 40 किमी0 अर्धव्यास क्षेत्र के लिये जारी किये गये हैं, परन्तु इन पर संचालित वाहनों को मुनि की रेती एवं डोईवाला में संचालन प्रतिबन्धित किया गया है। ऋशिकेष केन्द्र के परमिट 25 किमी0 अर्धव्यास के लिये जारी किये गये हैं, जो पूरे हरिद्वार क्षेत्र में घूम रहे हैं। हरिद्वार के परमिटों पर प्रतिबन्ध समाप्त किया जाय अथवा ऋशिकेष के परमिटों पर प्रतिबन्ध लगाकर एकरुपता लाई जाई।

उपरोक्त क्रम सं0–1 के सम्बन्ध में अवगत करना है कि, प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12.11.09 में ऋशिकेष केन्द्र से जारी आटोरिक्षा परमिटों का संचालन क्षेत्र 16 किमी0 से बढाकर 25 किमी0 किया गया है। क्रम सं0–2 पर वर्णित बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत करना है कि, हरिद्वार केन्द्र के विक्रमों को 40 किमी0 अर्धव्यास क्षेत्र के परमिट इस प्रतिबन्ध के साथ जारी किये गये हैं कि, इन वाहनों का संचालन मुनि की रेती

तथा डोईवाला क्षेत्र में प्रतिबन्धित रहेगा। ऋषिकेष केन्द्र के विक्रम टैम्पो परमिट केवल 25 किमी0 अर्धव्यास क्षेत्र के लिये जारी किये गये हैं।

हरिद्वार के आटोरिक्षा वाहनों को 16 किमी0 रेडियस के स्थान पर 25 किमी0 रेडियस किये जाने के सम्बन्ध में सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन हरिद्वार से कार्यालय के पत्र सं0. –3447/आरटीए/आटो/2010 दि0 01.06.11 द्वारा आख्या मांगी गई थी। इस पत्र की प्रतिलिपि वरिश्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेशित की गई थी कि, इस सम्बन्ध में विभाग का मंतव्य देने का कश्ट करें। प्रभारी सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन हरिद्वार ने अपने पत्र सं0–87/प्रवर्तन–हरिद्वार/आटोरिक्षा/11 दिनांक 19.07.11 द्वारा सूचित किया है कि, पुलिस उपाधीक्षक यातायात हरिद्वार ने अवगत कराया है कि, हरिद्वार के आटोरिक्षा वाहनों को 16 किमी0 रेडियस के स्थान पर 25 किमी0 किये जाने पर जनपद हरिद्वार में इसका कोई प्रभाव नहीं पडेगा। हरिद्वार केन्द्र के आटोरिक्षा वाहनों को 25 किमी0 किये जाने पर इसका प्रभाव जनपद देहरादून पर पडेगा। इस सम्बन्ध में सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), हरिद्वार ने यह कहा है कि उनका मंतव्य भी उपरोक्तानुसार है। उन्होंने यह भी कहा है कि, इस सम्बन्ध में ऋषिकेष के स्थानीय प्रषासन का मंतव्य लिया जाना उचित प्रतीत होता है। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि, 25 किमी0 रेडियस करने पर हरिद्वार रेलवे स्टेषन/बस स्टेषन से 25 किमी0 रेडियस करने पर निम्नलिखित मार्ग आयेंगे।

1. हरिद्वार ऋषिकेष मार्ग– गुरुद्वारा मुनि की रेती जनपद टिहरी गढवाल।
2. हरिद्वार–रुडकी मार्ग– रुडकी इंजीनियरिंग कालेज
3. हरिद्वार–चिडियापुर मार्ग–वन विभाग लकडी डिपो
4. हरिद्वार–रोषनाबाद मार्ग–रोषनाबाद गांव
5. हरिद्वार–लक्सर मार्ग – श्री सीमेन्ट फैक्ट्री
6. हरिद्वार–कलियर–रुडकी मार्ग–दौलतपुर

हरिद्वार केन्द्र के विक्रम टैम्पो वाहनों को लक्ष्मण झूला तक संचालन के सम्बन्ध में सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेष/हरिद्वार को ऋषिकेष से लक्ष्मण झूला मार्ग पर संचालन पर लगी रोक को हटाने के सम्बन्ध में आख्या देने हेतु कहा गया था। इसके अतिरिक्त उपजिलाधिकारी, ऋषिकेष तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी, ऋषिकेष से भी इस सम्बन्ध में अपना मंतव्य देने हेतु कहा गया था।

सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, (प्रवर्तन) हरिद्वार ने अपने पत्र सं0–68/प्रवर्तन–हरिद्वार/आटो परमिट/11 दिनांक 23.06.11 द्वारा इस सम्बन्ध में आख्या प्रेशित की है कि, "इन वाहनों को लक्ष्मण झूला की ओर जाने की स्वीकृति का सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेष मोटर यान नियमावली 1998 के नियम 2(13) तथा उत्तराखण्ड कराधान सुधार नियमावली 2003 के अनुसार जनपद टिहरी गढवाल पर्वतीय जनपद है तथा चन्द्रभागा नदी के पुल के उस ओर वाला समस्त मार्ग पर्वतीय है। इन वाहनो को संचालन की अनुमति देने से पूर्व सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा इन वाहनों पर इस प्रकार की षर्त किस आधार पर लगाई गई थी, का भी संज्ञान लेना आवष्यक है तथा तद्नुसार 40 किमी0 क्षेत्रफल के लिये वाहनों का संचालन किया जाना उचित होगा।

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम एवं नियमावली, 2003 की तृतीय अनुसूची में दिए गए प्रावधान के अनुसार **पर्वतीय मार्गों का तात्पर्य उन समस्त सड़कों से है जो पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाषी, रूद्रप्रयाग, चम्पावत, बागेष्वर, टिहरी गढ़वाल जिलों और देहरादून जिले की तहसील चकराता के भीतर पड़ते हैं और नैनीताल, उधम सिंह नगर और पौड़ी गढ़वाल जिले के वे भाग जो तराई (बेस ऑफ दी फुट हिल्स) के उत्तर में हैं और पूर्व में टनकपुर से सीधे काठगोदाम, रामनगर, कोटद्वार, होते हुए पष्चिम में लक्ष्मण झूला तक हैं और देहरादून नगर की नगर पालिका सीमा के बाहर की सभी सड़के भी हैं जो मसूरी की ओर जाती हैं।**

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 30.03.95 के संकल्प सं0 26(1) द्वारा हरिद्वार केन्द्र से संचालित विक्रम टैम्पो परमिटों का मार्ग 25 किमी अर्द्धव्यास से बढ़ाकर 40 किमी किया गया था

तथा इस आषय की षर्त लगाई गयी थी कि वाहनों का संचालन मुनिकी रेती, लक्ष्मण झूला एवं डोईवाला क्षेत्र में नहीं किया जाएगा, जिससे कि यहां पर प्रदूशण तथा स्थान संकीर्णता की समस्या न हो। इसके पष्चात् इस प्रकरण को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08.09.95 में मद सं0 05 के अन्तर्गत विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने इस बैठक में यह निर्णय लिया था कि इस संदर्भ में जिलाधिकारी, हरिद्वार और जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल से विस्तृत आख्या प्राप्त की जाए। इसके पष्चात् मामले को पुनः प्राधिकरण की बैठक दिनांक 18.06.96 में मद सं0–07 व 08 द्वारा विचार व आदेष हेतु प्रेशित किया गया था। प्राधिकरण ने बैठक में जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल, अपर जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल, जिलाधिकारी, हरिद्वार, विक्रम टैम्पो महासंघ द्वारा प्रस्तुत विभिन्न संगठनों के प्रत्यावेदनों का अवलोकन करने के पष्चात् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया था कि हरिद्वार केन्द्र के विक्रम टैम्पो वाहनों को मुनिकी रेती और डोईवाला क्षेत्र में चलने की अनुमति देना सुरक्षा की दृश्टि से जनहित में नहीं है।

क्षेत्राधिकारी, ऋशिकेष ने अपने पत्र सं0–सीऔआर–विविध/11 दिनांक 13.06.11 द्वारा सूचित किया है कि, ऋशिकेष क्षेत्र की सडकें संकुचित होने के कारण पूर्व से ही अधिक संख्या में संचालित हो रहे विक्रम वाहनों के कारण आये दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। अतः ऐसी स्थितियों में और अधिक विक्रम वाहनों को ऋशिकेष क्षेत्र में तथा ऋशिकेष से लक्ष्मण झूला की ओर इन वाहनों को संचालित करना किसी भी स्थिति में उचित नहीं होगा।

वर्तमान में हरिद्वार केन्द्र से 546 विक्रम टैम्पो परमिट तथा ऋशिकेष केन्द्र से 434 विक्रम टैम्पो परमिट जारी किये गये है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–25 राज्य सरकार द्वारा स्थापित चालक प्रषिक्षण संस्थान झाझरा में चालकों को रिफ्रेषर प्रषिक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड ने अपने पत्र सं0–2422 / प्राविधिक / सात–1(1) / 2005–11 दिनांक 26.07.11 द्वारा सूचित किया है कि, ”राज्य सरकार द्वारा देहरादून में झाझरा नामक स्थान पर एक वृहद चालक प्रषिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। उक्त संस्थान में चालकों के लिये सिमुलेटर्स / ड्राइविंग ट्रैक्स / वाहनें तथा हास्टॅल सुविधा उपलब्ध है। संस्थान के संचालन का कार्य मैसर्स मारुति सुजुकी इण्डिया लिमिटेड को दिया गया है। जिसके द्वारा गठित सोसाइटी में प्रमुख सचिव, परिवहन एवं आयुक्त, गढवाल मण्डल सदस्य नामित हैं।

राज्य में सडक दुर्धटनाओं की रोकथाम के उद्‌देष्य से यह उचित होगा कि, सभी चालकों को संस्थान के माध्यम से प्रषिक्षण प्रदान कराया जाय। इसके अतिरिक्त पूर्व से लाइसेंस धारक चालकों को समय–समय पर संस्थान के माध्यम से दो दिवसीय रिफ्रेषर प्रषिक्षण प्रदान किया जाना भी श्रेश्ठकर होगा। पत्र में उन्होंने कहा है कि, **देहरादून नगर के व्यवसायिक वाहन चालकों हेतु संस्थान के माध्यम से प्रषिक्षण प्रदान करने की अनिवार्यता पर विचार कर निर्णय लेने का कश्ट करें, इसके अतिरिक्त गढवाल मण्डल के राजकीय वाहन चालकों को भी संस्थान के माध्यम से प्रषिक्षण प्रदान कराने हेतु आवष्यक कार्यवाही करने का कश्ट करें”।**

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–26 चार धाम यात्रा में संचालित होने वाले यात्री वाहनों को ग्रीन कार्ड जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेष।

उत्तराखण्ड राज्य में स्थित चारधाम–श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री तथा यमुनोत्री धामों के लिए प्रतिवर्श माह मई से अक्टूबर / नवम्बर तक यात्रा चलती है। चारधाम यात्रा मुख्य रूप से हरिद्वार / ऋशिकेष से संचालित होती है। चारधाम यात्रा में गढ़वाल मण्डल के पर्वतीय मार्गों पर चलने वाली स्टैज कैरीज बसों के अतिरिक्त ठेका बसों को भी लगाया जाता है जो पर्वतीय मार्गों पर चलने के लिए उपयुक्त होती हैं। चारधाम यात्रा में संचालित वाहनों को यात्रा मार्ग पर चैकिंग के दौरान वाहन के समस्त प्रपत्र न दिखाने पड़ें

इसलिए इन वाहनों को एक ग्रीन कार्ड जारी किया जाता है इसमें वाहन के समस्त प्रपत्रों का विवरण अंकित होता है। ग्रीन कार्ड जारी करने से पूर्व वाहनों का तकनीकी निरीक्षण भी किया जाता है, ताकि पर्वतीय मार्गों पर वाहन सुविधाजनक यात्रा संचालित कर सके। ग्रीन कार्ड जारी करने का मुख्य उद्देष्य यह है कि यात्रा मार्गों पर चैकिंग अधिकारियों को वाहन चालक प्रपत्रों के स्थान पर ग्रीन कार्ड दिखाएगा तथा मार्गों पर वाहनों तथा चैकिंग अधिकारियों को समय की बचत के साथ–साथ सुविधाजनक भी होगा।

चारधाम यात्रा 2011 की परिवहन व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में आयुक्त, गढ़वाल मण्डल की अध्यक्षता में आयोजित परिवहन कंपनियों की बैठक दिनांक 29–04–11 में यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक वर्श की भांति इस वर्श भी चारधाम यात्रा में जाने वाले सभी वाहनों को ग्रीन कार्ड जारी किया जाएगा। चारधाम यात्रा–2011 पर जाने वाले स्थानीय वाहनों को ग्रीन कार्ड 31–08–2011 तक तथा अन्य राज्यों की वाहनों को जो अपने राज्य से यात्रियों को लाने के लिए एक वापसी यात्रा हेतु या 15 दिन के लिए ग्रीनकार्ड जारी किया जाएगा।

चूंकि चार धाम यात्रा प्रतिवर्श संचालित होती है और वाहनों को ग्रीन कार्ड जारी किये जाते हैं, परन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक कोई षासनादेष निर्गत नही किया गया है। अतः प्राधिकरण षासन को ग्रीनकार्ड जारी करने के सम्बन्ध में षासनादेष निर्गत करने के सम्बन्ध में विचारोपरान्त षासन का अनुरोध करने के सम्बन्ध में आदेष पारित करने की कृपा करें।

<u>मद सं0–27 पर्वतीय मार्गो पर चलने वाले जनभार वाहनों की भार क्षमता में वृद्धि करने के सम्बन्ध में विचार व आदेष।</u>

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक दिनांक 29, 30, 31 अगस्त 1988 के संकल्प सं0–13 द्वारा गढवाल मण्डल के पर्वतीय मार्गो पर चलने वाली वाहनों की भार क्षमता 75 कुन्तल से बढाकर 90 कुन्तल स्वीकृत की गई थी। तब से अब तक लगभग 20–22 वर्श के अंतराल में मार्गो की दषा में काफी सुधार हो गया है। परन्तु पर्वतीय क्षेत्र में संचालित भार वाहनों की भार क्षमता में कोई वृद्धि नही की गई है।

अतः प्राधिकरण पर्वतीय मार्गो पर चलने वाली जनभार वाहन की भार बहन क्षमता में वृद्धि करने के सम्बन्ध में विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–28 डोईवाला ग्रामीण क्षेत्र के लिये जारी किये गये विक्रम टैम्पो परमिटों का मार्ग विस्तार डोईवाला से आईएसबीटी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेष।

श्री इरफाक अहमद, षिवलोक कालोनी, देहरादून ने अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि, डोईवाला ग्रामीण क्षेत्र के लिये 60 विक्रम टैम्पो परमिट जारी किये गये थे। इन वाहनों का संचालन डोईवाला से लच्छीवाला, डोईवाला से नेपाली फार्म तथा डोईवाला से नटराज चौक, ऋशिकेष तक किया जाना था, परन्तु डोईवाला केन्द्र में पूर्व से ही चल रहे विक्रम टैम्पो चालकों द्वारा उनकी वाहनों को चलने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने अपने पत्र में यह भी कहा है कि, उन्होंने गाडियां प्राइवेट बैंकों से ऋण लेकर खरीदी हैं, परन्तु अब हम लोग अपनी गाडियां नहीं चला पा रहे हैं। श्री इरफाक अहमद का पत्र श्री नरेन्द्र पाल सिंह रावत, प्रदेष कार्यालय प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक 19.09.11 द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। श्री इरफाक अहमद ने अपने पत्र के साथ 14 वाहनों की सूची प्रेशित की है तथा निवेदन किया है कि, इन वाहनों का मार्ग विस्तार डोईवाला से आईएसबीटी, देहरादून तक करने की कृपा करें।

उपरोक्त सम्बन्ध में अवगत करना है कि, प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09.03.11 में डोईवाला केन्द्र से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 60 विक्रम टैम्पो परमिट निम्न षर्तो के साथ स्वीकृत किये गये थे।

1. **परमिट से आच्छादित वाहन का संचालन डोईवाला में लच्छीवाला रेलवे पुल से आगे देहरादून षहर की ओर, ऋशिकेष मार्ग पर नटराज चौक से आगे तथा हरिद्वार मार्ग पर नेपाली फार्म से आगे नहीं किया जायेगा। वाहन का संचालन डोईवाला के ग्रामीण क्षेत्रों में ही किया जाएगा।**

2. **वाहनों का रंग हरा होगा तथा इन पर 05 इंच की सफेद पट्‌टी होगी जिसमें काले रंग से डोईवाला ग्रामीण क्षेत्र अंकित होगा।**
3. **मार्ग पर संचालित वाहनों की मॉडल सीमा 10 वर्श होगी तथा 10 वर्श की आयुसीमा पूरी होने पर ऊँचे मॉडल की वाहन से प्रतिस्थापन किया जाएगा।**

डोईवाला ग्रामीण क्षेत्र के लिये जारी किये गये परमिटों पर संचालित वाहनों के संचालन में पूर्व से चालित विक्रम वाहनों के चालकों द्वारा अवरोध उत्पन्न किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुभाश चन्द्रा, हर्रावाला, देहरादून तथा अन्य के द्वारा भी षिकायत की गई है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–29 **चोयला–तुन्तोवाला–हरभजवाला से संचालित हल्के यात्री वाहन को षहर क्षेत्र (परेडग्राउण्ड) तक संचालित करने के सम्बन्ध में विचार व आदेष।**

समस्त क्षेत्रवासी ग्रा0 चोयला, तुन्तोवाला, हरभजवाला ने अपने पत्र दिनांक 17.06.11 द्वारा सूचित किया है कि जो टाटा मैजिक वाहन ग्रामीण क्षेत्र चोयला, तुन्तोवाला, हरभजवाला के लिए संचालित की हैं, उनसे क्षेत्रवासियों को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहां पर भूतपूर्व सैनिकों एवं नौकरीपेषा परिवारों की जनसंख्या अधिक है, जिन्हें आय दिन जी0पी0ओ0 भारतीय स्टेट बैंक मुख्य षाखा एवं सैनिक कल्याण कार्यालय जाने के लिए षहर आना पड़ता है एवं छात्र–छात्राओं को स्कूल एवं कॉलेज जाने के लिए भी षहर आना पड़ता है, जिन्हें दो–दो वाहन बदलने पड़ते हैं।

चन्द्रबनी, चोयला, तुन्तोवाला, हरभजवाला यह सब ग्रामीण क्षेत्र है। यहां पर इन वाहनों के अलावा षहर जाने के लिए और कोई साधन नहीं है। अगर यहां पर कोई वृद्ध बीमार हो जाता है तो उन्हें दून चिकित्सालय या अन्य किसी निजी चिकित्सायल ले जाने के लिए भी दो–दो वाहन बदलने पड़ते हैं। अगर यहां की महिलायें एवं बच्चे षहर जाते हैं तब भी उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिससे

गन्तव्य तक पहुंचने में देरी होती है। यदि इन वाहनों का संचालन उपरोक्त गांव से लेकर परेडग्राउण्ड तक किया जाये तो स्कूल, कॉलेज एवं कार्यालय जाने वाले क्षेत्रवासियों को सीधे–सीधे लाभ होगा।

सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून को मार्ग विस्तार के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कर अपनी आख्या प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया था। सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून ने मार्ग का सर्वेक्षण कर अपनी आख्या पत्र सं0 5648/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/2011 दिनांक 02–11–11 द्वारा प्रस्तुत की है जो निम्नवत् है:–

प्रष्नगत मार्ग का विस्तार आईएसबीटी से हरिद्वार बाई पास–पुलिस चौकी बाई पास होते हुए सरस्वती विहार–मातामंदिर–धर्मपुर–आराघर–सुभाश रोड से घंटाघर अथवा आईएसबीटी से षिमलाबाई पास रोड–मेहुवाला होते हुए सिंघनीवाला तक करने के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया गया है। आईएसबीटी से षिमलाबाई पास रोड होते हुए मेहुवाला–सिंघनीवाला मार्ग पर वर्तमान में विकासनगर मार्ग की बसें, विक्रम वाहनें नियमित रूप से संचालित हो रही हैं। उक्त मार्ग पर पर्याप्त परिवहन सुविधा उपलबध है। अतः उक्त मार्ग पर नये मार्ग का विस्तार करने की आवष्यकता प्रतीत नहीं होती।

आईएसबीटी से हरिद्वार बाईपास, पुलिस चौकी, सरस्वती विहार, मातामंदिर होते हुए धर्मपुर, आराघर, सुभाश रोड से घंटाघर, हरभजवाला, तुन्तोवाला, चन्द्रबनी क्षेत्र की जनता के साथ भी सरस्वतीविहार, ओम विहार, माता मंदिर मार्ग क्षेत्र की जनता को षहर (घंटाघर) तक आने के लिए पविरहन सुविधा मिलेगी। इस हेतु हरभजवाला–तुन्तोवाला–चोयला–चन्द्रबनी–आईएसबीटी हल्का यात्री वाहन मार्ग का विस्तार आईएसबीटी से हरिद्वार बाईपास–माता मंदिर–धर्मपुर–आराघर होते हुए परेडग्राउण्ड किया जाना जन हित में उचित होगा। विस्तारित मार्ग की कुल लम्बाई लगभग 7.5 किमी है एवं विस्तार के पष्चात् मार्ग की लम्बाई 18.2 किमी के लगभग हो जाएगी। अतः हरभजवाला–तुन्तोवाला–चोयला–चन्द्रबनी–आईएसबीटी हल्का यात्री वाहन मार्ग का विस्तार आईएसबीटी से हरिद्वार बाईपास–मातामंदिर–धर्मपुर– आराघर होते हुए परेडग्राउण्ड तक किये जाने की संस्तुति की जाती है।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त प्रकरण में विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–30 देहरादून–प्रेमनगर–परवल मार्ग का विस्तार सिंहनीवाला तक किये जाने के सम्बन्ध में विचार व आदेष।

श्री खेम चन्द गुप्ता, जिला कोशाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी पछवादून द्वारा परिवहन मंत्री उत्तराखण्ड को सम्बोधित अपने प्रत्यावेदन दिनांक 16.08.10 में देहरादून–प्रेमनगर–परवल नगर बस को सिंगनीवाला तक चलाने तथा प्रेमनगर–आरकेडिया–अम्बीवाला– पिताम्बरपुर–षुक्लापुर के वासियों हेतु परिवहन व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है।

सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन देहरादून ने अपने पत्र सं0–3522/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/2011 दिनांक 09.06.11 के द्वारा मार्ग सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें **प्रेमनगर से परवल तक दो ओर से मार्ग है। इसमें एक मार्ग प्रेमनगर से परवल होते हुऐ सिंगनीवाला है। इस मार्ग पर परवल–षिमला बाई पास तक वर्तमान में बसें संचालित है। दूसरा मार्ग प्रेमनगर से टी स्टेट होते हुऐ गोरखपुर चौक–बडोवाला गांव–षिमला बाई पास रोड–नयागांव होते हुऐ सिंगनीवाला तक है। उक्त मार्ग पर वर्तमान में परवल होते हुऐ षिमलाबाई पास तक बस सेवा संचालित है। ग्राम भुडडी–सिंगनीवाला–षिमला बाईपास आदि क्षेत्र के लोगों को वर्तमान में प्रेमनगर तथा देहरादून षहर में आने के लिये कोई सीधी परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है। उक्त क्षेत्र के लोगों को षहर में आने के लिये पैदल चलकर परवल–प्रेमनगर आना पडता है या आईएसबीटी के लिये बस–विक्रम पकडना पडता है, जिससे अधिक समय व व्यय लगता है। अतः जनहित में उक्त मार्ग का विस्तार सिंगनीवाला तक किया जाना उचित होगा। इससे बडोवाला–गोरखपुर–टी स्टेट क्षेत्र के लोगों के लिये सुविधा होगी। विस्तार किये जाने वाले मार्ग की कुल लम्बाई 6.5 किमी0 है।**

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–31 पुरकुल गांव–मोथरोवाला नगर बस सेवा मार्ग का विस्तार दौडवाला–खटटापानी–फान्दुवाला–दुधली–जडोन्द तक करने के सम्बन्ध में विचार व आदेष।

श्री अजय कुमार पुत्र स्व0 श्री सुरेष कुमार ग्राम दूधली नागल, बुलन्दावाला, डोईवाला, देहरादून के जिलाधिकारी को सम्बोधित पत्र में अवगत कराया है कि, ग्राम दूधली के लिये सांय 3 बजे के बाद कोई सुविधा नहीं है, जिसके कारण इस क्षेत्र के छात्र एवम छात्राओं को स्कूल कालेज जाने, रोजगार के लिये जाने वाले युवाओं को बढी असुविधा होती है। रात्रि के समय यातायात की सुविधा न होने के कारण अनेक युवाओं को विवष होकर देहरादून षहर में किराये पर रहना पड रहा है।

उन्होंने छात्र छात्राओं तथा ग्राम वासियों के जनहित में बसों अथवा टाटा मैजिक द्वारा यातायात की सुविधा उपलब्ध करने की प्रार्थना की है। उक्त सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र स0–2048/स0प0प्रा0/दस–152/10 दिनांक 25.09.10 के द्वारा मार्ग सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया था। सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन देहरादून ने अपने पत्र सं0–3522/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/2011 दिनांक 09.06.11 द्वारा यह आख्या प्रस्तुत की है कि, **मोथरोवाला–दूधली मार्ग दूधली से आगे जडोन्द तक पक्का है। मार्ग की लम्बाई मोथरोवाला से 11.7 किमी0. के लगभग है। उक्त मार्ग पर मोथरोवाला, दौडवाला, खटटापानी, फान्दूवाला, दुधली एवमं जडोन्द गांव पडते हैं। उक्त मार्ग का विस्तार पुरकुल गांव–मोथरोवाला नगर बस सेवा के परमिटों में पृश्ठांकन कर जडोन्द तक किया जाता है तो, इससे दौडवाला–खटटापानी–फान्दुवाला–दूधली व जडोन्द आदि क्षेत्र की जनता को परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।**

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–32(प) प्रेमनगर मार्ग की सिटी बसों का विस्तार झाझरा (चालक प्रषिक्षण संस्थान) तक करने के सम्बन्ध में विचार व आदेष।

अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड ने अपने पत्र सं0 2285/चालक/प्रषिक्षण/2011 दिनांक 12–07–11 द्वारा प्रमुख सचिव परिवहन की अध्यक्षता में दिनांक 13.04.11 को चालक प्रषिक्षण संस्थान, झाझरा के संचालन के संबंध में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर कार्यवृत्त के बिन्दु सं0–05 में झाझरा तक परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रेमनगर तक जाने वाली नगर बसों का मार्ग चालक प्रषिक्षण संस्थान तक बढ़ाने पर विचार हेतु प्रमुख सचिव महोदय द्वारा दिए गए निर्देषानुसार आवष्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देषित किया गया है।

इस सम्बन्ध में सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) देहरादून को इस कार्यालय के पत्र सं0 4872/आरटीए/दस–152/11 दिनांक 24.09.11 द्वारा मार्ग का सर्वेक्षण कर अपनी आख्या प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया कि प्रेमनगर से झाझरा तक बस सेवा उपलब्ध कराने हेतु किस मार्ग का विस्तार झाझरा तक करना उपयुक्त होगा।

सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून ने अपने पत्र सं0 5646/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/11 दिनांक 02.11.11 द्वारा सर्वेक्षण आख्या निम्नवत् प्रस्तुत की हैः–

- **प्रेमनगर से चालक प्रषिक्षण संस्थान झाझरा की दूरी कारमैन स्कूल, ठाकुरपुर होते हुए लगभग 5.0 किमी है। चालक प्रषिक्षण संस्थान झाझरा तक जाने के लिए वर्तमान मं ठाकुरपुर तक परेडग्राउण्ड–प्रेमनगर–परवल मार्ग की बसें संचालित हैं। किन्तुत उक्त मार्ग पर बस सेवायें काफी अंतराल में संचालित हैं। ठाकुरपुर से चालक प्रषिक्षण संस्थान लगभग 1.0 किमी की दूरी पर है।**
- **इसके अतिरिक्त प्रेमनगर से डाकपत्थर–विकासनगर मार्ग के किमी 7.0 पर बालाजी धाम स्थित है, जहां से बांयी ओर चालक प्रषिक्षण संस्थान के लिए मार्ग निर्मित है। मुख्य मार्ग से संस्थान की दूरी लगभग 2.0 किमी है। इस प्रकार प्रेमनगर से डाकपत्थर मार्ग होते हुए बालाजी धाम**

की दूरी लगभग 9.0 किमी है। उक्त मार्ग पर बालाजी धाम तक देहरादून–डाकपत्थर मार्ग की बसें तथा छोटी स्टेज कैरीज वाहनें संचालित हैं।

- **उक्त क्षेत्र में चालक प्रषिक्षण संस्थान, जिला कारागार, आडवाणी इंस्टीट्यूट आदि संस्थान हैं। क्षेत्र में कोई सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है। अतः क्षेत्रीय जनता को परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु उचित होगा कि प्रेमनगर–सहसपुर मार्ग की छोटे स्टेज कैरीज वाहनों हेतु निर्मित मार्ग का विस्तार बालाजी धाम से चालक प्रषिक्षण संस्थान तक कर दिया जाय। विस्तार किये जाने वाले मार्ग की दूरी 2.0 किमी है।**

प्रेमनगर तक प्रेमनगर–रायपुर (24 किमी), प्रेमनगर–परवल (21.5 किमी) तथा प्रेमनगर–गुलरघाटी (24 किमी) मार्ग की नगर बस संचालित होती हैं। अतः प्राधिकरण उपरोक्त मार्गों सहित सर्वेक्षण आख्या में दिए गए तथ्यों के दृश्टिगत मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

(च) **जनपद देहरादून में ग्राम डोबरी–पंचायत–सोरना नवनिर्मित मार्ग को मुख्य मोटर मार्ग तक जोडने के सम्बन्ध में विचार व आदेष।**

अधिषासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून ने अपने पत्र सं0–कैम्प–टी0एस0/1सी दिनांक 01.02.11 द्वारा नवनिर्मित मोटर मार्ग डोबरी–पंचायत–सोरना को मुख्य मोटर मार्ग पर जोड़ने हेतु अवगत कराया है।

उक्त संदर्भ में सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून ने अपने पत्र सं0–3522/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/2011 दिनांक 09.06.11 द्वारा यह आख्या प्रेशित की है कि, **यह मार्ग सहसपुर से छरबा, चॉदपुर होते हुऐ डोबरी होते हुऐ रुद्रपुर–सोरना मुख्य मार्ग पर मिलता है। डोबरी से मुख्य मार्ग तक नवनिर्मित मार्ग भाग की कुल लम्बाई लगभग 1.5 किमी0 है। उक्त मार्ग पर सहसपुर से चॉदपुर तक कोटडा मार्ग की जीप प्रकार की छोटी स्टैज कैरेज वाहनें संचालित हैं। चॉदपुर से डोबरी होते हुए मुख्य**

मार्ग सोरना तक मार्ग की कुल लम्बाई लगभग 3 किमी0 है। अतः क्षेत्रीय जनता को परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु सहसपुर–कोटडा मार्ग का विस्तार सोरना–रुद्रपुर मुख्य मार्ग तक कर उक्त मार्ग का पृश्ठांकन परमिटों में किया जाना उचित होगा।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–33(ए) परेड ग्राउन्ड से नेहरु कालोनी–नेहरुग्राम–मियांवाला चौक मार्ग के बीच चलने वाली वाहनों का मार्ग विस्तार मियांवाला चौक से नकरौंदा–सैन्य कालोनी–हर्रावाला तथा लोअर नेहरुग्राम, लोअर तुनवाला होते हुऐ मियांवाला तक करने के सम्बन्ध में विचार व आदेष।

प्राधिकरण ने 7–8 सीटर हल्की वाहनों के सचांलन हेतु एक मार्ग मियांवाला चौक–गुजरोवाली चौक–तुनवाला–रांझावाला–किददूवाला–नत्थनपुर–नेहरुग्राम– राजीव नगर–बलबीर रोड–ई0सी रोड होते हुऐ सर्वेचौक–परेड ग्राउन्ड निर्धारित किया गया है। वर्तमान में इस मार्ग पर 23 टाटा मैजिक वाहनों को स्थाई ठेका गाडी परमिट जारी किये गये हैं। क्षेत्र की जनता द्वारा इन वाहनों को वाया लोअर नेहरुग्राम, लोअर तुनवाला होकर चलाने तथा मियांवाला चौक से नकरौंदा–हर्रावाला तक चलाने के सम्बन्ध में प्रतिवेदन दिये गये थे। इस सम्बन्ध में सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन को मार्ग का सर्वेक्षण कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था। उन्होनें मार्ग का सर्वेक्षण करने के पष्चात अपने पत्र सं0–4660/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/2011 दिनांक 02.09.11 द्वारा आख्या प्रेशित की है, जो निम्न प्रकार है–

- नकरौंदा मार्ग का पृश्ठांकन प्रेमनगर – गुलरधाटी मार्ग की नगर बसों के परमिटों में किया गया है। स्थानीय जनता के अनुसार मार्ग पर बसो का काफी समयान्तराल में संचालन होता है, जो कि स्थानीय जनता हेतु पर्याप्त नही है।
- बालावाला से नकरौदा–सैन्यकालोनी–हर्रावाला की दूरी लगभग 2 किमी0 है तथा मियांवाला से नकरौदा होते हुऐ हर्रावाला मुख्य मार्ग तक की दूरी 4.6 किमी0 है।
- नकरौदा, सैन्य कालोनी क्षेत्र की जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु उचित होगा कि हल्के वाहनों हेतु निर्मित परेड ग्राउन्ड–ईसी रोड–नेहरु कालोनी–नेहरु ग्राम–तुनवाला–मियांवाला मार्ग का विस्तार नकरौदा होते हुऐ हर्रावाला तक कर दिया जाय।
- विस्तार किये जाने वाले मार्ग की कुल दूरी लगभग 5.2 किमी0 है। विस्तार के पष्चात मार्ग की कुल लम्बाई 20.7 किमी0 होगी।
- नेहरुग्राम–षहीद अमरदीप सिह चौक से तुनवाला लोअर होते हुऐ मियांवाला तक इस मार्ग की कुल दुरी 4.6 किमी0 है। मार्ग पक्का है तथा जीप प्रकार की छोटी वाहनों के संचालन हेतु स्वीकृत है।
- उक्त मार्ग क्षेत्र में लगभग 10,000 आबादी निवास करती है।
- लोअर नेहरुग्राम–एसजीआरआर–लोअर नेहरुग्राम होते हुऐ तुनवाला तक यातायात का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।
- उक्त क्षेत्र की जनता को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु उचित होगा कि, परेड ग्राउन्ड–नेहरु कालोनी–नेहरुग्राम–मियांवाला हल्के वाहन का विस्तार कर मार्ग पर संचालित कुछ वाहनों का संचालन लोअर नेहरुग्राम–लोअर तुनवाला होते हुऐ मियांवाला तक किया जाय।

उन्होंने यह भी संस्तुति की है कि, हर्रावाला–नकरौदा तथा लोअर नेहरुग्राम–लोअर तुनवाला क्षेत्र की जनता को परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु उपरोक्तानुसार मार्ग का विस्तार कर हल्की वाहनों के 05 अतिरिक्त परमिट जारी किये जायें।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करना चाहें।

(प)– **परेड ग्राउन्ड से नेहरु कालोनी–नेहरुग्राम–मियांवाला चौक मार्ग का विस्तार बालावाला होते हुए नकरौंदा हर्रावाला तक एवं किद्दुवाला से रायपुर होते हुए तुनवाला–षमषेरगढ़–बालावाला तक करने के सम्बन्ध में विचार व आदेष।**

सहा0 सम्भागीय पविहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून ने अपने पत्र सं0 9068/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/2011 दिनांक 12–09–11 द्वारा सूचित किया है कि परेडग्राउण्ड–नेहरुग्राम–तुनवाला–मियांवाला मार्ग का विस्तार बालावाला होते हुए नकरौंदा–हर्रावाला तक करने के सम्बन्ध में संस्तुति की गयी है। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि षमषेरगढ़ क्षेत्र की जनता को षहर से रायपुर–तुनवाला होते हुए रायपुर–मालदेवता मार्ग की बसों द्वारा परिवहन सुविधा प्रदान की जा रही है। क्षेत्र की जनता को रायपुर से षमषेरगढ़ तक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु परेडग्राउण्ड–नेहरुग्राम–मियांवाला मार्ग का विस्तार किद्दूवाला से रायपुर होते हुए तुनवाला–षमषेरगढ़ होते हुए बालावाला–मियांवाला तक कर दिया जाए तथा उक्त मार्ग की कुछ वाहनों का संचालन परेडग्राउण्ड से नेहरुग्राम–किद्दुवाला–रायपुर–तुनवाला –षमषेरगढ़ होते हुए मियांवाला तक तथा इसी प्रकार वापसी में किया जाए।

सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून द्वारा उक्त मार्ग पर अतिरिक्त परमिट जारी करने की आवष्यक बताई है एवं उक्त मार्ग पर छोटी वाहनों के स्टेज कैरिज के 05 अतिरिक्त परमिट जारी करने की संस्तुति की है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

(पप)– **परेड ग्राउन्ड से नेहरु कालोनी–नेहरुग्राम–मियांवाला चौक मार्ग का विस्तार षहीद अमरदीप मार्ग–राजा की कोठी–षिवमंदिर लोवर नेहरुग्राम होते हुए एस0जी0आर0आर0 पब्लिक स्कूल लोवर तुनवाला तक करने के सम्बन्ध में विचार व आदेष।**

सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून ने अपने पत्र सं0 9067/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/2011 दिनांक 12–09–11 द्वारा सूचित किया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नेहरुग्राम से राजा की कोठी होते हुए षिवमंदिर तक मार्ग की दूरी लगभग 2 किमी है। उक्त मार्ग षंकरा एवं उबड़–खाबड़ है जो कि बसों के संचालन हेतु उपयुक्त नहीं होगा।

प्रष्नगत मार्ग पर जनता को परिवहन सुविधा दिए जाने हेतु जीप प्रकार की छोटी वाहनों का संचालन उपयुक्त होगा। षहीद अमर दीप मार्ग राजा की कोठी षिवमंदिर लोवर नेहरुग्राम होते हुए एस0जी0आर0आर0 पब्लिक स्कूल–लोवर तुनवाला की जनता को परिवहन सुविधा दिए जाने हेतु परेडग्राउण्ड–नेहरुकालोनी–नेहरुग्राम–मियांवाला हल्के वाहन के मार्ग का विस्तार करने की संस्तुति की गयी।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करे।

मद सं0–34 सहसपुर–लक्ष्मीपुर–बुलाकीवाला–अम्बाडी–विकासनगर मार्ग पर हल्की छोटी जीप प्रकार की वाहनों के लिए स्टेज कैरीज मार्ग निर्मित करने के सम्बन्ध में विचार व आदेष।

अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत देहरादून द्वारा अपने पत्र सं0–82/1/जी0पा0/देहरादून दि0 27.08.11 के साथ आयोजित जिला पंचायत बोर्ड की बैठक दिनांक 05.03.11 की कार्यवाही संलग्न की गई है। अपर मुख्य अधिकारी ने बोर्ड की बैठक में जिला पंचायत सदस्यों द्वारा उठायी गयी अपने क्षेत्र की समस्याओं से इस कार्यालय को अवगत कराया गया है। मा0 सदस्य श्री सुरज सिंह जी ने कहा है कि, देहरादून–कालसी रुट पर तो बसें चल रही हैं, किन्तु अम्बाडी–बुलाकीवाला–देहरादून बाईपास रोड पर बसें न चलने के कारण लोगों को भारी कठिनाईयों का सामना करना पडता है। उक्त मार्ग पर भी बस सेवा प्रारम्भ की जाय"।

उक्त सम्बन्ध में सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन देहरादून ने अपने पत्र सं0–3521/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/2011 दि0 09.06.11 द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट द्वारा निम्न आख्या प्रस्तुत की है–

उक्त मार्ग का दिनांक 01.06.11 को सर्वेक्षण किया गया। उक्त मार्ग पर सहसपुर से लक्ष्मीपुर होते हुऐ बरोटीवाला तक डाकपत्थर–विकासनगर मार्ग की बसें संचालित हैं। बरोटीवाला तक मार्ग की लम्बाई 6 किमी0 है। उससे आगे बुलाकीवाला से अम्बाडी तक कोई परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस मार्ग पर जीतगढ–बुलाकीवाला–मेहुवाला खालसा–अम्बाडी आदि गांव पडते हैं। बरोटीवाला से अम्बाडी होते हुऐ विकासनगर की दूरी लगभग 11 किमी0 है। सहसपुर से लक्ष्मीपुर होते हुऐ बुलाकीवाला–अम्बाडी से विकासनगर तक मार्ग की कुल दुरी 17 किमी0 है। मार्ग पर परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु उचित होगा कि, मार्ग पर छोटी जीप प्रकार की वाहनों के संचालन हेतु परमिट जारी किये जायें। इस हेतु 08 परमिट जारी करने की संस्तुति की जाती है"।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मार्ग को हल्की वाहनों के संचालन हेतु स्टैज कैरेज मार्ग के रुप में थ्वतउनसंजपवद करने के सम्बन्ध में विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–35 राजपुर रोड पर यूपीएफसी कार्यालय से पुलिस कालोनी तक नवनिर्मित मार्ग पर बस सेवा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त मार्ग पर बस सेवा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र सं0–2029/आरटीए/दस–152/2010 दिनांक 17.02.11 के द्वारा सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन देहरादून से आख्या मांगी गई थी। उन्होंने मार्ग का सर्वेक्षण कर अपने पत्र सं0–3032/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/2011 दिनांक 03.05.11 के द्वारा अपनी आख्या निम्न प्रकार प्रेशित की है–

1. **यह मार्ग ग्रेट वैल्यू होटल(यूपीएफसी) से होते हुऐ कैनाल रोड–किषनपुर–पुलिस कालोनी होते हुऐ मसूरी–सहस्त्रधारा बाईपास पर मिलता है, मार्ग की सहस्त्रधारा बाईपास तक कुल लम्बाई 5.3 किमी0 है।**
2. **मार्ग का 3.5 किमी0 पक्का है, तथा उससे आगे 1.8 किमी0 मार्ग भाग कच्चा है।**
3. **मार्ग पर 3.5 किमी0 एक मार्ग सहस्त्रधारा रोड के लिये निकलता है, जहॉ तक कि मार्ग पक्का है तथा बसों के संचालन हेतु उपयुक्त है।**
4. **उक्त मार्ग का राजपुर–क्लेमेन्टाउन नगर बस मार्ग में पृश्ठांकन किया जाना उचित होगा।**
5. **मार्ग का कच्चा मानचित्र संलग्न है।**

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–36 टिहरी तथा उत्तरकाषी जनपदों में नवनिर्मित मोटर मार्गों तथा हल्के वाहन मार्गों को यातायात के लिए खोलने के सम्बन्ध में विचार व आदेष।

जनपद टिहरी के नवनिर्मित मार्गः–

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रषासन), नई टिहरी ने अपने पत्र सं0 538/रोड सर्वे/2010 दिनांक 02—02—11 द्वारा सूचित किया है कि क्रम सं0 01 एवं 02 मोटर मार्ग का सर्वेक्षण दिनांक 11—01—11 को सहा0 अभियन्ता श्री निर्भय सिंह तथा क्रम सं0 03 एवं 04 मार्ग का सर्वेक्षण दिनांक 13—01—11 को सहा0 अभियन्ता श्री प्रवीण कुमार, सिंचाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी के साथ किया गया। निम्नलिखित मार्ग हल्की एवं भारी वाहनों के संचालित करने हेतु उचित पाये गये हैंः—

1—जगैठी—राजराजेष्वरी मोटर मार्ग —01 किमी।
2—गजा नकोट मोटर मार्ग से फेबुल मोटर मार्ग —1.10 किमी।
3—मदननेगी—खौला मोटर मार्ग —07 किमी।
4—पीटी रोड से नेल्डा मोटर मार्ग —03 किमी।

सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, नई टिहरी ने अपने पत्र सं0 517/रोड सर्वे/2011 द्वारा सूचित किया है कि निम्नलिखित मार्ग का सर्वेक्षण उनके द्वारा लोक निर्माण विभाग चम्बा के श्री राजेष कुमार कनिश्ठ अभिन्ता के साथ दिनांक 16—02—11 को किया गया है। यह मार्ग आरम्भ से 2.5 किमी तक हल्के वाहन के संचालन हेतु उपयुक्त पाया गया। अतः निम्नलिखित मार्ग को हल्के मोटर मार्ग के रूप में संचालन की संस्तुति की जाती है—

5—कांधला बैण्ड—महेड़ा—कटखेत हल्का मोटर मार्ग।— 2.5 किमी।

सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने अपने पत्र सं0 531/रोड सर्वे/2011 दिनांक 17—03—11 द्वारा सूचित किया है कि उनके द्वारा निम्नलिखित मार्ग का सर्वेक्षण लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्र नगर के श्री महक सिंह, कनिश्ठ अभियन्ता के साथ दिनांक 05—03—11 को किया गया है। यह मार्ग आरम्भ से 700 मीटर तक हल्के तथा भारी दोंनो प्रकार के वाहनों हेतु तथा 700 मीटर से 01 किमी तक केवल हल्के वाहन के संचालन हेतु उपयुक्त पाया गया है। अतः निम्नलिखित मार्ग पर यातायात संचालन की संस्तुति की जाती है।

6–खाड़ी–गजा–आमपाटा मोटर मार्ग –1.0 किमी।

सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, नई टिहरी ने अपने पत्र सं0 532/रोड सर्वे/2011 दिनांक 07–03–11 द्वारा सूचित किया है कि निम्नलिखित मार्गों का संयुक्त सर्वेक्षण उनके द्वारा लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्र नगर के श्री एस0एस0 पटवाल, सहा0 अभियन्ता के साथ दिनांक 05–03–11 का किया गया था। यह मार्ग हल्के तथा भारी वाहन के संचालन उपयुक्त पाये गये। अतः उक्त मार्गों यातायात संचालन की संस्तुति की जाती है।

7–दिऊली–कुंजापुरी मोटर मार्ग –2.80 किमी।
8–दुआधार–बनाली–पिल्डी–चमोल गांव मोटर मार्ग –1.90 किमी।
9–कांडा खेत–पीटीसी मोटर मार्ग–3.25 किमी।
10–दुआधार–बनाली–कोटी–पिल्डी मोटर मार्ग –2.2 किमी।
11–फकोट–समेटी–काटल मोटर मार्ग –2.0 किमी।

सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, नई टिहरी ने अपने पत्र सं0 21/रोड सर्वे/2011 दिनांक 08–04–11 द्वारा सूचित किया है कि निम्नलिखित मार्ग का सर्वेक्षण लोक निर्माण विभाग, घनसाली के श्री आर0एस0 पंवार, सहा0 अभियन्ता व श्री एस0एस0 सैनी कनिश्ठ अभियन्ता के साथ दिनांक 07–04–11 को किया गया। उक्त मार्ग 01 किमी से 12 किमी तक हल्के तथा भारी दोंनो प्रकार के वाहनों के संचालन हेतु उपयुक्त पाया गया। अतः उक्त मार्ग पर यातायात संचालन की संस्तुति की जाती है। इस मार्ग स्वीकृत होने स्नास, चेबाड़ा, दनघर, बहेड़ी, रयूटी, रवाना, कोटियाड़ा, चकचौड़, कौंती, बनगांव, नोली, करेत आदि गांव यातायात से लाभान्वित होंगे।

12–सैंदुल–कोटी मोटर मार्ग –12 किमी।

सहा0 सम्भागीय पविहन अधिकारी, नई टिहरी ने अपने पत्र सं0 85/रोड सर्वे/2011 दिनांक 20–05–11 द्वारा सूचित किया है कि निम्नलिखित मार्ग का सर्वेक्षण उनके द्वारा सहा0 अभियन्ता श्री सत्य प्रकाष, लोक निर्माण विभाग घनसाली के साथ दिनांक 16–05–11 को संयुक्त रूप से किया गया यह मार्ग सभी प्रकार के वाहनों के यातायात हेतु उपयुक्त पाया गया। अतः इस मोटर मार्ग पर वाहन संचालन हेतु संस्तुति की जाती है।

13–नई टिहरी मार्ग से हनुमान मंदिर, घनसाली–चमियाला बाईपास मार्ग –600 मी0।

सहा0 सम्भागीय पविहन अधिकारी, नई टिहरी ने अपने पत्र सं0 140/रोड सर्वे/2011 दिनांक 08–06–11 द्वारा सूचित किया है कि निम्नलिखित मार्ग का सर्वेक्षण उनके द्वारा श्री अरविन्द कुमार सहा0 अभियन्ता लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के साथ संयुक्त रूप से किया गया। उक्त मार्ग सभी प्रकार के वाहनों के यातायात संचालन हेतु उपयुक्त पाया गया। अतः वाहन संचालन हेतु संस्तुति की जाती है।

14–ललत–सीवालीधार मोटर मार्ग –5.60 किमी।

सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, नई टिहरी ने अपने पत्र सं0 177/रोड सर्वे/2011 दिनांक 30–06–11 द्वारा सूचित किया है कि क्रम सं0 15 पर उल्लिखित हिण्डोलाखाल–उनाना मोटर मार्ग 5.5 किमी का श्री अमित कुमार, कनिश्ठ अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई, नई टिहरी के साथ तथा क्रम सं0 16 तथा 17 पर उल्लिखित मार्गों का श्री हिमांषु नौटियाल, कनिश्ठ अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, बोराड़ी के साथ दिनांक 27–06–11 को वाहन सं0 यूए07एच–5300 के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया उक्त तीनों मार्ग सभी प्रकार के वाहनों के यातायात संचालन हेतु उपयुक्त पाये गये। अतः इन मोटर मार्गों पर वाहन संचालन हेतु संस्तुति की जाती है।

15–हिण्डोलाखाल–उनाना मोटर मार्ग 5.5 किमी।

16–अंजनी सेंड–कुनाणु–कपरियाड़ी सैंड़ मोटर मार्ग –9.00 किमी से 16.3 किमी।
17–नवाकोट–जोगीयाणा–टिपरी–राधुधार मोटर मार्ग –2.6 किमी।

सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, नई टिहरी ने अपने पत्र सं0 62/रोड सर्वे/2011 दिनांक 05–05–11 द्वारा सूचित किया है कि क्रम सं0 18 पर उल्लिखित बिच्छु–लिंक मार्ग (1.9 किमी) का निरीक्षण दिनांक 04–05–11 को पीएमजीएसवाई के सहा0 अभियन्ता श्री देषराज सिंह के साथ किया गया जो कि कच्चा मार्ग है। क्रम सं0 19 पर उल्लिखित मार्ग परोगी–कांडी मोटर मार्ग (10 किमी) का सर्वेक्षण दिनांक 04–05–11 को लोक निर्माण विभाग थत्यूड़ के सहा0 अभियन्ता श्री पी0डी0एस0 लिंगवाल के साथ किया गया। यह मार्ग कच्चा है तथा प्रारम्भ बिन्दु से 05.00 किमी तक ही यातायात हेतु उपयुक्त है।

18–बिच्छु–लिंक मार्ग –1.9 किमी।
19–परोगी–कांडी मार्ग –5.5 किमी।

अतः उपरोक्त बिच्छु–लिंक मोटर मार्ग (1.9 किमी) एवं परोगी–कांडी मोटर मार्ग (प्रारम्भ से 05.00 किमी) सभी प्रकार के वाहनों के लिए यातायात संचालन हेतु उपयुक्त पाये गये। अतः उक्त मार्गों पर यातायात संचालन हेतु संस्तुति की जाती है।

सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रषासन), नई टिहरी द्वारा अपने पत्र सं0 490/रोड सर्वे/2011 दिनांक 08.09.11 द्वारा सूचित किया है कि रामपुर–ष्यामपुर–बमाणा मोटर मार्ग 15.5 किमी का संयुक्त सर्वेक्षण सहा0 अभियन्ता श्री एस0एस0 रावत तथा तोली–गुजेठा मोटर मार्ग 8.7 किमी का संयुक्त सर्वेक्षण सहा0 अभियन्ता श्री अरविन्द कुमार, लोक निर्माण विभाग, कीर्तिनगर के साथ दिनांक 03.09.11 को किया गया है।

निम्नलिखित दोनों मार्ग की वर्तमान स्थिति के आधार पर केवल हल्के मोटर वाहनों के संचालन हेतु संस्तुति की जाती है।

20– रामपुर–ष्यामपुर बमाणा मोटर मार्ग (15.5 किमी)
21– तोली–गुजेठा मोटर मार्ग (8.7 किमी)

सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रषासन), नई टिहरी द्वारा अपने पत्र सं0 619/रोड सर्वे/2011 दिनांक 19.10.11 द्वारा सूचित किया है कि मुल्यांगांव से पलेठी मोटर मार्ग 7.7 किमी का संयुक्त सर्वेक्षण श्री पियूश गर्ग सहा0 अभियन्ता पीएमजीएसवाई लोक निर्माण विभाग नरेन्द्रनगर के साथ वाहन सं0 यूए07एच–5300 से दिनांक 17.10.11 को किया गया। यह मार्ग कच्चा है तथा सभी प्रकार के वाहनों के संचालन हेतु उपयुक्त पाया गया। निम्नलिखित मार्ग को मोटर वाहन के रूप स्वीकृत करने की संस्तुति की गयी है।

22–मुल्यांगांव से पलेठी मोटर मार्ग 7.7 किमी।

सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रषासन), नई टिहरी द्वारा अपने पत्र सं0 718/रोड सर्वे/2011 दिनांक 03.11.11 द्वारा सूचित किया है कि अलमस–भवान–नगुण मोटर मार्ग 15 से 46.85 (32.85) किमी का संयुक्त सर्वेक्षण श्री प्रकाष चंद पंत सहा0 अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, थत्यूड़ के साथ वाहन सं0 यूए07एच–5300 से दिनांक 02.11.11 को किया गया। इस मार्ग को मोटर मार्ग के रूप में स्वीकृत करने की संस्तुति की गयी है।

23–**अलमस–भवान–नगुण मोटर मार्ग–15 से 46.85 किी (32.85) किमी**

<u>जनपद उत्तरकाषी के नवनिर्मित मार्गः–</u>

1–नेहरू पर्वता रोहण संस्थान मार्ग– 2.65 किमी।

सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रषासन), उत्तरकाषी ने अपने पत्र सं0 1247/प्रषासन–यातायात परमिट/11 दिनांक 08–03–11 द्वारा सूचित किया है कि नेहरू पर्वता रोहण संस्थान मार्ग का संयुक्त सर्वेक्षण श्री चन्द्र सिंह धर्मषक्तु, उपजिलाधिकारी, भटवाड़ी एवं श्री डी0सी0 नोटियाल, सहा0 अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी के साथ किया गया। यह मार्ग निर्धारित मानको के अन्तर्गत निर्मित है तथा 3.75 मी0 चौड़ाई में डामरीकृत है। मार्ग का निर्माण वर्श 1970–75 में किया गया है। उक्त मार्ग का इंडैक्स प्लान संलग्न किया जा रहा है। अतः उक्त मार्ग यातायात हेतु उपलब्ध कराने की संस्तुति की जाती है।

मद सं0–37 **अत्यधिक तीव्र गति, क्षमता से अधिक यात्री, नषे की हालत में वाहन संचालन एवं दुर्व्यवहार करने एवं यातायात नियमों का पालन न करने की स्थिति में षिकायत एस0एम0एस0 द्वारा करने की षर्त परमिट की षर्तों में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में।**

परिवहन आयुक्त महोदय, उत्तराखण्ड ने अपने पत्र सं0 3590/प्रवर्तन/निर्देष/2011 दिनांक 21 अक्टूबर, 2011 द्वारा सूचित किया है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था ने अपने पत्र संख्या डी0जी0 यातायात प्रकोश्ठ–4/2010 दिनांक 21.09.11 द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य में बढ़ती दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए यदि बसों व टैक्सियों के अन्दर वाहन का रजिस्ट्रेषन नम्बर व निम्नलिखित उक्ति अंकित करा दी जाती है तो अत्यधिक तीव्रगति, गाड़ी में निर्धारित संख्या से अधिक यात्री बैठाने, वाहन चालन के नषे या नींद में होने की स्थिति में पुलिस कन्ट्रोल रूम को सूचना प्राप्त होने की स्थिति में त्वरित कार्यवाही होने पर अवष्य ही मार्ग दुर्घटनाओं पर नियंत्रण प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होगी।

"अत्यधिक तीव्र गति, क्षमता से अधिक यात्री, वाहन चालक के नषे या नींद में होने अथवा दुर्व्यहार करने व यातायात नियमों का पालन न करने की स्थिति में अपनी षिकायत फोन नम्बर 100, 1090 पर अथवा टेलीफोन नं0 9411112780 पर एस0एम0एस0 करें।"

परिवहन आयुक्त महोदय ने निर्देष दिए हैं कि समस्त प्रकार की यात्री वाहनों बसों/मैक्सी/टैक्सी/ऑटोरिक्षा वाहनों पर उक्त उक्ति अनिवार्य रूप से अंकित कराये जाने के लिए त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करायें।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त उक्ति को सभी प्रकार की यात्रीवाहनों में अंकित कराने के सम्बन्ध में वाहनों के परमिटों की षर्तों में जोड़ने के सम्बन्ध में विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–38 श्रीमती रामवती सक्सेना के नाम पर हरिद्वार केन्द्र से जारी स्थाई आटोरिक्षा परमिट सं0–3277 को निरस्त करने के सम्बन्ध में विचार व आदेष।

श्रीमती रामवती पत्नी श्री एच0सी0 सक्सेना, नई बस्ती, बंगाली रोड, कनखल, हरिद्वार के नाम पर हरिद्वार केन्द्र से एक स्थाई आटोरिक्षा परमिट सं0–3277 दिनांक 27.05.97 से 26.05.02 तक वाहन सं0–यूपी10–8162 के लिये जारी किया गया था। इसके पष्चात् परमिट धारक द्वारा दिनांक 30.03.2001 को उक्त परमिट निरस्त करा दिया गया था। दिनांक 07.04.01 को परमिट पर संचालित वाहन श्री विजय कुमार के नाम हस्तांतरित करा ली गयी थी। कार्यालय अभिलेखानुसार परमिट सं0 ऑटो–3277 का नवीनीकरण दिनांक 26.05.12 तक वैध है तथा परमिट पर वाहन सं0–यूए08जे–5895 प्रतिस्थापित कराई गयी है। परमिट धारक श्रीमती रामवती ने दिनांक 04.06.2009 में सूचित किया है कि, उक्त नवीनीकरण एवं वाहन का प्रतिस्थापन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा फर्जी प्रपत्रों के आधार पर कराया गया है। उनके आवेदन के आधार पर कार्यवाही करते हुए वाहन सं0 यूए08जे–5895 का संचालन दिनांक 28.09.2009 को बन्द कराते हुए वाहन थाना ष्यामपुर में निरुद्ध की गयी है तथा परमिट की मूल प्रति जब्त की गयी है।

इस प्रकरण में थाना कोतवाली ज्वालापुर में दिनांक 07.03.2010 को श्री कृशणा सिंह पुत्र श्री हरि सिंह द्वारा श्रीमती रामवती एवं श्री राजेष चौहान के नाम पर वाद सं0–72/10 धारा 467/468/471/410 दर्ज कराया गया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है।

इस सम्बन्ध में श्रीमती रामवती द्वारा मा0 लोकआयुक्त, उत्तराखण्ड के समक्ष एक परिवाद सं0—231/2010 दायर किया गया था। इस परिवाद का निस्तारण मा0 लोकआयुक्त के आदेष दिनांक 31.05.11 के द्वारा किया गया है। मा0 लोकआयुक्त ने अपने आदेष में उद्धरित किया है **"श्रीमती रामवती का यह भी कहना है कि, न तो उनके द्वारा कोई परमिट नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया और ना ही परमिट नवीनीकरण होने के बाद उसका उपयोग उसके द्वारा किया गया है, बल्कि वह यह चाहती हैं कि, उनके द्वारा परमिट को समर्पित करने हेतु जो प्रार्थनापत्र दिया गया था, उसके आधार पर परमिट को निरस्त कर परमिट निरस्तीकरण का प्रमाण पत्र उसे दे दिया जाय।**

अतः सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून से यह अपेक्षा की जाती है कि, वे इस सम्बन्ध में आवष्यक कार्यवाही करें। इस आदेष के साथ यह प्रकरण समाप्त किया जाता है।"

अतः मा0 लोकआयुक्त महोदय द्वारा पारित आदेषों के अनुपालन में उपरोक्त परमिट को निरस्त करने के सम्बन्ध में आदेष पारित करने की कृपा करें।

<u>मद सं0—39(ए)</u> <u>प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.06.10 में स्वीकृत ऑटोरिक्षा परमिटों को फर्जी प्रपत्रों के आधार पर प्राप्त करने पर परमिटों के विरुद्ध धारा—86 की कार्यवाही के सम्बन्ध में विचार व आदेष।</u>

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.06.2010 में संकल्प सं0—4(अनु0) के अन्तर्गत हरिद्वार व रूड़की केन्द्रों के लिए प्राप्त ऑटोरिक्षा परमिटों हेतु प्राप्त सभी प्रार्थनापत्रों को निम्नलिखित षर्तों के साथ स्वीकृत किया गया था:—

1–आवेदक स्थानीय निवासी हो, इस हेतु मतदाता परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2–आवेदक बेरोज़गार हो।
3–आवेदक के पास पूर्व में निर्गत कोई परमिट न हो।
4–आवेदक के पास हल्का वाणिज्यिक मोटर वाहन चलाने का चालक लाईसेंस हो।
5–परमिट को परमिट धारक न्यूनतम 3 वर्षों तक किसी को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा।
6–स्वीकृत परमिट दिनांक 31.08.2010 तक नई ऑटोरिक्षा वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर जारी किया जाएगा, तत्पष्चात् स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जाएगी।

निम्नलिखित प्रार्थियों द्वारा परमिट प्राप्त करते समय अन्य राज्यों व कार्यालयों द्वारा जारी किए गए वाणिज्यिक मोटर वाहन लाईसेंस प्रस्तुत किए गए थे, जिनके आधार पर इन आवेदको को परमिट जारी कर दिए गए तथा आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए चालक लाईसेंसों के सत्यापन हेतु लाईसेंस जारी करने वाली लाईसेंसिंग अथॉरिटी से सत्यापन करने हेतु पत्र प्रेशित किए गए थे। संबंधित लाईसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा सूचित किया गया है कि निम्नलिखित आवेदकों के लाईसेंस उनके कार्यालय द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। इन आवेदकों द्वारा फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर परमिट प्राप्त करने पर इन परमिट धारकों को धारा 86 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये थे, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्र0सं0	परमिट धारक का नाम एवं पता	परमिट संख्या	कार्यालय द्वारा लाईसेंसिग अथॉरिटी को जारी सत्यापन पत्र सं0 एवं दिनांक	मूल लाईसेंसिंग अथॉरिटी से प्राप्त आख्या	परमिट धारक को जारी किया गया नोटिस सं0 व दिनांक	परमिट धारक के उत्तर प्राप्ति का दिनांक

1.	श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री बाबूराम, लाइन पटरी, मुरादाबाद।	ऑटो–80 53	1695/आरटीए/10 दिनांक 26.08.2010	मुरादाबाद, कार्यालय की आख्यानुसार लाईसेंस उनके कार्यालय से जारी नहीं किया गया है।	2180/2010 दिनांक 29.09.10	–
2.	श्री अमित कुमार पुत्र श्री राम अवतर, लाईन पार मंझौला, मुरादाबाद।	ऑटो–80 30	1604/आरटीए/लाईसेंस सत्यापन/2010 दि0 26.08.10	मुरादाबाद, कार्यालय की आख्यानुसार लाईसेंस उनके कार्यालय से जारी नहीं किया गया है।	2182/2010 दिनांक 29.09.10	उत्तर प्राप्त हो गया दि0 09.12.10
3.	श्री नरेन्द्र पुत्र श्री जयपाल, लाईन पार, मंझौला, मुरादाबाद।	ऑटो–80 28	1608/आरटीए/लाईसेंस सत्यापन/2010 दि0 26.08.10	मुरादाबाद, कार्यालय की आख्यानुसार लाईसेंस उनके कार्यालय से जारी नहीं किया गया है।	2181/2010 दिनांक 29.09.10	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
4.	श्री रूपक कुमार पुत्र श्री महेष चन्द, पटेलनगर, कटघर, मुरादाबाद।	ऑटो–80 27	1691/आरटीए/लाईसेंस सत्यापन/2010 दि0 30.08.10	मुरादाबाद, कार्यालय की आख्यानुसार लाईसेंस उनके कार्यालय से जारी नहीं किया गया है।	2178/2010 दिनांक 29.09.10	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
5.	श्री मुमताज पुत्र श्री अब्दुल सलाम, नजीबाबाद, बिजनौर।	ऑटो–80 29	1606/आरटीए/लाईसेंस सत्यापन/2010 दि0 26.08.10	मुरादाबाद, कार्यालय की आख्यानुसार लाईसेंस उनके कार्यालय से जारी	2179/2010 दिनांक 29.09.10	उत्तर प्राप्त हो गया दि0 09.12.10

				नहीं किया गया है।		
6.	श्री इस्लामुद्दीन पुत्र श्री राषिद अहमद, महमूदपुर, नारायण कोतवाली, बिजनौर।	ऑटो–80 19	1593 / आरटीए / लाईसेंस सत्यापन / 2010 दि0 26. 08.10	मुरादाबाद, कार्यालय की आख्यानुसार लाईसेंस उनके कार्यालय से जारी नहीं किया गया है।	2185 / 2010 दिनांक 26.09. 10	उत्तर प्राप्त हो गया दि0 10.12. 10
7.	श्री दौलत राम पुत्र श्री आर0के0सिंह, सिविल लाईन, मुरादाबाद।	ऑटो–79 95	1601 / आरटीए / लाईसेंस सत्यापन / 2010 दि0 26. 08.10	मुरादाबाद, कार्यालय की आख्यानुसार लाईसेंस उनके कार्यालय से जारी नहीं किया गया है।	2183 / 2010 दिनांक 29.09. 10	उत्तर प्राप्त हो गया दि0 04.12. 10
8.	श्री फरहान पुत्र श्री छुम्मन, बी0एम0टी0सी0, मुरादाबाद।	ऑटो–78 51	1876 / आरटीए / लाईसेंस सत्यापन / 2010 दि0 15. 09.10	मुरादाबाद, कार्यालय की आख्यानुसार लाईसेंस उनके कार्यालय से जारी नहीं किया गया है।	2597 / 2010 दिनांक 20.10. 10	उत्तर प्राप्त हो गया दि0 30.10. 10
9.	श्री सतेन्दर पुत्र श्री सन्तर पाल, 45, राजीव नगर, हरिद्वार।	ऑटो–80 77	1872 / आरटीए / लाईसेंस सत्यापन / 2010 दि0 15. 09.10	मुरादाबाद, कार्यालय की आख्यानुसार लाईसेंस उनके कार्यालय से जारी नहीं किया गया है।	2596 / 2010 दिनांक 18.10. 10	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
10	श्री मौ0 यामीन पुत्र श्री अब्दुल समी, ग्रा0 कीरतपुर, लाडपुर, नजीबाबाद,	ऑटो–80 95	/ आरटीए / लाईसेंस सत्यापन / 2010 दि0 30. 08.10	मुरादाबाद, कार्यालय की आख्यानुसार लाईसेंस उनके	2176 / 2010 दिनांक 29.09. 10	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ

	बिजनौर।			कार्यालय से जारी नहीं किया गया है।		
11.	श्री पिन्टो पुत्र श्री इलम चन्द्र, 52, राजीव नगर, ज्वालापुर, हरिद्वार।	ऑटो–80 69	1610 / आरटीए / लाईसेंस सत्यापन / 2010 दि0 26. 08.10	मुरादाबाद, कार्यालय की आख्यानुसार लाईसेंस उनके कार्यालय से जारी नहीं किया गया है।	2271 / 2010 दिनांक 30.09. 10	उत्तर प्राप्त हो गया दि0 06.12. 10
12.	श्री तासीन पुत्र श्री अख्तर, पीएमटीसी, मुरादाबाद।	ऑटो–79 52	1875 / आरटीए / लाईसेंस सत्यापन / 2010 दि0 15. 09.10	मुरादाबाद, कार्यालय की आख्यानुसार लाईसेंस उनके कार्यालय से जारी नहीं किया गया है।	2595 / 2010 दिनांक 18.10. 10	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ

अतः प्राधिकरण उपरोक्त परमिटों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के सम्बन्ध में विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करे।

(प) (अ)–**श्री अजीत प्रताप सिंह, राश्ट्रीय सहारा, देहरादून ने विक्रम टैम्पों वाहनों के चालकों द्वारा निर्धारित से अधिक किराया लेने के सम्बन्ध में की गई षिकायत के सम्बन्ध में निम्नलिखित वाहन स्वामियों को जारी नोटिसों पर विचार व आदेष।**

1– श्री प्रदीप सिंह सहगल के विक्रम टैम्पों परमिट सं0–2915 पर संचालित वाहन सं0–यूए07एस–5845 के विरुद्ध यह षिकायत की गई है कि, वाहन के चालक ने दर्षनलाल चौक से लालपुल तक की गई यात्रा के लिए रु0 06 / – लिए गए जो निर्धारित से अधिक है। इस सम्बन्ध में परमिट धारक

को नोटिस संख्या–3004 दिनांक–25.11.2010 जारी किया गया था। इस नोटिस के उत्तर में परमिट धारक ने सूचित किया है कि मार्गों पर किमी के निषान नहीं लगे हैं। किमी का सही मूल्यांकन नहीं कर पाने की वजह से किराया लेने में गलती हुई है, जिसके लिये वे क्षमा चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि भविश्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे।

2– श्री सतेन्द्र सिंह रावत के विक्रम टैम्पों परमिट सं0–3787 पर संचालित वाहन सं0–यूके07टीए–3638 के विरुद्ध यह षिकायत की गई है कि वाहन के चालक ने एस्लेहॉल से आरटीओ ऑफिस तक की गई यात्रा के लिए रु0 04/– लिए गए जो निर्धारित से अधिक है। इस सम्बन्ध में परमिट धारक को नोटिस संख्या–2998 दिनांक–25.11.2010 जारी किया गया था। इस नोटिस के उत्तर में परमिट धारक ने यह सूचित किया है कि मार्गों पर किमी के निषान नहीं लगे हैं। किमी का सही मूल्यांकन नहीं कर पाने की वजह से किराया लेने में गलती हुई है, जिसके लिये वे क्षमा चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि भविश्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे।

3– श्री मौ0 इस्लाम के विक्रम टैम्पों परमिट सं0–3851 पर संचालित वाहन सं0–यूके07टीए–0614 के विरुद्ध यह षिकायत की गई है कि वाहन के चालक ने मण्डी से लालपुल द्रोण तक की गई यात्रा के लिए रु0 04/– लिए गए जो निर्धारित से अधिक है। इस सम्बन्ध में परमिट धारक को नोटिस संख्या–2997 दिनांक–25.11.2010 जारी किया गया था। परन्तु उत्तर अप्राप्त है।

4– श्री धरम सिंह के विक्रम टैम्पों परमिट सं0–3397 पर संचालित वाहन सं0–यूए07टी–6024 के विरुद्ध यह षिकायत की गई है कि वाहन के चालक ने आरटीओ से एस्लेहॉल तक की गई यात्रा के लिए रु0 04/– लिए गए जो निर्धारित से अधिक है। इस सम्बन्ध में परमिट धारक को नोटिस संख्या–2992 दिनांक–25.11.2010 जारी किया गया था। इस नोटिस के उत्तर में परमिट धारक ने सूचित किया है कि षिकायत कर्ता से रु0 01/– अधिक किराया चालक द्वारा लिया गया है जिसके लिये वे क्षमा चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि भविश्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे।

5– श्री मौ0 रफी के विक्रम टैम्पों परमिट सं0–2976 पर संचालित वाहन सं0–यूके07टीए–0045 के विरुद्ध यह षिकायत की गई है कि वाहन के चालक ने रेलवे स्टेषन से कनक सिनेमा तक की गई यात्रा के लिए रु0 04/– लिए गए जो निर्धारित से अधिक है। इस सम्बन्ध में परमिट धारक को नोटिस संख्या–3005 दिनांक–25.11.2010 जारी किया गया था। इस नोटिस के उत्तर में परमिट धारक ने यह सूचित किया है कि चालक से पूछताछ करने पर उसने बताया कि षिकायत कर्ता से उन्होंने रु0 03/– किराया लिया था और सवारी से 10 रूपये का नोट लेकर रु0 07/– वापस किये थे, परन्तु सवारी के साथ यह विवाद हो गया था कि एक सिक्का 05 रुपये का तथा एक सिक्का 01 रुपये का दिया है। जबकि चालक ने सवारी को एक की जगह दो रुपये का सिक्का वापिस किया था। इस प्रकार चालक ने उक्त सवारी से केवल रु0 03/– किराया ही लिया है जो निर्धारित किराया है।

6– श्री रामेन्द्र सिंह के विक्रम टैम्पों परमिट सं0–2539 पर संचालित वाहन सं0–यूके07टीए–3851 के विरुद्ध यह षिकायत की गई है कि वाहन के चालक ने मण्डी से लालपुल तक की गई यात्रा के लिए रु0 04/– लिए गए जो निर्धारित से अधिक है। इस सम्बन्ध में परमिट धारक को नोटिस संख्या–2993 दिनांक–25.11.2010 जारी किया गया था। परन्तु उत्तर अप्राप्त है।

7– श्री राजेष कुमार के विक्रम टैम्पों परमिट सं0–478 पर संचालित वाहन सं0–यूके07टीए–0638 के विरुद्ध यह षिकायत की गई है कि वाहन के चालक ने रेलवे स्टेषन से लालपुल तक की गई यात्रा के लिए रु0 04/– लिए गए जो निर्धारित से अधिक है। इस सम्बन्ध में परमिट धारक को नोटिस संख्या–2995 दिनांक–25.11.2010 जारी किया गया था। इस नोटिस के उत्तर में परमिट धारक ने यह सूचित किया है कि मार्गों पर किमी के निषान नहीं लगे हैं। किमी का सही मूल्यांकन नहीं कर पाने की वजह से किराया लेने में गलती हुई है, जिसके वे क्षमा चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि भविश्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे।

8– श्री षहजाद अली के विक्रम टैम्पों परमिट सं0–2637 पर संचालित वाहन सं0–यूके07टीए–0840 के विरुद्ध यह षिकायत की गई है कि वाहन के चालक ने लालपुल से रेलवे स्टेषन तक की गई यात्रा के

लिए रु0 05/– लिए गए जो निर्धारित से अधिक है। इस सम्बन्ध में परमिट धारक को नोटिस संख्या–3006 दिनांक–25.11.2010 जारी किया गया था। इस नोटिस के उत्तर में परमिट धारक ने यह सूचित किया है कि चालक के पास खुले पैसे नहीं होने के कारण उसने रु0 01/– बाद में देने को कहा था।

9– श्री नरेन्द्र कुमार के विक्रम टैम्पों परमिट सं0–2953 पर संचालित वाहन सं0–यूके07टीए–2234 के विरुद्ध यह षिकायत की गई है कि वाहन के चालक ने दर्षनलाल चौक से मंडी तक की गई यात्रा के लिए रु0 6/– लिए गए जो निर्धारित से अधिक है। इस सम्बन्ध में परमिट धारक को नोटिस संख्या–3007 दिनांक–25.11.2010 जारी किया गया था। इस नोटिस के उत्तर में परमिट धारक ने यह सूचित किया है कि षासनादेष के अनुसार प्रति सवारी प्रति किमी 01 रुपया देय बनता है। सूची के अनुसार 05 किमी से अधिक है इस लिए श्री अजीत सिंह स्वयं रुपये–06/– किराया देकर चले गये इसमें चालक द्वारा कोई नियम का उल्लघंन नहीं किया गया है।

10– श्री विनोद भाटिया के विक्रम टैम्पों परमिट सं0–2902 पर संचालित वाहन सं0–यूए07एम–3913 के विरुद्ध यह षिकायत की गई है कि वाहन के चालक ने मंडी से लालपुल तक की गई यात्रा के लिए रु0 04/– लिए गए जो निर्धारित से अधिक है। इस सम्बन्ध में परमिट धारक को नोटिस संख्या–3008 दिनांक–25.11.2010 जारी किया गया था। इस नोटिस के उत्तर में परमिट धारक ने यह सूचित किया है कि विक्रम टैम्पों वाहनों का किराया षासनादेष के अनुसार 06 रुपये प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है, जिससे वाहन चालक भ्रमित हैं और असमंजस की स्थिति होने के कारण चालक से किराया लेने में गलती हुई है, जिसके लिए वे क्षमा चाहते हैं।

11– श्री जसबिन्दर सिंह के विक्रम टैम्पों परमिट सं0–4039 पर संचालित वाहन सं0–यूके07टीए–0630 के विरुद्ध यह षिकायत की गई है कि वाहन के चालक ने मण्डी से लालपुल तक की गई यात्रा के लिए रु0 04/– लिए गए जो निर्धारित से अधिक है। इस सम्बन्ध में परमिट धारक को नोटिस संख्या–2994 दिनांक–25.11.2010 जारी किया गया था। इस नोटिस के उत्तर में परमिट धारक ने यह सूचित

किया है कि विक्रम टैम्पों वाहनों का किराया षासनादेष के अनुसार 06 रुपये प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है, जिससे वाहन चालक भ्रमित हैं और असमंजस की स्थिति होने के कारण चालक से किराया लेने में गलती हुई है, जिसके लिए वे क्षमा चाहते हैं।

12– श्री बॉबी कुमार के विक्रम टैम्पों परमिट सं0–2672 पर संचालित वाहन सं0–यूए07टी–3511 के विरुद्ध यह षिकायत की गई है किवाहन के चालक ने रेलवे स्टेषन से द्रोण होटल तक की गई यात्रा के लिए रु0 04/– लिए गए जो निर्धारित से अधिक है। इस सम्बन्ध में परमिट धारक को नोटिस संख्या–2996 दिनांक–25.11.2010 जारी किया गया था। नोटिस अवितरित वापस आ गया है।

(ब) बसों के विरुद्ध की गयी निम्नलिखित षिकायतों के सम्बन्ध में विचार व आदेष।

1– श्री कमल सिंह तोमर, अध्यक्ष, युवा कांग्रेस ब्लॉक कालसी, 52 एलआईजी क्वार्टर, एमडीडीए कालोनी, देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 25.0711 द्वारा सूचित किया है कि, दिनांक 16.07.11 को लगभग 11.30 बजे धण्टाधर से बल्लूपुर तक के लिये बस सं0–यूए07एफ–6285 में बैठा था। बल्लूपुर चौक पर वाहन से उतरते समय वाहन के चालक द्वारा वाहन को तेज गति से भगा दिया, जिससे मेरा सिर सामने पुस्ते से टकरा गया तथा रोड पर गिरने से मेरे दाहिने हिस्से में दर्द है एवम् सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करवा रहा हूँ। उक्त के सन्दर्भ में इस कार्यालय के पत्र सं0–4390/आरटीए/पीएसटीपी 1783/10 दिनांक 18.08.11 के द्वारा वाहन स्वामी श्री राकेष अरोडा को धारा 86 की कार्यवाही हेतु नोटिस भेजा गया था। जिसका वाहन स्वामी के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

2– श्री रण सिंह, मकान नं0 130 लाईन जीवनगढ विकासनगर देहरादून द्वारा अपने पत्र दिनांक 12.04.11 द्वारा सूचित किया है कि, दिनांक 06.04.11 को वे अपने 03 सम्बन्धियों सहित जीवनगढ गत्ता फैक्ट्री से छिबरो विधुतगृह तक जैन बस सर्विस विकासनगर की बस सं0–यूए07के–0186 में गये। इस बस में चालक श्री करण तथा परिचालक गोपी तैनात थे। परिचालक द्वारा मुझसे चार यात्रियों के जीवनगढ गत्ता फैक्ट्री से

छिपरो पावर हाउस तक 25 रु0 प्रति यात्री के हिसाब रु0 100/– किराया वसूल किया गया। जब मैंने उचित किराया लेने के लिये कहा तो परिचालक अभद्र भाशा का प्रयोग करने लगा और रु 100/– का टिकट जारी कर दिया। जिस पर कोई नम्बर नहीं था, (टिकट संलग्न है) वापसी यात्रा में षिकायतकर्ता अपने साथियों के साथ बस सं0–यूके07ए–0012 में छिपरो से जीवनगढ गत्ता फैक्ट्री तक आया। जिसने ठीक किराया चार यात्रियों का 15 /– रु0 प्रति यात्री के हिसाब से रु0 60/– का टिकट काटा। (टिकट संलग्न है)

उपरोक्त विशयक के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र सं0–3169/आरटीए/पीएसटीपी 3633/11 दिनांक 21.05.11 के द्वारा वाहन सं0–यूए07के–0186 के स्वामी श्री बृज मोहन जैन को मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस के प्रतिउत्तर में वाहन स्वामी ने अपने पत्र द्वारा यह सूचित किया कि, उक्त वाहन दिनांक 06.04.11 को विकासनगर से त्यूनी के लिये प्रातः 9 बजे चली थी। षिकायताकर्ता अपने साथियों सहित गत्ता फैक्ट्री से बस में सवार हुये तथा परिचालक से विकासनगर से कोटी डैम तक का टिकट लिया तो परिचालक ने 25/–रु0 प्रति सवारी की दर से 100/–रु0 लिये व षिकायतकर्ता तथा उनके अन्य साथी कोटी डैम तक गये, किन्तु षिकायतकर्ता द्वारा कहा गया कि, परिचालक द्वारा छिबरो डैम तक का किराया 25/– रु0 प्रति सवारी लिया गया, जो कि गलत है।

3– श्री गजपाल सिंह बिश्ट, सी 29 सेक्टर 1 डिफेन्स कालोनी देहरादून ने सूचित किया है कि, वाहन सं0–यूए07एम–3234 ने आईएसबीटी से रिस्पनापुल तक का किराया रु0 7/– लिये, जब टिकट मांगा तो वह कहने लगा कि टिकट नहीं है।

उपरोक्त षिकायत के सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र सं0–2820/आरटीए/पीएसटीपी2034/धारा 86/11 दिनांक 01.04.11 द्वारा मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत वाहन सं0–यूए07एम 3234 के स्वामी श्री दर्षन सिंह को नोटिस भेजा गया था, जिसके उत्तर में वाहन स्वामी द्वारा सूचित किया है

कि, चालक/परिचालक द्वारा जो गलती की गई है, उसके लिये मैं क्षमा चाहता हुॅं। आगे भविश्य में ऐसी गलती नहीं होने का विष्वास दिलाता हूं। मेरे द्वारा बस सं0–यूए07एम–3234 से चालक/परिचालक को हटा दिया गया है एवम् दूसरा स्टाफ रख दिया गया है।

4– श्री गजपाल सिंह बिश्ट, सी 29 सेक्टर 1 डिफेन्स कालोनी देहरादून ने अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि, दिनांक 09.03.11 को रिस्पना पुल से आईएसबीटी तक बस सं0–यूके07पीए–0277 ने दो सवारियों का किराया 14/– रु0 लिया, इसी प्रकार मेरे बगल में बैठी श्रीमती सुनीता, जिन्हें रिस्पनापुल से पंडितवाडी जाना था, से भी 15/– रु0 किराया लिया। जब सभी लोग आपत्ति करने लगे व टिकट मांगा तो, कन्डक्टर ने मुझे 3/– रु0 तथा श्रीमती सुनीता को 2/– रु0 वापिस किये, परन्तु अन्य किसी को भी लिया गया अधिक किराया वापिस नहीं किया गया।

उक्त संदर्भ में इस कार्यालय के पत्र सं0–2821/आरटीए/पीएसटीपी 1901/धारा 86/11 दिनांक 01.04.11 द्वारा वाहन स्वामी को मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत नोटिस भेजा गया। जिसका वाहन स्वामी द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

5– श्री सचिन कुमार, ग्राम गुडरिच विकासनगर देहरादून ने अपने पत्र द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि, प्रार्थी ग्राम गुडरिच का निवासी है। हरबर्टपुर से एक हल्का वाहन मार्ग गुडरिच होते हुऐ मलूकावाला तक जाता है। जो कि केवल हल्की वाहनों के लिये है। जिसकी सडक चौडाई काफी कम है तथा मार्ग की स्थिति भी काफी खराब है। सडक पर बडे–बडे गढ्ढे हैं। उक्त मार्ग पर भारी वाहन संचालित होने से छोटे वाहनों साइकिल, पैदल चलने वाले को काफी परेषानी होती है व दुर्धटना का खतरा बना रहता है। इस छोटे से मार्ग से वाहन सं0–यूके07पीए–0847 जो कि, क्यू0एच0 टॉल ब्रोस फैक्ट्री, लांधा रोड के कर्मचारियों को दिन में कई बार लाती–जाती रहती है। महोदय, उक्त मार्ग गांव के बीच से होकर गुजरता है व हल्की वाहनों के लिये है। भारी वाहनों के संचालन से दुर्धटना का खतरा बना रहता है तथा छोटे वाहनों, साइकिल, पैदल चलने वाले को काफी परेषानी होती है।

उक्त संदर्भ में इस कार्यालय के पत्र सं0–3664 / आरटीए / सीसी–505 / 2011 दिनांक 28.06.11 द्वारा वाहन स्वामिनी श्रीती कामीन टण्डन को धारा–86 का नोटिस भेजा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में वाहन स्वामिनी ने सूचित किया है कि, प्रार्थिनी की वाहन कुल्हाल से डाकपत्थर उत्तराखण्ड जल विधुत निगम के कर्मचारियों के बच्चों को ले जाने व लाने हेतु ही संचालित हो रही है। उक्त षिकायत प्रार्थिनी के विरुद्व झूठी की गई है। अतः षिकायत को निरस्त करने की कृपा करें।

6– श्री रविन्द्र प्रसाद खुगसाल, 74 / 1 पुराना राजपुर, देहरादून द्वारा अपने पत्र दिनांक 23.07.11 द्वारा षिकायत की है कि, ″दिनांक 21.07.11 को मैं षंहषाही आश्रम बस स्टॉपेज से प्रातः 9.08 बजे नगर वाहन सं0–यूए07टी–6744 में बैठा व किषनपुर चुंगी का टिकट लिया। उक्त बस के परिचालक ने राजपुर आकर यात्रियों को स्थानान्तरित करने के पष्चात उक्त वाहन के कर्मचारी चाय नाष्ते के लिये चले गये तथा वाहन सं0′–यूके07पीए–0268 राजपुर से देहरादून की ओर चलने लगी। कुछ ही क्षण पष्चात् वाहन सं0–यूके07पीए–0268 के परिचालक / सहायक ने प्रार्थी से टिकट की राषि मांगी तो मैंने उन्हें वाहन संख्या यूए07टी–6744 का टिकट दिखा दिया, टिकट देखने के पष्चात उक्त कर्मचारी कहने लगाा कि, आप नीचे उतर जाओ व उसी वाहन में आओ, हम आपको नहीं ले जा सकते, क्योंकि 6744 के स्टाफ भी उनकी सवारी नहीं ले जाते हैं। मरे प्रतिक्रियावष विरोध करने पर वे मेरे साथ बदतमीजी से बात करने लगे, ऐसा करने पर मैंने उन्हें बस किषनपुर चैकपोस्ट पर ले जाने को कहा। किषनपुर पहॅुच कर जब मैंने वहां मौजूद कर्मचारी से इस प्रकरण की मौखिक षिकायत की तो, उसने बताया कि, वाहन संख्या–यूके07पीए–0268 के कर्मचारियों की पहले भी षिकायत आ चुकी है। अतः आप इनकी लिखित षिकायत कीजिए″

उक्त संदर्भ में इस कार्यालय के पत्र सं0–4320 / आरटीए / पीएसटीपी–1802 / 10 दिनांक 11.08.11 को वाहन स्वामी को धारा 86 के अन्तर्गत नोटिस भेजा गया था। इस नोटिस के उत्तर में वाहन स्वामी ने अपने पत्र द्वारा सूचित किया कि, ″उक्त वाहन के कर्मचारी से पूछताछ करने पर पता चला कि, यात्रियों की सुविधा के लिये आपस में यात्रियों को पिछली गाडी से आगे जाने वाली गाडियों में सवारी आदान–प्रदान

करने की व्यवस्था की गई है, लेकिन मेरी वाहन संख्या–यूके07पीए–0268 व षंहषाही आश्रम से आने वाली वाहन सं0–यूए07टी–6744 के कर्मचारी का आपसी मनमुटाव चल रहा था। इस कारण एक दूसरी वाहन की सवारी नहीं ले रहे थे। जिस कारण मेरी वाहन के कर्मचारी द्वारा षिकायतकर्ता से कहासुनी हुई"। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि, "उक्त प्रकरण में दोशी वाहन के दोनों कर्मचारियों को हटा दिया गया है तथा भविश्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं की जायेगी तथा इसके लिये मैं व्यक्तिगत रुप से क्षमा चाहता हुँ"।

अतः प्राधिकरण षिकायतकर्ता तथा परमिट धारकों को सुनने के पश्चात् मामले पर आदेष पारित करने की कृपा करें।

(ттт) **<u>श्री अतुल कुमार के स्थाई सवारी गाडी परमिट सं0–1874 पर संचालित बस सं0–यूके07पीए–0481 के विरुद्व धारा–86 की कार्यवाही के सम्बन्ध मे विचार व आदेष–</u>**

श्री अतुल कुमार पुत्र श्री षिव कुमार गुप्ता, 6 दर्षनी गेट, देहरादून के नाम पर देहरादून–डोईवाला मार्ग का स्थाई सवारी गाडी परमिट सं0–1874 दिनांक 30.08.07 से 29.08.12 तक वाहन सं0–यूके07पीए–0481 के लिये जारी किया गया था। इस परमिट पर संचालित वाहन सं0–यूके07पीए–0481 का चालान दिनांक 27.04.10 को परिवहन कर अधिकारी–प्रथम, उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय ऋशिकेष द्वारा निम्न अभियोगों में किया गया था तथा चालान को धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु भेजा गया है।

1. वाहन की आर.सी., आर.पी., फिटनेस, प्रदूशण प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया।
2. वाहन का परमिट डोईवाला–देहरादून मार्ग का है और वाहन परमिट षर्तो के विपरीत देहरादून–हरिद्वार मार्ग पर लालतप्पड नामक स्थान पर संचालित पाया गया। वाहन में बिरला यामाहा फैक्ट्री के कर्मचारी 30 की संख्या में बैठे पाये गये।

उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में परमिट धारक को धारा–86 के अन्तर्गत नोटिस भेजा गया था। जिसके संदर्भ में उन्होंने निवेदन किया है कि, उनकी वाहन के चालान को प्राधिकरण की बैठक में निस्तारण हेतु रखा जाय।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

(ग्ट) **प्रेमनगर–गुलरघाटी नगर बस सेवा मार्ग की बसों का संचालन पूरे मार्ग पर नहीं होने के कारण मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत कार्यवाही पर विचार व आदेष।**

प्रेमनगर–गुलरघाटी मार्ग का विस्तार प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20–11–04 में मियांवाला चौक से तुनवाला तथा हर्रावाला से नकरौंदा तक किया गया था। परन्तु कार्यालय द्वारा कई बार निर्देषित करने के पष्चात् भी परमिट धारको द्वारा उक्त विस्तारित मार्ग पर वाहनों का संचालन नहीं किया जा रहा है। क्षेत्रीय जनता व जन प्रतिनिधियों द्वारा भी संचालन नहीं किए जाने षिकायत की जा रही थी। इस सम्बन्ध में मार्ग के परमिट धारकों को धारा 86 के अन्तर्गत नोटिस जारी किए गए थे तथा एक सप्ताह के अन्दर स्पश्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था। परन्तु किसी भी परमिट धारक का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। जारी किए गए नोटिसों का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र०सं0	परमिट धारक का नाम	परमिट संख्या	वाहन संख्या	जारी नोटिस सं0 व दिनांक
1.	श्री जसवीर सिंह	1284	यूए07एन–8977	3303/आरटीए/पीएसटीपी–1284/2010,दि0 25–07–11
2.	सर्वश्री प्रदीव व केसर सिंह	1285	यूके07यू–2997	3301/आरटीए/पीएसटीपी–1285/2010,दि0 25–07–11
3.	श्री यसबंत सिंह रावत	1288	यूपी07सी–8173	3295/आरटीए/पीएसटीपी–1288/2010,दि0 25–07–11

4.	श्री कुंवर सिंह चौहान	1289	यूए07सी–9030	3294 / आरटीए / पीएसटीपी–1289 / 2010,दि0 25–07–11
5.	श्री केषर सिंह रावत	1291	यूके07यू–1456	3292 / आरटीए / पीएसटीपी–1291 / 2010,दि0 25–07–11
6.	श्री अरविन्द पाल	1292	यूए12ए–2036	3290 / आरटीए / पीएसटीपी–1292 / 2010,दि0 25–07–11
7.	श्री गजेन्द्र सिंह	1429	यूए07डी–6267	3307 / आरटीए / पीएसटीपी–1429 / 2010,दि0 25–07–11
8.	श्री अभिनव रावत	1504	यूए07सी–7931	3306 / आरटीए / पीएसटीपी–1504 / 2010,दि0 25–07–11
9.	श्री सोनू पाल	1525	यूए11–0566	3305 / आरटीए / पीएसटीपी–1525 / 2010,दि0 25–07–11
10.	श्री दर्षन लाल	1571	यूके07यू–30058	3304 / आरटीए / पीएसटीपी–1571 / 2010,दि0 25–07–11
11.	श्री अजीत सिंह पुण्डीर	1692	यूए07डी–0317	3297 / आरटीए / पीएसटीपी–1692 / 2010,दि0 25–07–11
12.	श्री राम चन्दर सिंह	1694	यूए12–2451	3296 / आरटीए / पीएसटीपी–1694 / 2010,दि0 25–07–11
13.	श्री योगेन्द्र सिंह लिंगवाल	1695	यूए12–8401	3299 / आरटीए / पीएसटीपी–1695 / 2010,दि0 25–07–11
14.	श्रीमती सुमन रावत	1702	यूए07टी–7093	3302 / आरटीए / पीएसटीपी–1702 / 2010,दि0 25–07–11
15.	श्री देवेन्द्र कुमार मल्होत्रा	2129	यूके07पीए–0286	3300 / आरटीए / पीएसटीपी–1284 / 2010,दि0 25–07–11

16.	श्री सुभाश कुमार	2136	यूके07पीए–0882	3298 / आरटीए / पीएसटीपी–1284 / 2010,दि0 25–07–11

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

(ट) **विक्रम टैम्पो परमिटों के विरुद्व मोटर गाडी अधिनियम, 1988 की धारा 86(ध) के अन्तर्गत कार्यवाही करने के सम्बन्ध में विचार व आदेष–**

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण सहारनपुर का गठन वर्ष 1998 में किया गया था। हरिद्वार जनपद इससे पूर्व देहरादून सम्भाग के अन्तर्गत था। वर्ष 1998 में इस जनपद को सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण सहारनपुर में सम्मिलित किया गया था। हरिद्वार तथा रूड़की केन्द्रों से देहरादून कार्यालय द्वारा जारी परमिटों की पत्रावलियां सहारनपुर कार्यालय को हस्तान्तरित कर दी गई थी। वर्ष 2000 में उत्तराखण्ड राज्य का गठन होने के पश्चात् हरिद्वार जनपद पुनः सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून के अन्तर्गत आ गया है।

निम्नलिखित परमिट धारकों द्वारा अपने परमिट नवीनीकरण करने के प्रार्थना पत्रों के साथ सहारनपुर कार्यालय से जारी इस आशय के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये थे कि उनके परमिटों का नवीनीकरण 5 वर्षों के लिये सहारनपुर कार्यालय द्वारा कर दिया गया है। उन्होंने निवेदन किया था कि उनके परमिटों को आगामी 5 वर्ष के लिए नवीनीकरण कर दिया जाए। कार्यालय द्वारा इन परमिटों का नवीनीकरण प्रार्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों के आधार पर करने के पश्चात् सहारनपुर कार्यालय को परमिटों के नवीनीकरण का सत्यापन करने हेतु निवेदन किया गया था। सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण सहारनपुर ने अपने पत्र संख्या 184/आरटीए/2009 दिनांक 07.03.09 द्वारा सूचित किया है कि इन परमिटों का नवीनीकरण सहारनपुर कार्यालय द्वारा नहीं किया गया है।

सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, सहारनपुर द्वारा परमिटों के नवीनीकरण की पुष्टि नहीं होने के पश्चात् कार्यालय द्वारा परमिट धारको को धारा–86(घ) के अन्तर्गत नोटिस जारी किए गए हैं कि आप द्वारा प्रस्तुत अभिलेख संदिग्ध पाया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आपके द्वारा परमिट कपट तथा दुर्व्यपदेषन द्वारा प्राप्त किया गया है। परमिट धारकों को 15 दिन के अन्दर संदिग्ध दस्तावेज प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है। परमिट धारकों तथा उनको जारी नोटिसों का विवरण निम्न प्रकार है :–

	परमिट धारक का नाम	परमिट सं0 व वैधता	केन्द्र का नाम	वाहन संख्या	नोटिस सं0 व दिनांक
1.	श्री ष्याम सिंह पाल पुत्र श्री विशम्भर पाल, आईडीपीएल, सिटी गेट गीता नगर, ऋषिकेश।	टैम्पो–1914 24.03.2009	रूड़की	यूके07–टीए–0814	1403, दि0–15–12–10
	परमिट धारक ने अपने पत्र दिनांक 30–12–10 द्वारा सूचित किया है कि उक्त परमिट उनके नाम पर दिनांक 10–09–08 में हस्तान्तरित हुआ है। यदि पूर्व परमिट धारक द्वारा कोई अवैधानिक कार्य किया गया है तो मेरे परमिट के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86(घ) के अन्तर्गत कार्यवाही करना उचित नहीं है। पूर्व में किया अवैधानिक कार्यवाही का षुल्क/षास्ति जमा करने को तैयार है।				

2.	श्री जहांगीर पुत्र श्री ईनाम, 62 बापू ग्राम, ऋषिकेश।	टैम्पो–1931 07.06.2009	रूड़की	यूके08–टीए–0325	1404 दि0–15–12–10
	परमिट धारक ने अपने पत्र दिनांक 31–12–10 द्वारा सूचित किया है कि उक्त परमिट उनके नाम पर दिनांक 26–02–09 में हस्तान्तरित हुआ है। यदि पूर्व परमिट धारक द्वारा कोई अवैधानिक कार्य किया गया है तो मेरे परमिट के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86(घ) के अन्तर्गत कार्यवाही करना उचित नहीं है। पूर्व में किया अवैधानिक कार्यवाही का षुल्क/षास्ति जमा करने को तैयार है।				

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले में विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

(टप) **मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत परमिट के निलम्बन/निरस्तीकरण पर विचार व आदेष।**

1–पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल ने अपने पत्र सं0 आर–18(परमिट–3)/2010 दिनांक 20–12–10 द्वारा सूचित किया है कि दिनांक 15–12–10 को थाना घनसाली पुलिस द्वारा धुत्तू घनसाली मार्ग पर वाहन चैकिंग के दौरान बस संख्या यूपी07सी–7524 को चैक किया गया। बस में कुल 56 सवारी (14 सवारी छतपर) बैठाकर वाहन चलाते पाया गया। उन्होंने वाहन को जारी परमिट को निरस्त करने की संस्तुति की है।

कार्यालय अभिलेखों के अनुसार उपरोक्त वाहन का परमिट सं0–3018, श्री मकान सिंह पुत्र श्री भूवन सिंह, आदर्ष ग्राम ऋशिकेष के नाम पर मार्ग सूची संख्या–एक के लिए जारी किया गया है जो दिनांक 19–09–12 तक वैध है। उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में परमिट धारक को कार्यालय के पत्र सं0–1505/धारा

86/10 दिनांक 28–12–10 द्वारा 15 दिन के अन्दर अपना स्पश्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था, परन्तु उनके द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(टप्प्) **श्री दिनेष सिंह की दुर्घटनाग्रस्त वाहन सं0 यूए09–5396 के स्थाई मैक्सी कैब परमिट सं0–1643 के विरुद्व धारा–86 के अन्तर्गत निरस्तीकरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में विचार व आदेष।**

श्री दिनेष सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह, 4/2 रायपुर रोड देहरादून के नाम पर स्थाई मैक्सी कैब परमिट सं0'–1643 दिनांक 01.05.09 से 30.04.14 तक जारी किया गया था। इस परमिट पर वाहन सं0–यूए09–5696, माडल–2005 संचालित हो रही थी। सहा0 परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड ने अपने पत्र सं0.–885/टी0आर0/सात–3/53/09–08/2010–11 दिनांक 16.03.11 द्वारा सूचित किया है कि, वाहन सं0–यूए09–5696 दिनांक 08.07.10 को जाखणीधार–देवप्रयाग मोटर मार्ग पर जाखणीधार नामक स्थान पर दुर्धटनाग्रस्त हो गई थी। दुर्धटना की मजिस्ट्रीरियल जॉच में यह उल्लेख किया गया है कि, दुर्धटनाग्रस्त वाहन में स्वीकृत 10 के स्थान पर 12 यात्री धायल हुऐ हैं। उन्होंने पत्र में यह कहा है कि, परिवहन आयुक्त महोदय द्वारा वाहन में क्षमता से अधिक सवारियां परिवहन करने के लिये वाहन के परमिट के विरुद्व आवष्यक कार्यवाही करने के निर्देष दिये गये हैं।

उपरोक्त के सम्बन्ध में परमिट धारक को धारा–86 के अन्तर्गत नोटिस सं0–2819/आरटीए/मैक्सी–1643/11 दिनांक 01.04.11 प्रेशित किया गया था। परमिट धारक ने सूचित किया है कि, दुर्धटना की तिथि 08.07.10 को वाहन श्री सुखपाल सिंह, नई बस्ती देहरादून के नाम पर पंजीकृत थी। श्री दिनेष सिंह ने उपरोक्त परमिट को निरस्त करने हेतु दिनांक 24.05.11 को कार्यालय में जमा करा दिया गया है।

(टप्प्प्) **हरिद्वार केन्द्र से जारी निम्नलिखित ऑटोरिक्षा परमिटों के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत कार्यवाही पर विचार व आदेष।**

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12–11–09 तथा 26–06–10 में हरिद्वार केन्द्र से ऑटोरिक्षा परमिटों हेतु प्राप्त समस्त प्रार्थनापत्रों को कुछ षर्तों के साथ स्वीकृत किया गया था। इन षर्तों में प्रमुख रूप से यह भी षर्त थी कि आवेदक बेरोजगार हो और आवेदक के पास पूर्व में निर्गत कोई परमिट न हो। प्राधिकरण द्वारा पारित आदेषों के अनुपालन में ऑटोरिक्षा परमिट जारी करते समय सभी ओवदकों ने इस आषय का षपथपत्र दिया था कि पूर्व में उनके नाम पर कोई परमिट जारी नहीं है। षपथपत्र के आधार पर आवेदकों को परमिट जारी किए गए थे।

भ्रश्टाचार समिति उत्तराखण्ड, हरिद्वार ने एक षिकायती पत्र प्रेशित करते हुए 15 वाहन स्वामियों की सूची उपलब्ध करायी है, जिसके द्वारा सूचित किया गया है कि इन आवेदकों के नाम पर पहले से परमिट थे और बाद में नये परमिट भी ले लिए गए हैं। षिकायती पत्र में इन वाहन स्वामियों के परमिटों को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है। षिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध 15 व्यक्तियों की सूची की जांच करने पर यह पाया गया कि 11 व्यक्तियों के नाम पर दो–दो वाहनें पंजीकृत हैं तथा परमिट जारी किए गए हैं। कार्यालय द्वारा वाहन स्वामियों को इस आषय का नोटिस भेजा गया था कि परमिट प्राप्त करते समय आपके द्वारा इस आषय का षपथपत्र प्रस्तुत किया गया था कि आपके पास पूर्व से कोई अन्य परमिट नहीं है, परन्तु कार्यालय अभिलेखानुसार यह पाया गया है कि आपके नाम पर एक और परमिट पूर्व में जारी किया गया था। इससे यह स्पश्ट है कि आपके द्वारा झूठा षपथपत्र प्रस्तुत कर आरटीए की नीति के विरुद्ध परमिट प्राप्त किया है। परमिट धारकों को निर्देषित किया गया था कि इस सम्बन्ध में वे अपना स्पश्टीकरण 20–02–11 तक उपलब्ध कराना सुनिष्चित करें, अन्यथा की स्थिति में प्रतिकूल निर्णय का दायित्व आपका होगा। परन्तु किसी भी परमिट धारक द्वारा नोटिस का उत्तर नहीं दिया गया है।

जिन वाहन स्वामियों द्वारा गलत षपथपत्र प्रस्तुत कर परमिट प्राप्त किए गए हैं उनके विवरण निम्न प्रकार हैं:–

क्र०	परमिट धारक का नाम	पूर्व में जारी परमिट	नया परमिट संख्या व	बैठक की तिथि	नोटिस सं0 तथा

सं०		सं0 व वाहन सं0	वाहन संख्या	जिसमें परमिट स्वीकृत किया गया	दिनांक
1.	श्री राजेन्द्र सिंह	ऑटो–5582 यूके08टीए–0503	ऑटो–7085 यूके08टीए–1129	12–11–09	1985, दि0 10–02–2011
2.	श्री अतीक	ऑटो–5644 यूके08टीए–1492	ऑटो–7088 यूके08टीए–1093	12–11–09	1984, दि0 10–02–2011
3.	श्रीमती उर्मिला	ऑटो–3485 यूके08टीए–0309	ऑटो–7463 यूके08टीए–1253	12–11–09	1986, दि0 10–02–2011
4.	श्री फरमान	टैम्पो–4630 यूके08एच–9312	ऑटो–7550 यूके08टीए–1585	26–06–10	1981, दि0 10–02–2011
5.	श्री सलीम	पीसीओपी–4789 यूके08टीए–1229	ऑटो–7577 यूके08टीए–1643	26–06–10	1977, दि0 10–02–2011
6.	श्री रियासत	ऑटो–7105 यूके08टीए–1089	ऑटो–7635 यूके08टीए–1721	26–06–10	1983, दि0 10–02–2011
7.	श्री देषराज	ऑटो–2342 यूए08एच–9314	ऑटो–7670 यूके08टीए–1754	26–06–10	1979, दि0 10–02–2011
8.	श्री षिवनाथ	ऑटो–1198 यूके08टीए–1170	ऑटो–7672 यूके08टीए–1749	26–06–10	1982, दि0 10–02–2011
9.	श्री काषीनाथ	ऑटो–7202 यूके08टीए–1171	ऑटो–7678 यूके08टीए–1723	26–06–10	1980, दि0 10–02–2011
10.	श्री रामकिषन	ऑटो–7093 यूके08टीए–0069	ऑटो–7715 यूके08टीए–1753	26–06–10	1985, दि0 10–02–2011
11.	श्री गणेष	ऑटो–5558 यूके08टीए–0771	ऑटो–7749 यूके08टीए–1815	26–06–10	1978, दि0 10–02–2011

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरांत आदेष पारित करने की कृपा करें।

(प) **मोटर गाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत एक ही अभियोग में एक वाहन के दो से अधिक चालान पाये जाने पर, परमिटों के विरुद्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही पर विचार व आदेश।**

राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15.07.03 में यह निर्णय लिया गया था कि ठेका परमिटों मैक्सी कैब/टक्सी परिमटों से आच्छादित वाहनों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लघंन करने अथवा ओवरलोडिंग का अपराध पाये जाने पर प्रथम अपराध प्रशमित किया जाए तथा द्वितीय अपराध में परमिट का निलम्बन एवं तृतीय अपराध में परमिट निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाए।

ओवरलोडिंग के अपराध में द्वितीय चालान पाये पर चालान का निस्तारण प्राधिकरण के सचिव द्वारा करने के सम्बन्ध में स्वामियों व यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08.10.10 में प्राधिकरण के समक्ष निवेदन किया गया कि प्राधिकरण की बैठक काफी अन्तराल कें बाद होती है जिससे चालान का निस्तारण नहीं हो पाता है। चालान के निस्तारण न होने के कारण वाहन के प्रपत्र कार्यालय में जमा रहते हैं। यदि वाहन निरुद्ध होती है तो उस स्थिति में आरटीए की बैठक होने तक मामले को लम्बित रखने से वाहन स्वामियों को अत्यधिक कठिनाईयां व हानि होती हैं।

प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि **"ओवर लोडिंग के अपराध में द्वितीय चालान होने पर प्रशमित करने के लिए सचिव को अधिकृत किया जाता है। सचिव ऐसे मामलों पर सामान्यतया देय प्रशमन शुल्क की दोगुनी धनराशि वसूल कर प्रशमित अथवा दो माह का निलम्बन करेंगे। वाहन के दो से अधिक चालान होने की दशा में प्रक्रिया यथावत रहेगी।"**

निम्न प्रकरणों में ओवरलोडिंग के अपराध में दो से अधिक चालान हो गये हैं। अतः प्राधिकरण के समक्ष धारा 86 की कार्यवाही हेतु प्रस्तुतः–

क्र०सं०	स्वामी का नाम	परमिट संख्या व वाहन संख्या	चालनिंग अधिकारी व चालान का	चालान की स्थिति	अभियोगों का पूर्ण विवरण

			दिनांक		
1.	श्री जय सिंह गुंसाई	टैम्पो–3704 यूए07जे–9481	स0स0प0अ0 (प्रवर्तन) दिनांक–13.07.09	निस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
			स0स0प0अ0 (प्रवर्तन) दिनांक–21.09.09	निस्तारित	1 सवारी ओवरलोड
			स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–27.11.09	निस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
			स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–14.12.10	निस्तारित प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि तृतीय चालान का निस्तारण किया जाय तथा बैठक में जो भी जुर्माना होगा, वह प्रार्थी को मंजूर होगा।	4 सवारी ओवरलोड
2	श्री दीपक	टैम्पो–4452 यूए07एन–7826	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–03.03.08	निस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
			स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–04.02.09	निस्तारित	4 सवारी ओवरलोड
			स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–01.12.09	निस्तारित	4 सवारी ओवरलोड
			स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–13.12.10	निस्तारित	2 सवारी ओवरलोड
			यातायात पुलिस दिनांक–18.06.11	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड़
3	श्री राजकुमार	टैम्पो–2379 यूए07के–7620	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–07.02.06	निस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
			स0स0प0अ0(प्रवर्तन)	निस्तारित	3 सवारी ओवरलोड

			दिनांक–17.07.09 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनाक–14.11.09 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–02.02.10 यातायात पुलिस दिनांक–22.09.11	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	2 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड
4	श्री राजेश कुमार	टैम्पो–2328 यूके07टीए–0231	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनाक 04.03.08 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–10.10.08 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–18.10.08 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–09.12.10	निस्तारित निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	2 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड
5	श्री बलबीर सिंह	टैम्पो–4538 यूए07के–7327	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–26.07.08 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–13.01.09 प0कर0अधि0 दिनांक–10.01.11	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड
6	श्री सन्नी देयोल	टैम्पो–4229 यूए07–9993	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–04.02.08 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–11.06.10 स0स0प0अ0(प्रवर्तन)	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	1 सवारी ओवरलोड 5 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड

			दिनांक–24.09.10		
7	श्री दीवान सिंह	यूपीकोपी–138 यूपी07के–9945	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–21.04.04 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–13.08.08 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–02.02.09	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	8 सवारी ओवरलोड 7 सवारी ओवरलोड 6 सवारी ओवरलोड
8	श्री भूपेन्द सिंह राना	यूपीकोपी–1140 यूके07सीए–2674	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–03.06.10 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–15.07.10 यातायात पुलिस दिनांक–20.10.10	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	23 सवारी ओवरलोड 15 सवारी ओवरलोड 7 सवारी ओवरलोड
9	श्री हरीश चन्द्र	टैम्पो–4358 यूए07क्यू–9414	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–28.03.09 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–23.08.10 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–01.12.10	निस्तारित निस्तारित निस्तारित प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि तृतीय चालान का निस्तारण किया जाय तथा बैठक में जो भी जुर्माना होगा, वह प्रार्थी को मंजूर होगा।	3 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड
10	श्री विनोद कुमार	टैम्पो–4274 यूके07टीए–0631	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–14.09.09 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–02.07.10	निस्तारित निस्तारित	2 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड

			स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–18.09.10	अनिस्तारित	2 सवारी ओवरलोड
11	श्री सुनील दत्त जोशी	यूपीकोपी–944 यूके07सीए–1264	यातायात पुलिस दिनांक–27.09.10 यातायात पुलिस दिनांक–18.11.10 यातायात पुलिस दिनांक–03.01.11	निस्तारित अनिस्तारित अनिस्तारित	5 सवारी ओवरलोड 7 सवारी ओवरलोड 5 सवारी ओवरलोड
12	श्री संदीप कुमार	टैम्पो–3531 यूए07पी–6943	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–20.03.08 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–20.03.09 परि0कर अधि0 दिनांक–09.12.10	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड
13	श्री राजेन्द्र सिंह	टैम्पो–4427 यूके07टीए–1708	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–22.02.10 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–17.09.10 यातायात पुलिस दिनांक 22.03.11	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 7 सवारी ओवरलोड
14	श्रीमती लक्ष्मी चौहान	टैम्पो–3869 यूए07टी–0905	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–21.10.08 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–22.02.10 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–08.06.10	निस्तारित निस्तारित निस्तारित प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया	3 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड

				कि तृतीय चालान का निस्तारण किया जाय तथा बैठक में जो भी जुर्माना होगा, वह प्रार्थी को मंजूर होगा।	
15	श्री जयप्रकाश	टैम्पो–4012 यूए07जे–9480	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–28.03.08 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–13.07.09 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–30.12.10	निस्तारित निस्तारित निस्तारित प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि तृतीय चालान का निस्तारण किया जाय तथा बैठक में जो भी जुर्माना होगा, वह प्रार्थी को मंजूर होगा।	1 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड
16	श्री प्रेम प्रकाश	टैम्पो–4317 यूके07टीए–2283	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–19.09.09 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–30.07.10 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–28.11.10	निस्तारित निस्तारित निस्तारित प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि तृतीय चालान का निस्तारण किया जाय तथा बैठक में जो भी जुर्माना होगा, वह प्रार्थी को मंजूर होगा।	4 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड
17	श्री श्रवण कुमार शर्मा	मैक्सी–1477 यूके07टीए–0773	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–17.03.09 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–04.02.10 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–10.09.10	निस्तारित निस्तारित निस्तारित	9 सवारी ओवरलोड 8 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड

			स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–21.09.10	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
18	श्री मनोज कुमार	आटो–3695 यूए08डी–9501	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–24.07.04 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–05.07.07 स0स0प0अ0(प्रव्रर्तन) दिनांक–05.12.07	निस्तारित अनिस्तारित अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड 6 सवारी ओवरलोड 8 सवारी ओवरलोड
19	श्री नरेन्द्र सिंह चौहान	यूपीकोपी–127 यूए07एफ–7284	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–17.03.07 यातायात पुलिस दिनांक–05.06.10 स0स0प0अ0(प्रवव्रन) दिनांक–15.07.10 यातायात पुलिस दिनांक 21.05.11	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित अनिस्तारित	6 सवारी ओवरलोड 9 सवारी ओवरलोड 13 सवारी ओवरलोड 14 सवारी ओवरलोड
20	श्री नरेन्द्र सिंह	टैम्पो–3552 यूपी07जी–3868	स0स0प0अ0 दिनांक–17.11.06 स0स0प0अ0 दिनांक–23.08.08 स0स0प0अ0 दिनांक–09.07.09 स0स0प0अ0 दिनांक–16.05.11	निस्तरित निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	5 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड 5 सवारी ओवरलोड 6 सवारी ओवरलोड
21	क्वंल पती देवी	टैम्पो–2055	स0स0प0अ0	निस्तारित	6 सवारी ओवरलोड

			हरिद्वार दिनांक 08.03.08 स0स0प0अ0 हरिद्वार दिनांक 11.11.10 स0स0प0अ0 हरिद्वार दिनांक 06.01.11	निस्तारित अनिस्तारित	5 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड
22	श्री चुन्नी लाल	टैम्पो–126 यूए07टी–2037	स0स0प0अ0 दिनांक 11.11.10 स0स0प0अ0 दिनांक 23.11.10 यातायात पुलिस दिनांक 22.09.11	निस्तारित अनिस्तारित अनिस्तारित	10 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 04 सवारी ओवरलोड
23	श्री नरेन्द्र सिंह	टैम्पो–3696 यूपी07जी–4692	स0स0प0अ0 दिनांक 23.12.08 स0स0प0अ0 दिनांक 13.07.11 स0स0प0अ0 दिनांक 17.09.11	निस्तारित निस्तारित निस्तारित प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि तृतीय चालान का निस्तारण किया जाय तथा बैठक में जो भी जुर्माना होगा, वह प्रार्थी को मंजूर होगा।	3 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 03 सवारी ओवरलोड
24	मौ0 जावेद	टैम्पो–3649 यूए07एस–7924	स0स0प0अ0 दिनांक 17.02.09 स0स0प0अ0	निस्तारित निस्तारित	2 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड

			दिनांक 20.03.09 स0स0प0अ0 दिनांक 13.07.09 स0स0प0अ0 दिनांक 09.12.10	निस्तारित अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड
25	श्रीमती कलावती	टैम्पो–3706 यूए07टी–4091	स0स0प0अ0 दिनांक 26.10.09 स0स0प0अ0 दिनांक 17.02.09 यातायात पुलिस दिनांक 20.04.11	निस्तारित निस्तारित निस्तारित प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि तृतीय चालान का निस्तारण किया जाय तथा बैठक में जो भी जुर्माना होगा, वह प्रार्थी को मंजूर होगा।	3 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड
26	श्री मदन लाल	टैम्पो–3767 यूए07डी–0212	स0स0प0अ0 दिनांक 15.07.08 स0स0प0अ0 दिनांक 18.12.08 स0स0प0अ0 दिनांक 23.12.10	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड
27	श्री जगन्नाथ सिंह	टैम्पो–4176 यूए07डी–3671	स0स0प0अ0 दिनांक 10.08.09 स0स0प0अ0 दिनांक 14.03.11 स0स0प0अ0 दिनांक 15.04.11	निस्तारित निस्तारित निस्तारित प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया	3 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड

				कि तृतीय चालान का निस्तारण किया जाय तथा बैठक में जो भी जुर्माना होगा, वह प्रार्थी को मंजूर होगा।	
28	श्री सुनील कुमार	टैम्पो–3739 यूए07टी–7359	स0स0प0अ0 दिनांक 13.01.09 स0स0प0अ0 दिनांक 19.05.10 यातायात पुलिस दिनांक 17.08.11	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड
29	श्री कमला देवी मठपाल	टैम्पो–3694 यूए07एन–8729	स0स0प0अ0 दिनांक 24.02.09 स0स0प0अ0 दिनांक 14.01.10 स0स0प0अ0 दिनांक 17.09.11	निस्तारित निस्तारित निस्तारित प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि तृतीय चालान का निस्तारण किया जाय तथा बैठक में जो भी जुर्माना होगा, वह प्रार्थी को मंजूर होगा।	4 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड
30	श्री प्रमोद कुमार	टैम्पो–3909 यूके07टीए–	यातायात पुलिस दिनांक 17.03.10 स0स0प0अ0 दिनांक 22.05.11 स0स0प0अ0 दिनांक 05.09.11	निस्तारित निस्तारित निस्तारित प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि तृतीय चालान का निस्तारण किया जाय तथा बैठक में जो भी जुर्माना होगा, वह प्रार्थी को मंजूर होगा।	

31	श्री राजू जायसवाल	टैम्पो–1468 यूके07टीए–0818	स0स0प0अ0 दिनांक 06.06.09 स0स0प0अ0 दिनांक 28.08.09 स0स0प0अ0 दिनांक 04.02.10 स0स0प0अ0 दिनांक 17.05.11	निस्तारित निस्तारित निस्तारित निस्तारित प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि चतुर्थ चालान का निस्तारण किया जाय तथा बैठक में जो भी जुर्माना होगा, वह प्रार्थी को मंजूर होगा।	
32	श्री कृष्ण कन्हैया चौहान	टैम्पो–3710 यूके07टीए–0893	स0स0प0अ0 दिनांक 14.09.09 स0स0प0अ0 दिनांक 17.09.10 यातायात पुलिस दिनांक 04.07.11	निस्तारित निस्तारित निस्तारित प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि तृतीय चालान का निस्तारण किया जाय तथा बैठक में जो भी जुर्माना होगा, वह प्रार्थी को मंजूर होगा।	
33.	श्री चन्दर प्रकाश कुमार	टैम्पो 4166 यूके07टीए–2799	यातायात पुलिस दिनांक 09.04.2010 यातायात पुलिस दिनांक 18.04.2010 स0स0प0अ0 दिनांक 24.09.2011	निस्तारित निस्तारित प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि तृतीय चालान का निस्तारण किया जाय तथा बैठक में जो भी जुर्माना	03 सवारी ओवरलोड 04 सवारी ओवरलोड 03 सवारी ओवरलोड

				होगा, वह प्रार्थी को मंजूर होगा।	
34.	श्री राजेश सिंह	टैम्पो–1771 यूके07टीए–0230	यातायात पुलिस दिनांक 15.09.06 यातायात पुलिस दिनांक 03.04.10 यातायात पुलिस थ्दनांक 22.09.11	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	03 सवारी ओवरलोड 03 सवारी ओवरलोड 03 सवारी ओवरलोड चालक कक्ष में पार्टीशन नहीं है।
35.	श्री सुभाष चन्द्र सब्बरवाल	टैम्पो–3628 यूए07क्यू–1368	स0स0प0अ0 दिनांक 09.12.08 स0स0प0अ0 दिनांक 11.03.10 स0स0प0अ0 दिनांक 03.11.10	निस्तारित अनिस्तारित अनिस्तारित	03 सवारी ओवरलोड, डीएल नहीं है। 02 सवारी ओवरलोड, प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं है। 03 सवारी ओवरलोड, किराया सूची नहीं है।
36.	श्री ललित कुमार	टैम्पो 1727 यूपी07जी–7481	स0स0प0अ0 दिनांक 05.11.07 स0स0प0अ0 दिनांक 19.07.08 स0स0प0अ0 दिनांक 19.10.10 स0स0प0अ0 दिनांक 09.06.11	निस्तारित निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	05 सवारी ओवरलोड 04 सवारी ओवरलोड 03 सवारी ओवरलोड 03 सवारी ओवरलोड
37.	श्री प्रमोद कुमार	टैम्पो–3904 यूके07टीए–0149	यातायात पुलिस दिनांक 17.03.11	निस्तारित	04 सवारी ओवरलोड

		स0स0प0अ0 दिनांक 22.05.11 यातायात पुलिस दिनांक 05.09.11	निस्तारित निस्तारित प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि तृतीय चालान का निस्तारण किया जाय तथा बैठक में जो भी जुर्माना होगा, वह प्रार्थी को मंजूर होगा।	02 सवारी ओवरलोड 04 सवारी ओवरलोड
38.	श्री सुन्दर लाल	टैम्पो–188 यूए07क्यू–4919	स0स0प0अ0 दिनांक 19.03.09 स0स0प0अ0 दिनांक 04.07.09 स0स0प0अ0 दिनांक 23.03.10 यातायात पुलिस दिनांक 04.09.11	निस्तारित निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	03 सवारी ओवरलोड 03 सवारी ओवरलोड 02 सवारी ओवरलोड 03 सवारी ओवरलोड
39.	श्री मुन्नालाल	ऑटो–5362 यूए018बी–9659	स0स0प0अ0 दिनांक 04.06.08 स0स0प0अ0 दिनांक 08.01.10 स0स0प0अ0 दिनांक 06.04.10 स0स0प0अ0 दिनांक 08.01.10	निस्तारित अनिस्तारित अनिस्तारित अनिस्तारित	07 सवारी ओवरलोड 03 सवारी ओवरलोड 05 सवारी ओवरलोड 03 सवारी ओवरलोड, वाहन का कोई प्रपत्र नहीं दिखाया, रोशनाबाद के बस स्टैण्ड का किराया रु0 15 प्रति सवारी किया जा रहा है।

40.	श्री मनीष कुमार	टैम्पो–4186 यूए07टी–5052	स0स0प0अ0 दिनांक 22.02.08 स0स0प0अ0 दिनांक 09.02.10 यातायात पुलिस दिनांक 10.10.11	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	03 सवारी ओवरलोड 02 सवारी ओवरलोड 03 सवारी ओवरलोड
41.	श्री चन्दर प्रकार कुमार	टैम्पो–4166 यूके07टीए–2799	यातायात पुलिस दिनांक 09.04.10 यातायात पुलिस दिनांक 18.04.10 यातायात पुलिस दिनांक 24.09.11	निस्तारित निस्तारित निस्तारित प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि तृतीय चालान का निस्तारण किया जाय तथा बैठक में जो भी जुर्माना होगा, वह प्रार्थी को मंजूर होगा।	03 सवारी ओवरलोड 04 सवारी ओवरलोड 03 सवारी ओवरलोड
42.	श्रीमती उर्मिला	टैम्पो–2111 यूए07के–2734	स0स0प0अ0 दिनांक 07.03.08 स0स0प0अ0 दिनांक 18.08.08 स0स0प0अ0 दिनांक 22.10.08 स0स0प0अ0 दिनांक 18.09.11	निस्तारित निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	04 सवारी ओवरलोड 04 सवारी ओवरलोड 04 सवार ओवरलोड 02 सवारी ओवरलोड बीमा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया। डी0एल0 निजी वाहन चलाने हेतु है।

43.	श्रीमती राजरानी	टैम्पो–1716 यूए07एन–4934	स0स0प0अ0 दिनांक 12.08.08 स0स0प0अ0 दिनांक 18.05.11 स0स0प0अ0 दिनांक 21.10.11	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	03 सवारी ओवरलोड 02 सवारी ओवरलोड 03 सवारी ओवरलोड बीमा प्रमाण पत्र दिनांक 05.09.11 को समाप्त है। रिफ्लेक्टर नहीं है।
44.	श्री मोहन लाल	टैम्पो–4579 यूपी07जे–2422	स0स0प0अ0 दिनांक 01.10.09 स0स0प0अ0 दिनांक 04.02.10 स0स0प0अ0 दिनांक 18.08.11	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	04 सवारी ओवरलोड 04 सवारी ओवरलोड 04 सवारी ओवरलोड चालक कक्ष में 03 सवारी बैठी हैं।
45.	श्रीमती दीपा भट्ट	टैम्पो–3902 यूए07क्यू–7230	स0स0प0अ0 दिनांक 19.03.07 स0स0प0अ0 दिनांक 02.08.08 स0स0प0अ0 दिनांक 22.10.11	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	01 सवारी ओवरलोड 03 सवारी ओवरलोड 02 सवारी ओवरलोड रिफ्लेक्टर नहीं है। फर्स्टएड बॉक्स नहीं है।
46.	श्री मनोज शर्मा	टैम्पो–3805 यूए07टी–4805	स0स0प0अ0 दिनांक 16.03.09	निस्तारित	03 सवारी ओवरलोड

			स0स0प0अ0 दिनांक 04.05.10 स0स0प0अ0 दिनांक 10.01.11 स0स0प0अ0 दिनांक 22.10.11	निस्तारित सी0जी0एम0 प्रेषित किया गया दिनांक 27.01.11 को। अनिस्तारित	03 सवारी ओवरलोड 04 सवारी ओवरलोड 03 सवारी ओवरलोड
47.	श्री सोनू भटनागर	पीएसटीपी–3899 यूए07एन–1179	स0स0प0अ0 दिनांक 17.03.07 स0स0प0अ0 दिनांक 24.02.10 स0स0प0अ0 दिनांक 15.09.11	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	08 सवारी ओवरलोड 12 सवारी ओवरलोड 18 सवारी ओवरलोड आर0सी0 व आर0पी0 की मूल प्रति प्रस्तुत नहीं की ।
48.	श्री लाल सिंह	यूपीसीओपी–864 यूए07एल–3858	यातायात पुलिस दिनांक 12.08.09 स0स0प0अ0 दिनांक 07.12.10 एस0डी0एम0 कालसी दिनांक शून्य	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	06 सवारी ओवरलोड 06 सवारी ओवरलोड 02 सवारी ओवरलोड

मद सं0–40 **श्री गुरुबचन सिंह पुत्र श्री संत सिंह, 19, गोविन्दगढ़, देहरादून द्वारा ऑटो रिक्षा परमिट सं0 1933 के स्वीकृत नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में विचार व आदेष।**

श्री गुरुबचन सिंह के नाम पर देहरादून केन्द्र का ऑटोरिक्षा परमिट सं0–1933 था, जो दिनांक 05–03–93 तक वैध था। परमिट पर वाहन सं0 आर0जे0ए0–4254 संचालित थी। इस परमिट के विलम्ब से नवीनीकरण हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्र को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15.05.06 में अस्वीकृत किया गया था। प्राधिकरण के इन आदेषों के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील सं0 18/08 दायर की गयी थी। अपील का निस्तारण करते हुए मा0 न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 26.04.08 को जो आदेष पारित किए गए थे, उसके मुख्य अंष निम्न प्रकार हैः–

"अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण करे आदेषित किया जाता है कि देरी को क्षमा करते हुये प्रष्मन षुल्क अदा करने पर अपीलार्थी के ऑटो परमिट सं0–1933 वाहन सं0–4254/1990 का नवीनीकरण करें। तदानुसार अपील निस्तारित की जाती है।"

मा0 न्यायाधिकरण के आदेषों के अनुपालन में मामले को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27.12.08 में मद सं0–08 के अन्तर्गत विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण द्वारा विचारोपरान्त निम्न आदेष पारित किए गए थेः–

"मामले पर विचारोपरांत प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि रू0 15000–00(पन्द्रह हजार) प्रषमन शुल्क जमा करने पर परमिट का नवीनीकरण कर दिया जाय। परमिट पर पूर्व में संचालित वाहन के स्थान पर नई पैट्रोल/एल0पी0जी0 चालित वाहन लगाने के पश्चात ही परमिट का नवीनीकरण किया जायेगा। स्वीकृत नवीनीकरण वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31–03–2009 तक किया जायेगा।"

प्राधिकरण के आदेषों की सूचना प्रार्थी को कार्यालय के पत्र सं0 2689/आरटीए/ऑटो–1933/09 दिनांक 27–01–09 द्वारा प्रेशित की गयी थी, परन्तु प्रार्थी ने निर्धारित अवधि के अन्दर परमिट का नवीनीकरण नहीं कराया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 04.11.11 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उनके परमिट के नवीनीकरण के लिए प्राधिकरण द्वारा संकल्प

सं0—08 के अन्तर्गत विलम्ब षुल्क निर्धारित किया गया था, परन्तु आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण प्रार्थी उस समय प्रष्मन षुल्क जमा नहीं करा सके। उन्होंने मामले को पुनः प्राधिकरण के सम्मुख प्रस्तुत करने का निवेदन किया है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0—41 **अन्य मद, अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से।**

सचिव
सम्भागीय परिवहन
प्राधिकरण
देहरादून।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनाक 11–11–2011 की कार्यवाही

उपस्थिति :

1. श्री अजय सिंह नबियाल — अध्यक्ष।
   आई0ए0एस0
   आयुक्त, गढ़वाल मंडल।

2. श्री विजेन्द्र भण्डारी, — सदस्य।
   05, गांधी चौक, मसूरी,
   जिला देहरादून।

3. श्री ईष्वर सिंह नेगी, — सदस्य।
   पुत्र श्री पूरन सिंह नेगी,
   ग्रा0 चरगाड़ पो0 गडिगांव
   जिला–पौड़ी।

4. श्रीमती सुनीता सिंह — पदेन सचिव।
   संभागीय परिवहन अधिकारी,
   देहरादून।

<u>संकल्प सं0–01</u>:–

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 09.03.11 की कार्यवाही की पुश्टि की जाती है।

<u>संकल्प सं0–02:–</u>

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा परिचालन पद्धति से पारित मद में उल्लिखित क्रमांक– प से पग तथा का अनुमोदन

किया जाता है।

<u>संकल्प सं0–03:–</u>

सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण तथा सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा क्रमांक–अ, ब, स तथा द पर जारी

अस्थाई/स्थाई परमिटों का अनुमोदन किया जाता है।

<u>संकल्प सं0–04:–</u>

मद सं0–4 में राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा पर्वतीय मार्गो पर संचालित बसों के लिये निर्धारित मापदण्डों में किये गये संषोधन का अवलोकन किया गया। राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मापदण्डों को देहरादून सम्भाग के मार्गो पर लागू करने की अनुमति प्रदान की जाती है, तथा इसका गजट नोटिफिकेषन की कार्यवाही भी किये जाने के निर्देष दिये जाते है ।

1. **देहरादून–मसूरी मार्ग पर संचालित बसों हेतु पूर्व में निर्धारित व्हीलबेस 190 इंच के स्थान पर 195 इंच व्हीलबेस अनुमन्य किया जाता है।**
2. **उत्तराखण्ड के सभी सम्भागों के पर्वतीय मार्गो पर संचालित बसो की अधिकतम चौडाई 234 सेमी0 के स्थान पर 250 सेमी0 अनुमन्य की जाती है।**

3. प्रदेष के सम्भाग के पर्वतीय मार्गो पर संचालित बसों के लिये पूर्व में ओवरहैंग 50 प्रतिषत निर्धारित है। पूर्व में निर्धारित ओवरहैंग 50 प्रतिषत के स्थान पर 60 प्रतिषत इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य किया जाता है कि, वाहन स्वामी द्वारा मूल चैसिस में परिवर्तन नहीं किया जायेगा और इसके अतिरिक्त जोड लगाकर चैसिस को बढाकर 60 प्रतिषत नहीं किया जायेगा।

संकल्प सं0—5:—

मद सं0—5 में राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा टूरिस्ट वाहनों के परमिट में अधिरोपित की जाने वाली षर्तो में किये गये संषोधनों का अवलोकन किया गया। राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित निम्नलिखित षर्तो को सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी परमिटों पर लागू करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. टूरिस्ट वाहनों के सम्बन्ध में मोटर कैब/मैक्सी कैब की स्थिति में वाहन के चालक द्वारा वाहन के गतिमान होने की दषा में तत्समय टेपरिकार्डर/सी0डी0 प्लेयर आदि का संचालन नहीं किया जायेगा।
2. टूरिस्ट बसों के सम्बन्ध में म्यूजिक सिस्टम की व्यवस्था इस षर्त पर अनुमन्य होगी कि, टेपरिकार्डर/सीडी प्लेयर आदि के संचालन की व्यवस्था बस में परिचालक के पास होगी।
3. सभी प्रकार की व्यवसायिक वाहन में लकडी का गुटका अनिवार्य रुप से रखा जायेगा, विशयक षर्त यथावत् लागू रहेगी।
4. टूरिस्ट वाहनों यथा टैक्सी/मैक्सी में वाहन के अग्र भाग में चालक एवं यात्री हेतु 02 बैकेट सीट लगायी जाये। अतः पूर्व में चालक केबिन में पार्टीषन रॉड अनिवार्य किया गया था। अब इस षर्त में उपरोक्तानुसार संषोधन किया जाता है।

संकल्प सं0—6:—

मद सं0–6 में मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा श्री गुरबख्ष सिंह तथा अन्य की रिवीजन सं0–05/09 में पारित आदेष दिनांक 27.06.09 के अनुपालन में देहरादून–कालसी मार्ग पर रिवीजनकर्ताओं को स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। बैठक में प्राधिकरण के समक्ष मार्ग पर परमिट जारी करने के विरुद्व देहरादून–डाकपत्थर मार्ग की ओर से श्री एस के श्रीवास्तव उपस्थित हुऐ। उन्होंने कहा कि" देहरादून–डाकपत्थर मार्ग पर कोई परमिट तब तक जारी नहीं किये जा सकते हैं, जब तक उत्तर प्रदेष राज्य के साथ कोई परिवहन करार नहीं हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि देहरादून–कालसी भी इसी मार्ग का भाग है। अतः वर्तमान में इस मार्ग पर कोई परमिट जारी ना किये जायें। यदि इस मार्ग पर परमिट जारी किये जाते हैं तो, स्वीकृत परमिट नई वाहन पर ही जारी किये जायें। मा0 उच्च न्यायालय ने याचिका सं0–117/09 एमएस तथा 140/09 एमएस–श्री विजय गोयल तथा अन्य में दिनांक 22.05.09 को दिये गये अपने निर्णय में परमिटों पर नई वाहन लगाने की षर्त को सही ठहराया गया है।

वर्तमान में देहरादून –कालसी मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने के विरुद्व श्रीमती सुषीला देवी एवम श्री एस के श्रीवास्तव द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में क्रमषः याचिका सं0–96/09 तथा 103/09 दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 19.01.09 तथा 21.01.09 को इस आषय के आदेष पारित किये गये थे कि, प्रष्नगत मार्ग पर परमिटों की स्वीकृति इन याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेषों के अनुसार होगी।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, देहरादून–कालसी मार्ग पर मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा रिवीजन सं0 05/09 में पारित आदेष दिनांक 27.06.09 के अनुपालन में निम्नलिखित प्रार्थियों को एक–एक स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने की अनुमति इस षर्त के साथ प्रदान की जाती है कि, स्वीकृत परमिट नई वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31.12.11 तक जारी किया जायेगा। यह परमिट मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त याचिकाओं में भविश्य में पारित अंतिम आदेषों की षर्त के साथ जारी किये जायेंगे।

1–श्री मोहित कुमार पुत्र श्री भूशण कुमार,
2–श्री सुमित कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाष,

3–श्री अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र श्री डी0एम0 अग्रवाल,
4–श्रीमती रमा अग्रवाल पत्नी श्री अनिल कुमार अग्रवाल,
5–श्री इन्द्रप्रीत सिंह पुत्र श्री गुरूबक्ष सिंह।

संकल्प सं0–7ः–

इस मद के अन्तर्गत मण्डलीय प्रबन्धक, संचालन, उत्तराखण्ड परिवहन निगम देहरादून को जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत प्राप्त बसों के लिये देहरादून–विकासनगर–कालसी मार्ग पर 10 स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09.03.11 में इस मार्ग पर परिवहन निगम को परमिट जारी करने के विरुद्व अध्यक्ष, देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर मोटर आनर्स वेलफेयर एसोसिएषन द्वारा आपत्ति की गई थी। प्राधिकरण ने इस बैठक में यह निर्णय लिया था कि, इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड परिवहन निगम को प्रकरण में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देषित किया जाय। परिवहन निगम ने आपत्ति के सम्बन्ध में अपना उत्तर प्रस्तुत कर दिया है, जिसका उल्लेख मद में किया गया है।

उत्तराखण्ड परिवहन निगम को प्रष्नगत मार्ग पर परमिट जारी करने के विरुद्व श्री एस के श्रीवास्तव ने आपत्ति करते हुऐ कहा कि, इस मार्ग पर समय सारिणी का निर्धारण नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि, प्राधिकरण की पिछली बैठक में निजी वाहन स्वामियों द्वारा की गई आपत्ति पर उत्तर देने के लिये परिवहन निगम को समय दिया गया था। परिवहन निगम द्वारा दिये गये उत्तर को उन्हें नहीं दिखाया गया। उन्होनें कहा कि, परिवहन निगम द्वारा दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में जवाब दाखिल करने हेतु उनको भी समय दिया जाय।

उपरोक्त के सम्बन्ध में प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि, परिवहन निगम द्वारा उक्त सम्बन्ध में उत्तर अपने पत्र–73/एचक्यू/संचालन–11/2011 दिनांक 16.03.11 द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसको प्राधिकरण की कार्यसूची में उल्लिखित किया गया है। प्राधिकरण के संज्ञान में लाया गया कि, इस बैठक के सम्बन्ध में विज्ञप्ति समाचार पत्रों में दिनांक 23.10.11 को विज्ञापित की गई थी। उसमें इस मद का भी

उल्लेख किया गया था। अतः आपत्तिकर्ता के पास निगम के उत्तर की प्रति प्राप्त करने के लिये पर्याप्त समय उपलब्ध था, परन्तु ऐसा ना करके उनके द्वारा आज आपत्ति की जा रही है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, मण्डलीय प्रबन्धक(संचालन), उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून को जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत प्राप्त बसों के लिये 05 स्थाई सवारी गाडी परमिट स्वीकृत किये जाते हैं, स्वीकृत परमिट वाहनों के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31. 12.11 तक जारी किये जायेंगे।

संकल्प सं0–8:– इस मद के अन्तर्गत अन्तर्गत देहरादून–विकासनगर–कालसी मार्ग पर निजी वाहन स्वामियों द्वारा स्थाई सवारी गाडी परमिटों हेतु दिये गये प्रार्थनापत्रों को प्रस्तुत किया गया है। जिनके विवरण परिषिश्ट **क** तथा अनुपुरक सूची में दिये गये हैं। संकल्प सं0–6 तथा संकल्प सं0–7 में पारित आदेषानुसार प्रष्नगत मार्ग पर 5 परमिट निजी वाहन स्वामियों को तथा 5 परमिट परिवहन निगम को स्वीकृत कर दिये गये हैं। इस मार्ग पर इस प्रकार 10 परमिट स्वीकृत करने के पष्चात और परमिट जारी करने की आवष्यकता नहीं है। अतः इस मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों को अस्वीकृत किया जाता है।

संकल्प सं0–9:– इस मद के अन्तर्गत श्री हरबन्ष लाल की वाहन सं0–यूए11–0690, माडल 2006 को देहरादून–डोईवाला–जौलीग्रान्ट तथा सम्बन्धित मार्ग पर अस्थाई सवारी गाडी परमिट देने हेतु मामला प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में इस मार्ग पर 48 स्थाई सवारी गाडी परमिट निजी वाहन स्वामियों को तथा 12 स्थाई परमिट उत्तराखण्ड परिवहन निगम को जारी किये गये हैं। इसके अतिरिक्त 01 अस्थाई परमिट अनु0 जाति के अभ्यर्थी को जारी किया गया है। मार्ग पर अनु0जाति कोटे के अन्तर्गत स्वीकृत 02 परमिट अभी तक जारी नहीं किये गये हैं।

मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि, श्री हरबंष लाल को देहरादून–डोईवाला तथा सम्बन्धित मार्ग का अस्थाई परमिट 04 माह के लिये स्वीकृत किया जाता है। स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी हो जाने के पष्चात प्रार्थी को जारी अस्थाई परमिट स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

<u>संकल्प सं0–10(1):–</u> इस मद के अन्तर्गत श्रीमती बबीता देवी को डी0एल0रोड–डिफेन्स कालोनी मार्ग पर दिनांक 26.06.10 में स्वीकृत स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने तथा परमिट जारी करने हेतु समय वृद्दि करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। मामले पर विचारोपरान्त प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि, स्वीकृत परमिट प्राप्त करने हेतु प्रार्थी को 6 माह का समय इस षर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है कि, नई वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने तथा प्राधिकरण की वर्तमान नीति के अनुसार रु0 10,000/– प्रषमन षुल्क जमा करने पर स्वीकृत परमिट जारी किया जायेगा।

<u>संकल्प सं0–10(2):–</u> इस मद के अन्तर्गत श्रीमती कृश्णा देवी को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20.10.10 में देहरादून–डोईवाला तथा सम्बन्धित मार्ग पर स्वीकृत स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने तथा परमिट जारी करने हेतु समय बढाने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। बैठक में अपना पक्ष रखने के लिये प्रार्थिनी ना तो स्वयं उपस्थित हुई और ना ही उनका कोई अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुआ। अतः मामले को प्राधिकरण की आगामी बैठक तक के लिये स्थगित किया जाता है।

<u>संकल्प सं0–11:–</u> इस मद के अन्तर्गत गुरुकुल नारसन–मंगलौर मार्ग का विस्तार रुडकी तक करने के सम्बन्ध में श्री भूपाल सिंह, प्रबन्धक, किसान स्वतः षासित को–आपरेटिव सोसाइटी ग्राम मंडावली पे0 गुरुकुल नारसन, हरिद्वार के प्रार्थनापत्र को विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। बैठक में प्राधिकरण के समक्ष श्री भूपाल सिंह उपस्थित हुऐ, उन्होंने प्राधिकरण को अवगत कराया कि, उक्त मार्ग पर परिवहन निगम द्वारा बस सेवा का संचालन नहीं किया जा रहा है, इसलिये उनको इस मार्ग पर सवारी गाडी परमिट जारी किया जाय। इस सम्बन्ध में परिवहन निगम के प्रतिनिधियों ने अवगत कराया कि, निगम एक सप्ताह के अन्दर प्रष्नगत मार्ग पर बस सेवा का संचालन प्रारम्भ कर देंगे।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि, परिवहन निगम को उक्त मार्ग पर बस सेवा संचालन हेतु अंतिम अवसर देते हुऐ एक सप्ताह का समय दिया जाता है, यदि परिवहन निगम द्वारा

एक सप्ताह के अन्दर बस सेवा प्रारम्भ नहीं की जाती है तो, किसान स्वतः षासित कॉ–आपरेटिव सोसाइटी ग्राम मंडावली पे0 गुरुकुल नारसन, हरिद्वार को अस्थाई परमिट जारी कर दिये जायेंगे।

<u>संकल्प सं0–12:–</u> इस मद के अन्तर्गत कुलडी–लक्सर–रुडकी तथा सम्बन्धित मार्ग का वर्गीकरण उच्च श्रेणी में करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। प्रष्नगत मार्ग का वर्गीकरण वर्श 1970 में **"बी"** श्रेणी में किया गया था। इस मार्ग का विस्तार लक्सर से रुडकी वाया लन्ढौरा, बषेडी से बी.एच.ई.एल. सैक्टर 2 तथा कुलडी से बालावाली से गंगाधाट तक किया गया है। वर्श 1970 से अब तक काफी समय व्यतीत हो चुका है तथा सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन, हरिद्वार ने सूचित किया है कि, मार्ग में काफी सुधार हुआ है तथा पूर्णतः पक्का है।

बैठक में मार्ग यूनियन के सचिव श्री जयपाल सिंह द्वारा मार्ग का वर्गीकरण उच्च श्रेणी में करने के विरुद्व आपत्ति की गई है तथा निवेदन किया है कि, प्रष्नगत मार्ग को बी श्रेणी में ही रहने दिया जाय। उन्होंने निवेदन किया है कि, वर्गीकरण उच्च श्रेणी में करने हेतु उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान अधिनियम 2003 के नियम 35 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार विचार करना अनिवार्य है।

अतः मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मार्ग के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान अधिनियम 2003 के नियम 35 में दिये गये प्राविधानों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग से आख्या प्राप्त की जाय, तत्पष्चात मामले को पुनः प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

<u>संकल्प सं0–13:–</u> इस मद के अन्तर्गत श्री नरेष चन्द जायसवाल के प्रत्यावेदन को विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस प्रतिवेदन में यह निवेदन किया गया है कि, बहादराबाद–पिरानकलियर–रुडकी मार्ग पर अस्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने का अधिकार सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हरिद्वार को दिया जाय। प्रतिवेदनकर्ता बुलाये जाने पर प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं हुऐ। प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा अस्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने का अधिकार सम्भागीय

परिवहन प्राधिकरण के सचिव व सम्भाग के सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी को प्रदत्त किया गया है। उप सम्भाग के सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी को यह अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

प्राधिकरण ने विचारोपरान्त यह मत स्थिर किया कि, धारा 87 के अन्तर्गत अस्थाई स्टैज कैरेज परमिट जारी करने की षक्ति का सचिव व सचिव की अनुपस्थिति सम्भागीय परिवहन कार्यालय के सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी को क्मसपहंजपवद सुविचारित है तथा कार्यहित में है। विचाराधीन श्रेणी के अस्थाई परमिटों को जारी करने से पूर्व इस राश्ट्रीयकृत मार्ग पर परिवहन निगम द्वारा वाहन संचालन की सम्भावना आदि महत्वपूर्ण विशयों पर विचार व सभी तथ्यों का संज्ञान लेने के लिये अपेक्षित परिपक्वता, सूचनाओं की उपलब्धता व अनुभव का स्तर उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय स्तर पर सम्भव न होने के कारण यह षक्ति उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय स्तर के सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी को प्रदत्त नहीं की जा सकती है।

उक्त मार्ग राश्ट्रीयकृत मार्ग है। इस मार्ग पर वाहन चलाने के लिये उत्तराखण्ड परिवहन निगम अधिकृत है। बैठक में परिवहन निगम के प्रतिनिधियों ने अवगत कराया कि, वह स्वयं उक्त मार्ग पर वाहन चलाने हेतु तत्पर हैं, उनके पास जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की छोटी बसें भी उपलब्ध हैं। वह षीघ्र इस मार्ग पर बस संचालन करेंगे।

प्राधिकरण द्वारा विचारोपरान्त वर्णित तथ्यों के आधार पर श्री नरेष चन्द जायसवाल के प्रत्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

संकल्प सं0–14ः– इस मद के अन्तर्गत विकासनगर–लांधा मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिटों हेतु प्राप्त 04 प्रार्थनापत्रों को विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस मार्ग पर पूर्व में 08 स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी किये गये थे, परन्तु वर्तमान में 04 वाहनें संचालित हो रही हैं। मार्ग पर उपलब्ध रिक्तियों में श्री रामकुमार पुत्र श्री प्रभूदयाल को उनकी वाहन सं0– यूए07बी–7321 के लिये अस्थाई परमिट जारी किया गया है।

मद में वर्णित सभी प्रार्थियों को एक–एक स्थाई सवारी गाडी परमिट स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृत परमिट प्रार्थियों को नई वाहनों के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31.12.11 तक जारी किये जायेंगे।

<u>संकल्प सं0–15:–</u> इस मद के अन्तर्गत रुडकी केन्द्र से स्थाई टैम्पो परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों को विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्राप्त प्रार्थनापत्रों के विवरण परिषिश्ट **ख** व अनुपुरक सूची में दिये गये हैं। प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि, वर्तमान में रुडकी केन्द्र से 181 टैम्पो परमिट वैध हैं। काफी समय से रुडकी केन्द्र के नये विक्रम परमिट जारी नहीं किये गये हैं। रुडकी केन्द्र से परमिट जारी करने के विरुद्व बालावाली– लक्सर –रुडकी–हरिद्वार मार्ग बस आपरेटर यूनियन द्वारा आपत्ति की गई है। इस आपत्ति में यह कहा गया है कि, रुडकी षहर हरिद्वार–दिल्ली व रुडकी सहारनपुर दो राश्ट्रीयकृत मार्गो के मध्य स्थापित है। रुडकी बस स्टैन्ड पर आये दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। षहर में काफी मात्रा में स्कूल बस मिनी बस व औधोगिक संस्थानों की बसें संचालित हैं। उन्होंने निवेदन किया है कि, षहर मे वाहनों की भीड़ को देखते हुऐ रुडकी सेन्टर से टैम्पो परमिट जारी नहीं किये जायें।

उपरोक्त के अतिरिक्त देवभूमि आटोरिक्षा मालिक चालक कल्याण समिति ने आपत्ति की है कि, हरिद्वार में टैम्पो परमिट जारी करने पर पहले ही प्रतिबन्ध लग गया है। उन्होंने निवेदन किया है कि, रुडकी केन्द्र से विक्रम टैम्पो के नये परमिट जारी नहीं किये जायें। यदि रुडकी व लक्सर तहसील के आवेदकों को परमिट जारी किये जाते हैं तो, इन गाडियों को ग्रामीण क्षेत्र के परमिट जारी किये जायें, जिससे कि, ग्रामीणों को इन परमिटों का लाभ मिल सके और इन परमिटों का रंग भी अलग हो अन्यथा ये वाहनें हरिद्वार में ही चलेंगी और ग्रामीणों को इसका कोई लाभ नहीं मिल सकेगा।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, रुडकी क्षेत्र में आबादी में वृद्वि, षिक्षा, उधोग आदि क्षेत्रों में हुऐ विकास के फलस्वरुप परिवहन सुविधाओं में वृद्वि की आवष्यकता के दृश्टिगत् रुडकी केन्द्र से परमिटो हेतु प्राप्त समस्त प्रार्थनापत्रों को निम्न षर्तो के साथ स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृत परमिट नई वाहन (7+1 सीटर) के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31.12.11 तक जारी किये जायेंगे।

1. हरिद्वार जनपद का निवासी हो।
2. आवेदक के नाम अन्य कोई परमिट न हो।
3. आवेदक बेरोजगार हो।

4. आवेदक के पास हल्की वाणिज्यिक वाहन चलाने का डी0एल0 हो।
5. परमिट 03 वर्श की अवधि से पूर्व हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा।
6. मार्ग पर संचालित वाहनों मॉडल सीमा 10 वर्श होगी तथा 10 वर्श की आयुसीमा पूरी होने पर ऊँचे मॉडल की वाहन से प्रतिस्थापन किया जाएगा।
7. वाहन का रंग नीला होगा तथा वाहन की बॉडी पर चारों साइड से **"रुडकी केन्द्र"** सुस्पश्ट प्रदर्षित होगा।
8. इस श्रेणी की एल0पी0जी0 चालित तिपहिया वाहन उपलब्ध होने, एल0पी0जी0 फिलिंग स्टेषन उपलब्ध होने पर वाहन का प्रतिस्थापन एल0पी0जी0 चालित वाहन से किया जायेगा।

संकल्प सं0—16:— इस मद के अन्तर्गत लक्सर केन्द्र से स्थाई टैम्पो परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों को विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्राप्त प्रार्थनापत्रों के विवरण परिषिश्ट **ग** तथा अनुपुरक सूची में दिये गये हैं। प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि, वर्तमान में लक्सर केन्द्र से 20 टैम्पो परमिट जारी किये गये हैं। वर्श 1998 के पष्चात् नये परमिट जारी नहीं किये गये हैं। लक्सर केन्द्र से परमिट जारी करने के विरुद्व बालावाली—लक्सर—रुडकी—हरिद्वार मार्ग बस आपरेटर यूनियन द्वारा आपत्ति की गई है। इस आपत्ति में यह कहा गया है कि, रुडकी से लक्सर रेल यातायात उपलब्ध है। लक्सर क्षेत्र में रोडवेज, कुलडी—लक्सर—रुडकी तथा दल्लावाला—खानपुर—लक्सर मार्ग की बसें संचालित हैं। यदि लक्सर केन्द्र में विक्रमों को परमिट दिया जाता है तो, जहॉ एक ओर दुर्धटना की संख्या एवम् जाम की स्थिति में इजाफा होगा, वहीं बस मालिकों को अत्यधिक आर्थिक हानि होगी। ऐसी दषा में हमारे द्वारा अपनी मार्ग की सभी बसों/मिनी बसों को अपने प्रपत्र कार्यालय में समर्पण करने पडेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विभाग की होगी।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, लक्सर केन्द्र से परमिटो हेतु प्राप्त समस्त प्रार्थनापत्रों को निम्न षर्तो के साथ स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृत परमिट नई वाहन (7+1 सीटर) के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31.12.11 तक जारी किये जायेंगे।

1. हरिद्वार जनपद का निवासी हो।
2. आवेदक के नाम अन्य कोई परमिट न हो।
3. आवेदक बेरोजगार हो।
4. आवेदक के पास हल्की वाणिज्यिक वाहन चलाने का डी0एल0 हो।
5. परमिट 03 वर्श की अवधि से पूर्व हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा।
6. मार्ग पर संचालित वाहनों मॉडल सीमा 10 वर्श होगी तथा 10 वर्श की आयुसीमा पूरी होने पर ऊँचे मॉडल की वाहन से प्रतिस्थापन किया जाएगा।
7. वाहन का रंग हरा होगा तथा वाहन की बॉडी पर चारों साइड से "लक्सर **केन्द्र"** सुस्पश्ट प्रदर्षित होगा।
8. इस श्रेणी की एल0पी0जी0 चालित तिपहिया वाहन उपलब्ध होने, एल0पी0जी0 फिलिंग स्टेषन उपलब्ध होने पर वाहन का प्रतिस्थापन एल0पी0जी0 चालित वाहन से किया जायेगा।

<u>संकल्प सं0–17:–</u> इस मद के अन्तर्गत डोईवाला ग्रामीण क्षेत्र के लिये विक्रम टैम्पो परमिट जारी करने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार पुत्र श्री टीकाराम(सामान्य श्रेणी) के प्रार्थनापत्र को प्राधिकरण के समक्ष विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09.03.11 में डोईवाला केन्द्र के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विक्रम टैम्पो परमिटों हेतु प्राप्त समस्त प्रार्थनापत्र निम्न लिखित षर्तों के साथ स्वीकृत किये गये थेः–

"प्रथम आगत, प्रथम निर्गत के सिद्धांत पर कुल 60 परमिट वाहनों के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 30–04–11 तक जारी किए जाएंगे, जिनमें से 47 परमिट सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को, 11 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों तथा 02 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को जारी किए जाएंगे। निर्धारित संख्या में स्वीकृत परमिट जारी हो जाने के पश्चात् षेश प्रार्थनापत्रों की स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जाएंगी।

1. **परमिट से आच्छादित वाहन का संचालन डोईवाला में लच्छीवाला रेलवे पुल से से आगे देहरादून षहर की ओर, ऋशिकेष मार्ग पर नटराज चौक से आगे तथा हरिद्वार मार्ग पर नेपाली फार्म से आगे नहीं किया जायेगा। वाहन का संचालन डोईवाला के ग्रामीण क्षेत्रों में ही किया जाएगा।**

2. वाहनों का रंग हरा होगा तथा इन पर 05 इंच की सफेद पट्टी होगी जिसमें काले रंग से डोईवाला ग्रामीण क्षेत्र अंकित होगा।

3. देहरादून जनपद का निवासी हो।

4. आवेदक के नाम अन्य कोई परमिट न हो।

5. आवेदक बेरोजगार हो।

6. आवेदक के पास हल्की वाणिज्यिक वाहन चलाने का डी0एल0 हो।

7. परमिट 03 वर्श की अवधि से पूर्व हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा तथा आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत जारी परमिट आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को ही हस्तान्तरित किया जा सकेगा।

8. आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक, जिला प्रषासन द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे।

9. मार्ग पर संचालित वाहनों मॉडल सीमा 10 वर्श होगी तथा 10 वर्श की आयुसीमा पूरी होने पर ऊँचे मॉडल की वाहन से प्रतिस्थापन किया जाएगा।"

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत करना है कि, प्राधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेषों के अनुपालन में **47 परमिट सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को तथा 11 अनु0जाति के अभ्यर्थियों को जारी कर दिये गये हैं। अब केवल 02 परमिट अनु0जनजाति कोटे के अन्तर्गत जारी किये जाने षेश हैं।** परन्तु सामान्य श्रेणी की निर्धारित रिक्तियां पूर्ण हो जाने के पश्चात् भी 18 आवेदकों को प्राधिकरण द्वारा परिचालन पद्वति से परमिट जारी किये गये, जिन्होंने स्वीकृति पत्र के आधार पर वाहन क्रय कर लिये थे। वर्तमान में डोईवाला ग्रामीण क्षेत्र में 76 विक्रम टैम्पो परमिट वैध हैं।

श्री राजकुमार द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09.03.11 में स्वीकृत परमिट प्राप्त करने के लिये स्वीकृति पत्र के आधार पर दिनांक 18.04.11 को वाहन क्रय कर लिया गया था। परन्तु रिक्तियां पूर्ण हो जाने के कारण उनको परमिट जारी नहीं किया गया। आवेदक वाहन क्रय कर चुके हैं, अतः उनकी आर्थिक कठिनाईयों के दृश्टिगत श्री राजकुमार को डोईवाला केन्द्र(ग्रामीण क्षेत्र) का एक विक्रम टैम्पो परमिट प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09.03.11 में निर्धारित उपरोक्त षर्तो के साथ स्वीकृत किया जाता है।

<u>संकल्प सं0–18(1):–</u> इस मद के अन्तर्गत कौलागढ–विधानसभा के नगर बस परमिटों को हल्की वाहनों के परमिटों में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है।

मार्ग के बस ऑपरटरों द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया है कि "सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक 27.12.08 में कौलागढ़ से विधानसभा मार्ग पर 06 सिटी बस परमिट जारी किए गए थे। कुछ समय पष्चात् थानाकैण्ट–परेडग्राउण्ड की सिटी बसों को भी इसी रूट के परमिट अंकित कर दिए गए जिस कारण हमारी सिटी बसों को पर्याप्त सवारी न मिल पानी से काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा और हमे मजबूर होकर अपनी गाड़ियों को बेचना पड़ा, जिससे हमें बेरोजगार भी होना पड़ा और अपने परिवार के भरण–पोशण की एक बहुत बुरी स्थिति बन गयी है। उनके मार्ग की नगर बस परमिटों को हल्के वाहनों के परमिटों से परिवर्तित कर दिया जाए तथा कौलागढ़ से घण्टाघर तक का छोटे वाहन के परमिट देने की कृपा करें, ताकि हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें और सरकार को राजस्व की हानि भी न हो सकें"।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, संयुक्त सर्वेक्षण समिति के माध्यम से उक्त मार्ग का पुनः सर्वे/परीक्षण कराया जाय तथा मार्ग की आर्थिक तथा लोड फैक्टर के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या प्राप्त की जाय, तदोपरान्त मामले को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

<u>संकल्प सं0–18(2):–</u> इस मद के अन्तर्गत कौलागढ–विधानसभा तथा सम्बन्धित मार्ग का विस्तार बाजावाला–मसन्दावाला तक करने तथा मार्ग पर हल्की वाहनों को परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। मार्ग पर परमिट जारी करने के विरुद्व अध्यक्ष, नगर बस सेवा, अनारवाला–गढ़ीकैण्ट–आईएसबीटी–परेडग्राउण्ड ने आपत्ति की है कि उपरोक्त मार्ग पर अलग से ठेका परमिट के टाटा मैजिक को संचालित कराना सिटी बस वालों के अधिकारों पर कुठाराघात होगा। क्योंकि अत्यधिक संख्या में विक्रम व सिटी बसें संचालित होने के कारण प्रतिस्पर्धा बारम्बार बनी रहती है, जिस कारण दुर्घटनायें एवं मारपीट व झगड़े होते रहते हैं, इसके साथ ही बस मालिक आर्थिक आधार पर कमजोर हो रहे हैं, जिससे बसों के रख रखाव में भी मुष्किलों का सामना करना पड़ता है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, कौलागढ–विधानसभा तथा सम्बन्धित मार्ग का सर्वेक्षण संयुक्त सर्वेक्षण समिति के माध्यम से कराकर विस्तृत आख्या प्राप्त की जाय, समिति का दायित्व होगा कि, वह परीक्षण कर यह बतायें कि, इस मार्ग की म्बवदवउपब प्दअपंइपसपजल के क्या कारण रहे हैं और उनके निराकरण के उपाय व इस क्षेत्र की जनता को समुचित परिवहन सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु इस मार्ग में किस प्रकार के परिवर्तन उचित होंगे। तदोपरान्त मामले को प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

<u>संकल्प सं0–19:–</u> इस मद के अन्तर्गत बुल्लावाला–झबरावाला–डोईवाला–भानियावाला–लालतप्पड़ मार्ग पर 4 पहिया 7/8 सीटर हल्की वाहनों का संचालन स्थाई ठेका गाड़ी के रुप में करने हेतु परमिटों के लिये प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर विचार व आदेष हेतु मामला प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त मार्ग पर परमिट देने के विरुद्ध श्री सुषील गैरोला द्वारा प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर इस मार्ग पर छोटी वाहनों को ठेका परमिट जारी करने के सम्बन्ध में आपत्ति की है। इस मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों का विवरण परिषिश्ट **ध** तथा अनुपुरक सूची में दिया गया है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, परिषिश्ट घ तथा अनुपुरक सूची में वर्णित समस्त प्रार्थनापत्रों को निम्नलिखित षर्तों के साथ परमिट स्वीकृत किये जाते हैं:–

1. इस मार्ग पर कुल 20 परमिट प्रथम आगत–प्रथम निर्गत के सिद्वान्त पर नई वाहनों के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर जारी किए जाएंगे, जिनमें से 15 परमिट सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को, 04 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों तथा 01 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को जारी किए जाएंगे।
2. आवेदक जनपद देहरादून के निवासी हो, इस हेतु मतदाता परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. आवेदक के नाम पर अन्य कोई परमिट न हो।
4. आवेदक बेरोजगार हों।
5. उसके पास हल्की वाणिज्यिक वाहन चलाने का डी0एल0 हो।

6. आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक, जिला प्रषासन द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे।
7. परमिट को न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि तक हस्तान्तरित नहीं किया जा सकेगा तथा आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत जारी परमिट आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को ही हस्तान्तरित किया जा सकेगा।
8. परमिट पर संचालित प्रत्येक वाहन को वाहन के संचालन के सम्बन्ध में लॉगबुक भरनी अनिवार्य होंगी। जिससे टैक्स निर्धारण, समय–सारिणी का अनुपालन, वाहन के पूरे मार्ग पर संचालन की सूचना तथा वाहन माह में कितने किमी0 संचालित की गई, के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध हो सके।

स्वीकृत परमिट नई वाहनों(7/8 सीटर) के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31–12–2011 तक जारी किए जाएंगे। निर्धारित संख्या में परमिट जारी होने पर षेश प्रार्थनापत्रों की स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जाएगी।

संकल्प सं0–20:– इस मद के अन्तर्गत बिश्ट गांव–मंगौल–पंडितवाड़ी–गजियावाला–सप्लाई–आईएसबीटी मार्ग पर 4 पहिया 7/8 सीटर हल्की वाहनों का संचालन स्थाई ठेका गाड़ी के रुप में करने हेतु परमिटों के लिये प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर विचार व आदेष हेतु मामला प्रस्तुत किया गया।

अध्यक्ष, महानगर बस सेवा, रायपुर–प्रेमनगर मार्ग तथा अध्यक्ष, अनारवाला–गढीकैन्ट–आईएसबीटी–परेड ग्राउन्ड ने छोटी वाहनों को ठेका परमिट जारी करने के विरुद्ध आपत्ति की है, जिसका उल्लेख मद में किया गया है। इसके अतिरिक्त श्री अरुण षर्मा तथा श्री अलाउदीन(जन प्रतिनिधि) ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर इस मार्ग पर छोटी वाहनों को ठेका परमिट जारी करने के सम्बन्ध में आपत्ति करते हुऐ कहा कि, छोटी वाहनों को परमिट जारी करने पर मार्ग ओवरलैप होगा। मार्ग पर दो प्रकार की वाहन संचालित होने के फलस्वरुप अनावष्यक प्रतिस्पर्धा होगी, जिससे दुर्धटना की सम्भावना हर समय बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त श्री दर्षन सिंह द्वारा प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर प्रत्यावेदन दिया गया कि, उक्त मार्ग पर परमिट जारी करने के विरुद्ध उनके द्वारा रिट दायर की गई है। उन्होंने उक्त मार्ग पर प्राप्त आवेदन पत्रों की सुनवाई स्थगित करने की प्रार्थना की है।

सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन, देहरादून ने अपने पत्र सं0–2196/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/09 दिनांक 21.10.09 द्वारा सर्वेक्षण आख्या प्रेशित की है, जिसके अनुसार सप्लाई डिपो से आगे इस मार्ग पर बसों का संचालन, मार्ग उबड खाबड, संकरा होने के कारण संचालन जनसुरक्षा की दुश्टि से खतरनाक है। यह मार्ग हल्के वाहन के संचालन हेतु उपयुक्त है। मार्ग से इन्दिरा नगर ग्राम, गजियावाला, मंगोल–पंडितवाडी, बिश्ट गांव तथा सिंगली आदि गांवो का सम्पर्क है, जिसकी आबादी लगभग 35000–40000 होगी।

इस मार्ग पर परमिट प्राप्त करने हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों का विवरण परिषिश्ट **च** तथा अनुपुरक सूची में किया गया है।

अतः क्षेत्रीय नागरिकों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देष्य से प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, परिषिश्ट तथा अनुपुरक सूची में वर्णित समस्त प्रार्थनापत्र निम्नलिखित षर्तों के साथ स्वीकृत किये जाते हैंः–

1. इस मार्ग पर कुल 20 परमिट प्रथम आगत–प्रथम निर्गत के सिद्वान्त पर नई वाहनों के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर जारी किए जाएंगे, जिनमें से 15 परमिट सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को, 04 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों तथा 01 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को जारी किए जाएंगे।
2. आवेदक जनपद देहरादून के निवासी हों इस हेतु मतदाता परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. आवेदक के नाम पर अन्य कोई परमिट न हो।
4. आवेदक बेरोजगार हों।
5. उसके पास हल्की वाणिज्य वाहन चलाने का डी0एल0 हो।
6. आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक, जिला प्रषासन द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे।
7. परमिट को न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि तक हस्तान्तरित नहीं किया जा सकेगा तथा आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत जारी परमिट आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को ही हस्तान्तरित किया जा सकेगा।

8. परमिट पर संचालित प्रत्येक वाहन को वाहन के संचालन के सम्बन्ध में लॉगबुक भरनी अनिवार्य होंगी। जिससे टैक्स निर्धारण, समय–सारिणी का अनुपालन, वाहन के पूरे मार्ग पर संचालन की सूचना तथा वाहन माह में कितने किमी0 संचालित की गई, के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध हो सके।

स्वीकृत परमिट नई वाहनों(7/8 सीटर) के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31–12–2011 तक जारी किए जाएंगे। निर्धारित संख्या में परमिट जारी होने पर षेश प्रार्थनापत्रों की स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जाएगी। यह परमिट मा0 उच्च न्यायालय द्वारा भविश्य में पारित अंतिम आदेषों की षर्त के साथ जारी किये जायेंगे।

<u>संकल्प सं0–21:–</u> इस मद के अन्तर्गत देहरादून–रायपुर–मालदेवता मार्ग पर चल रही टाटा मैजिक वाहनों की संख्या बढाये जाने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में मार्ग पर 6 बसें तथा 11 हल्की वाहनें (टाटा मैजिक) चल रही हैं। सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून ने मार्ग का सर्वेक्षण करने के पष्चात आख्या प्रेशित की है कि, वर्तमान में मार्ग पर चल रही वाहनें स्थानीय जनता को परिवहन की पर्याप्त सेवायें देने में सक्षम नहीं है। उन्होंने मार्ग पर 05 हल्की वाहनों के परमिट जारी करने की संस्तुति की है।

इस मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों के विवरण परिषिश्ट **छ** तथा अनुपुरक सूची में दिये गये हैं। प्रार्थनापत्रों का अवलोकन करने के पष्चात ज्ञात हुआ कि, अधिकतर वाहन स्वामियों द्वारा प्रार्थनापत्र ठेका गाडी के लिये निर्धारित प्रपत्र में दिये गये हैं। जबकि स्टैज कैरेज परमिट हेतु निर्धारित प्रपत्र एस0आर0 20 पर आवेदन करना अपेक्षित था। अतः प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर ना होने वाले सभी आवेदनपत्रों को निरस्त करते हुऐ इस मार्ग पर विचार करना अगली बैठक तक के लिये स्थगित किया जाता है।

<u>संकल्प सं0–22:–</u> इस मद के अन्तर्गत ऑटोरिक्षा वाहनों में किराये का मीटर लगाने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। बैठक में प्राधिकरण के समक्ष आटोरिक्षा यूनियन के प्रतिनिधियों ने अवगत कराया कि, वर्तमान में आटोरिक्षा का किराया बहुत कम है। यदि वाहनों में किराये का मीटर लगाया जाता है

तो, इन वाहनों का किराया बढाया जाय, उसके पष्चात ही किराये का मीटर लगाने के आदेष दिये जायें। वर्तमान में निर्धारित किराये के अनुसार वाहनों में मीटर लगाकर संचालित करना आर्थिक रुप से लाभप्रद नहीं है। प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि, राज्य परिवहन प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 31.10.11 में आटोरिक्षा की किराया दर में वृद्घि का प्रकरण विचाराधीन था।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, राज्य परिवहन प्राधिकरण को स्थिति से अवगत कराते हुऐ निवेदन किया जाय कि, आटोरिक्षा वाहनों के किराये में वृद्घि के सम्बन्ध में यदि विचार किया जाता है तो, इन वाहनों के किराये में वृद्घि इस षर्त के साथ की जाय कि, वाहनों में किराये का मीटर लगाया जाना अनिवार्य होगा। वाहनों के किराया दर में वृद्घि के प्रकरण का राज्य परिवहन प्राधिकरण के द्वारा निस्तारण के पष्चात फेयर मीटर की अनिवार्यता की षर्त आरोपित करने हेतु मामले को पुनः प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

<u>**संकल्प सं0–23ः–**</u> इस मद के अन्तर्गत उत्तरकाषी षहरी क्षेत्र के अन्दर स्थानीय यातायात एवम् पर्यटकों की सुविधा को दृ्ष्टिगत रखते हुऐ आटोरिक्षा संचालन के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। जिलाधिकारी, उत्तरकाषी ने उत्तरकाषी के षहरी क्षेत्र में महिन्द्रा जियो 4 व्हीलर वाहन के संचालन के सम्बन्ध में अपने पत्र दिनांक 23.06.11 द्वारा अवगत कराया है कि, वाहन को षहरी क्षेत्र में संचालन हेतु उपर्युक्त पाया गया है। इसके अतिरिक्त सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रषासन उत्तरकाषी ने अपने पत्र दिनांक 12.05.11 द्वारा सूचित किया है कि, उत्तरकाषी नगर में वाहन संचालन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा 6 सदस्यों की समिति गठित की गई थी। समिति ने उत्तरकाषी में नगर पालिका सीमा के अन्तर्गत महिन्द्रा जियो 4 व्हीलर वाहन के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति प्रदान की गई है कि, उत्तरकाषी षहर में 8 किमी0 अर्धव्यास क्षेत्र के लिये वाहनों को परमिट जारी किये जायें। समिति की आख्या में यह भी कहा गया है कि, उत्तरकाषी नगर धाटी में बसा होने के कारण इसका अधिकतर भाग समतल है। समिति ने नगर में यातायात की आवष्यकता की पूर्ति के लिये अधिकतम 30 वाहनों के संचालन की अनुमति दी है।

प्राधिकरण की बैठक में मैसर्स टी0जी0एम0ओ0सी0 के प्रतिनिधियों ने अवगत कराया गया कि, उपरोक्त प्रकार वाहनों को परमिट दिये जाने से षहर में ट्रैफिक कन्जैषन व वायु प्रदूशण की समस्या हो सकती है। इसलिये छोटी वाहनों को परमिट दिया जाना उचित नहीं है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, उत्तरकाषी नगर में स्थानीय यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये छोटी वाहनों को चलाये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, उत्तरकाषी से पुनः आख्या प्राप्त की जाय तथा उसके पष्चात मामले को प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

<u>संकल्प सं0–24(अ):–</u> इस मद के अन्तर्गत हरिद्वार केन्द्र के ऑटो रिक्षा परमिटों का मार्ग 16 किमी के स्थान पर 25 किमी करने के सम्बन्ध में श्री विजय अग्रवाल अध्यक्ष, मालिक एवं चालक कल्याण समिति, रेलवे स्टेषन पंचपुरी, हरिद्वार के पत्र तथा ऑटो रिक्षा विक्रम एसोसिएशन, ललतारौपुल, रेलवे रोड़, हरिद्वार के पत्र को प्राधिकरण के समक्ष विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। बैठक में आटोरिक्षा यूनियन के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि, देहरादून व ऋशिकेष में आटोरिक्षा वाहनों के परमिटों का मार्ग बढाकर 25 किमी0 अर्धव्यास कर दिया गया है, परन्तु हरिद्वार केन्द्र से जारी आटोरिक्षा वाहनों के परमिटों का मार्ग नहीं बढाया गया है। उन्होंने निवेदन किया है कि, हरिद्वार केन्द्र से जारी आटोरिक्षा वाहनों के परमिटों का मार्ग 25 किमी0 करने की कृपा करें। उत्तराखण्ड प्रदेष विक्रम टैम्पो महासंघ ने हरिद्वार केन्द्र के आटोरिक्षा वाहनों का मार्ग बढाने के सम्बन्ध में आपत्ति की गई कि, ऋशिकेष–मुनि की रेती–लक्ष्मण झूला क्षेत्र में पहले से ही आटो एवं विक्रमों की संख्या बहुत अधिक है। यदि हरिद्वार के विक्रम व आटो इस क्षेत्र में संचालित होते हैं तो, यातायात की व्यवस्था बिगड जायेगी साथ ही स्थानीय जनता को भी परेषानी का सामना करना पडेगा।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, हरिद्वार केन्द्र के आटोरिक्षा वाहनों का मार्ग 16 किमी0 के स्थान पर 25 किमी0 अर्धव्यास करने की स्वीकृति इस षर्त के साथ प्रदान की जाती है कि, वाहनों का संचालन ऋशिकेष षहर की दिषा में अधिकतम चार धाम बस अडडे(सी0टी0बी0टी0) तक किया जायेगा, जिससे बस एवं रेल से जाने वाले यात्रियों को सुविधाजनक परिवहन सुविधा मिल सके। इन वाहनों का संचालन मुनि की रेती तथा लक्ष्मण झूला क्षेत्र में प्रतिबन्धित रहेगा।

(ब) इस मद के अन्तर्गत श्री षिव कुमार षर्मा, संयोजक आटो रिक्षा विक्रम महासंध हरिद्वार के पत्र को विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस पत्र में हरिद्वार केन्द्र के आटोरिक्षा परमिटों का मार्ग बढाकर 25 किमी0 अर्धव्यास करने का निवेदन किया है। इस सम्बन्ध में संकल्प सं0–24(अ) में आदेष पारित कर दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त हरिद्वार केन्द्र के विक्रम टैम्पो परमिटों पर मुनि की रेती एंव डोईवाला में संचालन हेतु लगाये गये प्रतिबन्ध को समाप्त करने हेतु निवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि, स्थान की संकीर्णता के कारण हरिद्वार केन्द्र के विक्रम टैम्पो वाहनों का संचालन डोईवाला तथा मुनि की रेती क्षेत्र में प्रतिबन्धित किया गया था। पुनः इस प्रत्यावेदन के प्राप्त होने पर ऋशिकेष के पुलिस, प्रषासन के अधिकारियों से इस पर अपना अभिमत देने के लिये पत्र लिखा गया था।

क्षेत्राधिकारी, ऋशिकेष ने अपने पत्र दिनांक 13.06.11 द्वारा सूचित किया है कि, ऋशिकेष क्षेत्र की सडकें संकुचित होने के कारण पूर्व से ही अधिक संख्या में संचालित हो रहे विक्रम टैम्पो वाहनों के कारण आये दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसी स्थिति में अधिक विक्रम वाहनों को ऋशिकेष क्षेत्र में तथा ऋशिकेष से लक्ष्मण झूला की ओर संचालित करना किसी भी स्थिति में उचित नहीं होगा।

अतः प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, ऋशिकेष में स्थान की संकीर्णता के कारण हरिद्वार केन्द्र के विक्रम टैम्पो वाहनों को लक्ष्मणझूला–मुनि की रेती क्षेत्र में संचालन की अनुमति देना उचित नहीं होगा। प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया कि, हरिद्वार तथा ऋशिकेष केन्द्र से संचालित विक्रम टैम्पो वाहनों के लिये अलग–अलग रंग निर्धारित करने के सम्बन्ध में एक समिति का गठन किया जाता है। इस समिति में परिवहन, पुलिस तथा प्रषासन के अधिकारियों को सम्मिलित किया जाय। इस समिति का यह कार्य होगा कि, वे इन वाहनों के रंग संयोजन आदि के बारे में सुझाव देंगे, जिसके आधार पर इन वाहनों का संचालन निर्धारित क्षेत्रों में ही हो व ट्रैफिक, जाम आदि की समस्याओं पर अंकुष लग सके।

संकल्प सं0–25:– इस मद के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा स्थापित चालक प्रषिक्षण संस्थान झाझरा में चालकों को रिफ्रेषर प्रषिक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मामला प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण को बैठक में टी0जी0एम0ओ0सी0 ऋशिकेष के प्रतिनिधियों ने अवगत कराया कि, चालक प्रषिक्षण संस्थान राज्य के सभी जनपदों में स्थापित नहीं है। जिस कारण से राज्य के सभी दूरदराज के क्षेत्रों से झाझरा,

देहरादून में रिफ्रैषर प्रषिक्षण प्राप्त करने हेतु आना सम्भव नहीं होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि, यदि चालकों को प्रषिक्षण दिया जाना आवष्यक है तो, प्रत्येक जनपद में प्रतिमाह प्रषिक्षण कैम्प लगाये जायें, ताकि इन कैम्पों में स्थानीय वाहन चालक प्रषिक्षण प्राप्त कर सकें। उन्होंने यह भ अवगत कराया कि, पूरे राज्य से वाहन चालकों को प्रषिक्षण के लिये झाझरा देहरादून में बुलाया जाना व्यवहारिक नहीं है, इससे अनेक प्रकार की कठिनाईयां उत्पन्न होंगी। प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निम्नलिखित मत व्यक्त कियाः—

- यात्री वाहनों में चालक प्रषिक्षण संस्थान, झाझरा में रिफ्रैषर कोर्स पूर्ण करने वाले चालकों को ही नियोजित करने की षर्त लगाने से व्यवहारिक कठिनाईयां आयेंगी, क्योंकि रिफ्रैषर कोर्स की सुविधा देहरादून के अलावा अन्य क्षेत्रों में नहीं है। अतः इस षर्त के अनुपालन को सुनिष्चित करने में जनसहयोग के अभाव में कठिनाई होगी।
- उल्लेखनीय है कि, चार धाम यात्रा आदि में वाहनों की प्रायः कमी पड जाती है। इस षर्त से यह समस्या और विकट हो सकती है।
- इस सम्भाग के यात्री वाहनों की संख्या को देखते हुऐ उनसे जुडे चालकों के प्रषिक्षण के लिये चालक प्रषिक्षण संस्थान को भी समय लगेगा। अतः इस स्तर पर रिफ्रैषर कोर्स को अनिवार्य कर देना उचित नहीं रहेगा।
- अन्य राज्यों व अन्य सम्भागों के यात्री वाहनों पर इस कोर्स की अनिवार्यता का क्रियान्वयन सहज नहीं होगा।

अतः प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि, इस विशय में राज्य परिवहन प्राधिकरण/परिवहन आयुक्त को यह प्रस्ताव भेजा जाय कि, व्यवसायिक यात्री वाहनों के चालक लाइसेंसों के नवीनीकरण के लिये रिफ्रैषर कोर्स को अनिवार्य करने के लिये षासनादेष जारी करवाया जाय। इसके फलस्वरुप एक निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत सभी चालक रिफ्रैषर कोर्स से आच्छादित हो जायेंगे व सडक सुरक्षा को सुनिष्चित करने में सरलता होगी।

संकल्प सं0—26ः— इस मद के अन्तर्गत चार धाम यात्रा में संचालित होने वाले यात्री वाहनों को ग्रीन कार्ड जारी करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवर्श माह मई से अक्टूबर/नवम्बर तक

हरिद्वार/ऋशिकेष से चार धाम यात्रा श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री तथा यमुनोत्री धामों के लिये संचालित होती है। यात्रा में संचालित सभी यात्री वाहनों को यात्रा अवधि के दौरान ग्रीन कार्ड जारी किये जाते हैं। ग्रीन कार्ड जारी करने का मुख्य उद्देष्य यह होता है कि, यात्रा मार्गो पर चैकिंग के दौरान वाहन चालकों को वाहन के समस्त प्रपत्र ना दिखाने पडे तथा चैकिंग अधिकारियों को भी समस्त प्रपत्रों के स्थान पर ग्रीन कार्ड देखने में समय की बचत के साथ– साथ सुविधाजनक भी होगा। प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया कि, चार धाम यात्रा के लिये सभी व्यवसायिक यात्री वाहनों के परमिटों में ग्रीन कार्ड की अनिवार्यता की षर्त आरोपित कर दी जाय।

प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया कि, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, जो कि पंजीयन अधिकारी भी हैं, अपने अधिकार क्षेत्र में चार धाम यात्रा पर जाने वाली व्यवसायिक यात्री वाहनों पर ग्रीन कार्ड की षर्त की अनिवार्यता को उत्तरप्रदेष मोटर यान नियमावली, 1998 के नियम 178(1) में दिये गये प्राविधानेां के अन्तर्गत लागू करेंगे तथा इस प्रतिबन्ध का गजट नोटिफिकेषन भी करवायेंगे।

<u>संकल्प सं0–27ः–</u> इस मद के अन्तर्गत पर्वतीय मार्गो पर चलने वाले जनभार वाहनों की भार क्षमता में वृद्वि करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि, पर्वतीय क्षेत्र में अनेक जल विधुत परियोजनाऐं बन रही हैं। इन परियोजनाओं के लिये भारी सामान की आपूर्ति की जा रही है, जिसके फलस्वरुप पर्वतीय मार्गो तथा उन पर पडने वाले पुलों में काफी सुधार हुआ है। वर्तमान में भार सहित 31500 किग्रा0 वजन तक की वाहनों का पर्वतीय मार्गो पर संचालन हो रहा है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग तथा सीमा सडक संगठन आदि सम्बन्धित विभागों से इस आषय की आख्या प्राप्त की जाय कि, पर्वतीय मार्गो पर कितने भार तक की वाहनों को संचालित किया जाना सुरक्षित है। आख्या प्राप्त हो जाने के पष्चात मामले को प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

<u>संकल्प सं0–28ः–</u> इस मद के अन्तर्गत डोईवाला ग्रामीण क्षेत्र के लिये जारी किये गये 14 विक्रम टैम्पो परमिटों का मार्ग विस्तार डोईवाला से आईएसबीटी करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया जाय। प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि, डोर्डवाला केन्द्र से ग्रामीण क्षेत्रों के लिये विक्रम टैम्पो परमिट दिनांक 09.03.11 की बैठक में स्वीकृत किये गये थे। वर्तमान में डोर्डवाला ग्रामीण क्षेत्र के लिये 76 परमिट जारी किये गये हैं। इस मार्ग की वाहनों को आईएसबीटी तक चलने की अनुमति देने के विरुद्व विक्रम जनसुविधा उत्थान समिति, डोईवाला देहरादून ने आपत्ति की है कि, डोईवाला से रिस्पनापुल, आईएसबीटी तक चलने की आज्ञा ग्रामीण क्षेत्र के लिये जारी विक्रम टैम्पो वाहनों को नहीं दी जाय, क्योंकि आईएसबीटी के लिये पूर्व से ही डोईवाला केन्द्र की विक्रम वाहनें संचालित हो रही हैं। इसके अतिरिक्त महानगर बस सेवा, डी0एल0रोड–डिफेन्स कालोनी–नवादा मार्ग बस यूनियन ने भी विक्रम वाहनों को आईएसबीटी तक चलने की अनुमति देने के विरुद्व आपत्ति की है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, चूंकि यह परमिट डोईवाला के ग्रामीणों क्षेत्रों में संचालन हेतु जारी किये गये हैं। अतः इन वाहनों का मार्ग विस्तार आईएसबीटी तक करना उचित नहीं है। अतः श्री इरफाक अहमद के प्रार्थनापत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

<u>संकल्प सं0–29ः–</u> इस मद के अन्तर्गत हरभजवाला–चोयला–तुन्तोवाला–चन्द्रबनी–आईएसबीटी से संचालित हल्के यात्री वाहन को षहर क्षेत्र (परेडग्राउण्ड) तक संचालित करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन देहरादून ने मार्ग का सर्वेक्षण करने के पष्चात आख्या प्रस्तुत की है कि, हरभजवाला–तुन्तोवाल–चौयला–चन्द्रबनी–आईएसबीटी हल्का वाहन मार्ग का विस्तार आई एस बी टी से हरिद्वार बाईपास–माता मंदिर–धर्मपुर–आराधर होते हुऐ परेड ग्राउन्ड तक कर दिया जाय।

अतः प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, हरभजवाला–चोयला–तुन्तोवाला–चन्द्रबनी–आईएसबीटी मार्ग का विस्तार आई एस बी टी से हरिद्वार बाईपास–पुलिस चौकी–सरस्वती बिहार–माता मंदिर–धर्मपुर–आराधर होते हुऐ परेड ग्राउन्ड तक करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

संकल्प सं0–30:– इस मद के अन्तर्गत देहरादून–प्रेमनगर–परवल मार्ग का विस्तार सिंहनीवाला तक किये जाने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन देहरादून ने मार्ग का सर्वेक्षण करने के पष्चात संस्तुति की है कि, उक्त मार्ग का विस्तार सिंहनीवाला तक किया जाना उचित होगा। इससे बडोवाला–गोरखपुर टी स्टेट के लोगों को सुविधा होगी।

अतः प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, देहरादून–प्रेमनगर–परवल मार्ग का विस्तार बडोवाला तिराहे से नयागांव–पुलिस चौकी होते हुऐ सिंगनीवाला तक करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

संकल्प सं0–31:– इस मद के अन्तर्गत पुरकुल गांव–मोथरोवाला नगर बस सेवा मार्ग का विस्तार दौडवाला– खटटापानी –फान्दुवाला –दुधली–जडोन्द तक करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन देहरादून ने मार्ग का सर्वेक्षण करने के आख्या प्रेशित की है कि, मोथरोवाला–दूधली–जडोन्द तक मार्ग पक्का है। मथुरावाला से जडोन्द तक मार्ग की लम्बाई 11.7 किमी0 के लगभग है। पुरकुलगांव से मोथरोवाला तक मार्ग की दूरी 24 किमी0 है। यदि मोथरोवाला से दौडवाला–खटटापानी–फान्दुवाला–दूधली–जडोन्द–11.7 किमी0 अलग मार्ग वर्गीकृत किया जाता है तो, यह मार्ग आर्थिक दृश्टि से लाभप्रद नहीं होगा।

अतः प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, चूंकि उक्त प्रकार मार्ग का विस्तार करने पर मार्ग की कृल लम्बाई 35.7 किमी0 हो जाती है, जबकि नगर बस मार्ग की लम्बाई 25 किमी0 से अधिक नहीं होनी चाहिए। विषेश परिस्थितियों में इस मार्ग को पुरकुल गांव–मोथरोवाला मार्ग में सम्मिलित करना उचित होगा। अतः इस मार्ग को पुरकुल गांव–मोथरोवाला मार्ग में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में राज्य परिवहन प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त की जाय।

संकल्प सं0–32(i):– इस मद के अन्तर्गत प्रेमनगर मार्ग की सिटी बसों का विस्तार झाझरा (चालक प्रषिक्षण संस्थान) तक करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन देहरादून ने मार्ग का सर्वेक्षण करने के आख्या प्रेशित की है कि, प्रेमनगर–सहसपुर मार्ग की छोटे स्टेज कैरेज वाहनों के परमिटो में झाझरा तक मार्ग विस्तार किये जाने की संस्तुति की है, परन्तु अपर परिवहन आयुक्त महोदय द्वारा षहर से प्रेमनगर तक जाने वाली नगर बसों को प्रेमनगर से झाझरा चालक प्रषिक्षण संस्थान तक चलाने के लिये निर्देषित किया गया था।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त देहरादून–प्रेमनगर–परवल मार्ग की वाहनों के परमिटों में प्रेमनगर से सुद्वोवाला–झाझरा(चालक प्रषिक्षण संस्थान) तक विस्तार इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किया जाता है कि बस यूनियन द्वारा चालक प्रषिक्षण संस्थान तक प्रतिदिन चार वापसी सेवायें चलाई जायेंगी।

(ii) इस मद के अन्तर्गत जनपद देहरादून में ग्राम डोबरी–पंचायत–सोरना नवनिर्मित मार्ग को मुख्य मोटर मार्ग तक जोडने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन देहरादून ने क्षेत्रीय जनता को परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु सहसपुर–कोटडा मार्ग का विस्तार सोरना–रुद्रपुर मुख्य मार्ग तक पृश्ठांकित करने की संस्तुति की है।

अतः प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, सहसपुर–कोटडा मार्ग का विस्तार सोरना–रुद्रपुर तक करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

संकल्प सं0–33(i)(ii)(iii):– इस मद के अन्तर्गत परेड ग्राउन्ड से नेहरुकालोनी–नेहरुग्राम–मियांवाला चौक के बीच चलने वाली वाहनों का मार्ग विस्तार i–मियांवाला चौक से नकरौंदा–सैन्य कालोनी–हर्रावाला तथा लोअर नेहरुग्राम, लोअर तुनवाला होते हुऐ मियांवाला तक ii–बालावाला होते हुऐ नकरौंदा–हर्रावाला एवं किददुवाला से रायपुर होते हुऐ तुनवाला–षमषेरगढ–बालावाला तक iii– षहीद अमरदीप मार्ग–राजा की कोठी–षिव मंदिर–लोअर नेहरुग्राम होते हुऐ एस0जी0आर0आर0 पब्लिक स्कूल–लोअर तुनवाला तक करने के सम्बन्ध में मामला विचार

व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन, देहरादून ने मार्ग का सर्वेक्षण कर आख्या प्रेशित की है कि, नकरौंदा, सैन्य कालानी क्षेत्र की जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु हल्की वाहनों हेतु निर्मित परेड ग्राउन्ड से ईसी रोड–नेहरुकालोनी–नेहरुग्राम–तुनवाला–मियांवाला मार्ग का विस्तार नकरौंदा होते हुऐ हर्रावाला तक, लोअर नेहरुग्राम–लोअर तुनवाला होते हुऐ मियांवाला तक, षमषेरगढ क्षेत्र की जनता को रायपुर से षमषेरगढ तक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मार्ग का विस्तार किददूवाला से रायपुर होते हुऐ तुनवाला–षमषेरगढ–बालावाला–मियांवाला तक तथा षहीद अमरदीप मार्ग–राजा की कोठी–षिवमंदिर–नेहरुग्राम होते हुऐ एस0जी0आर0आर0 पब्लिक स्कूल–लोअर तुनवाला तक मार्ग विस्तार करने की संस्तुति की गई है।

प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, परेड ग्राउन्ड से नेहरुकालोनी–नेहरुग्राम–मियांवाला मार्ग का विस्तार निम्नानुसार कर दिया जाय।

1. नेहरुग्राम–षहीद अमरदीप सिंह चौक से लोअर तुनवाला होते हुऐ मियांवाला
2. मियांवाला चौक से बालावाला होते हुऐ नकरौंदा–हर्रावाला
3. किददूवाला से रायपुर होते हुऐ तुनवाला–षमषेरगढ–बालावाला–मियांवाला
4. षहीद अमरदीप मार्ग–राजा की कोठी–षिव मंदिर–लोअर नेहरुग्राम होते हुऐ एस0जी0आर0आर0 पब्लिक स्कूल–लोअर तुनवाला

<u>संकल्प सं0–34:–</u> इस मद के अन्तर्गत सहसपुर–लक्ष्मीपुर–बुलाकीवाला–अम्बाडी–विकासनगर मार्ग निर्मित करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन, देहरादून ने सर्वेक्षण कर आख्या प्रेशित की है कि, उक्त मार्ग पर सहसपुर से लक्ष्मीपुर होते हुऐ बरोटीवाला तक डाकपत्थर–विकासनगर मार्ग की बसें संचालित हैं। बुलाकीवाला से अम्बाडी तक कोई परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है। सहसपुर से लक्ष्मीपुर होते हुऐ बुलाकीवाला–अम्बाडी से विकासनगर तक मार्ग की कुल दुरी 17 किमी0 है। मार्ग पर परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु उचित होगा कि, मार्ग पर छोटी जीप प्रकार की वाहनों के संचालन हेतु परमिट जारी किये जायें। उन्होंने मार्ग पर 08 परमिट जारी करने की संस्तुति की है।

प्राधिकरण द्वारा सहसपुर–लक्ष्मीपुर–बुलाकीवाला–अम्बाडी–विकासनगर मार्ग को मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 68(3)(ग–क) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार हल्की वाहनों को स्टैज कैरेज के रुप में संचालित करने हेतु **क** श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। मार्ग निर्मित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव राज्य परिवहन प्राधिकरण को प्रेशित किया जाय। मार्ग निर्मित हो जाने के पष्चात इन मार्गो पर परमिट जारी करने हेतु प्रार्थनापत्र आंमत्रित किये जायें।

संकल्प सं0–35:– इस मद के अन्तर्गत राजपुर रोड पर यूपीएफसी कार्यालय से पुलिस कालोनी तक नवनिर्मित मार्ग पर बस सेवा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन, देहरादून ने सर्वेक्षण कर आख्या प्रेशित की है कि, यह मार्ग होटल ग्रेट वैल्यू से कैनाल रोड–किषनपुर–पुलिस कालोनी होते हुऐ मसूरी–सहस्त्रधारा बाईपास मार्ग पर मिलता हैं, जिसकी लम्बाई 5.3 किमी0 है। मार्ग बसों के संचालन हेतु उपयुक्त है। उन्होंने इस मार्ग का पृश्ठांकन राजपुर–क्लेमेन्टाउन मार्ग की नगर बसों में करने की संस्तुति की है।

प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि, उपरोक्त मार्ग का विस्तार राजपुर–क्लेमेन्टाउन मार्ग के परमिटों में करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

संकल्प सं0–36:– इस मद के अन्तर्गत टिहरी तथा उत्तरकाषी जनपदों में नवनिर्मित मोटर मार्गों तथा हल्के वाहन मार्गों को यातायात के लिए खोलने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टिहरी तथा उत्तरकाषी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ नवनिर्मित मार्गो का सर्वेक्षण करने के पष्चात इन मार्गो को यातायात के लिये खोलने की संस्तुति की है। अतः निम्नलिखित मार्गो को यातायात के लिये उपयुक्त होने के आधार पर स्टैज कैरेज वाहनों के परमिटों में पृश्ठांकन की अनुमति दी जाती है।

जनपद टिहरी के नवनिर्मित मार्गः–

1–जगैठी–राजराजेष्वरी मोटर मार्ग –01 किमी। (हल्की एवं भारी वाहनो हेतु)

2–गजा नकोट मोटर मार्ग से फेबुल मोटर मार्ग –1.10 किमी। (हल्की एवं भारी वाहनो हेतु)

3–मदननेगी–खौला मोटर मार्ग –07 किमी। (हल्की एवं भारी वाहनो हेतु)
4–पीटी रोड से नेल्डा मोटर मार्ग –03 किमी। (हल्की एवं भारी वाहनो हेतु)
5–कांधला बैण्ड–महेड़ा–कटखेत हल्का मोटर मार्ग। – 2.5 किमी। (केवल हल्की वाहनो हेतु)
6–खाड़ी–गजा–आमपाटा मोटर मार्ग –1.0 किमी। (केवल हल्की वाहनो हेतु)
7–दिऊली–कुंजापुरी मोटर मार्ग –2.80 किमी। (हल्की एवं भारी वाहनो हेतु)
8–दुआधार–बनाली–पिल्डी–चमेाल गांव मोटर मार्ग –1.90 किमी। (हल्की एवं भारी वाहनो हेतु)
9–कांडा खेत–पीटीसी मोटर मार्ग –3.25 किमी। (हल्की एवं भारी वाहनो हेतु)
10–दुआधार–बनाली–कोटी–पिल्डी मोटर मार्ग –2.2 किमी। (हल्की एवं भारी वाहनो हेतु)
11–फकोट–समेटी–काटल मोटर मार्ग –2.0 किमी। (हल्की एवं भारी वाहनो हेतु)
12–सैंदुल–कोटी मोटर मार्ग –12 किमी। (हल्की एवं भारी वाहनो हेतु)
13–नई टिहरी मार्ग से हनुमान मंदिर, घनसाली–चमियाला बाईपास मार्ग –600 मी0।(हल्की एवं भारी वाहनो हेतु)
14–ललत–सीवालीधार मोटर मार्ग –5.60 किमी। (हल्की एवं भारी वाहनो हेतु)
15–हिण्डोलाखाल–उनाना मोटर मार्ग –5.5 किमी। (हल्की एवं भारी वाहनो हेतु)
16–अंजनी सेंड–कुनाणु–कपरियाड़ी सैंड़ मोटर मार्ग –9.00 किमी से 16.3 किमी। (हल्की एवं भारी वाहनो हेतु)
17–नवाकोट–जोगीयाणा–टिपरी–राधुधार मोटर मार्ग –2.6 किमी। (हल्की एवं भारी वाहनो हेतु)
18–बिच्छु–लिंक मार्ग –1.9 किमी। (हल्की एवं भारी वाहनो हेतु)
19–परोगी–कांडी मार्ग –5.5 किमी। (हल्की एवं भारी वाहनो हेतु)
20–रामपुर–ष्यामपुर बमाणा मोटर मार्ग (15.5 किमी) (हल्की वाहनो हेतु)
21–तोली–गुजेठा मोटर मार्ग (8.7 किमी) (हल्की वाहनो हेतु)
22–मुल्यागांव से पलेठी मोटर मार्ग 7.7 किमी। (हल्की एवं भारी वाहनो हेतु)
23– अलमस–भवान–नगुण मोटर मार्ग –15 से 46.85 (32.85) किमी0 (हल्की एवं भारी वाहनो हेतु)

<u>जनपद उत्तरकाषी के नवनिर्मित मार्गः–</u>

1–नेहरू पर्वता रोहण संस्थान मार्ग – 2.65 किमी। (हल्की एवं भारी वाहनो हेतु)

उपरोक्त नवनिर्मित मोटर मार्गो को (हल्के वाहन मार्ग को छोडकर) क्रम सं0– 1 से 23 तक के मार्गो को मार्ग सूची सं0–1 के मार्गो में तथा जनपद उत्तरकाषी के नवनिर्मित मार्ग नेहरु पर्वता रोहण संस्थान मार्ग को मार्ग सूची सं0–4 में पृश्ठांकन किया जाय।

<u>संकल्प सं0–37ः–</u> इस मद के अन्तर्गत अत्यधिक तीव्र गति, क्षमता से अधिक यात्री, नषे की हालत में वाहन संचालन एवं दुर्व्यवहार करने एवं यातायात नियमों का पालन न करने वाले चालकों की षिकायत एस0एम0एस0 द्वारा करने की षर्त परमिट षर्तो में करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। पुलिस उप महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था ने राज्य में बढती दुर्धटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिये बसों व टैक्सियों के अन्दर निम्नलिखित उक्ति अंकित कराने का सुझाव दिया है।

"अत्यधिक तीव्र गति, क्षमता से अधिक यात्री, वाहन चालक के नषे या नींद में होने अथवा दुर्व्यहार करने व यातायात नियमों का पालन न करने की स्थिति में अपनी षिकायत फोन नम्बर 100, 1090 पर अथवा टेलीफोन नं0 9411112780 पर एस0एम0एस0 करें।"

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, समस्त प्रकार की यात्री वाहनों जैसे–बसों, मैक्सी कैब, टैक्सी कैब, आटोरिक्षा एवं विक्रम वाहनों के अन्दर उक्त उक्ति को अनिवार्य रुप से अंकित कराये जाने सम्बन्धी आदेष परमिट षर्तो में सम्मिलित किया जाय तथा इन वाहनों के अन्दर अनिवार्य रुप से उपरोक्त उक्ति को अंकित कराया जाय।

<u>संकल्प सं0–38ः–</u> इस मद के अन्तर्गत श्रीमती रामवती सक्सेना के नाम पर हरिद्वार केन्द्र से जारी स्थाई आटोरिक्षा परमिट सं0–3277 को निरस्त करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। श्रीमती रामवती द्वारा मा0 लोकायुक्त, उत्तराखण्ड के समक्ष दायर परिवाद सं0–231/10 में यह कहा गया है कि,

उनके परमिट को निरस्त कर दिया जाय। मा0 लोकायुक्त महोदय ने आदेष पारित किये हैं कि, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून से यह अपेक्षा की जाती है कि, वह इस सम्बन्ध में आवष्यक कार्यवाही करें। हरिद्वार केन्द्र से जारी आटोरिक्षा परमिट सं0–3277 जो दिनांक 26.05.12 तक वैध है, पर संचालित वाहन सं0– यूए08जे–5895 को परमिट धारक की षिकायत पर सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन, हरिद्वार द्वारा दिनांक 28.09.09 को थाने में बन्द कर दिया गया है तथा परमिट इस कार्यालय को प्रेशित किया गया है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, उपरोक्त परमिट को निरस्त कर दिया जाय।

संकल्प सं0–39(?):– इस मद के अन्तर्गत प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.06.10 में स्वीकृत ऑटोरिक्षा परमिटों को फर्जी प्रपत्रों के आधार पर प्राप्त करने पर परमिटों के विरुद्ध धारा–86 की कार्यवाही के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.06.10 में हरिंद्वार और रुडकी केन्द्रों से आटोरिक्षा परमिट अन्य षर्तो के साथ इस षर्त के साथ जारी किये गये थे कि, आवेदक के पास हल्का वाणिज्यिक वाहन चलाने का चालक लाइसेंस होना चाहिए। मद में वर्णित प्रार्थियों द्वारा परमिट प्राप्त करते समय अन्य राज्यों/सम्भागों द्वारा जारी किये गये लाइसेंस प्रस्तुत किये गये थे, जिनके आधार पर उनको आटोरिक्षा के परमिट जारी किये गये। परन्तु चालक लाइसेंसों का सत्यापन करने पर यह पाया गया है कि, इन आवेदकों द्वारा फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर परमिट प्राप्त किये गये हैं। फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर परमिट प्राप्त करने पर परमिट धारकों को धारा–86 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये थे। बैठक में प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर परमिट धारकों द्वारा अवगत कराया गया कि, उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति से चालक लाइसेंस बनाये थे और उनको इसका ज्ञान नहीं था कि, यह लाइसेंस फर्जी हैं।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, फर्जी चालक लाइसेंस के आधार पर परमिट प्राप्त करने वाले मद में उल्लिखित सभी 12 परमिटों को निरस्त किया जाय।

(ग) (अ)–इस मद के अन्तर्गत श्री अजीत प्रताप सिंह, राश्ट्रीय सहारा, देहरादून ने विक्रम टैम्पों वाहनों के चालकों द्वारा निर्धारित से अधिक किराया लेने के सम्बन्ध में की गई षिकायतों के सम्बन्ध में निम्नलिखित मामलों को प्रस्तुत किया गया है। अधिक किराया लेने के सम्बन्ध में की गई षिकायत के सम्बन्ध में परमिट धारकों को धारा 86 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये थे। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, निर्धारित से अधिक किराया लेने के सम्बन्ध में परमिट धारकों पर निम्न प्रकार प्रषमन षुल्क निर्धारित किया जाता है।

1.	टैम्पो–2915	यूए07एस–5845	रू0 1000/– प्रषमन षुल्क
2.	टैम्पो–3787	यूके07टीए–3638	रू0 1000/– प्रषमन षुल्क
3.	टैम्पो–3851	यूके07टीए–0614	रू0 2000/– प्रषमन षुल्क
4.	टैम्पो–3397	यूए07टी–6024	रू0 1000/– प्रषमन षुल्क
5.	टैम्पो–2976	यूके07टीए–0045	रू0 1000/– प्रषमन षुल्क
6.	टैम्पो–2539	यूके07टीए–3851	रू0 2000/– प्रषमन षुल्क
7.	टैम्पो–478	यूके07टीए–0638	रू0 1000/– प्रषमन षुल्क
8.	टैम्पो–2637	यूके07टीए–0840	रू0 1000/– प्रषमन षुल्क
9.	टैम्पो–2953	यूके07टीए–2234	रू0 1000/– प्रषमन षुल्क
10.	टैम्पो–2902	यूए07एम–3913	रू0 1000/– प्रषमन षुल्क
11.	टैम्पो–4039	यूके07टीए–0630	रू0 1000/– प्रषमन षुल्क
12.	टैम्पो–2672	यूए07टी–3511	रू0 2000/– प्रषमन षुल्क

(ब) इस मद के अन्तर्गत स्टैज कैरेज वाहनों के विरुद्ध की गयी निम्नलिखित षिकायतों के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है।

1– श्री कमल सिंह तोमर ने बस सं0–यूए07एफ–6285 के विरुद्व षिकायत की है कि, बल्लुपुर चौक पर वाहन से उतरते समय चालक द्वारा वाहन को तेज गति से भगा दिया, जिससे उनका सिर पुस्ते

से टकरा गया तथा सडक पर गिरने से दाहिने हिस्से में दर्द है। इस सम्बन्ध में वाहन स्वामी को धारा–86 का नोटिस भेजा गया था, परन्तु उनका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, परमिट धारक पर रु0 5000/– प्रषमन षुल्क निर्धारित किया जाता है एवम् चालक के डी0एल0 के विरुद्ध कार्यवाही कर प्राधिकरण को अवगत कराया जाय। षिकायतकर्ता को सूचित किया जाय कि, यदि वे चाहें तो, क्षतिपूर्ति हेतु उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं।

2– श्री रण सिंह, ने षिकायत की है कि, बस सं0–यूए07के–0146 के परिचालक द्वारा उनसे जीवनगढ गत्ताफैक्ट्री से छिबरो विधुत गृह तक रु0 25 प्रति यात्री के हिसाब से किराया लिया गया जबकि इतनी दूरी का किराया रु0 15 होता है। इस सम्बन्ध में परमिट धारक ने कार्यालय द्वारा नोटिस के उत्तर में सूचित किया है कि, परिचालक ने कोटी डैम तक का किराया लिया गया था। जो कि सही है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, परमिट धारक द्वारा बताये गये तथ्यो का परीक्षण कराया जाये, यदि निर्धारित किराये से अधिक किराया वसूल किया गया हो, तो परमिट धारक पर रू0 2000/– प्रषमन षुल्क की वसूली की जाये ।

3– श्री गजपाल सिंह बिश्ट ने वाहन सं0–यूए07एम–3234 के विरुद्व षिकायत की है कि, बस के चालक ने आईएसबीटी से रिस्पनापुल तक का किराया 7 रु0 लिया, परन्तु टिकट नही दिया। वाहन स्वामी ने कार्यालय द्वारा जारी नोटिस के सन्दर्भ में सूचित किया है कि, परिचालक द्वारा गलती की गई है। जिसके लिये क्षमा चाहते हैं।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, परमिट धारक पर रु0 2000/– प्रषमन षुल्क निर्धारित किया जाता है।

4– श्री गजपाल सिंह बिश्ट ने वाहन सं0–यूके07पीए–0277(सिटी बस) के विरुद्व षिकायत की है कि, रिस्पनापुल से आईएसबीटी तक दो सवारियों का किराया रु0 14/– लिया, परन्तु टिकट नही दिया। वाहन स्वामी ने कार्यालय द्वारा जारी नोटिस का वाहन स्वामी द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, परमिट धारक पर रु0 5000/— प्रषमन षुल्क निर्धारित किया जाता है।

5— श्री सचिन कुमार ने षिकायत की है कि, वाहन सं0—यूके07पीए—0847 हरबर्टपुर से गुडरिच होते हुऐ मलूकावाला जाता है। इस मार्ग की चौडाई काफी कम है तथा मार्ग की स्थिति भी काफी खराब है। इस वाहन के सचांलन से मार्ग पर पैदल चलने वाले तथा साइकिल पर चलने वाले व्यक्तियों को परेषानी होती है व दुर्धटना का खतरा बना रहता है। षिकायत के सम्बन्ध में वाहन के स्वामिनी श्रीमती कामिनी टण्डन ने सूचित किया है कि उनकी वाहन विधुत निगम के कर्मचारियों को कुल्हाल से डाकपत्थर लाती ले जाती है। उनके वाहन के विरुद्व झूठी षिकायत की गई है। प्रत्येक परमिट धारक के लिये सडक सुरक्षा सुनिष्चित की जानी आवष्यक है।

अतः प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, परमिट धारक पर रु0 1000/— प्रषमन षुल्क निर्धारित किया जाता है।

6— श्री रविन्द्र प्रसाद खुगसाल ने षिकायत की है कि, वे बस सं—यूए07टी—6744 में टिकट लेकर बैठे, परन्तु बस के परिचालक ने राजपुर में यात्रियों को दूसरी वाहन सं0—यूके07पीए—0268 में स्थानान्तरित कर दिया, परन्तु इस बस के परिचालक द्वारा पुनः टिकट लेने के लिये कहा गया, जब उन्होंने पहली बस का टिकट दिखाया तो बस का परिचालन कहने लगा कि, आप नीचे उतर जाओ। वाहन सं0—यूके07पीए—0268 के स्वामी ने कार्यालय द्वारा जारी नोटिस के उत्तर में सूचित किया है कि, उनकी वाहन सं0—यूके07पीए—0268 व यूए07टी—6744 के कर्मचारियों का आपसी मनमुटाव होने के कारण एक दूसरे की सवारी नहीं ले रहे थे, जिस कारण से षिकायतकर्ता के साथ कहासुनी हुई, उन्होंने वाहन के दोनों कर्मचारियों को हटा दिया है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, गैर जिम्मेदार, अयोग्य व जनता के प्रति असंवेदनषील कार्मिक नियोजित करने से जनता को अनावष्यक असुविधा हुई है। अतः दोनों परमिट धारकों पर रु0 1000/— प्रषमन षुल्क निर्धारित किया जाता है।

(प्प्) इस मद के अन्तर्गत श्री अतुल कुमार के स्थाई सवारी गाडी परमिट सं0–1874 पर संचालित बस सं0–यूके07पीए–0481 के विरुद्व धारा–86 की कार्यवाही हेतु मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। श्री अतुल कुमार की वाहन सं0–यूके07पीए–0481 का चालान दिनांक 27.04.10 को किया गया था तथा वाहन को बिना परमिट लालतप्पड नामक स्थान पर संचालित पाया गया था तथा वाहन के प्रपत्र भी चालक द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। वाहन स्वामी के अनुरोध पर चालान को प्राधिकरण के समक्ष विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, परमिट धारक पर निर्धारित प्रषमन षुल्क की वसूली सुनिष्चित की जाय।

(प्ट) इस मद के अन्तर्गत प्रेमनगर–गुलरघाटी नगर बस सेवा मार्ग की बसों का संचालन पूरे मार्ग पर नहीं होने के कारण मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु मामला प्रस्तुत किया गया है। पूरे मार्ग पर वाहन संचालित नहीं करने के सम्बन्ध में मार्ग के 16 परमिट धारकों को धारा–86 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये थे, परन्तु किसी भी परमिट धारक का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, मद में उल्लिखित सभी 16 परमिट धारकों पर रु0 5000/–(प्रत्येक पर) प्रषमन षुल्क निर्धारित किया जाता है।

(ट) इस मद के अन्तर्गत निम्नलिखित विक्रम टैम्पो परमिटों के विरुद्व मोटर गाडी अधिनियम, 1988 की धारा 86(ध) के अन्तर्गत कार्यवाही के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। इन परमिट धारकों ने अपने परमिटों का नवीनीकरण सम्भागीय परिवहन कार्यालय सहारनपुर से कराने के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त करने के पष्चात इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई थी, जिसके आधार पर इन परमिटों का नवीनीकरण किया गया था, परन्तु सहारनपुर कार्यालय से छानबीन करने पर ज्ञात हुआ कि, उनके कार्यालय द्वारा परमिटों का नवीनीकरण नहीं किया गया है। इस प्रकार फर्जी सूचना प्राप्त कर परमिट धारकों द्वारा संदिग्ध दस्तावेज प्रस्तुत कर गलत तरीके से परमिटों का नवीनीकरण

किया गया है। इस सम्बन्ध में परमिट धारकों को नोटिस जारी किये गये थे। जिसके उत्तर में उन्होंने सूचित किया है कि, प्रष्नगत परमिट उनके नाम पर क्रमषः दिनांक 10.09.08 तथा 26.02'.09 में हस्तांतरित हुआ है। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि, यदि पूर्व परमिट धारक द्वारा कोई अवैधानिक कार्य किया गया है तो, उसके लिये वे षुल्क जमा करने को तैयार हैं।

अतः मामले पर विचारोपरान्त निम्नानुसार आदेष पारित किये जाते हैं।

क्र0स0	परमिट धारक का नाम	परमिट सं0 वैधता केन्द्र का नाम एव वाहन संख्या	टिप्पणी
1	श्याम सिंह पाल	टैम्पो–1914 रुडकी केन्द्र वैध–24.03.09 यूके07टीए–0814	परमिट संख्या 1914 को निरस्त करते हुए रुडकी केन्द्र का नया विक्रम परमिट रुपया 10,000/–प्रषमन शुल्क के साथ स्वीकृत किया जाता है।
2	जहॉगीर	टैम्पो–1931 रुडकी केन्द्र वैध–07.06.09 यूके08टीए–0325	परमिट संख्या 1931 को निरस्त करते हुए रुडकी केन्द्र का नया विक्रम परमिट रुपया 10,000/–प्रषमन शुल्क के साथ स्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त परमिट धारकों द्वारा वाहनों के पुराने परमिटों को जमा कराने के पष्चात वाहनों के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर नया टैम्पो परमिट दिनांक 31.12.11 तक कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा। भविष्य में एलपीजी/सीएनजी फिलिंग स्टेषन स्थापित हो जाने पर परमिट पर एलपीजी/सीएनजी चालित वाहन प्रतिस्थापित की जायेंगी।

(टप) इस मद के अन्तर्गत वाहन सं0–मार्ग सूची सं0–1 के परमिट सं0–3018 से आच्छादित बस सं0–यूपी07सी–7524 के विरुद्व धारा 86 की कार्यवाही हेतु मामला प्रस्तुत किया गया है। बस में कुल 56 सवारी(14 सवारी छत पर) ढोते हुऐ पाया गया है। इस सम्बन्ध में परमिट धारक को नोटिस जारी किया गया था, परन्तु उनके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, बस के परमिट को 03 महिने के लिये निलम्बित किया जाय अथवा निलम्बन का प्रषमन षुल्क रु0 9000/– निर्धारित किया जाता है।

(टप्) इस मद के अन्तर्गत श्री दिनेष सिंह की दुर्घटनाग्रस्त वाहन सं0 यूए09–5396 के स्थाई मैक्सी कैब परमिट सं0–1643 के विरुद्व धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। वाहन सं0–यूए09–5396 दिनांक 08.07.10 को जाखणीधार नामक स्थान पर दुर्धटनाग्रस्त हो गई थी। दुर्धटना के फलस्वरुप वाहन स्वामी को धारा–86 का नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने सूचित किया है कि, उपरोक्त परमिट उन्होंने दिनांक 24.05.'11 को निरस्त करने हेतु जमा कर दिया है। प्राधिकरण ने उक्त परमिट को निरस्त करने के आदेष दिये हैं।

(टप्प्) इस मद के अन्तर्गत हरिद्वार केन्द्र से जारी ऑटोरिक्षा परमिटों के विरुद्व मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु मामला प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12.11.09 तथा 26.06.10 में हरिद्वार केन्द्र के लिये आटोरिक्षा परमिटों को इस षर्त के साथ स्वीकृत किया गया था कि, आवेदक बेरोजगार हों तथा उनके पास पूर्व में निर्गत कोई परमिट ना हो। मद में उल्लिखित 11 प्रार्थियों द्वारा इस आषय के षपथ पत्र दिये गये थे कि, उनके नाम पर पूर्व में जारी कोई परमिट नहीं है। षपथपत्र के आधार पर उनको आटोरिक्षा के परमिट जारी किये गये थे। जॉच करने पर यह पाया गया है कि, इन प्रार्थियों के नाम पर 02–02 वाहनें पंजीकृत हैं तथा पूर्व में भी परमिट एक परमिट जारी किया गया था। इस सम्बन्ध में परमिट धारकों को धारा–86 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया था, परन्तु किसी भी परमिट धारक द्वारा नोटिस का उत्तर नहीं दिया गया। प्राधिकरण के बैठक के समय श्री अतीक अहमद पुत्र श्री षफीक अहमद, परमिट सं0–आटो 7088 एवम् श्री रियासत पुत्र श्री अजीज अली, परमिट सं0–आटो 7635 के

स्वामी उपस्थित हुए और अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया। प्रत्यावेदन का परीक्षण करने पर यह तथ्य प्रकट हुए कि, उपरोक्त आवेदकों द्वारा नियमानुसार प्राधिकरण की षर्तो के अनुरुप अपने परमिट प्राप्त किये गये हैं।

अतः प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उक्त दोनों परमिट को छोडकर षेश प्रार्थियों द्वारा मिथ्या षपथ पत्र प्रस्तुत कर प्राधिकरण की नीति के विरुद्व परमिट प्राप्त किये गये हैं। अतः मद में उल्लिखित षेश 09 परमिटों को निरस्त किया जाय।

(च) इस मद के अन्तर्गत मोटर गाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत एक ही अभियोग में एक वाहन के दो से अधिक चालान पाये जाने पर, परमिटों के विरुद्ध निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु मामलों को प्रस्तुत किया गया है। मामले पर विचारोपरान्त निम्न आदेष पारित किये जाते हैं।

क्र०सं०	स्वामी का नाम	परमिट संख्या व वाहन संख्या	कार्यवाही व निर्णय
1.	श्री जय सिंह गुंसाई	टैम्पो–3704 यूए07जे–9481	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 18000/– प्रषमन षुल्क
2	श्री दीपक	टैम्पो–4452 यूए07एन–7826	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 20000/– प्रषमन षुल्क
3	श्री राजकुमार	टैम्पो–2379 यूए07के–7620	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 20000/– प्रषमन षुल्क
4	श्री राजेश कुमार	टैम्पो–2328 यूके07टीए–0231	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 18000/– प्रषमन षुल्क
5	श्री बलबीर सिंह	टैम्पो–4538 यूए07के–7327	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 15000/– प्रषमन षुल्क
6	श्री सन्नी देयोल	टैम्पो–4229	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0

		यूए07—9993	15000 / — प्रषमन षुल्क
7	श्री दीवान सिंह	यूपीकोपी—138 यूपी07के—9945	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रू0 15000 / — प्रषमन षुल्क
8	श्री भूपेन्द सिंह राना	यूपीकोपी—1140 यूके07सीए—2674	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रू0 15000 / — प्रषमन षुल्क
9	श्री हरीश चन्द्र	टैम्पो—4358 यूए07क्यू—9414	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रू0 15000 / — प्रषमन षुल्क
10	श्री विनोद कुमार	टैम्पो—4274 यूके07टीए—0631	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रू0 15000 / — प्रषमन षुल्क
11	श्री सुनील दत्त जोशी	यूपीकोपी—944 यूके07सीए—1264	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रू0 15000 / — प्रषमन षुल्क
12	श्री संदीप कुमार	टैम्पो—3531 यूए07पी—6943	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रू0 15000 / — प्रषमन षुल्क
13	श्री राजेन्द्र सिंह	टैम्पो—4427 यूके07टीए—1708	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रू0 15000 / — प्रषमन षुल्क
14	श्रीमती लक्ष्मी चौहान	टैम्पो—3869 यूए07टी—0905	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रू0 15000 / — प्रषमन षुल्क
15	श्री जयप्रकाश	टैम्पो—4012 यूए07जे—9480	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रू0 15000 / — प्रषमन षुल्क
16	श्री प्रेम प्रकाश	टैम्पो—4317 यूके07टीए—2283	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रू0 15000 / — प्रषमन षुल्क
17	श्री श्रवण कुमार	मैक्सी—1477	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रू0

	शर्मा	यूके07टीए–0773	18000 / – प्रषमन षुल्क
18	श्री मनोज कुमार	आटो–3695 यूए08डी–9501	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 15000 / – प्रषमन षुल्क
19	श्री नरेन्द्र सिंह चौहान	यूपीकोपी–127 यूए07एफ–7284	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 18000 / – प्रषमन षुल्क
20	श्री नरेन्द्र सिंह	टैम्पो–3552 यूपी07जी–3868	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 18000 / – प्रषमन षुल्क
21	कंवल पती देवी	टैम्पो–2055	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 15000 / – प्रषमन षुल्क
22	श्री चुन्नी लाल	टैम्पो–126 यूए07टी–2037	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 15000 / – प्रषमन षुल्क
23	श्री नरेन्द्र सिंह	टैम्पो–3696 यूपी07जी–4692	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 15000 / – प्रषमन षुल्क
24	मौ0 जावेद	टैम्पो–3649 यूए07एस–7924	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 18000 / – प्रषमन षुल्क
25	श्रीमती कलावती	टैम्पो–3706 यूए07टी–4091	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 15000 / – प्रषमन षुल्क
26	श्री मदन लाल	टैम्पो–3767 यूए07डी–0212	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 15000 / – प्रषमन षुल्क
27	श्री जगन्नाथ सिंह	टैम्पो–4176 यूए07डी–3671	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 15000 / – प्रषमन षुल्क
28	श्री सुनील कुमार	टैम्पो–3739 यूए07टी–7359	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 15000 / – प्रषमन षुल्क

29	श्री कमला देवी मठपाल	टैम्पो–3694 यूए07एन–8729	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रू0 15000/– प्रषमन षुल्क
30	श्री प्रमोद कुमार	टैम्पो–3909 यूके07टीए–	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रू0 15000/– प्रषमन षुल्क
31	श्री राजू जायसवाल	टैम्पो–1468 यूके07टीए–0818	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रू0 18000/– प्रषमन षुल्क
32	श्री कृशण कन्हैया चौहान	टैम्पो–3710 यूके07टीए–0893	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रू0 15000/– प्रषमन षुल्क
33.	श्री चन्दर प्रकाष कुमार	टैम्पो 4166 यूके07टीए–2799	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रू0 15000/– प्रषमन षुल्क
34.	श्री राजेश सिंह	टैम्पो–1771 यूके07टीए–0230	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रू0 15000/– प्रषमन षुल्क
35.	श्री सुभाष चन्द्र सब्बरवाल	टैम्पो–3628 यूए07क्यू–1368	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रू0 15000/– प्रषमन षुल्क
36.	श्री ललित कुमार	टैम्पो 1727 यूपी07जी–7481	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रू0 18000/– प्रषमन षुल्क
37.	श्री प्रमोद कुमार	टैम्पो–3904 यूके07टीए–0149	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रू0 15000/– प्रषमन षुल्क
38.	श्री सुन्दर लाल	टैम्पो–188 यूए07क्यू–4919	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रू0 18000/– प्रषमन षुल्क
39.	श्री मुन्नालाल	ऑटो–5362 यूए018बी–9659	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रू0 18000/– प्रषमन षुल्क

40.	श्री मनीष कुमार	टैम्पो–4186 यूए07टी–5052	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रू0 15000/– प्रषमन षुल्क
41.	श्री चन्दर प्रकार कुमार	टैम्पो–4166 यूके07टीए–2799	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रू0 15000/– प्रषमन षुल्क
42.	श्रीमती उर्मिला	टैम्पो–2111 यूए07के–2734	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रू0 18000/– प्रषमन षुल्क
43.	श्रीमती राजरानी	टैम्पो–1716 यूए07एन–4934	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रू0 15000/– प्रषमन षुल्क
44.	श्री मोहन लाल	टैम्पो–4579 यूपी07जे–2422	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रू0 15000/– प्रषमन षुल्क
45.	श्रीमती दीपा भट्ट	टैम्पो–3902 यूए07क्यू–7230	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रू0 15000/– प्रषमन षुल्क
46.	श्री मनोज शर्मा	टैम्पो–3805 यूए07टी–4805	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रू0 15000/– प्रषमन षुल्क
47.	श्री सोनू भटनागर	पीएसटीपी–3899 यूए07एन–1179	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रू0 15000/– प्रषमन षुल्क
48.	श्री लाल सिंह	यूपीसीओपी–864 यूए07एल–3858	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रू0 15000/– प्रषमन षुल्क

उक्त चालानों को पूर्व में निस्तारित किये जाने हेतु जमा की गई धनराषि का समायोजन करते हुऐ षेश प्रषमन षुल्क जमा कराने हेतु दिनांक 31.12.11 तक का समय निर्धारित किया जाता है।

संकल्प सं0–40:– इस मद के अन्तर्गत श्री गुरुबचन सिंह पुत्र श्री संत सिंह, 19, गोविन्दगढ़, देहरादून द्वारा ऑटो रिक्षा परमिट सं0 1933 के स्वीकृत नवीनीकरण के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27.12.08 में परमिट के नवीनीकरण का आदेष इस शर्त के साथ किया गया था कि, परमिट धारक द्वारा रु0 15000/– प्रषमन शुल्क जमा किया जायेगा तथा परमिट पर संचालित वाहन के स्थान पर नई पैट्रोल/एलपीजी चालित लगाने के पष्चात ही किया जायेगा। प्रार्थी ने आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण परमिट का नवीनीकरण नहीं कराया है। अब उन्होंने निवेदन किया है कि, परमिट का नवीनीकरण किया जाय।

मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि, रु0 15000/– प्रषमन शुल्क जमा करने तथा नई वाहन पैट्रोल/एलपीजी के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31.12.11 तक परमिट का नवीनीकरण करने की आज्ञा प्रदान की जाती है।

संकल्प सं0–41(अन्य मद):– इस मद के अन्तर्गत निम्नलिखित मामलों पर विचार किया गया।

1– इस मद के अन्तर्गत सैन्य कालोनी से आईएसबीटी–दून विष्वविधालय मार्ग पर संचालित 7/8 सीटर हल्की 4 पहिए वाली वाहनों के परमिटों का मार्ग विस्तार बंजारावाला तक करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन देहरादून ने मार्ग का सर्वेक्षण करने के पष्चात आख्या प्रस्तुत की है कि, स्थानीय जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु सैन्य कालोनी–दून विष्वविधालय मार्ग का विस्तार बंजारावाला तक किये जाने की संस्तुति की है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि सैन्य कालोनी से आईएसबीटी–दून विष्वविधालय मार्ग का विस्तार बंजारावाला तक करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2– इस मद के अन्तर्गत श्री देवेन्द्र सिंह चौहान की वाहन सं0–यूके07टीए–1325 के परमिट सं0–5976 के विरुद्व धारा–86 की कार्यवाही हेतु मामला प्रस्तुत किया गया है। श्री देवेन्द्र सिंह की वाहन का चालान सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौडी ने दिनांक 21.10.11 को धण्टाधर के पास इस अभियोग में किया गया है कि, चालक द्वारा नषे की हालत में गाडी चलाई जा रही थी। कार्यालय द्वारा जारी धारा 86 के नोटिस के

उत्तर में प्रार्थी ने यह सूचित किया है कि, प्रार्थी भविश्य में ऐसी गलती पुनः नहीं करने का आष्वासन देता है।

मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि, परमिट को 6 माह के लिये निलम्बन लिया जाय तथा निलम्बन का प्रषमन शुल्क रु0 10000/— निर्धारित किया जाता है।

3— इस मद के अन्तर्गत मोटर गाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत एक ही अभियोग में एक वाहन के दो से अधिक चालान पाये जाने पर, परमिटों के विरुद्ध निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु मामलों को प्रस्तुत किया गया है। मामले पर विचारोपरान्त निम्न आदेष पारित किये जाते हैं।

क्र०सं०	स्वामी का नाम	परमिट संख्या व वाहन संख्या	कार्यवाही व निर्णय
1.	श्री सुरेष कुमार	यूपीकोपी—921 यूके07सीए—2120 यूटीलीटी	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 18000/— प्रषमन षुल्क
2	श्री करम सिंह	टैम्पो 4451 यूए07क्यू—3615	परमिट 6 माह हेतु निलम्बित अथवा रु0 20000/— प्रषमन षुल्क

4— इस मद के अन्तर्गत डोईवाला ग्रामीण क्षेत्र के लिये विक्रम टैम्पो परमिट जारी करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रार्थियों के प्रार्थनापत्र विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किये गये हैं।

1. श्री मकान सिंह पुत्र श्री बीरबल सिंह, 53 जौलीग्रान्ट, डोईवाला देहरादून।
2. श्री मेनपाल सिंह पुत्र श्री खचेडु, बापूग्राम, ऋशिकेष।
3. श्री सुनील कुमार पुत्र श्री रोषन सिंह, सारन्धरवाला, भोगपुर, रानीपोखरी, देहरादून।
4. श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री वजीर चन्द, बापूग्राम, ऋशिकेष।

5. श्री अमित कुमार पुत्र श्री चन्द्रषेखर, 13 भोगपुर, रानीपोखरी, देहरादून।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09.03.11 में डोईवाला ग्रामीण क्षेत्र के लिये विक्रम टैम्पो परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों को निम्नलिखित षर्तो के साथ स्वीकृत किया गया था।

1. परमिट से आच्छादित वाहन का संचालन डोईवाला में लच्छीवाला रेलवे पुल से से आगे देहरादून षहर की ओर, ऋशिकेष मार्ग पर नटराज चौक से आगे तथा हरिद्वार मार्ग पर नेपाली फार्म से आगे नहीं किया जायेगा। वाहन का संचालन डोईवाला के ग्रामीण क्षेत्रों में ही किया जाएगा।
2. वाहनों का रंग हरा होगा तथा इन पर 05 इंच की सफेद पट्टी होगी जिसमें काले रंग से डोईवाला ग्रामीण क्षेत्र अंकित होगा।
3. देहरादून जनपद का निवासी हो।
4. आवेदक के नाम अन्य कोई परमिट न हो।
5. आवेदक बेरोजगार हो।
6. आवेदक के पास हल्की वाणिज्यिक वाहन चलाने का डी0एल0 हो।
7. परमिट 03 वर्श की अवधि से पूर्व हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा तथा आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत जारी परमिट आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को ही हस्तान्तरित किया जा सकेगा।
8. आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक, जिला प्रषासन द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे।
9. मार्ग पर संचालित वाहनों मॉडल सीमा 10 वर्श होगी तथा 10 वर्श की आयुसीमा पूरी होने पर ऊँचे मॉडल की वाहन से प्रतिस्थापन किया जाएगा।”

उपरोक्त के पष्चात प्राधिकरण ने परिचालन पद्वति द्वारा 18 परमिट स्वीकृत किये गये थे। वर्तमान में डोईवाला ग्रामीण क्षेत्र के लिये 76 विक्रम टैम्पो परमिट जारी किये गये हैं। उपरोक्त प्रार्थियों ने निवेदन किया है कि, उन्होंने बैंक से ऋण लेकर वाहनें क्रय की थीं, परन्तु प्रथम आगत–प्रथम निर्गत के सिद्वान्त पर स्वीकृत परमिट जारी हो जाने के कारण वे अपनी वाहनों के परमिट प्राप्त नहीं कर पाये हैं। उन्होंने निवेदन किया है कि, उनको डोईवाला ग्रामीण क्षेत्र के लिये विक्रम टैम्पो परमिट जारी किये जायें।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, प्रार्थियों द्वारा वाहनें क्रय करने के सम्बन्ध में सहा0 परिवहन अधिकारी, प्रषासन, देहरादून द्वारा परीक्षण कराया जाय तथा आख्या प्राप्त की जाय। आख्या प्राप्त हो जाने के पष्चात मामले को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

5– इस मद के अन्तर्गत निम्नलिखित आवेदकों को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.06.10 में हरिद्वार केन्द्र से स्वीकृत आटोरिक्षा परमिटो को जारी करने के मामले पर विचार किया गया।

क0स0	आवेदक का नाम एवं पिता का नाम	वाहन संख्या	वाहन पंजीयन तिथि
1	श्री सुन्दर पुत्र श्री गोपाल	यू0के0–08टीए– 2261	29.9.2010
2	श्री मुमताज पुत्र श्री अब्बास	यू0के0–08टीए– 2103	30.8.2010
3	श्री यामीन पुत्र श्री अब्दुल सामी	यू0के0–08टीए– 1927	27.8.2010
4	श्री किषन पुत्र श्री मित्रसेन	यू0के0–08टीए– 2235	22.9.2010
5	श्री धमेन्द्र पुत्र श्री ओम प्रकाष	यू0के0–08टीए– 2112	30.8.2010
6	श्री रूपक पुत्र श्री महेष चन्द्र	यू0के0–08टीए– 2143	30.8.2010
7	श्री पप्पू पुत्र श्री सेवा राम	पंजीयन हेतु आवेदन दि0 27.8.	

		2010	
8	श्री सुधीर पुत्र श्री तिलक राज	पंजीयन हेतु आवेदन दि0 27.8. 2010	

उपरोक्त प्रार्थियों को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.6.2010 में हरिद्वार केन्द्र से आटोरिक्षा परमिट निम्न षर्तों के साथ परमिट स्वीकृत किये गये थे।

1– आवेदक स्थानीय निवासी हो, इस हेतु मतदाता परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2– आवेदक के नाम अन्य कोई परमिट न हो।

3– आवेदक बेरोजगार हो।

4 –आवेदक के पास हल्की वाणिज्यिक वाहन चलाने का डी0एल0 हो।

5– परमिट 03 वर्श की अवधि से पूर्व हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा।

6– स्वीकृत परमिट दिनांक 31.08.10 तक नई आटोरिक्षा वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर जारी किया जाएगा,

तत्पष्चात् स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जाएगी।

उक्त आवेदको के पास हल्की वाहनो का वैध लाईसेंस न होने या लाईसेंस अन्य राज्य का होने के कारण यह आवेदक अपनी वाहनो के परमिट प्राप्त नही कर सके थे। इन आवेदको द्वारा प्राधिकरण के समक्ष यह निवेदन किया है, कि उनके द्वारा अब अपने एल0एम0वी0 (प्राईवेट) लाईसेंस बनवा लिये गये है, और व्यवसायिक लाईसेंस बनवाने हेतु आवेदन किया जा रहा है, इसलिये उनकी वाहनों को परमिट जारी कर दिया जाये। यह सभी वाहने वित्तपोशित है, और आवेदको के पास अन्य कोई रोजगार नही है। वाहनो का संचालन न होने से उनको आर्थिक हानि हो रही है, और फाईनेन्सर का कर्ज बढता जा रहा है ।

प्राधिकरण द्वारा इन बिन्दुओं पर विचार किया गया कि, आवेदकों द्वारा वाहनों को क्रय/पंजीयन किये हुये लगभग 01 वर्श से अधिक का समय हो चुका है, और परमिट न होने से वाहनो का संचालन नही हो पा रहा है। इसलिये आवेदकों की आर्थिक स्थिति एवं जनहित को ध्यान

मे रखते हुये आदेष दिये जाते हैं कि, इन आवेदको द्वारा यदि अव्यवसायिक लाईसेंस प्राप्त कर लिये है और व्यवसायिक लाईसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया में सम्मलित हो गये हैं, तो उसका परीक्षण सचिव् संभागीय परिवहन प्राधिकरण अपने स्तर से करते हुये इन आवेदकों के पंजीकृत/पंजीयन हेतु आवेदन किये गये वाहनों को हरिद्वार केन्द्र का स्वीकृत आटोरिक्षा परमिट जारी करेंगे।

7— इस मद के अन्तर्गत नगर पालिका परिशद, नई टिहरी को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12.11.09 में स्वीकृत स्थाई स्टैज कैरेज परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचार किया गया। अध्यक्ष नगर पालिका परिशद, टिहरी ने अपने पत्र सं0—732/न0पा0प0टि0/सीटीबस/परमिट/2011—12 दिनांक 11.11.11 द्वारा निवेदन किया है कि, परिशद के अनुरोध पर मा0 सांसद महोदय द्वारा अपनी सांसद निधि के अन्तर्गत एक 37 सीटर बस नगर पालिका परिशद, टिहरी को उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने निवेदन किया है कि, जनता की मांग के दृश्टिगत नगर पालिका परिशद, टिहरी को इस बस के लिये परमिट निर्गत करने का कश्ट करें।

उपरोक्त सम्बन्ध में अवगत करना है कि, प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12.11.09 में नगरपालिका परिशद, नई टिहरी को टिहरी नगर में कोटीकालोनी—भागीरथीपुरम—बौराडी—मौलधार—एम ब्लॉक—एफ ब्लॉक—एच ब्लॉक—जे ब्लॉक—के ब्लॉक—नई टिहरी—कोर्ट कम्पाउन्ड—चम्बा मार्ग के लिये 02 स्थाई स्टैज कैरेज परमिट स्वीकृत किये गये थे। नगर पालिका परिशद द्वारा स्वीकृत परमिटों में से 01 परमिट प्राप्त कर लिया गया था, परन्तु वाहन उपलब्ध नहीं होने के कारण दूसरा स्वीकृत परमिट अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है। उन्होंने अब निवेदन किया है कि, अब बस उपलब्ध हो गई है। इस बस के लिये स्वीकृत परमिट जारी कर दिया जाय।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, नगर पालिका परिशद, टिहरी को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12.11.09 में स्वीकृत परमिट वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31.12.11 तक जारी कर दिया जाय।

विजेन्द्र भण्डारी, (आई0ए0एस0) अध्यक्ष सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून ।

ईष्वर सिंह नेगी, सदस्य सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून।

अजय सिंह नबियाल सदस्य आयुक्त, गढ़वाल मंडल।